Administrative & Editorial Board

ISSN (Prit) : 3048-6327

Shodh Garima

IMPACT-FACTOR
SJIF - 6.852

A Peer-Reviewed & Refereed
International Multidisciplinary Research Journal

Year : 3 **Vol. - 3** **(July to Sept., 2026)**

EDITORIAL BOARD

Prof. (Dr.) Ratan Kumari Verma
Jagat Tarn Girl's Degree College, Prayagraj
Mob.: 9415050933
Email : drratankmverma.jtdc@gmail.com
Institutional Email : ratankmverma@jtgdc.ac.in

Prof. Hitendra Kumar Mishra
Professor, Dept. of Hindi
North-Eastern Hill University
Shillong-793022
Mob.: 9436594338
Email : hiten.hindi@gmail.com
Institutional Email : hkmishra@nehu.ac.in

Dr. Akta Kumari
Asst. Professor, Dept. of Hindi
Kazi Nazrul University
Aasansol (North) District Bardwan
West Bengal
Mob.: 8084450160
Email : ekta2k8@gmail.com
Institutional Email : akta.kumari@knu.ac.in

Dr. Anupma Singh
Asst. Professor (Political Science),
Arya Kanya Degree College, Prayagraj

Dr. Sonam Gupta
Asst. Professor (Economics),
Arya Kanya Degree College, Prayagraj

Dr. Jamuna Bini
Asst. Professor, Dept. of Hindi
Rajiv Gandhi University, Roho Hills
Daimukh, Arunachal Pradesh
Mob.: 9436044427
Email : jamunabini@gmail.com
Institutional Email : jamuna.bini@rgu.ac.in

Dr. Uma Kumari Shah
Asst. Professor
Dept. of Media & Communication Studies
Chaudhary Banshilal University
Bhimani (Haryana)
Mob.: 8340336167
Institutional Email : uma.mghv@cblu.edu.in

Dr. Arti Saroj
Asst. Professor (Sanskrit),
Arya Kanya Degree College, Prayagraj

Journal Starting Year-**2024**, Frequency- **Quarterly**, Subject- **Multidisciplinary**, Language-**Hindi & English**, Publishers- **Sushil Kumar Kushwaha,** Publishing Body- **G.H. Publication**, Prayagraj, U.P.-211003 (India), Email Id:- **ghpublication@gmail.com, Mob.: 9532481205, 9807520344**

International Editorial Board Members

1. **Prof. Mamajonov Muhammadjon Yusubjonovich**
Dean of Faculty of Foreign Languages
Doctor of Philosophy (Phd)
Associate Professor
Fergana State University
Fergana, Uzbekistan
Institutional Email : m.mamajonov@pf. fdu.uz
https://fdu.uz/site/sahifa/2864f5cb9c 6906184be1041e508b1bcadd666d5170 a4bfce
Telegram: +998903031330

2. **Prof. Elham Hossain**
Senior Faculty Member
Department of English
Green Uiversity of Bangladesh
Bangladesh
Profile Link : elham@eng.green.edu.bd
Institutional Email : https://elhamhossain.com

Chief Managing Editor
Sushil Kumar Kushwaha
Mob.: 9532481205
e-mail : shodhgarima@gmail.com

Managing Editor
Harsh Kushwaha
Mob.: 9807520344

Publisher Information

Publishing Body
G.H. Publication

Address
121, Shaharabag, Prayagraj (U.P.)–211003

Editor in Chief
Prof. (Dr.) Ratan Kumari Verma
Jagat Tarn Girl's Degree College, Prayagraj
Mob.: 9415050933
Email : ratankmverma@jtgdc.ac.in

जर्नल के विषय में

''शोध गरिमा'' जर्नल प्रकाशित करने का उद्देश्य

प्रत्येक काल में शोध पत्र-पत्रिकाओं का समाज हित में अपना अमूल्य योगदान रहा है। वर्तमान समय में भी बहुत-सी शोध पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही हैं। इसी श्रृंखला में 'शोध गरिमा' जर्नल प्रकाशित किये जाने का विनम्र प्रयास है।

यह शोध जर्नल अन्य शोध जर्नल से इस मामले में भिन्न होगा कि इसमें उन विषयों को शोध का केन्द्र बिन्दु बनाया जायेगा, जो विषय अभी तक अध्ययन का मुख्य विषय नहीं बन पाये हैं, अपितु बनने की दिशा में प्रयासरत हैं। जिसमें विशेष रूप से दलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, किन्नर, समाज के हाशिये पर पड़ा कोई वर्ग, व्यक्ति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य निर्धन वर्ग, किसान, केवट, मछुआरा, श्रमिक, महिला वर्ग इत्यादि के विषय में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, यथार्थवादी दृष्टिकोण से अध्ययन, विश्लेषण, नये-से-नये तथ्यों का अन्वेषण, उनके आधार पर समाज की मुख्य धारा में मुख्य स्थान दिलाने का प्रयास है। इन सभी बिन्दुओं से जुड़े हुए विभिन्न विषय के विद्वानों, शोधार्थियों के शोध-अभिलेखों को प्रकाशित कर अकादमिक जगत् में योगदान करना है। इसके माध्यम से विद्वानों को अपना शोध-आलेख प्रकाशित करवाने में सुविधा होगी। 'शोध गरिमा' जर्नल को ऐसे नवीन अन्वेषण से युक्त शोध-आलेख को प्रकाशित कर अपना योगदान करने में गर्व की अनुभूति होगी। हम भी संवेदना के संवाहक बन सकेंगे और मानवता के कल्याण में हमारा भी योगदान हो सकेगा।

मुख्य सम्पादक

- The persons holding the posts of the Journal are not paid any salary or remunaration. The Journal's work is purely academic, non political, posts of Journal are honorary.
- The Journal will be regularly indexed and four issues will be released every year in Vol.-1 (January to March), Vol.-2 (Apr. to June), Vol.-3 (July to Sept.), Vol.-4 (Oct. to Dec.)

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक : सुशील कुमार कुशवाहा द्वारा 'शोध-गरिमा', जी.एच. पब्लिकेशन, 121 शहराराबाग, प्रयागराज से प्रकाशित एवं युनिवर्सल ग्राफिक्स, 6बी/4बी/9ए, बेलीरोड, न्यू कटरा, प्रयागराज से मुद्रित
(Ph.) 0532-2563028, (M) 9532481205, E-mail : shodhgarima@gmail.com, website : www.shodhgarima.com

जर्नल में प्रस्तुत विचार और तथ्य लेखक का है, जिसके विषय में प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक मंडल सहमत हो, आवश्यक नहीं। सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र प्रयागराज रहेगा।

G.H. PUBLICATION
121, Shahrarabag, Prayagraj-211 003

Journal Starting Year-**2024**, Frequency- **Quarterly**, Subject- **Multidisciplinary**, Language-**Hindi & English**, Publishers- **Sushil Kumar Kushwaha**, Publishing Body- **G.H. Publication**, Prayagraj, U.P.-211003 (India), Email Id:- **ghpublication@gmail.com**, **Mob.: 9532481205, 9807520344**

ADVISORY BOARD

- Dr. Dinesh Kumar Singh
  Professor (Department of Botany), Shri J.J.T. Unversity, Jhununjhnu, RAJ
- Dr. Devendra Kumar
  Asst. Professor (Chemistry), Shri Mahendrapal Shastri Mahavidyalaya Aligarh U.P.
- Prof. Sadanand Shahi
  HOD (Hindi), BHU, Varanasi
- Prof. Anita Gopesh
  Zoology, Allahabad University, Prayagraj, U.P.
- Prof. S.P. Shukla
  Hindi, Allahabad University, Prayagraj, U.P.
- Dr. Dhananjay Chopra
  Course-co-ordinator Media Study Centre, Allahabad University, Prayagraj, U.P.
- Prof. Ram Gopal Singh
  Hindi, Gujarat Vidyapeeth, Ahmedabad, Gujarat
- Prof. Dayashankar
  Hindi, Sardar Patel University, Vallabh Vidyanagar, Anand, Gujarat
- Dr. S.B. Pateel
  Principal, Arts and Commerce College, Akkalkuwa, Maharashtra
- Dr. Sanjay Tiwari
  Principal, Navyug Arts and Commerce College, Rani Durgawati Vishwavidyalaya, Jabalpur, M.P.
- Prof. Manju Sharma
  Hindi, Delhi University, Delhi
- Prof. Sandeep Kumar Singh
  Dean School of Arts, Humanitiesa and Social Science, CSJM University, Kanpur, U.P.
- Dr. Santosh Khanna
  Chief Editior, Mahila Vidhi Bharti Journal, Delhi
- Dr. Monika Devi
  State Planning Institute Lucknow, U.P.
- Prof. (Dr.) Sunil Kumar
  H.O.D. (Hindi & Bhasha-Sankay), Guru Nanak Dev University, Amritsar (P.B.)
- Dr. Praveen Saini
  Prof. (Music), G.D.H. Girls College, Moradabad (U.P.)
- Dr. Sudesh Kumari
  Prof. (Music), G.D.H. Girls College, Moradabad (U.P.)

SUB-EDITORS BOARD

- Dr. Shamenaz Bano
  English, R.T.D.C., Prayagraj
- Dr. Kulwant Singh
  Senior Scientist, Bhabha Parmanu Anusandhan Kendra, Tromby, Mumbai
- Dr. Manish Vaghela
  Hindi, Dr. VRGM College, Porbandar, Bhakt Kavi Narshingh Mehta University, Junagarh, Gujarat
- Dr. Amit Kumar Dubey
  Principal, *Shri RST College of Education, Magadh University, Bodhgaya, Bihar*
- Prof. D.B. Singh
  Physics, Dr. Shakuntla Mishra National Rehabilitation University, Lucknow, U.P.
- Dr. Keerti Kumar Singh
  History, M.G. College, Lucknow University, Lucknow, U.P.
- Dr. Ramakant
  History, Allahabad University, Prayagraj, U.P.
- Prof. Arvind Kumar Verma
  Sociology, R.G.P.G. College, Akbarpur, Dr. RML Awadh University, Ayodhya, U.P.
- Prof. Dhruv Bhushan Singh
  SHSGPG College Chandauli, MGKVP, Varanasi, U.P.
- Dr. Vineeta Singh
  Principal, Ganga Memorial Girl's PG College, Dr. RML Awadh University, Ayodhya, U.P.
- Dr. Karuna Anand
  Prof. (Psychology), G.D.H. Girls College, Moradabad (U.P.)
- Dr. Rajesh Sharma
  Associat Professor (Political Sience), Eklavya University, Dahoh (M.P.)
- Dr. Durga Mahobia
  Assistant Professor (Geography), Eklavya University, Dahoh (M.P.)

Peer-Reviewed Board

- Dr. Chunduri Kameshwari
  Hindi, *Bhavan's Vivekananda College Sainikpuri Secunderabad, Telangana, Ormanice University, Hyderabad*
- Dr. Alka Yadav
  Hindi, *PNS College, Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur, Chhattisgarh*
- Dr. Mukti Sharma
  Hindi, *Mattan Degree College, Kashmir University, Jammu & Kashmir*
- Dr. Sangeeta Kumari Pasi
  Hindi, *Caton University, Paan Bazar, Guwahati, Assam*
- Dr. Neeta Agrawal
  Writer, *Nohal, Hanumangarh, Rajasthan*
- Dr. Smriti Anand
  Hindi, *J.D. Womens College, Pataliputra University, Patna, Bihar*
- Dr. Vishwamauli
  Hindi, *B.H.U., Varanasi, U.P.*
- Dr. Sanghsen Singh
  Political Science, *SPM P.G. College, Allahabad University, Prayagraj, U.P.*
- Dr. Rakesh Singh
  Geography, *CSNPG College Hardoi, Lucknow University, U.P.*
- Dr. Sarvesh Kumar Singh
  Economics, *G.G.D.C., Sewapuri, MGKVP, Varanasi, U.P.*
- Dr. Vikash Chand Verma
  Hindi, *TNPG College Tanda, Ambedkar Nagar, Dr. RML University Ayodhya, U.P.*
- Mr. Santosh Kumar
  English, *BNKB, P.G. College Akbarpur, Ambedkar Nagar, Dr. RML University, Ayodhya, U.P.*
- Dr. Shivam Singh
  English, *TNPG College Tanda, Ambedkar Nagar, Dr. RML University Ayodhya, U.P.*
- Dr. Sandeep Kumar Verma
  Psychology, *KS Saket PG College, Dr. RML University Ayodhya, U.P.*
- Dr. Gopal Krishna Singh
  Mathematics, *UPRTOU, Prayagraj, U.P.*
- Dr. Arvind Kumar Yadav
  Hindi, *Jammu Central University, Jammu & Kashmir*

- Dr. Asha Rani
  Hindi, *Rani Durgawati Vishwavidyalaya, Jabalpur, M.P.*
- Dr. Amanpreet Kaur Kang
  Music (Vocal), *G.G.S. Khalsa College for Women Jhar Sahib Ludhiyana, Punjab University, Chandigarh*
- Dr. Anita Singh
  Hindi, *Pondicherry University, Punducherry*
- Dr. Sainaba Gldar
  Hindi, *Jawahar Lal Nehru Rajkeeya Mahvidyalaya, Portbliar, Andman and Nicobar Islands*

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. No. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III - खण्ड 4
PART III – Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 271] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 18, 2018/आषाढ़ 27, 1940
No. 271] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 18, 2018/ASHADHA 27, 1940

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2018

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018

[भाग III–खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 105

Table 2

Methodology for University and College Teachers for calculating Academic/Research Score

(Assessment must be based on eivdence produced by the teacher such as : copy of publications, project sanction letter, utilization and completion certificatesa issued by the University and acknowledge for patent filing and approval letters, students' Ph.D. award letter, etc.)

S. N.	Academic/Research Activity	Faculty of Science Engineering/Agriculture/ Medical/Veterinary Sciences	Faculty of Languages/ Humanities/Arts/Social Sciences/Library/Education/ Physical Education/Commerce/ Management & other related disciplines
1.	**Research Papers in Peer-Reviewed or UGC listed Journals**	08 per paper	10 per paper
2.	**Publication (other than research Papers)**		
	(a) Books authored which are published by :		
	International publishers	12	12
	National publishers	10	10
	Chapter in Edited Book	05	05
	Editor of Book by International Publisher	10	10
	Editor of Book by National Publisher	8	8

Journal Starting Year-**2024**, Frequency- **Quarterly**, Subject- **Multidisciplinary**, Language-**Hindi & English**, Publishers- **Sushil Kumar Kushwaha,** Publishing Body- **G.H. Publication**, Prayagraj, U.P.-211003 (India), Email Id:- **ghpublication@gmail.com, Mob.: 9532481205, 9807520344**

© ***Publishers***

Registration Fee	: **Rs. 1500.00**
Single Copy (Individual)	: **Rs. 250.00**
Institution	: **Rs. 500.00**
Annual Subscription (4 Issues)	: **Rs. 1000.00**
Life Time Member Fee (Individual)	: **Rs. 5000.00**
Life Time Member Fee (Institution)	: **Rs. 7000.00**

Mode of Payment :

DD/Cheque/Cash should be sent in favour of :

G.H. Publication

State Bank of India
Bahadurganj, Prayagraj-3
A/c. 42202333697
IFSC : SBIN 0050274

Or

Phone Pay (M.) 9532481205
Sushil Kumar Kushwaha
Union Bank of India
A/c. 394302010996632
IFSC : UBIN 0530271

(1) आप दोनों में से किसी पर भी शुल्क का भुगतान करने के बाद उसका स्क्रीन शॉर्ट मोबाइल नं.: 9532481205 पर अवश्य भेजें, जिससे आपके शुल्क भुगतान का सत्यापन हो सके।
(2) किसी भी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी हेतु आप मो.: 9532481205 पर सम्पर्क कर प्राप्त कर सकते हैं।

Please Research Paper will be sent in our
E-mail : shodhgarima@gmail.com
&
Our Watsapp No.: 9532481205

Journal Starting Year-**2024**, Frequency- **Quarterly**, Subject- **Multidisciplinary**, Language-**Hindi & English**, Publishers- **Sushil Kumar Kushwaha,** Publishing Body- **G.H. Publication**, Prayagraj, U.P.-211003 (India), Email Id:- **ghpublication@gmail.com, Mob.: 9532481205, 9807520344**

अनुक्रम

1. **नई शिक्षा नीति (NEP 2020)** **13-15**
डॉ. (श्रीमती) सरोज गोस्वामी

2. **लैंगिक समानता के संघर्ष को जीती कहानीकार शिवमूर्ति की स्त्री पात्र** **16-19**
अमित

3. **"ELECTRO-CHEMICAL AND SPECTRAL STUDY ON SOME ELECTROLYTES DERIVED FROM Kp-2 AND Fe-3 IN RAINY"** **20-24**
Dr. Pooja Garg

4. **SACRED BELIEFS, FOLK PRACTICES, AND ETHNOMEDICINAL PLANT DIVERSITY IN PANHALA, MAHARASHTRA** **25-33**
Patil Manohar Nivrutti, Dr. Dinesh Kumar Singh & Dr. Ravindra P. Jadhav

5. **जनपद हरदोई में सड़क परिवहन सुविधाओं का भौगोलिक अध्ययन** **34-39**
Ajay Kumar Shukla & Prof. Pawan Kumar Singh

6. **समकालीन हिन्दी कविता में जनमुक्ति के स्वर** **40-44**
मनीषा कुमारी

7. **कृषि और जैव प्रौद्योगिकी : सतत विकास की दिशा में एक सहक्रियात्मक दृष्टिकोण** **45-50**
बृजेन्द्र कुमार एवं अजय कुमार पटेल

8. **प्रवासी हिन्दी और आधुनिक हिन्दी : वैश्विक विस्तार और अंतर्संबंध** **51-54**
नाज़िमा

9. **आलोचक अशोक कुमार 'मंगलेश' की समीक्षात्मक-दृष्टि** **55-60**
नवनाथ महादेव पवार एवं डॉ. कृष्णाल आनंदराव पाटील

10. **सिवनी जिले का नामकरण : जनश्रुतियों का समालोचनात्मक विश्लेषण** **61-65**
डॉ. संकेत कुमार चौकसे

11. **Soil Microbial Community Changes under Invasive Plant Species in the Semi-Arid Ecosystems of Solapur District, Maharashtra** **66-74**
Tolnure Pratiksha Prakash, Dr.Dinesh Kumar Singh & Dr.Ravindra P. Jadhav

12. **प्रयागराज की वरिष्ठ महिला साहित्यकार देवयानी का रचना संसार** **75-77**
प्रो. (डॉ.) रतन कुमारी वर्मा

13.	**आचार्य मम्मट के काव्यलक्षण का समीक्षात्मक विवेचन** डॉ. कुश कुमार	**78-83**
14.	**Curcumin Phytosomal Complex : A Physico-Chemical Fabrication and Evalauation Study Focused on Solubility and Absorption Enhancement** Kalpna Kashyap, Ankit Singh & Vineet Mehta	**84-92**
15.	**छत्तीसगढ़ नगर-निगम योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी ''स्वास्थ्य के सम्बन्ध में''** डॉ. प्रेमलता एक्का	**93-96**
16.	**भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन और महावीर सिंह** डॉ. फ़ैज़ान अहमद	**97-101**
17.	**अयोध्या जनपद में नगरीय संकल्पना एवं नगरीकरण की उभरती प्रवृत्तियाँ एक भौगोलिक अध्ययन** डॉ. ललित कुमार यादव एवं सौरभ सिंह	**102-107**
18.	**कौटिल्य के राजनीतिक विचारों की वर्तमान में उपयोगिता** डॉ. (श्रीमती) शशि त्रिपाठी एवं सुधा साकेत	**108-112**
19.	**जनजातीय देवलोक की अवधारणा : एक अध्ययन** रवीन्द्र शंकर राय, डॉ. सरिता पाण्डेय	**113-116**
20.	**विकसित भारत 2047 डॉ. भीमराव के सिद्धांतों की प्रासंगिकता और योगदान** डॉ. रामेश्वरलाल	**117-121**
21.	**शहरी प्रजननशील महिलाओं में स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति पर सोशल मीडिया का प्रभाव** डॉ. स्वीटी यादव	**122-127**
22.	**विस्थापन से महानगरीय जीवन तक : हिन्दी सिनेमा में प्रवासन और शहरीकरण का अध्ययन** मानस कुमार मिश्रा एवं प्रो. नीना शुक्ला	**128-136**
23.	**Representations of Womanhood and Feminine Ideals in Kamayani** Mudit Pareek	**137-140**
24.	**ग्राम पंचायत में सूचना का अधिकार अधिनियम का महत्त्व** अमिता शर्मा एवं डॉ. संध्या शुक्ला	**141-146**

25. **The Illusion of Affordability: How Price Perception Mediates the Impulsive Buying of High-Involvement Electronics in E-Markets** **147-154**
Astha Mishra & Professor (Dr.) Ram Karan

26. **छत्रचूड़ामणि ग्रन्थ में वर्णित नैतिक सूक्तियाँ** **155-158**
प्रशांत वसंत उकलकर एवं प्रो. ऋषभचन्द्र जैन

27. **वैदिक संस्कृति और आदिवासी परम्परा** **159-163**
प्रो. सूर्य नारायण गौतम 'वेदाचार्य'

28. **आंचलिकता की अवधारणा, स्वरूप और साहित्य** **164-168**
धीरेन्द्र यादव एवं डॉ. आलोक यादव

29. **मौन नरसंहार : भारत में कन्या भ्रूण हत्या का सामाजिक-कानूनी विश्लेषण** **169-176**
डॉ. संजीव कुमार पाण्डेय

30. **शौचायल से खेत तक : मोनपा समाज की पारंपरिक स्वच्छता और खाद बनाने की परंपरा** **177-182**
दोर जी, डॉ. अनुज कुमार

SHODH-GARIMA–YEAR-3, VOL. 3 (July to Sept., 2026)
A Peer-Reviewed & Referred
International Multidisciplinary
Research Journal

ISSN (Print) : 3048-6327

IMPACT-FACTOR
SJIF - 6.852

DOI : 10.5281/zenodo.23149657

Paper Received : 2nd July 2026 **Paper Accepted : 8th July 2026**

नई शिक्षा नीति (NEP 2020)

❑ डॉ. (श्रीमती) सरोज गोस्वामी*

शोध-सारांश

नई शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था में व्यापक एवं संरचनात्मक परिवर्तन का एक दूरदर्शी दस्तावेज है, जिसका उददेश्य शिक्षा को समावेशी, गुणवत्तापूर्ण, बहुविषयक, कौशल आधारित तथा वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करना है। प्रस्तुत शोध पत्र में नई शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख प्रावधानों, उददेश्यों तथा विद्यालयी एवं उच्च शिक्षा पर इसके संभावित प्रभावों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। अध्ययन में 5+3+3+4 पाठयचर्या संरचना, प्रांरभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, मातृभाषा आधारित शिक्षण, अनुभवात्मक अधिगम, सतत् एवं समग्र मूल्यांकन, व्यवसायिक शिक्षा, डिजिटल शिक्षा, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट *(ABC)*, बहु–प्रवेश एवं बहु–निर्गमन प्रणाली तथा अनुसंधान एवं नवाचार जैसे महत्वपूर्ण आयामों का विवेचन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि यह नीति विद्यार्थियों में अलोचनात्मक चिंतन, सृजनात्मकता, समस्या–समाधान क्षमता, नैतिक मूल्यों एवं जीवनोपयोगी कौशलों के विकास को प्रोत्साहित करती है। इसके सफल क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों, सुदृढ़ डिजिटल अवसंरचना, पर्याप्त वित्तीय निवेश तथा प्रभावी संस्थागत समन्वय की आवश्यकता है। नई शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा प्रणाली को अधिक लचीला, नवाचारी, रोजगारोन्मुख एवं ज्ञान–आध ाारित बनाते हुए विकसित भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं परिवर्तनकारी पहल सिद्व हो सकती है।

मुख्य शब्द– नई शिक्षा नीति 2020 समावेशी शिक्षा, बहुविषयक शिक्षा, मातृभाषा आधारित शिक्षण, कौशल आधारित शिक्षा, अनुभवात्मक अधिगम, डिजिटल शिक्षा बैंक ऑफ क्रेडिट *(ABC)*, उच्च शिक्षा, रोजगारोन्मुख शिक्षा।

नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य भारत की शिक्षा व्यवस्था को अधिक गुणवत्तापूर्ण, समावेशी, कौशल आधारित तथा रोजगारोन्मुख बनाना है। यह विद्यार्थियों में ज्ञान, रचनात्मकता, नैतिक मूल्यों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा 21 वीं सदी के आवश्यक कौशलों का विकास करने पर बल देती है।

इस नीति में विद्यालयी शिक्षा की सरंचना 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 की दी गई है,

* प्रधानाचार्या, पीएम0श्री0 रा0बा0इ0 कॉलेज, चरखारी, महोबा (उ0प्र0)

जिससे 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के दायरें में शामिल किया गया है। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा तथा कक्षा 5 तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षण को प्रत्साहित किया गया है।

नई शिक्षा नीति रटने के बजाय अनुभवात्मक, गतिविधि आधारित एवं कौशल– आधारित शिक्षण पर बल देती है। इसमें कला, खेल, व्यवसायिक शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा को समान महत्व दिया गया है। उच्च शिक्षा में बहुविषयक अध्ययन, विषय चयन की स्वतंत्रता Academic Bank of Credits (ABC) तथा बहु–प्रवेश एवं बहु–निर्गम जैसी व्यवस्थाएं लागू की गई है।

नई शिक्षा नीति में शिक्षकों के सतत् प्रशिक्षण, डिजिटल शिक्षा, शोध, नवाचार तथा समावेशी शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। इसका उददेश्य ऐसे सक्षम, आत्मनिर्भर, नवाचारी एवं उत्तरदायी नागरिक तैयार करना है, जो राष्ट्र निर्माण में प्रभावी योगदान दे सकें। नई शिक्षा नीति 2020 विकसित भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

नई शिक्षा नीति इस समिति की अध्यक्षता पूर्व कैबिनेट सचिव टी0एस0आर सुब्रमण्यन द्वारा की गई इनकी 2016 में मृत्यु होने पर जून 2017 में प्रख्यात वैज्ञा0 पद्म विभूषण डॉ0 के0 कस्तूरी रंगन अध्यक्ष बने, 31 मई 2019 को भारत सरकार को रिपोर्ट सोंप दी गयी। नई शिक्षा नीति 2020 को भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया (सर्वप्रथम नई शिक्षा नीति भारत में 1986 में अस्तित्व में आई, 1992 में इसमें संशोधन किया गया) इस वर्तमान तीसरी शैक्षिक नीति का उददेश्य भारतीय शिक्षा की संरचना को और अधिक गतिशील, लचीला और प्रसंगिक बनाना है। इसमें मानव संसाधन मंत्रालय का नाम पुनः शिक्षा मंत्रालय करने का निर्णय लिया गया है इसमें समस्त उच्च शिक्षा (कानूनी एवं चिकित्सा शिक्षा को छोड़ कर) हेतु भारत उच्च शिक्षा आयोग के गठन का प्रावधान है। संगीत, खेल और योग को सहायक के स्थान पर मुख्य पाठय क्रम में जोड़ा गया है। शिक्षा में खर्च 4.43% से बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 6% करने का लक्ष्य है।

वर्तमान में यदि विद्यार्थी उच्च शिक्षा के मध्य में ही कोर्स किसी कारणवश छोड़ देता है तो उसे कुछ नही मिलता, डिग्री पाने को दुबारो से नई शुरूआत करनी पड़ती थी। नई शिक्षा नीति में स्नातक कोर्स 3 या 4 साल के हो सकते है, जिसमें सारे एग्जिट आप्सन है अर्थात पहले वर्ष में कोर्स छोड़ने पर प्रमाण पत्र, दूसरे वर्ष में कोर्स छोड़ने पर एडवान्स डिप्लोमा, तीसरे वर्ष में कोर्स छोड़ने पर डिग्री तथा 4 साल बाद रिसर्च के साथ बैचलर की डिग्री मिलेगी। अब एम0 फिल0 को समाप्त कर शोध में जाने के लिए इसी 4 साल की बैचलर डिग्री के बाद पीएच0डी0 मे प्रवेश लिया जा सकेगा। (अर्थात तीन साल की स्नातक डिग्री के बाद एक साल का एमए कर के)।

इस समय साइंस, कामर्स और आर्टस स्ट्रीम चल रही थी, पर अब नही होगी। छात्र अपनी इच्छानुसार विषय चुन सकेगे। अब विद्यार्थी भौतिक विज्ञान के साथ अकाउन्ट या आर्टस का कोई भी विषय पढ़ सकेगे। व्यवसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 26ण्3 : से बढ़ाकर 2035 तक 50: करने का लक्ष्य रखते हुये इसके लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों में 3ण्5 करोड़ नई सीटे जोड़ी जा रही है।

महाविद्यालयों की सम्बद्वता चरणबद्ध तरीके से अगले 15 वर्षो में समाप्त करने का लक्ष्य है, साथ ही महाविद्यालय को क्रमिक स्वायत्ता प्रदान करने के लिए राज्यवार तंत्र की स्थापना होगी। कुछ समय बाद प्रत्येक महाविद्यालय या तो एक स्वायत्तशासी डिग्री प्रदान करने वाले महाविद्यालयों में विकसित हो जायेगे या किसी विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय बन जायेगे।

NCERT के परामर्श से 2030 तक माध्यमिक विद्यालयो में शिक्षण कार्य करने के लिए योग्यता

कम से कम चार वर्षीय इंटीग्रेटेड बी0एड0 डिग्री होगी।

छठी कक्षा से कोडिंग सिखाई जायेगी इसके लिए सभी स्कूलों को डिजिटल एक्टिव किया जा रहा है। हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु 2030 तक स्कूली शिक्षा में पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक 100 : तक लक्ष्य रखकर शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य सुनिश्चित किया गया है। स्कूलों में अब 10+2 फार्मेट के स्थान पर 5+3+3+4 फार्मेट को शामिल किया जा रहा है अर्थात पहले 5 साल में (3 साल प्री प्राइमरी फिर कक्षा 1 व 2) इसके बाद कक्षा 3 से 5 के 3 साल फिर 3 साल का मिडिल स्टेज अर्थात 6 से 8 और चौथा स्टेज कक्षा 9 से 12, 4 साल का होगा। अभी विद्यार्थी 11वीं कक्षा से विषय का चयन करते रहे है नई शिक्षा नीति में यह सुविधा 9 से मिलेगी।

नई शिक्षा नीति में सबसे महत्वपूर्ण तत्व स्वायत्तता है जो शैक्षणिक संस्थानों को विश्व स्तरीय बनने का अवसर देगा। इसमें विषयों के मध्य पड़ने वाली सीमाओ को तोड़ते हुए प्रेक्टिकल एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया है, इस हेतु 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थानों का उददेश्य बहुविषयक संस्थान रखा गया है। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति पुनः बनाना रखा गया है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. नई शिक्षा नीति–2020 (National Education Policy 2020) लेखक/प्रकाशक शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, प्रकाशक शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली
2. नई शिक्षा नीति–2020 एक विश्लेषण संपादक आर सी मिश्रा एवं सहयोगी विद्वान, प्रकाशक विभिन्न शैक्षणिक प्रकाशन; संस्करणानुसार
3. नई शिक्षा नीति–2020 अवधारणा एवं कियान्वयन लेखक जे सी अग्रवाल प्रकाशक, शिप्रा पब्लिकेशन्स
4. Teaching Education and National Education Policy 2020 संपादक एच सी शर्मा एवं अन्य प्रकाशक विभिन्न शैक्षणिक प्रकाशन
5. शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधार (NEP–2020) के संदर्भ सहितद्ध लेखक जे सी अग्रवाल प्रकाशकः विकास पब्लिशिंग हाउस
6. जे सी अग्रवाल– नई शिक्षा नीति–2020 अवधारणा एवं कियान्वयन शिप्रा पब्लिकेशन्स
7. NCERT नई शिक्षा नीति–2020 प्रकाशित एवं प्रशिक्षित संदर्भ सामग्री।
8. UGC तथा NCTE द्वारा NEP-2020 के कियान्वयन संबंधी दिशानिर्देश।

SHODH-GARIMA–YEAR-3, VOL. 3 (July to Sept., 2026)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal

ISSN (Print) : 3048-6327

IMPACT-FACTOR SJIF - 6.852

DOI : 10.5281/zenodo.23149938

Paper Received : 2nd July 2026 **Paper Accepted : 8th July 2026**

लैंगिक समानता के संघर्ष को जीती कहानीकार शिवमूर्ति की स्त्री पात्र

❑ अमित*

शोध-सारांश

हिंदी कथा–साहित्य में ग्रामीण यथार्थ के सर्वाधिक सशक्त हस्ताक्षरों में से एक शिवमूर्ति की रचनाओं का केंद्रीय सरोकार सदैव स्त्री, दलित और शोषित किसान वर्ग की पीड़ा रहा है। यह शोध पत्र शिवमूर्ति की प्रमुख कहानियों तिरिया चरित्तर, कसाईबाड़ा, अकालदंड, केशरकस्तूरी, सिरीउपमाजोग और भरतनाट्यम के माध्यम से लैंगिक समानता एवं असमानता के प्रश्न का विश्लेषण करता है। अध्ययन यह स्थापित करने का प्रयास करता है कि शिवमूर्ति की कथा–दृष्टि किस प्रकार जाति, वर्ग और लिंग के अंतर्संबंधों को उद्‌घाटित करते हुए ग्रामीण स्त्री की विवशता, संघर्ष और आंशिक प्रतिरोध का यथार्थवादी चित्रण करती है, और साथ ही यह भी विश्लेषित करता है कि उनकी कहानियों में समानता की स्थापना कहाँ तक संभव हो पाती है और कहाँ यह अधूरी रह जाती है।

मुख्य शब्द– लैंगिक समानता, स्त्री–विमर्श, ग्रामीण यथार्थवाद, समकालीन कहानी, पितृसत्ता।

लैंगिक समानता का प्रश्न समकालीन साहित्य–विमर्श के केंद्रीय सरोकारों में से एक है। स्वातंर्त्योत्तर हिंदी कथा–साहित्य में जहाँ अनेक रचनाकारों ने नगरीय मध्यवर्गीय स्त्री की मुक्ति–चेतना को अपना विषय बनाया, वहीं शिवमूर्ति ने ग्रामीण, दलित और वंचित स्त्री के जीवन–यथार्थ को अपनी कथा–भूमि बनाया। उनकी कहानियाँ स्त्री के शोषण को केवल पितृसत्तात्मक ढाँचे तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उसे जाति–व्यवस्था, वर्ग–संरचना और ग्राम्य सत्ता–तंत्र (पंचायत, थाना, सरपंच–प्रधान) के जटिल जाल में गूँथकर प्रस्तुत करती हैं। यही बहुस्तरीय दृष्टि शिवमूर्ति को हिंदी के स्त्री–विमर्शमूलक कथाकारों में विशिष्ट स्थान दिलाती है।

शिवमूर्ति का जन्म 11 मार्च 1950 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कुरंग गाँव में एक सीमांत किसान परिवार में हुआ। पिता के घर छोड़ देने के कारण उन्हें बचपन से ही आर्थिक असुरक्षा

* सहायक आचार्य, बी.एन.के.बी.पी.जी. कॉलेज अकबरपुर, अम्बेडकर नगर, संपर्क सूत्र 7905704226, Email : amitkumar230134@gmail-com

और संघर्ष का सामना करना पड़ा, जिसके चलते उन्होंने मेला–बाजार में दवा बेचने जैसे काम भी किए। इसी संघर्षपूर्ण जीवनानुभव ने उनकी कथा–दृष्टि को गढ़ा। कसाईबाड़ा, तिरिया चरित्तर, अकालदंड, सिरी उपमाजोग, भरतनाट्यम, केशर कस्तूरी जैसी कहानियों तथा त्रिशूल, तर्पण, आखिरी छलाँग, अगम बहै दरियाव जैसे उपन्यासों के रचयिता शिवमूर्ति की विशेषता यह है कि उन्होंने अपेक्षाकृत कम लिखकर भी हिंदी कथा–साहित्य में स्थायी छाप छोड़ी है। तिरिया चरित्तर को 'हंस' पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ कहानी के रूप में पुरस्कृत किया गया, और इस पर आधारित फिल्म (1995) में नसीरुद्दीन शाह तथा ओमपुरी जैसे कलाकारों ने अभिनय किया।

आलोचक ओमप्रकाश वाल्मीकि के अनुसार शिवमूर्ति की कहानियाँ मूलतः नायिका–प्रधान हैं, जिनमें स्त्री की वेदना, संघर्ष, अपमान और पारिवारिक विघटन गहनता के साथ अभिव्यक्त होते हैं। यह संवेदनशीलता उनके निजी जीवनानुभवों से उपजी मानी जाती है।

लैंगिक समानता का अभिप्राय केवल स्त्री–पुरुष के बीच औपचारिक अधिकारों की समानता से नहीं, बल्कि अवसर, गरिमा, आत्मनिर्णय और सुरक्षा की वास्तविक समानता से है। भारतीय ग्रामीण संदर्भ में यह प्रश्न और जटिल हो जाता है क्योंकि यहाँ स्त्री की अस्मिता जाति, वर्ग, विवाह–संस्था और सामुदायिक न्याय–व्यवस्था (पंचायत) से गहरे जुड़ी होती है। नारीवादी आलोचना में 'अंतर्संबंधता' की अवधारणा यह मानती है कि स्त्री का शोषण अकेले लिंग–भेद से नहीं, बल्कि जाति, वर्ग और सत्ता–संरचनाओं के परस्पर संयोग से उत्पन्न होता है। शिवमूर्ति की कहानियाँ इसी अंतर्संबंधता को असाधारण बारीकी से उकेरती हैं।

तिरिया चरित्तर शिवमूर्ति की सर्वाधिक चर्चित कहानी है, जिसकी नायिका विमली एक निर्धन, अपाहिज पिता और असहाय माँ की पुत्री है। बचपन में ही विवाहित विमली अपने माता–पिता के भरण–पोषण का भार उठाने के लिए ईंट–भट्ठे पर काम करने जाती है, जहाँ वह शोषण के अनेक स्तरों से गुजरती है। कहानी का शीर्षक स्वयं एक मुहावरे पर व्यंग्य करता है, समाज में जिस 'तिरिया चरित्तर' (स्त्री–चरित्र की छलपूर्णता) की बात कही जाती है, शिवमूर्ति उसे पलटकर वस्तुतः 'पुरुष प्रपंच' के रूप में उद्घाटित करते हैं। कहानी के अंत में विमली अपने ससुर द्वारा किए गए बलात्कार के बाद पंचायत के समक्ष खड़ी होती है, जहाँ पुरुष–प्रधान न्याय–व्यवस्था उसकी पीड़ा को समझने के बजाय उसे ही अपमानित करने वाले प्रश्नों से घेर लेती है। यह कहानी दिखाती है कि स्त्री की देह पर स्वामित्व की धारणा किस प्रकार पशुओं पर 'दाग' देने की ग्रामीण प्रथा जैसी मानसिकता से जुड़ी हुई है, अर्थात् संकुचित पुरुष–दृष्टि में स्त्री का अस्तित्व भी संपत्ति के समान माना जाता है। कहानी का अंत सामूहिक पंचायती निर्णय के माध्यम से यह स्पष्ट करता है कि ग्राम्य न्याय–तंत्र स्वयं पितृसत्ता का विस्तार है।

कसाईबाड़ा में दलित स्त्री के शोषण को शिवमूर्ति ने सामंती और जातिगत सत्ता–संरचना के भीतर रखकर देखा है। इस कहानी की स्त्री पात्र विमली के चरित्र की पूर्वपीठिका मानी जाती हैं, यहाँ भी स्त्री–देह पर वर्चस्व स्थापित करने की वही प्रवृत्ति दिखाई देती है, किंतु इसमें जातिगत उत्पीड़न का आयाम अधिक प्रबल है। यह कहानी बताती है कि दलित स्त्री को दोहरे स्तर पर संघर्ष करना पड़ता है, एक ओर पितृसत्ता से, दूसरी ओर जातिगत भेदभाव से।

अकालदंड की नायिका सुरजी एक ऐसा चरित्र है जो शिवमूर्ति की अन्य नायिकाओं से एक महत्वपूर्ण

मायने में भिन्न है– यह कहानी स्त्री की जागरूकता के नए आयाम को उभारती है। सुरजी उस पुरुष चरित्र का अंत कर देती है जिससे वह स्वयं को असुरक्षित महसूस करती थी, जो शिवमूर्ति की कथा–दुनिया में स्त्री–प्रतिरोध का एक अपेक्षाकृत सशक्त रूप प्रस्तुत करता है। यह कहानी ग्रामीण परिवेश में भी पनप रही स्त्री–चेतना की जड़ों का प्रतीक बनकर सामने आती है, जबकि इसी संग्रह की तिरिया चरित्तर में विमली अंततः अपनी शारीरिक सुरक्षा नहीं कर पाती। इस प्रकार शिवमूर्ति एक ही संग्रह में प्रतिरोध की सफलता और असफलता– दोनों संभावनाओं को साथ–साथ प्रस्तुत करते हैं, जो उनकी यथार्थवादी दृष्टि का परिचायक है।

इन कहानियों में स्त्री–चरित्र केंद्रीय भूमिका में हैं। आलोचकों के अनुसार इन रचनाओं में स्त्री की वेदना, कामवासना से जुड़ी सामाजिक वर्जनाएँ, पारिवारिक विघटन और पारस्परिक संबंधों की जकड़न को गहराई से चित्रित किया गया है। शिवमूर्ति के अधिकांश पुरुष पात्र स्त्रियों के प्रति शिकारी मनोवृत्ति से युक्त दिखाए गए हैं, जबकि स्त्री पात्र प्रतिकार भी करती हैं परंतु सामाजिक–आर्थिक बाध्यताओं के कारण अंततः घिर जाती हैं।

शिवमूर्ति की कहानियों में बार–बार यह उभरता है कि ग्रामीण पितृसत्ता स्त्री–देह को संपत्ति के रूप में देखती है। यह दृष्टिकोण उसे आर्थिक उत्पादन (मजदूरी) और यौन उपभोग दोनों दृष्टि से नियंत्रित करने का प्रयास करता है। पंचायत, थाना और सामुदायिक निर्णय–प्रक्रियाएँ शिवमूर्ति की कहानियों में स्त्री के पक्ष में कम, पुरुष–सामूहिकता के पक्ष में अधिक झुकी दिखाई देती हैं। तिरिया चरित्तर का पंचायती दृश्य इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है, जहाँ विभिन्न मत रखने वाला पुरुष–समाज स्त्री के प्रश्न पर एकजुट हो जाता है। शिवमूर्ति की स्त्रियाँ प्रायः निर्धन, भूमिहीन अथवा दलित परिवारों से आती हैं। उनका शोषण इसलिए केवल लैंगिक नहीं, बल्कि आर्थिक विवशता और जातिगत हीनता से भी संचालित होता है यह बहुस्तरीय शोषण उन्हें प्रतिरोध के सीमित अवसर ही देता है। शिवमूर्ति की अवधी–मिश्रित, तद्भवबहुल भाषा–शैली उनकी कहानियों को गहन प्रामाणिकता प्रदान करती है। यह भाषा स्वयं ग्राम्य स्त्री के जीवन–अनुभव को प्रत्यक्ष और सजीव बनाती है, जिससे पाठक असमानता के यथार्थ से सीधे साक्षात्कार करता है। शिवमूर्ति की नायिकाएँ निष्क्रिय पीड़िताएँ नहीं हैं, वे संघर्ष करती हैं, प्रश्न उठाती हैं, कभी–कभी हिंसक प्रतिकार तक करती हैं (जैसे सुरजी)। किंतु उनका प्रतिरोध प्रायः संस्थागत समर्थन के अभाव में अधूरा रह जाता है। शहर–केंद्रित स्त्री–मुक्ति संगठनों की पहुँच ग्रामीण स्त्री तक नहीं होती, जिसके कारण उसे पितृसत्ता के विरुद्ध प्रायः अकेले ही लड़ना पड़ता है। यह तथ्य शिवमूर्ति की कथा–दृष्टि की एक महत्वपूर्ण सामाजिक–आलोचना है वे यह प्रश्न उठाते हैं कि कानूनी और वैचारिक स्तर पर घोषित समानता ग्राम्य यथार्थ में किस हद तक क्रियान्वित होती है। शिवमूर्ति के पुरुष पात्र चाहे सरपंच हों, ससुर हों, या भट्ठा–मालिक प्रायः स्वार्थ, कामुकता और सत्ता–लोलुपता से चिह्नित हैं। यह चित्रण एकपक्षीय आलोचना नहीं बल्कि सामाजिक संरचना का यथार्थवादी उद्घाटन है, जो यह दर्शाता है कि पितृसत्ता किस प्रकार व्यक्तिगत चरित्रों से परे एक सामूहिक मानसिकता के रूप में कार्य करती है।

शिवमूर्ति की कहानियाँ लैंगिक समानता के आदर्श की सीधी घोषणा नहीं करतीं, बल्कि उसकी अनुपस्थिति और उसके कारणों को गहन यथार्थवादी शैली में उद्घाटित करती हैं। उनकी कथा–दृष्टि

की विशिष्टता यह है कि वे स्त्री–शोषण को पितृसत्ता तक सीमित न रखकर उसे जाति, वर्ग और ग्राम्य सत्ता–तंत्र के अंतर्संबंध में देखते हैं। उनकी नायिकाएँ पराजित होकर भी कायर नहीं होतीं वे संघर्ष का मैदान नहीं छोड़तीं, भले ही परिणाम उनके पक्ष में न हो। इस अर्थ में शिवमूर्ति का कथा–साहित्य लैंगिक समानता की माँग को अप्रत्यक्ष किंतु सशक्त रूप से रेखांकित करता है वे पाठक के समक्ष असमानता का ऐसा प्रामाणिक चित्र प्रस्तुत करते हैं जो सामाजिक चेतना और परिवर्तन की आवश्यकता को स्वतः स्थापित कर देता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. शिवमूर्ति, केशर कस्तूरी (कहानी–संग्रह)
2. शिवमूर्ति, कुच्ची का कानून (कहानी–संग्रह)
3. शिवमूर्ति, तिरिया चरित्तर, कसाईबाड़ा, अकालदंड, सिरी उपमाजोग, भरतनाट्यम (कहानियाँ)
4. वाल्मीकि, ओमप्रकाश कृ शिवमूर्ति की कहानियों पर आलोचनात्मक टिप्पणियाँ
5. यादव, प्रमोद कुमार, ''स्त्री प्रतिरोध की आवाजः तिरिया चरित्तर''
6. राजकमल प्रकाशन, शिवमूर्ति लेखक–परिचय एवं ग्रंथ–सूची
7. streekaal.com, ''शिवमूर्ति की कहानियाँः स्त्री प्रश्न''

SHODH-GARIMA–YEAR-3, VOL. 3 (July to Sept., 2026)
A Peer-Reviewed & Referred
International Multidisciplinary
Research Journal

ISSN (Print) : 3048-6327

IMPACT-FACTOR
SJIF - 6.852

DOI : 10.5281/zenodo.23150169

Paper Received : 5th July 2026   Paper Accepted : 10th July 2026

"ELECTRO-CHEMICAL AND SPECTRAL STUDY ON SOME ELECTROLYTES DERIVED FROM Kp-2 AND Fe-3 IN RAINY"

❑ Dr. Pooja Garg*

ABSTRACT

Electro-chemical study, viz. potential development of Kp-2 and Fe-3 is obtained by the OCV values of electrolytes for three combinations of electrode viz. Ag-Zn, C-Zn and Cu-Zn have been measured in Rainy season under normal atmospheric condition with Bioemf device. During the study, it has been found that, respective maximum potential for Kp-2 and Fe-3 are 1046 mv and 1049 mv. We have conducted the spectral analysis of these electrolytes and we obtained the most probable structure of Kp-2 and Fe-3 are Salicylic acid and Phenol respectively.

***Keywords–** Kolenchoe pinnata (abbrd. as Kp-2), Ficus Elastica (abbrd. as Fe-3).*

1. Introduction

Electrochemistry[1] acts as a bridge between thermodynamics and the rest of chemistry where ionic reactions occurring at an electrode surface. It is of enormous commercial value and of major technical importance as it may open the field of possibilities of acquiring energy through certain non-conventional source. Our country has a limited reserve of natural resources (like coal, fossils and mineral fuels). The growing demand of energy[2] has led to a crisis and the day is not far off that we would suffer entirely from it as NTPC. Atomic power stations, wind mills and solar energy cannot fulfill the growing demand in developing countries like India. We will have to search an alternative source of energy, may be non-conventional which will last forever and to some extent could solve and fight the growing challenge of energy crisis. The biosystem is everlasting source in nature. The above system is little probed and study of undertaken text is scanty. This inspired me to take up the above task for the study to extract energy from medicinal and ornamental plants to solve the forthcoming problems as well as environmental pollution.

2. Experimental Materials and Methods

2.1 Materials

To study the Electro-chemical properties of electrolytes derived from leaves of two

* Govt. Model Science College, Rewa (M.P.) 486001, India, e-mail – poojamishra79@gmail.com

selected plants, whose details are given as under,

2. Ornamental Plants

(a) Kolenchoe pinnata (Crassulaceae Family) (abbrd. as Kp-2)

(b) Ficus Elastica (Moraceae Family) (abbrd. as Fe-3)

2.2 Electrodes Materials

The Electrodes employed in this study are :

1. Carbon (c) 2. Copper (Cu) 3. Zinc (Zn) 4. Silver (Ag)

Methods

Preparation of Electrodes

Thin metallic plates of copper (Cu), Silver (Ag), Zinc (Zn) and graphite (G) were procured and cut in to strips of 2x2 cm dimension. Each electrode was connected by copper wire for circuit connections. The electrodes were cleaned, washed with distilled water and with N/10 NaoH. They were again cleaned with distilled water and finally with acetone. The dried electrodes were then treated with emery paper with successive increasing fineness.

2.3 Processing of Plant Leaves

The leaves are physically treated in the following manners;

A. Untreated leaf surface–A mature plant leaf is plucked from a plant and washed with distilled water. The leaf surface is then brushed with cotton to remove excess of water.

B. Electrolyte derived from leaves–The leaves are crushed. The sap of selected plant leaves are used as electrolyte and cut the electrodes into strips of 2x2 cm dimension for the construction of Bio-emf-cell.

C. Dipping of electrodes in the leaf sap–Then the electrodes are kept in leaf sap.

2.4 Bio-emf-Device

Bio-emf-device is prepared when electrode pair are kept in leaf Sap. The system is made intact and the circuit is completed by connecting multimeter with the copper wire connected by electrode shown as pictorially in (Fig.-1)

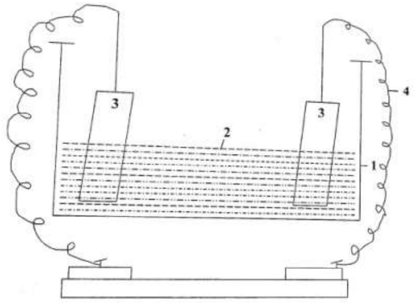

Fig. F-1 Method of BEP measurement in vitro
1. Glass beaker 2. Leaf sap 3. Electrode
4. Copper wire for circuit connections

2.5 Electrode effect

The electrode combination of C-zn, Cu-zn and Ag-Zn were tried to study the Bioelectro potential (BEP)[3-5] of different leaf BEDs.

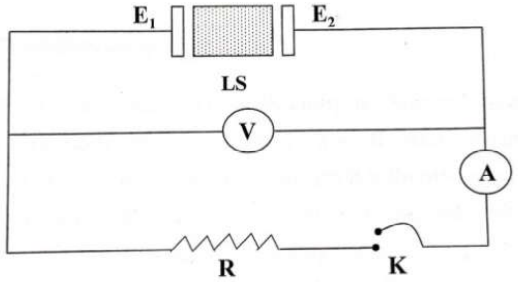

Fig. F2. Circuit diagram of Bio-cell in vitro condition
E_1 and E, – electrodes, R – Resistance, K – Key, A – Ammeter V – Voltmeter, LS – Leaf Sap

2.6 Spectral Analysis of Electrolyte

The spectral analysis have been carried out for all electrolytes Viz.. Kp-2, Fe-3. we obtained some IR spectrums and in order to investigate and diagnose the empirical formula and probable structure of compound many typical runs were taken.

3. Results and Discussion

The Problem entitled "Electro-chemical and spectral study on some electrolytes derived from leaves" namely Kolenchoe pinnata and Ficus elastica abbreviated as Kp-2 and Fe-3

respectively, with the three pair of electrodes Viz.. Ag-Zn, C-zn, Cu-zn have been investigated for Rainy season in morning noon, evening and night. The detail of experimental results so obtained clearly indicate that there is much difference between the activities of these electrolytes which have been discussed in two parts:

1. Electro-chemical study
2. Spectral study

Part-1

Electro-chemical study of Electrolytes

The open circuit voltage (OCV) values of electrolytes for three combination of electrodes viz.. Ag-zn, C-zn, Cu-zn have been measured several times under normal atmospheric condition, to study the electrode effect on electrolytes of different plant leaves. During the study. It has been found that the origin of electrode potential depends upon the availability of ions. The development of high voltage in (Fe-3) indicate that it's leaf sap is comparatively showing More mobility of ions, whereas in the Kp-3 the potential development is Less because the ease movement of ions. The maximum and minimum Potential during Rainy season is also pointed out separately. which is tabulated below :

TABLE I

Rainy season

S.NO.	Electrolyte	Maximum Potential				Minimum Potential			
		OCV (mV)	Time	SCC (μA)	Time	OCV (mV)	Time	SCC (μA)	Time
1	Kp-2	1046	Evening	1974	Morning	635	Noon	953	Noon
2	Fe-3	1049	Evening	1983	Morning	616	Evening	464	Night

Electrolytes have been recorded of different periods morning (06:00 AM) Noon (12:00 AM), evening (06:00 PM) and midnight (12:00 PM) during Rainy. The maximum and minimum potential through out the year has also been calculated (Table I)

It has been observed that potential is highest during Rainy season as for Fe-3 (1049mv) and Kp-2 (1046 mv) during evening, whereas lowest during Noon & Evening Kp-2 (635mv) and Fe-3 (616mv) (Table-1)

Part II

Spectral Analysis of Electrolytes

Spectral analysis of electrolytes have been carried out for two leaves Viz.Kp-2,Fe-3 powder. We obtained some IR spectrums (graph 1-2) and in order to investigate and diagnose the empirical formula and probable structure of compound many typical studies were taken. The plot of graphs of system between transmission (percent) VS wave number.

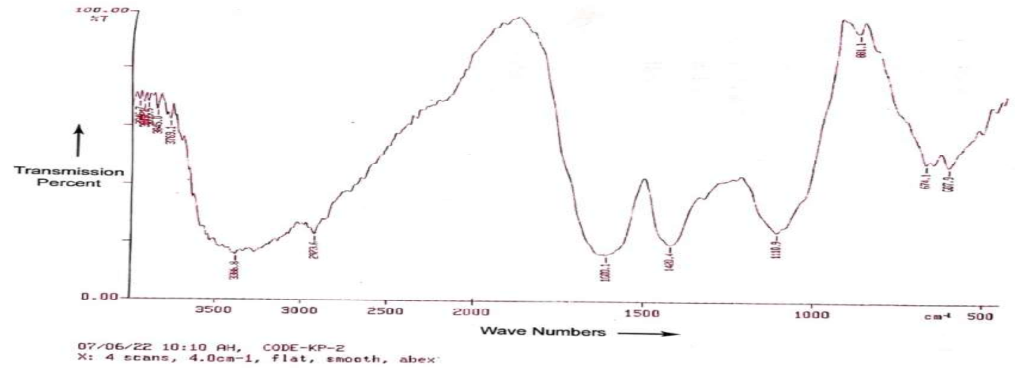

Fig. 3.10 - 1 (b) Kolenchoe pinnata (Kp-2)

According to graph-2 first typical spectral study for Fe-3 has obtained many peaks. Broad strong peak of phenol O-H (stretch) group found at 3400 (1/cm). The alkyl C-H (stretch) of aromatic rings gives the peak at 2923 (1/cm). Aromatic C=H (stretch) at 1620(1/cm) as well as 1420 (1/cm). Broad peak of C-O (Stretch) at 1111 (1/cm). Peaks at 735-770 (small) 680-725 (small), 750-810 (very small..... Hence most probable structure will be 3-methyl phenol or salicylic acid.

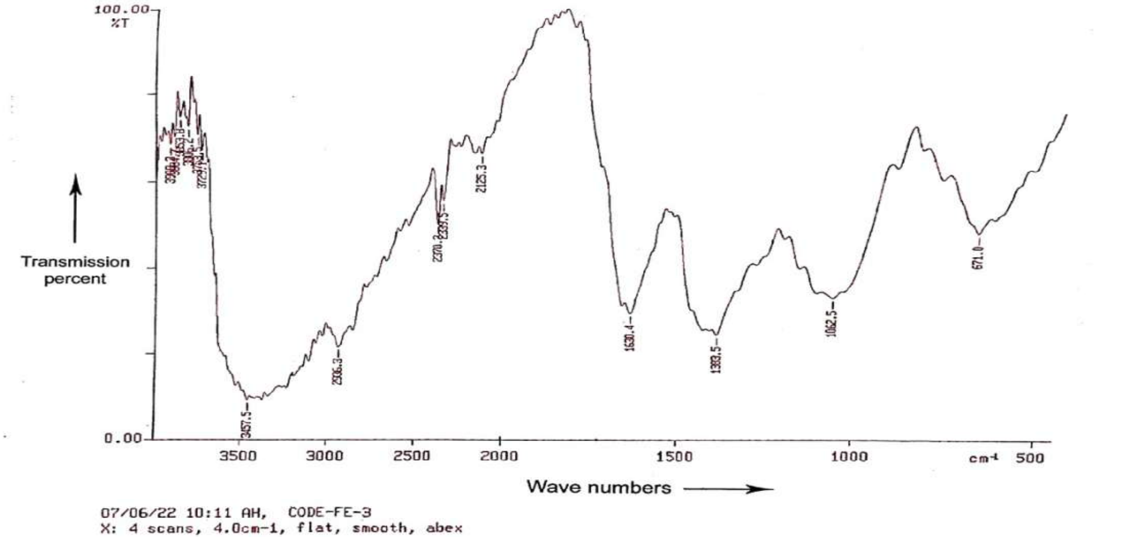

Fig. 3.10 - 1 (c) Ficus elastica (Fe-3)

According to graph -2 Second typical spectral study for Fe-2 have obtained many peaks shown as graph -2. Broad strong peak of O-H (Stretch) group found at 3400 (1/cm) Aromatic C=H (Stretch) at 1630 (1/cm) as well as 1380 (1/cm) Broad peak of C-O (Stretch) at 1062 (1/cm) peak at 670 (1/cm).....>mono-substituted aromatic. Hence expected structure will be phenol.

Table – 2
Summary of Spectral Analysis

S.No.	Electrolyte	Probable structure of Compound
1.	Koenchoe Pinnata (Kp-2)	Salicylic acid
2.	Ficus elastica (Fe-3)	Phenol

4. Conclusion

The plants are good source of ionic potential. Bio-electrical potential is generated due to redox couple present in the plants as bio-fuel cells. The promising results of study opens a new dimension of alternative source of energy i.e non-conventional form might gives a help, hope to get energy in cheaper rates by knowing these electrolytes derived from leaves. Therefore in order to know the secrets of these electrolytes the study will be fruitful in creating the new zeal about the nature and to maintain environmental ecological balance on earth planet.

The applied aspects of this study would be very useful in preparations of biocell used in calculators, wrist watches, gadgets and low voltage electronic devices, low voltage electronic communications etc. it will create new chapter for researcher electrochemist and nature loving environmentalist.

The spectral analysisv provides probable structure of compound. The structure of compound is focused not only the nature of compound but also on the detail study of bond

type. Each bond type gives rise to several absorption bands, and the absorption spectrum of molecule is quite complex. Neverthless most of the bonds in a spectrum can be assigned to certain chemical bonds.

Acknowledgement

The authors are thankful to the authorities of Govt. Model Science college (Rewa) for facilities and thanks to Shri Rakesh Khanna scientist of CDRI, Lucknow (U.P.) for providing spectral data.

References

1. Bhakani, D.S. Journal 'some aspect of aromatic and medicinal plant's, Vol 74, No. 5, May 1997.
2. Giese, Arthur C: Cell Physiology, Fifth Edition, W.B Saunders company Toppan Company Ltd Tokyo, Japan 1979, 253, 239
3. Gensler, W.: Am J. Bot. 1978, 65(2), 152
4. Gensler, W. Biophysics. J. 1979, 27, 461
5. Gensler, W.: Electro-chem. Soc. 1980, 127, 2365
6. The Enclyopedia of spectroscopy, ed. G.L. Clark (Newyork; Reinhold, 1960);

SHODH-GARIMA–YEAR-3, VOL. 3 (July to Sept., 2026)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal

ISSN (Print) : 3048-6327

IMPACT-FACTOR SJIF - 6.852

DOI : 10.5281/zenodo.23150220

Paper Received : 5th July 2026 **Paper Accepted : 10th July 2026**

SACRED BELIEFS, FOLK PRACTICES, AND ETHNOMEDICINAL PLANT DIVERSITY IN PANHALA, MAHARASHTRA

❑ Patil Manohar Nivrutti*
❑ Dr. Dinesh Kumar Singh**
❑ Dr. Ravindra P. Jadhav***

ABSTRACT

Sacred beliefs and folk practices shape the conservation and use of ethnomedicinal plants in many parts of India, including Panhala taluka in Kolhapur district, Maharashtra. Earlier studies from Kolhapur and Panhala show that rural people and traditional healers use wild plants for common ailments, antidotes, and household healthcare, while sacred spaces such as groves function as culturally protected reservoirs of plant diversity. This paper examines how religious beliefs, folk practices, and local ecological knowledge support ethnomedicinal plant diversity in Panhala. A structured literature based ethnobotanical framework was used to synthesize published evidence on species use, sacred conservation, and cultural value. The results indicate that sacred beliefs reinforce selective protection of useful species, preserve knowledge transmission, and contribute indirectly to in situ conservation. However, climate stress, habitat loss, and weakening oral transmission threaten the persistence of this socio-ecological system. The paper concludes that culturally grounded conservation and community led documentation are essential for sustainable use.

Keywords– *Ethnomedicine, sacred groves, folk practices, Panhala, Maharashtra, biodiversity conservation*

Introduction

Ethnomedicinal plants continue to play a fundamental role in primary healthcare throughout India, particularly in rural landscapes where access to modern medical facilities is often limited and traditional healing practices remain deeply embedded in everyday life. For centuries, local communities have relied on

* Research Scholar in SJJT University, Jhunjhunu, Rajasthan 333010
** Research Guide, SJJT University, Jhunjhunu, Rajasthan 333010
*** Research Co-Guide, SJJT University, Jhunjhunu, Rajasthan 333010

surrounding vegetation to treat a wide range of ailments using knowledge accumulated through continuous interaction with nature. This knowledge encompasses not only the medicinal properties of plants but also their seasonal availability, appropriate methods of collection, preparation, dosage, and administration. Unlike formal medical systems, ethnomedicinal knowledge is largely transmitted orally from one generation to another through observation, practical experience, and community traditions. As a result, medicinal plants represent both an important healthcare resource and a valuable component of India's cultural heritage. Traditional plant-based remedies are closely associated with social customs, family traditions, rituals, and local belief systems, making ethnomedicine an integral part of rural life rather than merely an alternative form of medicine (Upadhye et al., 1986; Soman, 2014).

Across many regions of India, medicinal plants are not viewed solely as biological resources but are regarded as sacred elements of the natural environment. Their importance extends beyond therapeutic applications to include religious, cultural, and spiritual values that shape patterns of resource use and conservation. Communities frequently associate particular plant species with deities, ancestral spirits, seasonal festivals, or local myths, thereby creating strong cultural incentives for their protection. Such beliefs have historically promoted sustainable utilization by discouraging unnecessary destruction and encouraging careful harvesting practices. Consequently, ethnomedicinal traditions represent a unique intersection of biodiversity, culture, religion, and ecological knowledge, where conservation is often achieved through customary practices rather than formal environmental regulations.

The Western Ghats of India are internationally recognized as one of the world's biodiversity hotspots, supporting exceptional levels of plant diversity, including numerous medicinally important species. The northern Western Ghats of Maharashtra possess a remarkable diversity of forests, grasslands, rocky plateaus, and agricultural landscapes that collectively provide habitats for a large number of ethnomedicinal plants. Rural communities living in these landscapes have developed intimate knowledge of local vegetation through centuries of interaction with their surrounding environment. This knowledge reflects detailed observations of plant distribution, flowering seasons, ecological requirements, medicinal properties, and sustainable harvesting techniques. Such traditional ecological knowledge has contributed significantly to community healthcare while simultaneously fostering a close relationship between people and local biodiversity.

Panhala taluka, situated in the western part of Maharashtra, represents one such landscape where biological diversity and cultural traditions remain closely interconnected. Characterized by hill slopes, forests, lateritic plateaus, agricultural fields, and seasonal streams, Panhala provides diverse habitats that support a rich assemblage of medicinal plant species. The region experiences a tropical monsoon climate with substantial seasonal rainfall, creating favourable environmental conditions for the growth of numerous herbs, shrubs, climbers, and trees possessing medicinal value. The varied topography and ecological heterogeneity of Panhala have enabled local communities to maintain a diverse repertoire of medicinal plants that continue to contribute to primary healthcare. For many households, plant-based remedies remain the first response to common illnesses because they are readily available, affordable, culturally familiar, and perceived as effective.

Earlier ethnobotanical investigations conducted in Panhala documented extensive use of wild medicinal plants by villagers and traditional healers for treating digestive disorders, skin diseases, wounds, swellings, respiratory infections, fever, musculoskeletal problems,

snakebite, and scorpion sting (Soman, 2014). Traditional healers possess detailed knowledge regarding the appropriate plant parts, methods of preparation, therapeutic combinations, dosage, and timing of administration. Many medicinal preparations involve leaves, roots, bark, fruits, seeds, or latex collected from naturally growing vegetation. Such practices illustrate the continued relevance of ethnomedicinal knowledge in local healthcare despite increasing access to allopathic medicine. However, previous studies have also emphasized that much of this knowledge survives primarily through oral transmission and practical experience, making it increasingly vulnerable to erosion as younger generations adopt changing lifestyles and reduced dependence on traditional healing systems (Soman, 2014).

An important but often underexplored dimension of ethnomedicinal knowledge is its close association with folklore and sacred beliefs. Folklore encompasses the collective body of oral traditions, myths, legends, customary practices, songs, rituals, and beliefs that shape community relationships with nature. In many Indian villages, medicinal plants are embedded within stories explaining their origin, spiritual significance, healing power, or association with local deities. Certain species are believed to possess protective powers against evil spirits, while others are considered auspicious during religious ceremonies or seasonal festivals. These beliefs influence patterns of harvesting, cultivation, and conservation by establishing cultural norms regarding when, where, and how particular plants may be collected. Such customs often function as informal conservation mechanisms by preventing indiscriminate exploitation and encouraging respect for ecologically important species.

Sacred groves represent one of the most significant examples of the relationship between folklore and biodiversity conservation in India. These traditionally protected forest patches are dedicated to local deities or ancestral spirits and are governed by customary rules that prohibit tree felling, excessive harvesting, hunting, or other destructive activities. Although these conservation practices originated from religious and cultural beliefs rather than ecological science, they have effectively preserved numerous native plant species for centuries. Sacred groves frequently serve as refuges for medicinal plants that have disappeared from surrounding agricultural landscapes due to habitat modification and overexploitation. Similarly, plants growing near temples, shrines, water bodies, and sacred sites often receive protection because of their religious significance. Species such as *Ficusreligiosa*, *Ficusbenghalensis*, *Aegle marmelos*, *Ocimumtenuiflorum*, and *Azadirachtaindica* are commonly revered in many parts of India, illustrating how cultural values can contribute to long-term conservation of biologically important species (Upadhye et al., 1986).

In Panhala, sacred beliefs and folk traditions continue to influence the management of medicinal plant resources. Local communities often recognize particular trees, groves, and landscapes as culturally important, thereby restricting destructive harvesting practices. Certain medicinal plants are collected only after performing customary rituals or during specific seasons considered appropriate according to traditional beliefs. Harvesting methods may intentionally avoid complete removal of roots or destructive cutting to ensure regeneration of plant populations. Such practices demonstrate that folklore is not merely a collection of myths or stories but represents an important source of traditional ecological knowledge that promotes sustainable resource management. Understanding these cultural dimensions is essential for interpreting patterns of medicinal plant diversity because conservation outcomes frequently depend upon social institutions operating within local communities rather than formal legal protection alone.

Despite the resilience of these traditional systems, medicinal plant diversity in Panhala faces increasing environmental pressures. Habitat degradation resulting from agricultural expansion, infrastructure development, tourism, invasive species, and unsustainable resource extraction has altered many natural habitats supporting medicinal plants. Alongside these local pressures, climate change has emerged as an additional and increasingly important threat. Rising temperatures, irregular monsoon rainfall, prolonged droughts, and more frequent extreme weather events have begun to influence vegetation dynamics throughout the Western Ghats. Such climatic changes affect seed germination, flowering, fruiting, regeneration, and species distribution, potentially reducing the abundance of medicinally important plants (Harish et al., 2012; Shruti et al., 2024).

Climate change may also affect the medicinal value of plant species by altering the production of bioactive secondary metabolites responsible for their therapeutic properties. Environmental conditions strongly influence the concentration of alkaloids, phenolics, flavonoids, terpenoids, and other medicinal compounds. Consequently, climatic variability may influence not only the availability of medicinal plants but also their pharmacological effectiveness. Communities dependent on traditional remedies may therefore experience reduced access to effective medicinal resources even where plant species remain present. Such ecological changes may further weaken traditional healthcare systems by reducing opportunities for younger generations to learn plant identification, harvesting practices, and medicinal applications.

The combined effects of climate change and cultural transformation present a significant challenge for the long-term conservation of ethnomedicinal heritage in Panhala. As environmental conditions change and traditional lifestyles evolve, the close relationships between people, plants, and folklore may gradually weaken. Loss of medicinal plant diversity inevitably leads to erosion of associated traditional knowledge, while disappearance of cultural practices reduces community incentives for biodiversity conservation. Recognizing this reciprocal relationship between biological diversity and cultural heritage is essential for developing effective conservation strategies. Integrating ethnobotanical documentation with climate adaptation and community-based conservation offers an opportunity to safeguard both medicinal plant resources and the traditional knowledge systems that sustain them.

Against this background, the present study investigates the ethnomedicinal plant diversity of Panhala through the lens of folklore, sacred beliefs, and contemporary environmental change. Specifically, the study addresses three interrelated questions: **(i)** how sacred beliefs and cultural traditions influence the diversity and conservation of ethnomedicinal plants in Panhala; **(ii)** how folklore and traditional ecological knowledge contribute to the sustainable use and management of medicinal plant resources; and **(iii)** what implications climate change may have for the conservation of ethnomedicinal plant diversity and the persistence of associated cultural knowledge. By integrating biodiversity, ethnomedicine, folklore, and climate change, the study seeks to provide a comprehensive understanding of the biocultural heritage of Panhala and to identify conservation approaches that recognize the inseparable links between ecological sustainability and traditional knowledge.

Methodology

Study design

This study used a qualitative synthesis and conceptual ethnobotanical review design. The approach integrated published ethnomedicinal records from Panhala and Kolhapur district with literature on sacred groves, folk practices, and medicinal plant vulnerability to climate change (Upadhye et al., 1986; Soman, 2014; Harish et

al., 2012). The objective was to develop a structured interpretation of how cultural belief systems contribute to ethnomedicinal plant diversity and conservation.

Data sources

Secondary data were drawn from published studies on Panhala taluka, Kolhapur district folk medicine, and broader reviews of climate impacts on medicinal plants (Upadhye et al., 1986; Soman, 2014; Harish et al., 2012; Shruti et al., 2024). Special attention was given to studies documenting local healer knowledge, plant uses, and the role of sacred or protected spaces in biodiversity maintenance. These sources were used to identify recurring themes and species-use patterns rather than to calculate original abundance estimates.

Analytical framework

The evidence was organized into three thematic categories: sacred beliefs, folk practices, and ethnomedicinal plant diversity. Sacred beliefs included temple associations, sacred grove protection, and ritual plant use. Folk practices included preparation methods, household healing, healer knowledge, and customary harvesting. Ethnomedicinal plant diversity was interpreted in terms of plant use categories, conservation importance, and ecological vulnerability. The analysis also considered climate-related stressors to identify how external pressures may affect culturally protected plant resources.

Interpretation strategy

Results were interpreted through a socio-ecological lens. This means that plant diversity was not treated only as a biological phenomenon but as an outcome shaped by culture, belief, and management behavior. The interpretive framework follows ethnobotanical and climate-change literature showing that medicinal plant sustainability depends on both ecological and cultural resilience (Harish et al., 2012; Shruti et al., 2024). Because the present paper is a synthesis, no human or plant sampling was conducted directly for this manuscript.

Results

Sacred beliefs and plant protection

The literature indicates that sacred beliefs in Panhala and surrounding Kolhapur landscapes contribute to the protection of useful plant species. Religious respect for certain species and restricted access to grove-like spaces reduce destructive harvesting and allow regeneration. Similar observations from Kolhapur district describe sacred groves as "natural dispensaries" where medicinal plants are conserved through cultural restraint rather than formal regulation (Upadhye et al., 1986). This makes sacred belief a practical conservation force, not merely a symbolic one.

Folk practices and healing routines

Folk practices in Panhala are strongly linked to everyday healthcare. Earlier studies documented local use of medicinal plants for snakebite, scorpionbite, stomach disorders, skin conditions, swellings, and other common ailments (Soman, 2014). These practices rely on elders, Vaidus, and community knowledge passed orally across generations. Table 1 summarizes the major cultural functions associated with ethnomedicinal use.

Table 1. Cultural functions of ethnomedicinal plants in Panhala

Cultural function	Example role	Conservation effect
Ritual use	Plants used in worship or sacred observances	Reduced harvesting pressure
Household medicine	Remedies for common ailments	Maintains everyday relevance
Emergency treatment	Antidotes for bites and acute conditions	Intensive but selective use
Healer-mediated use	Knowledge retained by Vaidus and elders	Supports knowledge transmission
Sacred grove protection	Plants protected through religious norms	In situ conservation

Ethnomedicinal diversity pattern

The regional evidence suggests that ethnomedicinal diversity in Panhala is maintained by a mix of wild collection, seasonal gathering, and selective protection. Plants used in ritual contexts are more likely to be spared from removal, while plants used in emergency medicine may be collected more intensively. This creates a dual pattern: some species are conserved by belief, while others face higher pressure because of high medicinal demand. Table 2 presents a thematic classification of plant use groups reported in the literature.

Table 2. Thematic classification of ethnomedicinal plant use

Use category	Reported ailments/uses	Likely plant traits
Antidotes	Snakebite, scorpionbite	Strong local trust, emergency importance
Digestive remedies	Stomach ache, dysentery	Frequent household use
Anti-inflammatory uses	Swellings, wounds, skin conditions	Broad applicability
Ritual-related use	Worship and ceremonial plants	Cultural protection
General health support	Tonics and seasonal remedies	Continuous demand

Interpretation of results

The results show that sacred beliefs and folk practices do more than preserve isolated species. They create a culturally structured landscape where some plants receive protection, some are repeatedly harvested, and others are managed through informal norms. This pattern helps explain why Panhala retains ethnomedicinal richness despite modernization pressures. At the same time, the same system can become fragile if younger generations lose interest or if climate stress reduces the availability of protected habitats.

Discussion

The present study demonstrates that the ethnomedicinal plant diversity of Panhala is sustained by a close interaction between biodiversity, traditional ecological knowledge, and cultural beliefs. Rather than functioning solely as therapeutic resources, many medicinal plant species occupy an important place in the social and religious life of local communities. Sacred beliefs associated with particular trees, temple premises, and culturally significant landscapes influence patterns of harvesting, protection, and continued use, thereby contributing to the long term persistence of several medicinal species. These findings support the concept of **biocultural conservation,** in which biological diversity and cultural traditions reinforce one another. Similar relationships have been reported from other parts of India, where customary practices, religious values, and traditional institutions have historically promoted the conservation of useful plant species without formal management interventionsRates, S. M. K. (2001).

The observations of the present study are consistent with the pioneering work of Upadhye et al. (1986), who demonstrated that sacred groves and traditional folk medicine formed interconnected components of rural life in the region. Their study highlighted the role of sacred landscapes as reservoirs of medicinal plant diversity protected through customary beliefs and social norms rather than statutory regulations. Although considerable socioeconomic changes have occurred during the intervening decades, the present investigation indicates that similar cultural mechanisms continue to operate in Panhala. Sacred sites, temple surroundings, and culturally protected vegetation still provide refuges for several medicinally important species, illustrating the enduring importance of indigenous belief systems in conserving plant diversity. These findings reinforce the growing recognition that traditional cultural institutions can complement scientific conservation approaches by promoting

sustainable resource use at the community level.

The study also confirms earlier observations by Soman (2014), who documented extensive ethnomedicinal knowledge among villagers and traditional healers in Panhala. Local communities continue to use a variety of medicinal plants for treating common ailments, including digestive disorders, wounds, inflammations, snakebite, and scorpion sting, reflecting the continued relevance of traditional healthcare practices. However, both the present study and previous investigations indicate that this knowledge is becoming increasingly vulnerable because it is transmitted primarily through oral traditions. Younger generations are often less familiar with medicinal plant identification and preparation techniques owing to changing lifestyles, urbanization, migration, and increasing dependence on modern healthcare systems. Consequently, the erosion of traditional knowledge represents a conservation concern equal to the decline of plant diversity itself, as the loss of cultural knowledge diminishes the practical value of biological resourcesPatil, S.H. and Patil, S.R. (2007).

An important finding of this study is that folklore and religious beliefs continue to regulate harvesting practices and influence community attitudes toward medicinal plant conservation. Cultural restrictions on cutting sacred trees, collecting plants from temple precincts, or harvesting during specific seasons reduce anthropogenic pressure on several species and allow natural regeneration to occur. Such practices represent locally evolved conservation strategies that have developed through generations of interaction between communities and their surrounding environment. These observations support the view that folklore should not be regarded merely as cultural heritage but also as a valuable source of traditional ecological knowledge capable of contributing to biodiversity conservation and sustainable natural resource management.

Despite the continued importance of these cultural mechanisms, climate change introduces new challenges that cannot be addressed through traditional conservation practices alone. Previous studies have shown that medicinal plants are particularly sensitive to changes in environmental conditions because their growth, reproductive success, and synthesis of bioactive compounds are strongly influenced by temperature, rainfall, and soil moisture (Harish et al., 2012). Increasing climatic variability, including irregular monsoon patterns, prolonged droughts, and extreme weather events, may therefore alter both the abundance and medicinal quality of wild plant populations. Similar concerns have been expressed by Shruti et al. (2024), who reported that medicinal and aromatic plant species are likely to experience shifts in geographic distribution, productivity, and phytochemical composition under changing climatic conditions. Such ecological responses may significantly reduce the availability and therapeutic effectiveness of medicinal plants that local communities have relied upon for generations.

For Panhala, these projections carry important implications because many medicinal species occur in forests, hill slopes, sacred groves, and other semi-natural habitats that are already experiencing environmental pressures. While sacred protection can reduce direct human disturbance, it cannot completely buffer plant populations against climate-driven changes in rainfall patterns, increasing temperatures, or prolonged water stress. Species with narrow ecological requirements may exhibit reduced regeneration, altered flowering and fruiting phenology, lower seed viability, or gradual shifts in distribution. Consequently, even culturally protected landscapes may experience declining medicinal plant diversity if climatic conditions become increasingly unsuitable. This suggests that future conservation planning should integrate traditional knowledge with ecological monitoring

and climate adaptation strategies.

The findings further indicate that conservation programmes are likely to be more successful when they recognize local communities as active partners rather than passive beneficiaries. Restrictive conservation policies that exclude traditional users or overlook cultural values may inadvertently weaken the community institutions that have historically contributed to plant protection. In contrast, conservation approaches that respect indigenous knowledge, support traditional healers, strengthen community stewardship of sacred sites, and encourage sustainable harvesting practices are more likely to achieve long-term success. Community participation in documenting medicinal plant knowledge, restoring degraded sacred groves, propagating culturally important species in home gardens, and monitoring vulnerable populations can simultaneously enhance biodiversity conservation and preserve valuable cultural traditionsLange, D. (2006).

The integration of climate adaptation into local conservation planning is therefore essential. Predicted increases in drought frequency, changing rainfall regimes, and rising temperatures may reduce the availability of medicinal plant species well before local extinctions become evident. Such declines would have consequences extending beyond biodiversity conservation by affecting household healthcare, traditional healing practices, and the cultural identity of local communities. Species used in religious ceremonies, seasonal rituals, and folk medicine may become increasingly difficult to obtain, disrupting both ecological and cultural continuity. These observations emphasize that climate change should be viewed not only as an ecological threat but also as a driver of cultural change capable of accelerating the erosion of traditional knowledge.

The present study highlights the inseparable relationship between biodiversity, folklore, traditional medicine, and climate resilience in Panhala. The conservation of ethnomedicinal plants cannot rely solely on protecting individual species or habitats; it must also safeguard the cultural knowledge, beliefs, and community institutions that have historically maintained these resources. An integrated strategy combining ethnobotanical documentation, restoration of sacred landscapes, sustainable propagation of medicinal plants, community based conservation, and climate responsive management will be essential for ensuring the long-term persistence of Panhala's rich biocultural heritage. Such an approach recognizes that ecological sustainability and cultural continuity are mutually dependent and together provide the foundation for resilient conservation in the face of ongoing environmental change.

Conclusion

Sacred beliefs and folk practices play a major role in sustaining ethnomedicinal plant diversity in Panhala, Maharashtra. The literature shows that sacred spaces, healer knowledge, and ritual protection help conserve useful species while supporting local healthcare (Upadhye et al., 1986; Soman, 2014). However, climate change and habitat disturbance threaten this culturally embedded conservation system.

The most appropriate response is community based, culturally sensitive conservation that includes documentation, sacred grove protection, cultivation of priority species, and intergenerational knowledge transfer. Such an approach will help preserve both plant diversity and the traditional practices that depend on it. In this sense, protecting ethnomedicinal plants in Panhala also means protecting a living cultural heritage.

References

- Harish, B. S., Dandin, S. B., Umesha, K., &Sasanur, A. (2012). Impact of climate change on medicinal plants: A review. *Ancient Science of Life, 32*(Suppl 1), S23.
- Lange, D. (2006). International Trade in Medicinal and Aromatic Plants: Actors, Volumes and

Commodities. In: Bogers, R.J., Craker, L.E. and Lange, D. (Eds.), Medicinal and Aromatic Plants. Springer, Dordrecht, pp. 155170.

- Patil, S.H. and Patil, S.R. (2007). Indigenous knowledge of Dhangar tribe on uses of plants. Indian Journal of Traditional Knowledge, 6(3): 444448.
- Rates, S. M. K. (2001). Plants as source of drugs. *Toxicon*, *39*(5), 603613.
- Shruti, S., Trivedi, A., Chaudhary, K. B., &Ghadiali, J. (2024). Global climate change and its effects on medicinal and aromatic plants: A review article. *International Journal of Environment and Climate Change, 14*(2), 149–160.
- Soman, G. (2014). Some medicinal plants of Panhala taluka used as antidotes. *International Journal of Life Sciences*.
- Upadhye, A., Kumbhojkar, M. S., &Vartak, V. D. (1986). Observations on wild plants used in folk medicine in the rural areas of the Kolhapur district. *Ancient Science of Life*.

SHODH-GARIMA–YEAR-3, VOL. 3 (July to Sept., 2026)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal

ISSN (Print) : 3048-6327

IMPACT-FACTOR SJIF - 6.852

DOI : 10.5281/zenodo.23150276

Paper Received : 10th July 2026 **Paper Accepted : 15th July 2026**

जनपद हरदोई में सड़क परिवहन सुविधाओं का भौगोलिक अध्ययन

Ajay Kumar Shukla*
Prof. Pawan Kumar Singh**

शोध-सारांश

परिवहन प्रगतिशीलता का द्योतक है। वस्तु तथा व्यक्ति दोनों परिवहन के साधनों से गति प्राप्त करते हैं। अतिरेक उत्पादन क्षेत्र को अभाव क्षेत्र से जोड़कर आपूर्ति तंत्र बहाल करने में परिवहन क्षेत्र की मुख्य भूमिका है। सुरक्षा, प्रतिरक्षा तथा आपदा के समय मजबूत परिवहन तंत्र ज्यादा प्रभावी भूमिका निभाते हैं। व्यापार, पर्यटन, चिकित्सा तथा मनोरंजन का क्षेत्र परिवहन तंत्र से सीधा जुड़ा हुआ है। शीघ्र खराब होने वाली वस्तुएं जैसे– डेयरी उत्पाद, फल, फूल, सब्जी आदि द्रुतगामी एवं सर्वसुलभ परिवहन साधनों पर ही निर्भर हैं। इसीलिए हमारी सरकार विभिन्न योजनाओं, पहलों और मिशनों के माध्यम से रेल, सड़क तथा जल परिवहन को बढ़ावा दे रही है।

मुख्य शब्द– सुरक्षा, प्रतिरक्षा, परिवहन क्षेत्र, आपूर्ति तंत्र, अतिरेक क्षेत्र, अभाव क्षेत्र।

प्रस्तावना

परिवहन और प्रवास, गतिशीलता और प्रगतिशीलता एक ही पहिए के परिधीय बिन्दु हैं, जो साथ–साथ चलते हैं। परिवहन 'अतिरिक्त' तथा 'अभाव' के बीच एक संयोजक कड़ी होता है। मजबूत, गुणवत्तापूर्ण तथा तीव्र परिवहन तंत्र भौतिक अंतराल को समयगत दूरी से निष्प्रभावी कर देते हैं। क्योंकि इनके द्वारा विभिन्न अवस्थपनात्मक तत्व परस्पर अर्न्तसम्बन्धित एवं संगठित होते हैं (द्वारा उद्धत, काशीनाथ सिंह एवं जगदीश सिंह, 2021)।

परिवहन में वस्तुओं तथा व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता है। परिवहन के गन्तव्य और प्रस्थान बिन्दु विकसित होकर सेवा केन्द्र के रूप में सेवाएँ प्रदान करते हैं। परिवहन अतिरेक क्षेत्र से अभाव क्षेत्र की ओर होता है।

* Asst. Proffesor (Department of Geography), Hardoi
** Head of Department (Geography), National P.G. College, Lucknow

जिससे वस्तुओं के वितरण में संतुलन स्थापित होता है। परिवहन तंत्र राष्ट्र की सुरक्षा, प्रतिरक्षा तथा प्राकृतिक आपदाओं में महती भूमिका निभाते हैं। क्योंकि इनके माध्यम से आपूर्ति तंत्र बहाल रहता है तथा सुदूर दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंच सुनिश्चित होती है। व्यापार के साथ पर्यटन, चिकित्सा, शिक्षा तथा मनोरंजन के क्षेत्र की परिवहन तंत्र से प्रत्यक्षतः प्रभावित होते हैं। कृषि तथा संबद्ध गतिविधियाँ जैसे– डेयरी उत्पाद, फूल, फल, सब्जी आदि द्रुतगामी परिवहन साधनों के द्वारा ही विकसित हो सकते हैं।

रेलवे

रेलवे राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक सबसे सशक्त परिवहन तंत्र है। 68,700 कि0मी0 लम्बे रूट, 7,400 स्टेशनों से संचालित तथा 17 जोनों में विभक्त भारतीय रेलवे को भारत को जीवन रेखा कहा जाता है।

सड़क परिवहन

विकास सड़कों पर उगता है और गुणवत्तापूर्ण सड़कों पर दौड़ता है। उत्पादकता बढ़े इसके लिए सिंचाई, उर्वरक तथा बीज चाहिए। उत्पाद बिके इसके लिए बाजार चाहिए। बाजार तक उत्पाद पहुंचे इसके लिए सड़क चाहिए। इसी कारण सड़क परिवहन को आर्थिक ढांचे का स्नायु प्रणाली कहा जाता है (सिहं, 2015)। ये सड़के ग्रामीण रूपांतरण का चालक बल होती हैं (धमेन्द्र, 2024)। सड़के इसीलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये अन्य अवस्थापनात्मक सुविधाओं को भी आधार प्रदान करती हैं (सिंह, 2021)। जैसे मानव को आधारभूत आवश्यकताएँ होती हैं, वैसे ही सड़क परिवहन अर्थव्यवस्था की आधारभूत आवश्कयता है (अनुरंजन, 2020)। ये सड़के घने शहरों को बाहर की ओर विस्तारित करके शहरों के दबाव को कम करती हैं (खान, 2020)।

भारत में लगभग 63.45 लाख कि0मी0 का विशाल नेटवर्क है। दो विश्व में दूसरा स्थान रखता है। सड़क नेटवर्क राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग जिला सड़क, ग्राम सड़क तथा एक्सप्रेस वे में विभाजित किया जा सकता है। (भारत, 2026)।

विवेच्य जनपद में परिवहन सुविधाएँ

विवेच्य जनपद में कोई भी हवाई अड्डा नहीं है। निकटतम हवाई अड्डा चौधरी चरण सिह अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (अमोसी) लखनऊ (124 कि0मी0) है। जनपद में कुल 25 रेलवे स्टेशन/हॉल्ट तथा 107 बस स्टेशन/स्टॉप है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 731 जनपद को लखनऊ से जोड़ता है। यह जनपद में सबसे लम्बा राष्ट्रीय राजमार्ग है।

अध्ययन क्षेत्र का परिचय

अध्ययनित जनपद हरदोई लखनऊ संभाग में है। 26^0 53′ से 27^0 46′ उत्तरी अक्षांश तथा 79^0 41′ से 80^0 46′ पूर्वी देशांतर के मध्य 5994.00 वर्ग किमी0 क्षेत्र पर विस्तृत है। जनपद की उ0 प0 से द0 पू0 की लम्बाई 125.52 किमी0 तथा पूरब से पश्चिम की चौड़ाई 74.83 कि0मी0 है। इसके उत्तर में शाहजहाँपुर तथा लखीमपुर खीरी, दक्षिण–पूर्व में लखनऊ, दक्षिण में उन्नाव, पूर्व में सीतापुर तथा पश्चिम में फर्रूखाबाद तथा दक्षिण पश्चित में कन्नौज जनपद स्थित है। गंगा, रामगंगा, गर्रा, सई और गोमती जनपद में अपवाहित प्रमुख नदियाँ है। जनपद में कुल पाँच तहसीलें, उन्नीस विकासखण्ड, 1907 आबाद ग्राम, सात नगरपालिका परिषद तथा छः नगर पंचायत है। जनपद की कुल जनसंख्या 4092845 है जिसमें 86.76 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण है। जनपद की दशकीय जनसंख्या वृद्धि 20.44 प्रतिशत, जनघनत्व 683 व्यक्ति/वर्ग कि0मी0, साक्षरता 64॰57 तथा लिंगानुपात 868 है।

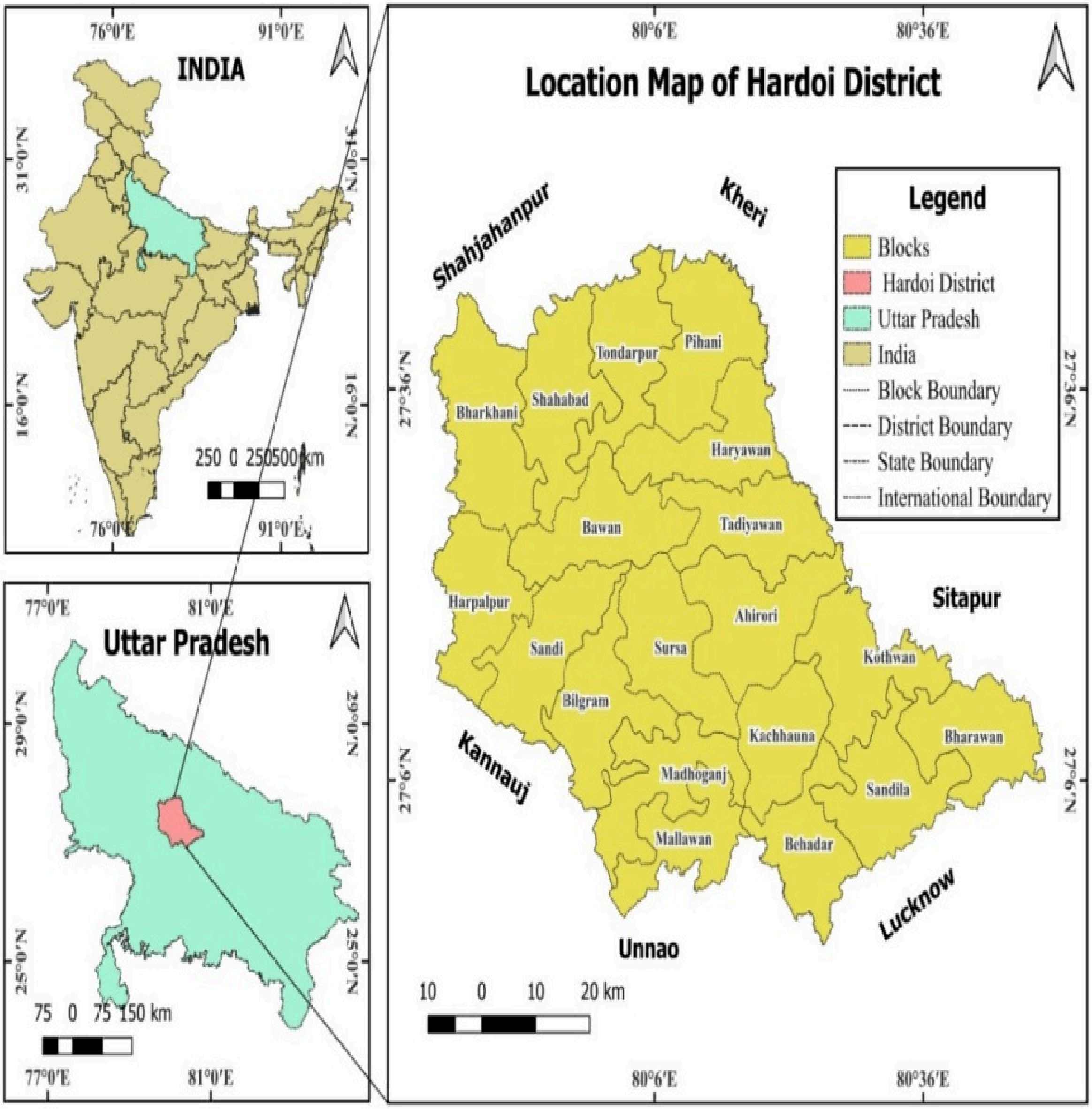

अध्ययन का उद्देश्य

1. जनपद हरदोई में विकासखण्डवार परिवहन सुविधाओं का अध्ययन करना।

2. जनपद हरदोई में परिवहन सुविधाओं के समुचित प्रबंधन हेतु सुझाव प्रेषित करना।

परिकल्पना

1. जनपद हरदोई में परिवहन सुविधाओं की उपलब्धता तथा वितरण में विकासखण्डवार असमानता पाई जाती है।

शोध विधि

प्रस्तुत शोध में द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। जिसमें सांख्यिकीय पत्रिका (2024) हरदोई, आर्थिक समीक्षा (2025–26), शोध ग्रन्थों आदि का उपयोग किया गया है।

विभिन्न पैमाने पर मापे गए चरों को समतुल्य पैमाने पर लाने के लिए मानक मान (Z-Score) विधि का प्रयोग किया गया है। मानक मान को विकास के 5 स्तरों में वर्गीकृत किया गया है।

$$\text{मानक मान} = \frac{\text{सूचक–सूचकों का मध्यमान}}{\text{मनक विचलन}}$$

व्याख्या

तालिका संख्या–01

परिवहन सुविधाओं के विविध सूचक

विकासखण्ड	1	2	3
भरखनी	119.84	693.37	79.50
शाहाबाद	164.91	1008.42	95.77
टोडरपुर	132.81	977.41	95.50
पिहानी	146.09	973.45	99.17
बावन	139.60	1099.12	79.20
हरियावाँ	161.11	998.57	96.59
टडियावाँ	156.75	946.85	95.18
सुरसा	137.14	1247.01	100.00
अहिरोरी	93.21	814.15	86.02
हरपालपुर	163.78	1023.98	98.00
साँडी	164.93	1062.95	87.13
बिलग्राम	143.05	932.16	84.35
माधोगंज	173.33	1055.67	77.55
मल्लावाँ	221.38	1386.66	95.95
कोथावाँ	156.54	959.21	95.35
कछौना	160.21	1173.94	100.00
बेहन्दर	128.77	947.94	93.26
संडीला	140.78	1034.04	85.57
भरावन	144.12	908.15	75.26
समस्त विकासखण्ड	149.91	1012.79	90.49
X	149.91	1012.79	90.49
SD	25.06	146.25	8.04

स्रोत : सांख्यिकी पत्रिका (2024), हरदोई

संकेत क्रमांक

1. प्रति लाख जनसंख्या पर कुल पक्की सड़कों की लम्बाई (किमी0), 2023–24
2. प्रति हजार वर्ग किमी0 पर कुल पक्की सड़कों की लम्बाई (किमी0), 2023–24
3. पक्की सड़कों से जुड़े आबाद ग्रामों का कुल आबाद ग्रामों से प्रतिशत, 2023–24

प्रति लाख जनसंख्या पर कुल पक्की सड़कों की लम्बाई (कि0मी0)

विवेच्य जनपद में 2023–24 में समस्त विकासखण्ड स्तर पर प्रति लाख जनसंख्या पर कुल पक्की सड़कों की लम्बाई 169.80 कि0मी0 है। 243.12 कि0मी0 के साथ मल्लावॉ विकासखण्ड प्रथम स्थान पर है। जबकि 126.23 कि0मी0 लम्बाई के साथ अहिरोरी विकासखण्ड अंतिम स्थान पर है। प्रगणित मानक मान के अनुसार उच्च विकास स्तर में शाहाबाद, हरपालपुर, सांडी तथा माधोगंज सहित कुल चार विकासखण्ड शामिल है। सर्वाधिक कुल नौ विकासखण्ड (पिहानी, बावन, हरियावॉ, टड़ियावॉ, बिलग्राम, कोथावॉ, कछौना, सण्डीला तथा भरावन) मध्यम विकास स्तर में शामिल है। निम्न विकास स्तर में भरखनी, टोडरपुर, सुरसा तथा बेहन्दर विकासखण्ड शामिल हैं। स्पष्ट है कि प्रति लाख जनसंख्या पर कुल पक्की सड़कों की गहनता में विकासखण्डवार विषमता मिलती है। परिकल्पना सत्यापित होती है।

तालिका संख्या–02

परिवहन सुविधाओं के सूचकों के मानक मान और संयुक्त सूचकांक

विकासखण्ड	1	2	3
भरखनी	–1.20	–2.18	–1.37
शाहाबाद	0.60	–0.03	0.66
टोडरपुर	–0.68	–0.24	0.62
पिहानी	–0.15	–0.27	1.08
बावन	–0.41	0.59	–1.41
हरियावाँ	0.45	–0.10	0.76
टडियावाँ	0.27	–0.45	0.58

सुरसा	–0.51	1.60	1.18
अहिरोरी	–2.26	–1.36	–0.56
हरपालपुर	0.55	0.08	0.93
साँडी	0.60	0.34	–0.42
बिलग्राम	–0.27	–0.55	–0.76
माधोगंज	0.93	0.29	–1.61
मल्लावाँ	2.85	2.56	0.68
कोथावाँ	0.26	–0.37	0.60
कछौना	0.41	1.10	1.18
बेहन्दर	–0.84	–0.44	0.34
संडीला	–0.36	0.15	–0.61
भरावन	–0.23	–0.72	–190

संकेत क्रमांक

1. प्रति लाख जनसंख्या पर कुल पक्की सड़कों की लम्बाई (किमी0), 2023–24

2. प्रति हजार वर्ग किमी0 पर कुल पक्की सड़कों की लम्बाई (किमी0), 2023–24

3. पक्की सड़कों से जुड़े आबाद ग्रामों का कुल आबाद ग्रामों से प्रतिशत, 2023–24

प्रति हजार वर्ग किमी0 पर कुल पक्की सड़कों की लम्बाई (कि0मी0)

विवेच्य जनपद में समस्त विकासखण्ड स्तर पर प्रति हजार वर्ग कि0मी0 पर कुल पक्की सड़कों की लम्बाई 2023–24 में 1012.79 किमी0 है। जिसमें मल्लावाँ विकासखण्ड में सर्वाधिक लम्बाई 138.60 कि0मी0 है तो भरखनी विकासखण्ड में सबसे कम लम्बाई 693.37 किमी0 है। प्रमाणित मानक मान के अनुसार आते उच्च विकास स्तर में मल्लावाँ तथा सुरसा विकासखण्ड हैं। जिसमें मल्लावाँ (2.56) सर्वोच्च स्थान पर है। जबकि भरखनी (2.18) सबसे निचले पायदान है। उच्च विकास स्तर में चार विकासखण्ड (बावन, अहिरोरी, बिलग्राम तथा भरावन) शामिल है। मध्यम विकास स्तर में कुल दस विकासखण्ड (शाहाबाद, टोडरपुर, पिहानी, हरियावाँ, टड़ियावाँ, हरपालपुर, सांडी, माधोगंज, कोथावाँ तथा सण्डीला) शामिल है। कछौना तथा बेहन्दर निम्न विकास स्तर में शामिल है। जबकि भरखनी (–2. 18) अति निम्न विकास स्तर में शामिल है। उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि प्रति हजार वर्ग कि0मी0 पर कुल पक्की सड़कों की लम्बाई में विकासखण्डवार असमानता है। जिससे परिकल्पना सत्यापित होती है।

पक्की सड़कों से जुड़े आबाद ग्रामों का कुल आबाद ग्रामों से प्रतिशत

प्रगणित मानक मान के अनुसार अति उच्च विकास स्तर में कोई भी विकासखण्ड शामिल नहीं है। सर्वोच्च स्थान पर सुरसा विकासखण्ड (1.18) है तो निम्नतम् स्थान पर भरावन (–1.90) विकासखण्ड है। सर्वाधिक कुल दस विकासखण्ड (शाहाबाद, सुरसा, टोडरपुर, पिहानी, हरियावाँ, टड़ियावाँ, हरपालपुर, मल्लावाँ, कोथावाँ तथा कछौना) उच्च विकास स्तर में शामिल है। सांडी तथा बेहन्दर मध्यम विकास स्तर में शामिल विकासखण्ड है। निम्न विकास स्तर में कुल पांच विकासखण्ड (बावन, अहिरोरी, संडीला, भरखनी तथा बिलग्राम) शामिल है। अति निम्न विकास स्तर में भरावन तथा माधोगंज विकासखण्ड शामिल हैं। स्पष्ट है कि पक्की सड़कों से संलग्नता में असमानता व्याप्त है। जो परिकल्पना को सत्यापित करता है।

तालिका संख्या–03

परिवहन सुविधाओं के सूचकों के मानक मान के अनुसार विकासखण्डों की संख्या

धनत्व	विकास स्तर	1	2	3
1.5 से अधिक	अति उच्च	1	2	0
1.5 से 0.5	उच्च	4	2	10
0.5 से –0.5	मध्यम	9	11	2
–0.5 से –1.5	निम्न	4	3	6
–1.5 से कम	अति निम्न	1	1	1

निष्कर्ष

उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि जनपद हरदोई में विकासखण्डवार परिवहन सुविधाओं की उपलब्धता तथा वितरण में असमानता पाई जाती है। अतः परिकल्पना सत्यापित हो जाती है।

सुझाव

1. अहिरोरी विकासखण्ड में पक्की सड़कों का घनत्व निम्नतम है। जिसके विकास की जरूरत है।

2. भरखनी विकासखण्ड सड़क परिवहन सुविधाओं के विकास में निम्नतम स्थान पर है। यह बाढ़ प्रभावित विकासखण्ड है, अतः इसके अनुकूल परिवहन के साधन जैसे– पुल, पुलिया का निर्माण करना चाहिए।

3. टोडरपुर, सुरसा तथा बेहंदर में नई सड़कों के निर्माण की आवश्यकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. भारत सरकार (2026), भारत 2026, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. तिवारी, रामचन्द्र (2019), भारत का भूगोल, इलाहाबाद : प्रवालिका पब्लिकेशन्स।
3. एस०डी० (2022) आर्थिक भूगोल, प्रयागराज : प्रवालिका पब्लिकेशन्स।
4. सिंह, जगदीश और सिंह, के. नाथ (2021) आर्थिक भूगोल के मूल तत्व, गोरखपुर, ज्ञानोदय प्रकाशन।
5. गौतम, अलका (2019), कृषि भूगोल, इलाहाबाद : शारदा पुस्तक भवन।
6. जाट, बी. सी. (2023), आर्थिक भूगोल, जयपुर : पंचशील प्रकाशन
7. तिवारी, रामचन्द्र और सिंह, ब्रह्मानन्द (2023) कृषि भूगोल, प्रयागराज : प्रवालिका पब्लिकेशन।
8. Husain, Majid (2002)] Systematic Agricultural Geography, Jaipur & New Delhi : Rawat Publications.

SHODH-GARIMA–YEAR-3, VOL. 3 (July to Sept., 2026)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal

ISSN (Print) : 3048-6327

IMPACT-FACTOR SJIF - 6.852

DOI : 10.5281/zenodo.23150408

Paper Received : 10th July 2026 **Paper Accepted : 15th July 2026**

समकालीन हिन्दी कविता में जनमुक्ति के स्वर

▫ मनीषा कुमारी*

शोध-सारांश

साहित्य समाज का दर्पण ही नहीं, बल्कि उसके परिवर्तन का सशक्त माध्यम भी होता है। विशेष रूप से कविता, जिसमें विचारों एवं भावनाओं की सबसे तीव्र अभिव्यक्ति होती है। कविता समाज के भीतर छिपे संघर्षों, पीड़ाओं एवं आकांक्षाओं को स्वर देती है। "जनमुक्ति" का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं मानसिक स्तर पर मनुष्य की पूर्ण मुक्ति से है। समकालीन हिंदी कविता, जो मुख्यतः स्वतंत्रता के बाद और विशेषकर 1960 के दशक के बाद विकसित हुई, ने जनमुक्ति के इस व्यापक स्वरूप को केंद्र में रखा है। इस कविता में आम आदमी, हाशिये पर खड़े वर्ग, स्त्रियाँ, दलित, किसान, मजदूरों की पीड़ा एवं संघर्ष को प्रमुखता मिली है। जनमुक्ति का आशय हर प्रकार के शोषण, अन्याय एवं असमानता से मुक्ति है। यह मुक्ति व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक आदि कई स्तरों पर होती है। समकालीन हिंदी कविता इन सभी आयामों को अपने भीतर समाहित करती है और जनमुक्ति को एक व्यापक मानवीय लक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करती है। समकालीन हिंदी कविता में यथार्थवाद, सामाजिक चेतना एवं विद्रोह की भावना प्रमुख रूप से दिखाई देती है। यह कविता केवल सौंदर्यबोध तक सीमित नहीं रहती, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनती है। इस दौर के कवि परंपरागत विषयों से हटकर आम आदमी के जीवन की कठोर सच्चाइयों को सामने लाते हैं। वे सत्ता, व्यवस्था एवं सामाजिक विसंगतियों पर तीखा प्रहार करते हैं। समकालीन हिंदी कविता और जनमुक्ति का संबंध अत्यंत गहरा है। कविता अब केवल व्यक्तिगत भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं रह गई, बल्कि यह सामूहिक संघर्ष का दस्तावेज बन गई है।

समकालीन कवियों ने अपने काव्य के माध्यम से समाज के उन वर्गों की आवाज को बुलंद किया है, जिन्हें लंबे समय तक दबाया जाता रहा है। इस प्रकार, समकालीन कविता जनमुक्ति की चेतना को जागृत करने का माध्यम बनती है। समकालीन कविता जनमुक्ति की चेतना को जागृत करने वाली

* शोधार्थी (हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषा विभाग), जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय, सांबा, जम्मू एवं कश्मीर–181143
मोबाइल न. 8082745262, ईमेल mk2161078@gmail-com

कविता है। यह समाज में व्याप्त असमानता, शोषण एवं अन्याय को उजागर करती है तथा पाठक वर्ग को सोचने के लिए विवश करती है कि वास्तविक स्वतंत्रता तभी संभव है, जब हर व्यक्ति को उसके श्रम का उचित अधिकार मिले एवं शोषण की व्यवस्था समाप्त हो। समकालीन कविता केवल एक सामाजिक चित्रण नहीं, बल्कि जनमुक्ति का एक सशक्त आह्वान है, जो समकालीन हिंदी कविता को एक संघर्षशील और परिवर्तनकारी स्वर प्रदान करती है।

धूमिल का काव्य जनमुक्ति की अनुगूँज का काव्य है। इनकी 'रोटी और संसद' कविता में समाज की वर्गीय संरचना को बहुत सरल लेकिन तीखे प्रतीकों के माध्यम से उजागर किया गया है। "एक आदमी रोटी बेलता है" यह पंक्ति श्रमिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, जो मेहनत करता है, उत्पादन करता है, लेकिन स्वयं अभाव में जीता है। "एक आदमी रोटी खाता है" यह उपभोक्ता वर्ग है, जो श्रम का प्रत्यक्ष लाभ उठाता है। सबसे महत्वपूर्ण है "तीसरा आदमी", जो न तो श्रम करता है और न ही सीधे उपभोग करता है, बल्कि "रोटी से खेलता है"। यह तीसरा आदमी शोषक सत्ता, पूंजीपति वर्ग या व्यवस्था का प्रतीक है, जो उत्पादन और उपभोग दोनों पर नियंत्रण रखता है। धूमिल की यह कविता जनमुक्ति के प्रश्न को बहुत तीव्रता से सामने लाती है। यहाँ जनमुक्ति का अर्थ है उस अन्यायपूर्ण व्यवस्था से मुक्ति, जिसमें श्रमिक अपने ही श्रम के फल से वंचित रहता है। कवि यह संकेत करता है कि जब तक "तीसरा आदमी" यानी शोषक वर्ग समाज में मौजूद रहेगा, तब तक वास्तविक जनमुक्ति संभव नहीं है। यही जागरूकता जनमुक्ति की पहली शर्त है। धूमिल के काव्य में व्यवस्था के प्रति आक्रोश एवं असंतोष का भाव प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है–

"एक आदमी रोटी बेलता है
एक आदमी रोटी खाता है
एक तीसरा आदमी भी है
जो न रोटी बेलता है, न रोती खाता है
वह सिर्फ रोटी से खेलता है"[1]

मंगलेश डबराल की कविताएँ महानगरी जीवनबोध एवं शहरी संस्कृति से उपन्यस्त हैं, जिसमें शहर की चकाचौंध, जीवन की आपाधापी, जीवनयापन करने के लिए जी तोड़ परिश्रम, थकान, नीरसता, एकाकीपन का भी चित्रण है। सुख–सुविध ाा एवं भौतिक जीवनयापन करने के लिए ग्रामीण समाज के लोग शहरों की ओर रोजगार की तलाश में विस्थापित होते जा रहे हैं। शहर की भागदौड़ एवं आपाधापी के बीच आदमी कितना अकेला होता जा रहा है। वह अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए दिन–रात कठिन परिश्रम करता है। मध यवर्गीय व्यक्ति कुछ करते हुए भी बहुत कुछ न कर पाने से चिंतित एवं व्यथित है। वह जिस उम्मीद से अपने घर–परिवार एवं समाज से दूर शहर में आया है उसे पूरा करने के रास्ते न सूझने पर छटपटाता रहता है। गाँव से शहर में आए अकेले आदमी की बेबसी को 'अकेला आदमी' कविता से देखा जा सकता है–

"अकेला छोड़ दो मुझे हर बार अकेला आदमी
चिल्लाता है एक गहरी रात में
संसार को अपने रक्त में अस्त होते देखता
अकेला आदमी बुदबुदाता है अपनी आखिरी थकान
अपनी छत पर अपने क्रोध में टहलते हुए
हाँफते पेंट कसते बार–बार गले से
एक अश्लील घरघराहट सुनते हुए
अकेला आदमी हो चूका है
बिना कुछ किये–धरे होते रहने से परेशान"[2]

गाँव से शहर की ओर पलायन करते लोगों का 'एक पुरानी कहानी' कविता से बानगी प्रस्तुत है–

"घर के बहुत दूर आ गये है हम
तकलीफों की एक और दुनिया में
जहाँ लगातार दौड़ते रहना होगा
दलदल में धसेंगे पैर"[3]

राजेश जोशी का काव्य शिक्षा एवं न्याय

व्यवस्था में पनप रहे भ्रष्टाचार को सहजता से उभारता है, जिसमें भ्रष्ट–व्यवस्था, बढ़ती बेरोजगारी, उज्ज्वल भविष्य एवं अपने सपनों के साथ टकराते हुए युवाओं का अंकन है। इस भ्रष्ट व्यवस्था से पीड़ित शिक्षित युवा अपनी नौकरी की इच्छा को पूर्ण नहीं कर पा रहा है। उसकी शिक्षा एवं नौकरी पाने के लिए की गई मेहनत की आज कोई कीमत नहीं रह गई है। आज की इस शिक्षा पद्धति का यही दुर्भाग्य है। जोशी द्वारा रचित 'रुको बच्चों', 'क्यों रोई वो इतने बरस बाद', 'न्याय' आदि कविताओं में खोखली एवं भ्रष्ट न्याय व्यवस्था को चित्रित किया गया है। 'रुको बच्चों' कविता की मूल संवेदना भ्रष्ट न्याय व्यवस्था से संबंधित है। वर्तमान की घृणित न्याय व्यवस्था, न्यायधीश का दोहरा चरित्र एवं दिखावटीपन का अंकन किया गया है। गाड़ियों की तेज रफ्तार में घुमता हुआ यह सफेदपोश वाला व्यक्ति न्याय व्यवस्था का न्यायधीश नहीं है वह केवल दिखावा मात्र है, जिसका प्रमाण उसके ऑफिस में कई सालों से ध ूल खाती पड़ी हुई फाइलें बता रही हैं। 'रुको बच्चों' कविता आज भी न्याय की उम्मीद में इंतजार कर रही उन फाइलों का दस्तावेज है–

"रुको बच्चो!
उस न्यायधीश की कार को
निकल जाने दो
कौन पूछ सकता है उससे कि
तुम जो चलते हो इतनी
तेज कार में
कितने मुकद्दमें लम्बित है
तुम्हारी अदालत में
कितने साल से..."[4]

अरुण कमल का काव्य दर्पण स्त्री जीवन के त्रासद स्वरूप को प्रतिबिंबित करता है, जिसमें पति–पत्नी के सात्विक एवं भावनात्मक संबंधों को भी चिंहित किया गया है। कमल का काव्य वैवाहिक संबंधों में प्रायः उपेक्षित रह जाने वाली स्त्री की चुप्पी, मौन–विद्रोह, उसके भीतर पलने वाली पीड़ा एवं पुरुष–केंद्रित समाज की संवेदनहीनता को उजागर करता है। पुरुष स्त्री के न बोलने की घटना को कभी समझ नहीं पाता है। उसके इसी न समझ पाने में उसकी संवेदनात्मक पराजय परिलक्षित होती है। पुरुष अपने अधिकारों एवं सामाजिक स्थान के बल पर पत्नीध्स्त्री को डाँटना अपना स्वाभाविक अधिकार समझ लेता है। वह स्त्री को सबके सामने डांटता है। 'सबके सामने डाँटना' केवल अपमान नहीं, बल्कि सत्ता का प्रदर्शन है। एक स्त्री की आत्मा एवं सम्मान सार्वजनिक रूप से टूट जाता है। इन सबके विरुद्ध स्त्री की चुप्पी उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी गहरी पीड़ा, विगलित आत्माभिमान एवं मौन प्रतिरोध का प्रतीक है। वह न रोती है, न प्रतिरोध करती है, क्योंकि वह जानती है कि इस संरचना में उसकी आवाज का कोई मूल्य नहीं है। यह मौन उसका समर्पण, थकान एवं भीतर की असीम हताशा को चित्रित करता है। स्त्री की यही चुप्पी पुरुष के मन में आजीवन एक प्रश्न बनकर रह जाती है। कमल की कविता 'एक बार भी बोलती' में एक ऐसी ही स्त्री का चित्रण मिलता है जो सब कुछ सहकर भी अंततः बोलती नहीं है–

"आखिर वह पत्नी थी मेरी
और एक दिन सबके सामने,
मेहमानों और घर के लोगों के सामने
मैंने उसे बुरी तरह डांटा
फिर भी वह कुछ नहीं बोली रोई भी नहीं
अभी भी मैं समझा नहीं
कि वह कभी बोली क्यों नहीं
मरते वक्त, भी वह कुछ नहीं बोली
आँखें बस एक बार डोलीं और...
वह कभी बोली क्यों नहीं
एक बार भी बोलती"[5] (सबूत पृ.19)

समकालीन समाज में जीवन की घुटन को महसूस एवं सहन करते आदिवासी समुदाय की मुख्य समस्याएँ जल, जंगल एवं जमींन की है। आदिवासी लोगों के बिखरते हुए सपनों के प्रति

मंगलेश डबराल अत्यंत संवेदनशील हैं। आज भी भारत का अधिकांश हिस्सा पिछड़ा हुआ है, जिसमें आदिवासी समुदाय भी सम्मिलित है। जहाँ एक तरफ महानगरों में आधुनिकता की दौड़ और बढ़ती हुई आबादी है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने जीवन से जूझता एवं पिछड़ा हुआ आदिवासी वर्ग है। वह अपने जीवन का सुंदर सपना देखने के अधिकार से भी वंचित हैं। आदिवासी वर्ग के लिए वन–संपत्ति जैसे जंगल की जमीन, पेड़–पौधे, पशु–पक्षी आदि सब चीजों पर इनका पूरा अधिकार होता था, किंतु वर्तमान में उदारीकरण तथा व्यापार व्यवस्था ने उनकी संपत्ति को लूटकर अपना अधिकार जमा लिया है। लकड़ी तथा कोयला निकालने वाले ठेकेदार उनके भोलेपन का लाभ उठाकर उनका शोषण करते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने आदिवासी समाज से जल, जंगल, जमीन छीन कर अपना नियन्त्रण कर लिया है, जिसके कारण आदिवासी समुदाय में विस्थापन बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। डबराल ने अपनी कविताओं में आदिवासियों की अस्मिता, उनके अस्तित्व के प्रश्न, पूँजीपतियों एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मालिकों द्वारा उत्पन संकट के खिलाफ प्रतिरोध को दर्ज किया है। वह अपनी कविताओं के माध्यम से उनके जल, जंगल, जमीन और जीवन की रक्षा के लिए उनके अधिकार की मांग करते हैं। 'आदिवासी' कविता से आदिवासी जीवन एवं उनसे जुड़े तमाम प्रश्नों को देखा जा सकता है–

"हर मृत्यु यहाँ मारती है
थोडा–थोडा रोज और
छीजते हुए जीते हैं मृत्यु में हम
अगर मिला कभी ईश्वर
पूछेंगे हम सवाल
मारे गए सिर्फ हम ही क्यों,
इस पृथ्वी पर"[6]

लीलाधर जगूड़ी की कविताएँ सांप्रदायिकता से लबरेज हैं जो धर्म एवं सम्प्रदाय के नाम पर हो रहे दंगे, लूट, कत्लेआम, झगड़े, मारपीट, बर्बरता, आगजनी आदि में पिसते एवं मारे जा रहे आम आदमी के प्रति चिंता व्यक्त करती हैं। साम्प्रदायिकता का घिनौना एवं निंदनीय रूप, इसके संकट में फंसता हुआ आम आदमी का दर्द एवं पीड़ा इनकी कविताओं में व्यक्त हुआ है। डबराल की कविताएँ इंसानियत की दुश्मन साम्प्रदायिकता एवं धर्म के नाम पर होने वाले दंगों की खिलाफत करती हैं, जो उनके साम्प्रदायिकता विरोधी स्वर को मुखरित करता है। इसकी परिणति दंगों के रूप में होती है, जो बहुत बार सत्ता द्वारा भी प्रायोजित होते हैं। चुनाव के दौरान अपने फायदे के लिए सत्ता द्वारा दंगे करवाए जाते हैं। खौफ, कत्लेआम एवं दहशत फैलाई जाती है, जिसकी आड़ में सत्ताधारी फायदा लेते हैं। किंतु चिंतनीय एवं विचारणीय यह है कि इन सब दंगों में आम आदमी ही पिसता है, वही अपने घर से पृथक एवं विलग होता है, वही मारा जाता है, उसे ही अपनों की कुर्बानी देनी पड़ती है और उसे ही तलवार एवं गोली का भी शिकार होना पड़ता है। कविता में बड़े–बड़े नेता, मंत्री एवं उद्योगपति द्वारा फटे हुए कागजों की भांति उड़ाते जा रहे आम जन के विचारों, स्वप्नों एवं स्मृतियों का वर्णन मिलता है। वह एक हत्यारे, लुटेरे एवं दलाल के रूप में आसमानों, पहाड़ों, मैदानों सबको लांगता हुआ अपनी दहशत की हदों को बढ़ाता जा रहा है। उसके हाथ धरती के मर्म को दबोचने के लिए बढ़ रहे हैं। केवल अपने फायदे एवं मुनाफे के लिए किस प्रकार आम आदमी की बलि दी जाती है इसको 'नाटक जरी है' नामक कविता के माध्यम से देखा जा सकता है–

"कोई यकीं करे या न करे
बाजार से थोड़ा हिंदुत्व लेकर
हर बार दम तोड़ते हुए
किसी की दीवारों पर पद रही है
छत। मेरे दिमाग पर पद रही है।"[7]

इसी कविता में जगूड़ी धर्म एवं जाति के नाम पर होने वाली दलबंदी का विरोध करते हुए लिखते हैं–

"अपनी– अपनी जाति के
गिरोह में घुसकर
एक के ऊपर एक
बनके रहते हैं"[8]

समकालीन हिंदी कविता में किसान जीवन की चुनौतियों को बड़े संवेदनात्मक रूप में उभारा गया है, जिसमें ग्रामीण जीवन, श्रम, शोषण, विस्थापन एवं किसानों की बदलती स्थितियों का मार्मिक चित्रण मिलता है। आज का किसान खेती तक सीमित नहीं, वह आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक संकटों से भी जूझ रहा है। जितेन्द्र श्रीवास्तव का काव्य इन समस्याओं को यथार्थवादी दृष्टि से प्रस्तुत करते हुए किसान के संघर्षपूर्ण जीवन को अभिव्यक्त करता है। श्रीवास्तव द्वारा रचित 'और ऊधर' कविता में किसान जीवन का श्रम, उसका कानून एवं व्यवस्था के नाम पर हो रहे शोषण तथा आज की नई पीढ़ी का किसान जीवन की स्थिति से अनजान होना आदि का चित्रण मिलता है–

"गन्ने का रस चूसती मेरी यह बेटी
नहीं जानती है उस पसीने के बारे में
जो बहा होता है खेतों की क्यारियों में
वह उस खून के बारे में भी नहीं जानती
जो बहा दिया जाता है
कानून और व्यवस्था के नाम पर
वह पैबन्द लगे उन सपनों के
बारे में भी नहीं जानती
जिनके हकीकत में बदलने का
इंतजार करते गुजर जाती है
किसानों की कई पीढियाँ"[9]

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि समकालीन हिंदी कविता जनमुक्ति की चेतना की वाहक है। यह कविता समाज में हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज बनकर उभरती है और उनके संघर्षों को सामने लाती है। समकालीन कवियों ने अपने लेखन के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विसंगतियों को उजागर कर जनमानस को जागरूक करने का प्रयास किया है। जनमुक्ति केवल एक आदर्श नहीं, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। समकालीन हिंदी कविता इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है और भविष्य में भी यह समाज के परिवर्तन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. धूमिल : कल सुनना मुझे, पृ.65
2. डबराल, मंगलेश : पहाड़ पर लालटेन, पृ.14
3. वही, पृ.37
4. जोशी, राजेश : दो पंक्तियों के बीच, पृ.23
5. कमल, अरुण : सबूत, पृ.19
6. मंडलोई, लीलाधररू घर–घर घूमा, पृ.91
7. जगूड़ी, लीलाधर : नाटक जरी है, पृ. 91
8. जगूड़ी, लीलाधर : नाटक जरी है, पृ. 91
9. श्रीवास्तव, जितेन्द्र : काल मृग की पीठ पर, पृ.77

SHODH-GARIMA–YEAR-3, VOL. 3 (July to Sept., 2026)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal

ISSN (Print) : 3048-6327

IMPACT-FACTOR SJIF - 6.852

DOI : 10.5281/zenodo.23150710

Paper Received : 10th July 2026 **Paper Accepted : 15th July 2026**

कृषि और जैव प्रौद्योगिकी : सतत विकास की दिशा में एक सहक्रियात्मक दृष्टिकोण

❑ बृजेन्द्र कुमार*
❑ अजय कुमार पटेल**

शोध-सारांश

कृषि और जैव प्रौद्योगिकी दोनों परस्पर जुड़े हुए क्षेत्र हैं जिसने वैश्विक खाद्य उत्पादन प्रणालिको महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। जैव प्रौद्योगिकी में प्रगति ने कृषि पद्धतियों में क्रांति ला दी है, जो कीटों, बीमारियों और पर्यावरणीय स्थिरता जैसी चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करती है। यह शोध पत्र साहित्य और केस अध्ययनों के व्यापक विश्लेषण के माध्यम से कृषि उत्पादकता, अनुकूलता, लचीलापन और स्थिरता बढ़ाने में जैव प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका को स्पष्ट करता है तथा कृषि और जैव प्रौद्योगिकी के बीच सहक्रियात्मक संबंधों, प्रमुख अनुप्रयोगों, लाभों, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं की खोज करता है।

मुख्य शब्द– कृषि, जैव प्रौद्योगिकी, सतत विकास, सहक्रियात्मक।

परिचय

विश्व में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक स्रोत के रूप में कृषि मौलिक भूमिका निभाती है। सतत विकास की आधारशिला के रूप में खाद्य सुरक्षा को प्रत्येक व्यक्ति के लिए उचित और पौष्टिक आहार की उपलब्धता के रूप में परिभाषित किया जाता है। सतत कृषि विकास वर्तमान तथा भविष्य की समस्याओं का समाधान करते हुए वैश्विक खाद्य मांग को पूरा करता है। इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि संसाधनों का ना तो अधिक दोहन हो और ना ही उसका नकारात्मक प्रभाव पड़े।

जैव तकनीक के माध्यम से उत्पन्न की गई आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें वे पौधे हैं जिनके डीएनए को अनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीक का उपयोग करके संशोधित किया गया है। बेहतर पौधों की किस्म के विकास के लिए उपयोगी जीनों को एक साथ लाकर जीएम फसलों का विकास किया जाता है। जीएम फसलों को पहली बार 1990 के दशक के मध्य में संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू किया गया। वर्तमान में विश्व स्तर पर व्यापक उपयोग किया जाता है। 2017 में जीएम

* शोधार्थी, लखनऊ विश्वविद्यालय, Email: brijkumar705@gamil.com
** शोधार्थी, लखनऊ विश्वविद्यालय, Email: ajaypgkp10@gamil.com

फसलों को 24 देश में 189.8 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर लगाया गया था। भारत में केवल एक जीएम फसल बीटी कपास की खेती, पहली बार 2002, की अनुमति है जो अब समस्त कपास क्षेत्र के 90ः क्षेत्र पर उगाया जाता है।

जैव प्रौद्योगिकी जीव विज्ञान पर आधारित तकनीक है, जिसमें विश्व में कृषि क्रांति लाने तथा किसानों के जीवन स्तर को उच्च करने की अपार संभावनाएं हैं। विकासशील देशों में आबादी बढ़ने के कारण भोजन की बढ़ती मांग को पूरा करने में जैव प्रगति की एक महत्वपूर्ण उपकरण है। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग का उद्देश्य फसल पैदावार में बढ़ोतरी,पोषण स्तर में सुधार, कीटों, बीमारियों और मौसम के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने तथा पर्यावरण चुनौतियों तथा खाद्य समस्या को कम करना है। वर्तमान समय में खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए विश्व के अनेक देशों में कृषि कार्यों में जैव तकनीक का उपयोग किया जा रहा है।

कृषि जैव प्रौद्योगिकी के लाभ

जैव प्रौद्योगिकी सेनिश्चित रूप से मानव जीवन के हर क्षेत्र में तीव्र एवं सतत परिवर्तन आएगा। जैव प्रौद्योगिकी के प्रमुख लाभ निम्न हैः

फसल उत्पादकता में वृद्धिः बढ़ती जनसंख्या दर को देखते हुए खाद्य वस्तुओं उपलब्ध कराने हेतु कृषि उत्पादकता मेंवृद्धिकी आवश्यकता होगी। संभावित रूप से जैव प्रौद्योगिकी खाद्य उपज की समस्याओं से निपटने के लिए सबसे अच्छी तकनीक है। जैव प्रौद्योगिकी उपकरण वैज्ञानिकों को अधिक उत्पादकता देने वाली तथा अधिक पौष्टिक किस्मों को विकसित करने में सहायता प्रदान करती है। उदाहरण के लिए बीटी कपास तथा बीटी मक्का क्रमशः वॉलवर्म तथा बोर नामक कीट से बचाव के लिए विकसित किया गया जिससे कीटनाशक के उपयोग में कमी और उपज में वृद्धि हुयी।

सतत कृषि तथा सुरक्षा में वृद्धि : जैव प्रौद्योगिकी टिकाऊ कृषि पद्धति को बढ़ावा देने और बढ़ती वैश्विक आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। षक जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके गहन कृषि द्वाराकम भूमि पर कम संसाधनों द्वारा अधिक उत्पादन करते हैं। जिससे प्रातिक संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र पर कम दबाव पड़ता है। जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा खाद्य पदार्थों में उपस्थित रोगजनकों एवं कीटनाशकों को पहचानकर उनका उपचार किया जाता है।

पोषण स्तर एवं स्वाद में वृद्धि : इस तकनीक में प्रगति उपभोक्ता को पोषण से भरपूर खाद्य पदार्थ उपलब्ध करके कुपोषण को दूर करती है और स्वास्थ्य परिणामोंमें सुधार करती है। जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से विभिन्न फसलों के जीनों में परिवर्तन करके पोषण स्तर मूल्य से भरपूर नई किस्मों का विकास किया जाता है, पोषण स्तर बढ़ाने की इस प्रक्रिया को बायोफोर्टिफिकेशन कहते है।

जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से उत्पन्न की गई समृद्ध पोषण स्तर एवं स्वादवाली जीएम फसलें :

- चावल–फेरस और जिंककी सांद्रता में वृद्धि
- गेहूं –फेरस और जिंक की सांद्रता में 40% से 50% की वृद्धि
- सुनहरा चावल–विटामिन ए में वृद्धि और बीटा कैरोटीन में वृद्धि
- लोबिया–कैल्शियम, फेरस और जिंक जैसे खनिजों के साथ वास की मात्रा में वृद्धि
- विटामिन–ए से भरपूर गोल्डन राइस तथा आयरन से भरपूरबीन्स

पर्यावरणीय लाभ : जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से कीटनाशकों, शाकनाशी तथा रासायनिक उर्वरकों का कम प्रयोग करके पर्यावरणीयक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है। ये कीटनाशक वे सूक्ष्म जीव या जैविक उत्पाद होते हैं जिनका उपयोग कृषि को क्षति पहुंचाने वाले कीटों के विनाश के लिए किया जाता है। ये कीटनाशक केवल कीड़ों कोही

विनष्ट करते हैं। अन्य जीवों के ऊपर इनका असर नहीं होता है। कृषि जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक महत्वपूर्ण कार्य फसलों को वायरस संक्रमण से बचाने के लिए वायरस प्रतिरोधी पौधे विकसित करना है। वर्तमान में कई वायरस संक्रमण प्रतिरोधी पौधे विकसित किया जा चुके हैं। इस प्रकार जेनेटिक तकनीक के प्रयोग से रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग 40 से 60 तक कम हो गया है। कुछ जैव कीटनाशक जिनका साधारतया प्रयोग किया जाता है, निम्न है–

1. क्राइब्रोलैकमस मान्टा उजेरी और सैमनस कॉकीवोरा जिसे अंगूर लताओं पर लगे मिलीबक नामक संक्रमण से बचाव के लिए प्रयोग में लाया जाता है।

2. ग्रेनूलोसिस वायरस जिनका उपयोग तेज पत्ते के पौधे पर श्रृंगी कीड़ों से संक्रमण को रोकने के लिए किया जाता है।

3. बेसिलस स्फैक्रिकस नामक जैव कीटनाशक मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों से बचाव करता है।

खाद्य प्रसंस्करण में सुधार : जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से निर्मित कई एंजाइमों का प्रयोग खाद्य उद्योग में पदार्थों के सुरक्षित भंडारण, स्वाद बढ़ाने, प्रसंस्करण आदि में किया जाता है। कुछ एंजाइम एवं उनकी खाद्य उद्योग में भूमिका निम्न है– कैटेलेज एंजाइम मेयोनेज़ बनाने में, माइक्रोसिन एंजाइम पनीर बनाने में, एमाइलेज बेकिंग के लिए एवं एथिलीन टमाटर पकाने में आदि। ट्रांसजेनिक तकनीक के माध्यम से मछली के जीनको टमाटर के पौधे में स्थानांतरित करके टमाटर के भंडारण क्षमता में विकास इसका एक उदाहरण है।

विकासशील एवं अल्प विकसित देशों के लिए लाभ :

विश्व की अधिकांश जनसंख्या विकासशील एवं विकसित देशों में निवास करती है। जहां उत्पादकता अधिक न होने के कारण कुपोषण एक सामान्य समस्या है। इन समस्याओं से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी कारगर सिद्ध होगी। जो खाद्य सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता और आर्थिक विकास से संबंधित चुनौतियां का समाधान करती है। उच्च उत्पादकता वाली जीएम फसलों से प्रतीकूल पर्यावरण परिस्थितियों जैसे सूखा, लवणता तथा अधिक तापमान में भी अधिक पैदावार होती है। इनमें बेहतर पोषण स्तर के लिए आवश्यक अमीनो एसिड प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट के उच्च स्तर विद्यमान होते हैं। उदाहरण : वायरस प्रतिरोधी कसावा की खेती के द्वारा अफ्रिकी देशों में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।

कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग से संभावित समस्याएं

जैव प्रौद्योगिकी से निश्चित रूप से हमारे जीवन के हर क्षेत्र में तीव्र वह सतत परिवर्तन आएगा। जीन उत्पादों का उपयोग स्वास्थ्य सेवाओं में आसानी से किया गया क्योंकि यह सीधे फायदेमंद हैजैसे–1982 में इन्सुलिन का प्रयोग। जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से निर्मित जीएम फसलों के उपयोग से पर्यावरण में जीन संबंधित अवयवों के विद्यमान रहने से सुरक्षा चिताओं को व्यक्त किया गया हैक्योकि इससे कई खतरे एवं हानियों की भी संभावनाएँ हैं जैसे– गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं, जैव सुरक्षा, पर्यावरणीय व सामाजिक आर्थिक समस्याएं।

- स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं

एलर्जी एवं विषाक्त पदार्थ एंटीबायोटिक प्रतिरोधःजैव तकनीक का प्रयोग करके उन्नत किस्म के बीजों के निर्माण केलिए एक प्रजाति के बीजों के जीनको दूसरे प्रजाति के जीनों में स्थानांतरण किया जाता है तब इस निर्मित उन्नत किस्म के बीजों से वांछित लाभ प्राप्त किया जाता है लेकिन दोनों के आनुवांशिकगुणों में हेर–फेर होने के कारण उपभोक्ता को एलर्जी होने का जोखिम रहता है। जैसे– सोयाबीन की उन्नत किस्म प्राप्त करने के लिए उसके जीनका मूंगफली के जीन से स्थानांतरण किया जाता है तो सोयाबीन की यह नयी किस्म मूंगफली के प्रति संवेदनशील उपभोक्ता में एलर्जी का कारण बन सकती है।

कभी–कभी जीएम फसलों के पराग गैर जीएम फसलों से परागण कर लेते हैं जिससे गैर जीएम फसलों के उत्पाद में भी एलर्जी पैदा करने के गुण आ सकते है। अनुवांशिक संशोधन से प्राप्त जीएम बीजों से पौधों के गुणों में अप्रत्याशित परिवर्तन हो सकते हैं जिससे संभवत विषाक्त पदार्थों के स्तर में वृद्धि या नए विषाक्तपदार्थ उत्पन्न होने का खतरा रहता है।

एंटीबायोटिक प्रतिरोध : संशोधित पौधों की पहचान करने के लिए मार्कर के रूप में कभी–कभी एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीनका प्रयोग किया जाता है। यह जीन रोगजनक बैक्टीरिया में स्थानांतरित हो सकते हैं। इन संशोधित फसलों को खाद्य के रूप में ग्रहण करने पर एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन जीवाणु संक्रमण के उपचार में प्रयुक्त एंटीबायोटिक दवाओं की प्रभावशीलता को कम कर सकते हैं जिसका मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

- पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय समस्याएं

गैर लक्षित प्रजातियों पर प्रभाव : विषैला ट्रांसजेनिक प्रोटीनों से गैर लक्षित कीटों और मृदा माइक्रोफ्लोरा को प्रभावित करने तथा ट्रॉपिक श्रृंखला के उल्लंघन के कारण जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जीएम बीजों का प्रयोग एक विशिष्ट लक्षणों से समृद्ध उत्पाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है लेकिन इनका परागण किसी अन्य प्रजाति के पौधों से होने होने के कारण अनपेक्षित प्रभाव पड़ सकता है।

कीटनाशक प्रतिरोध : शाकनाशी प्रतिरोधी फसलेंखरपतवार की विविधता में कमी लाती हैं। जिससे इन पर खरपतवारों पर निर्भर जीवों तथा कीटों के समृद्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से अनेक प्रकार की कीट प्रतिरोधी फसलों का विकास किया गया है। समयके साथ– साथजीएम फसलों द्वारा उत्पादित की गयी विष के प्रति कीटों में प्रतिरोध विकसित हो सकता है जिससे उनको नियंत्रित करना कठिन हो जाएगा। यह कीट अन्य फसलों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनको नियंत्रित करने के लिए अन्यकीटनाशक का निर्माण किया जाता है जिससे अन्य पर्यावरणीय समस्याओं का जन्म होता है।

फसल विविधता में कमीः अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों की किस्म के व्यापक प्रयोग करने से पारंपरिक किस्म के प्रयोग में कमी हो गई है विशिष्ट लक्षणों की प्राप्ति के लिए षक जीएम बीजों का प्रयोग करते हैं जिससे उन लक्षणों वाली फसलों की विविधता में कमी आ जाती है। यह उसी प्रकार प्रभाव डालता है जिस प्रकार संकर बीजों के आने से बाद पारंपरिक बीजों का प्रयोग कम हो गया। विविधता का यह नुकसान बीमारियों, कीटों और बदलती पर्यावरण स्थितियों के प्रति अति संवेदनशील बना सकता है। उदाहरण : शाक प्रतिरोधी तथा कीट प्रतिरोधी जीएम फसलों की उपयोग के कारण खरपतवार एवं कीटों की कमी खाद्य जाल को प्रभावित कर सकती है जिससे इन पर निर्भर प्रजातियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

- सामाजिक समस्याएं

आर्थिक असमानता : जैव तकनीक से जनित अनुवांशिक प्रवर्धित बीजों,शाकनाशी, कीटनाशकों एवं उर्वरकों से जुड़ी लागत अधिक होती है। जिनके विकास, वितरण और मूल्य निर्धारण पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अधिकार होता है। इनकी कीमत अधिक होने के कारण संपन्न कृषकों तक इनकी पहुंच तो आसानी से हो जाती है लेकिन गरीब षकों के लिए यह आर्थिक रूप से बोझ हो सकता है। जिसके कारण संपन्न एवं गरीब पुरुषों के मध्य आर्थिक असमानता बढ़ सकती हैं।

पारंपरिक कृषि पद्धतियों पर प्रभाव : किसी एक स्थान की कृषि पद्धति अन्य स्थान की कृषि पद्धति से भिन्न होती है। यह भिन्नता धरातलीय एवं पर्यावरणीय अंतर के कारण होता है। इस प्रकार कृषि पद्धतियां किसी स्थान विशेष की सांस्तिक पहचान में भी भूमिका निभाती है।

जैसे– पूर्वी भारत में असमतल धरातल एवं कठिन परिस्थिति होने के कारण झूम षि, मैदानी क्षेत्रों में विस्तृत षि, पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार कृषि तथा अमेरिका में ट्रक फार्मिंग आदी। उच्च उत्पादकता तथा पोषण स्तर वाले जीएम फसलों पर बढ़ती निर्भरता स्वदेशीकृषि ज्ञान तथा पद्धतियों को नष्ट कर सकती है। जो अपेक्षात पर्यावरण के अधिक की अनुकूल होती है। जो समुदाय पारंपरिक कृकृषि कोअधिक महत्व देते हैं उनका जीएम फसलों के प्रति प्रतिरोध उत्पन्न हो सकता है।

- जीएम बीजों के पेटेंट संबंधी समस्याएं यह एक जटिल एवं विवादास्पद समस्या है। जिसकाषकों एवं कृषि प्रणाली पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जीएम बीजों का उत्पादन करने वाली कंपनी के पास इसके उपयोग, बिक्री और वितरण के लिए विशेष अधिकार होते हैं। लाइसेंसिंग समझौता कृषकोंको बीजों का संरक्षण करने तथा फिर से उपयोग करने से रोकता है। जिससे किसानों को हमेशा नए बीज खरीदने पड़ते हैं। विकासशील देशों में जहॉ बीज संरक्षण एक सामान्य प्रक्रिया है वहां पेटेंट कानून के कारण सदियों पुरानी पध्दतियॉ नष्ट हो रही हैं। यदीस्वतः परागण के कारण पेटेंट प्राप्त के जीन अगर अन्य फसलों में पाए जाते हैं तो षकों को कानूनी जोखिम का सामना करना पड़ता है।

भारत में जैव प्रौद्योगिकी नियामक संस्थाऍ

जैव प्रौद्योगिकी उपयोग करने वाले सभी देशों में अनुवांशिक प्रवर्धित उत्पादों से संबंधित गतिविधियों की समीक्षा एवं अनुमोदन के लिए जैव सुरक्षा विनियम मौजूद है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित अधिनियम, 1989 में जीएमउत्पादोंके निर्माण, उपयोग, आयात–निर्यात और भंडारण को विनियमित किया जाता है। इन नियमों को जैव प्रौद्योगिकी विभाग, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा लागू किया जाता है। जिसे छह प्राधिकारियों की संरचना एवं भूमिकाओं को अधित अनुसूचित किया गया है–

- पुनः संयोजक डीएनए सलाहकार समिति (आरडीएसी)
- संस्थागत जैव सुरक्षा समिति (आईबीएससी)
- जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (जीईएसी)
- जेनेटिक हेरफेर पर समीक्षा समिति (आरसीजीएम)
- राज्य जैव प्रौद्योगिकी समन्वय समिति (एसबीसीसी)
- जिला स्तरीय समिति

जीएम पादप सामग्री के आयात के विनियमन को कृषि मंत्रालय के पौध संगरोध आदेश, 2003 (प्लान क्वॉरेंटाइन ऑर्डर 2003) तथा इनके निर्माण, भंडारण, वितरण, जिसमें खाद्य शामिल है, को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2017 के अंतर्गत विनियमित किया जाताहै।

निष्कर्ष

बढती वैश्विक आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु कृषि का मूल योगदान है। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग से खाद्य उत्पादन में वृद्धि और स्थिरता को बढ़ावा मिल सकता है। आनुवांशिक रूप से संशोधित (जीएम) फसलों ने फसल उत्पादन, पोषण मूल्य और खरपतवार तथा कीट प्रतिरोध क्षमता में महत्वपूर्ण सुधार किया है, जिससे किसानों की आय और जीवन स्तर में भी वृद्धि हो रही है।

हालांकि, जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग से कुछ समस्याएं जैसे–स्वास्थ्य जोखिम, पर्यावरणीय क्षति तथा सामाजिक असमानता आदि भी उत्पन्न हो सकती हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए उचित नीतियां और प्रबन्धन आवश्यक हैं। भारत में जैव प्रौद्योगिकी के नियमन के लिए कई संस्थाएं कार्यरत हैं, जो जीएम फसलों के निर्माण, उपयोग भंडारण और वितरण को नियंत्रित करती हैं।

समग्र रूप से, जैव प्रौद्योगिकी का सतत और सुरक्षित उपयोग विकासशील देशों के लिए खाद्य सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता, और आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। सतत विकास के लिए कृषि जैव प्रौद्योगिकी की पूरी क्षमता को उपयोग करने के लिए सार्वजनिक जागरुकता और शिक्षा के साथ–साथ निरंतर अनुसंधान और नवाचार की आवश्यकता है, ताकि संभावित जोखिमों को कम किया जा सके और एक स्वस्थ और समृद्ध समाज का निर्माण किया जा सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- गौतम, अलका (2009) : कृषि भूगोल, शारदा पुस्तक भवन, यूनिवर्सिटी रोड, इलाहाबाद–211002
- हुसैन, माजिद (2000) : कृषि भूगोल, रावत पब्लिकेशंस, सत्यम अपार्टमेंट, सेक्टर–3, जवाहर नगर, जयपुर–302 004
- तिवारी, आर0 सी0; सिंह डी0 एम0 : कृषि भूगोल, प्रवालिका पब्लिकेशंस 11/10 यूनिवर्सिटी रोड, प्रयागराज–211002
- तिवारी, नीतीश; तिवारी, पवन; सिंह, आशीष; तिवारी, आशुतोष : कृषि एवं प्रौद्योगिकी, बौध्दिक प्रकाशन, B-4A, देवनगर, प्रतिष्ठान पूरी, प्रयागराज–211019
- Challenges and Impact of Agriculture Biotechnology on Developing Societies- Nicholos Ozor (January 2003), Department of Agriculture Extension, University of Nigeria, Nsukka, Nigeria
- GeneticallyModified crops and Regulations in India: Myths vs Facts (2019): Ministry of Environment and Forests and Climate Change, Government of India
- India's Agri-Biotech Policies, Regulations, and Decision Making: Naval Kishor, IGNOU, India
- Role of Biotechnology in creating sustainable agriculture: Saurav Das, Manjit Kumar Ray, Dinesh Panday, Piyush Kumar Mishra
- use of Biotechnology in Agriculture-Benefits and Risks: Ania Weiczorek (May 2003): Department of Tropical Plants and Sciences, University of Huwai
- http://indiagminfo.org/wp-content/uploads/2011/09/BRAI-bill-2011.pdf
- http://www.isaaa.org/
- https://www.biotech.co.in/sites/default/files/2020s01/2019%20Genetically%20Modified%20Crops%20and%20Regulations%20in%20India%20%
- E2%80%93%20Myths%20vs%20Facts%2C%202019.pdf
- https://www.ers.usda.gov/dataproducts/chartofnote/chartsofnote/?topicId=a2d1ab41-13b3-48b5-8451-688d73507ff4

SHODH-GARIMA–YEAR-3, VOL. 3 (July to Sept., 2026)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal

ISSN (Print) : 3048-6327

IMPACT-FACTOR
SJIF - 6.852

DOI : 10.5281/zenodo.23150900

Paper Received : 10th July 2026 **Paper Accepted : 15th July 2026**

प्रवासी हिन्दी और आधुनिक हिन्दी : वैश्विक विस्तार और अंतर्संबंध

□ नाज़िमा*

शोध-सारांश

यह शोध पत्र 'प्रवासी हिन्दी और आधुनिक हिन्दी : वैश्विक विस्तार और अंतर्संबंध' के माध्यम से हिन्दी भाषा के विश्वव्यापी प्रसार, प्रवासी समाज में उसकी भूमिका और आधुनिक हिन्दी से उसके गहरे पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। प्रवासन केवल भौगोलिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह भाषा, संस्कृति और सामाजिक चेतना में परिवर्तन की प्रक्रिया भी है, जिसके फलस्वरूप हिन्दी अपने मूल स्वरूप से परे जाकर नए सामाजिक और भाषिक परिवेशों में समृद्ध होती है। जब भारतीय प्रवासी विदेशों में बसते हैं, तो वे हिन्दी को संवाद के साधन के साथ-साथ अपनी सांस्कृतिक स्मृतियों और पहचान के प्रतीक के रूप में भी ले जाते हैं, जिससे प्रवासी हिन्दी का विकास होता है। प्रवासी हिन्दी में स्थानीय भाषाओं और सांस्कृतिक अनुभवों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, जो इसे अधिक लचीला, व्यावहारिक और वैश्विक दृष्टिकोण से संवेदनशील बनाता है। आधुनिक हिन्दी, जिसमें मानकीकृत व्याकरण, वैज्ञानिक, दृष्टि, तकनीकी शब्दावली और समकालीन सामाजिक चेतना का समावेश है, प्रवासी हिन्दी के विकास को स्थिरता और साहित्यिक आधार प्रदान करती है, जबकि प्रवासी हिन्दी आधुनिक हिन्दी को बहुसांस्कृतिक संदर्भ और अंतरराष्ट्रीय अनुभवों से समृद्ध करती है। मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और तकनीक ने इस संवाद को और अधिक सशक्त बनाया है, जिससे प्रवासी हिन्दी सीमाओं से परे वैश्विक संचार भाषा के रूप में विकसित हो रही है। प्रवासी हिन्दी साहित्य, जिसमें विस्थापन, स्मृति, पहचान और बहुभाषिक अनुभव प्रमुख हैं, आधुनिक हिन्दी साहित्य को नई दिशा, स्वरूप और वैश्विक दृष्टि प्रदान करता है। इस प्रकार प्रवासी हिन्दी और आधुनिक हिन्दी का अंतर्संबंधद्वंद्वात्मक नहीं, बल्कि सह-अस्तित्वात्मक और परस्पर समृद्धि प्रदान करने वाला है, जो हिन्दी भाषा को जीवंत, गतिशील और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

मुख्य शब्द—*प्रवास, प्रवासी, प्रवासी हिन्दी, आधुनिक हिन्दी, भाषा-संपर्क, बहुभाषिकता, सांस्कृतिक अस्मिता, वैश्वीकरण, प्रवासी साहित्य, डिजिटल माध्यम, भाषिक परिवर्तन, मानकीकरण इत्यादि।*

* गाँव-तुर्कलमद्दिकुंटा, ज़िलापेद्दपल्ली (तेलंगाना), ईमेल : naazima999@gmail.com, दूरभाष : 8008068882

Journal Starting Year-**2024**, Frequency- **Quarterly**, Subject- **Multidisciplinary**, Language-**Hindi & English**, Publishers- **Sushil Kumar Kushwaha**, Publishing Body- **G.H. Publication**, Prayagraj, U.P.-211003 (India), Email Id:- **ghpublication@gmail.com**, **Mob.: 9532481205, 9807520344**

1. प्रवासी : शब्दार्थ एवं परिभाषाएँ

'प्रवासी' शब्द 'प्रवास' से बना है, जिसका मूल अर्थ है- अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाकर रहना। भारतीय संदर्भ में प्रवास ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक कारणों से जुड़ा रहा है।

1. "जो व्यक्ति आजीविका, शिक्षा या राजनीतिक कारणों से अपनी जन्मभूमि से बाहर जाकर निवास करता है, वह प्रवासी कहलाता है।"[1]

2. "प्रवासी वह है जो नए भू-भाग में रहते हुए भी अपनी भाषा, संस्कृति और स्मृतियों से जुड़ा रहता है।"[2]

प्रवासी शब्द का अर्थ मूल रूप से उस व्यक्ति से है जो अपने जन्मस्थान या मूल निवास को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाकर बसता है। यह केवल भौगोलिक बदलाव नहीं है, बल्कि जीवन के विभिन्न आयामों- जैसे आर्थिक अवसर, शिक्षा, राजनीति या सामजिक परिस्थितियाँ- के प्रभाव का परिणाम भी होता है। एक ओर, प्रवासी वह व्यक्ति होता है जो अपने पेशे, अध्ययन या जीवनोपार्जन के कारण भी अपनी मातृभाषा, संस्कृति, परंपराओं और यादों से गहरे रूप से जुड़ा रहता है। इस प्रकार, प्रवासन केवल स्थान परिवर्तन से नहीं, बल्कि सांस्कृतिक निरंतरता से भी निर्मित होती है।

2. प्रवासी हिन्दी : अर्थ एवं परिभाषाएँ

प्रवासी हिन्दी वह भाषा-रूप है, जो भारत से बाहर उसे हिन्दी- भाषी समुदायों द्वारा प्रयुक्त होती है। यह हिन्दी स्थानीय भाषाओं, सामाजिक संरचनाओं और सांस्कृतिक परिवेश के प्रभाव से निरंतर परिवर्तित होती रहती है।

1. "विदेशों में प्रवासी भारतीयों द्वारा प्रयुक्त हिन्दी, जिसमें स्थानीय भाषाओं और संस्कृतियों का प्रभाव दिखाई देता है, प्रवासी हिन्दी कहलाती है।"[3]

2. "प्रवासी हिन्दी स्मृति और आधुनिक जीवन के बीच सेतु का कार्य करती है।"[4]

3. "प्रवास की स्थिति में विकसित हिन्दी का वह रूप, जो बहुभाषिक प्रभावों से समृद्ध हो, प्रवासी हिन्दी है।"[5]

प्रवासी हिन्दी वह विशेष भाषा-रूप है जो भारत से बाहर बसे हिन्दीभाषी समुदायों के बीच विकसित हुई है और जो नई सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई परिस्थितियों के प्रभाव में निरंतर बदलती रहती है। यह भाषा स्थानीय भाषाओं, रीति-रिवाजों और बाहरी संस्कृतियों के प्रभाव को आत्मसात करती है, जिससे इसका स्वरूप मूल हिन्दी से कुछ हद तक अलग होते हुए भी उसकी पहचान बनाए रखता है। प्रवासी हिन्दी केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि यह प्रवासी समुदाय की स्मृतियों, अनुभवों और आधुनिक जीवन के बीच एक सेतु का कार्य करती है, जो बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक प्रभावों से समृद्ध होकर अपनी विशिष्टता स्थापित करती हे। प्रवासी हिन्दी भाषा के जीवंत और अनुकूलनशील स्वरूप को दर्शाती है।

3. आधुनिक हिन्दी : अवधारणा और स्वरूप

आधुनिक हिन्दी की अवधारणा उस भाषा-रूप से जुड़ी है जो परंपरा और परिवर्तन के संतुलन के साथ समकालीन समाज की आवश्यकताओं को अभिव्यक्त करती है। इसका स्वरूप सामाजिक चेतना, वैज्ञानिक दृष्टि, लोकतांत्रक मूल्यों और तकनीकी विकास से प्रभावित दिखाई देता है, जहाँ भाषा केवल भावनाओं की नही, बल्कि विचारों और तर्कों की भी सशक्त माध्यम बनती है। आधुनिक हिन्दी में शब्दावली, वाक्य-रचना और अभिव्यक्ति शैली में सहजता, स्पष्टता और प्रयोगशीलता का समावेश है, जिससे यह शिक्षा, साहित्य, मीडिया और डिजिटल संचार के विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रूप से प्रयुक्त हो रही हैं।

"आधुनिक हिन्दी वह भाषा-रूप है, जो औपनिवेशिक काल के बाद विकसित होकर आज के वैज्ञानिक, तकनीकी और डिजिटल युग की आवश्यकताओं को पूरा कर रही है। इसमें मानक व्याकरण, सरल अभिव्यक्ति और नवीन शब्दावली का समावेश है। आधुनिक हिन्दी ने पत्रकारिता, शिक्षा, प्रशासन और मीडिया में व्यापक स्थान प्राप्त किया है।"[6]

इस प्रकार आधुनिक हिन्दी एक गतिशील और विकासशील भाषा के रूप में उभरती है, जो समय की माँग के अनुरूप स्वयं को निरंतर नया रूप देती रहती है।

4. प्रवासन और हिन्दी का वैश्विक विस्तार

प्रवासन और हिन्दी का वैश्विक विस्तार पर विचार करते हुए यह स्पष्ट होता है कि मानव के स्थानांतरण के साथ भाषा भी सीमाओं को लाँघती है। जब भारतीय समाज के लोग रोजगार, शिक्षा व्यापार या सांस्कृतिक कारणों से विदेशों में बसे, तो उन्होंने हिन्दी को केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि अपनी स्मृतियों, संवेदनाओं और

पहचान के रूप में साथ ले गए। प्रवासी समुदायों ने हिन्दी को नए सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में ढालते हुए अंतरराष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया, जहाँ यह अन्य भाषाओं से संवाद करती हुई अधिक समृद्ध बनी।

''प्रवासन की ऐतिहासिक प्रक्रिया ने हिन्दी को एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका तक पहुँचाया। मॉरीशस, फिजी और सूरीनाम जैसे देशों में हिन्दी ने सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आधुनिक काल में यह विस्तार शिक्षा, तकनीक और संचार माध्यमों से और सशक्त हुआ है।''[7]

विदेशों में स्थापित हिन्दी साहित्य, पत्र-पत्रिकाएँ, रेडियो कार्यक्रम, डिजिटल मंच और सांस्कृतिक आयोजन इस बात के प्रमाण है कि प्रवासन ने हिन्दी को वैश्विक मंच प्रदान किया है। इस प्रक्रिया में हिन्दी ने स्थानीय शब्दों और अनुभवों को आत्मसात किया, जिससे उसका रूप अधिक व्यापका, लचीला और समकालीन हुआ। इस प्रकार प्रवासन न केवल हिन्दी के विस्तार का साधन बना, बल्कि उसे वैश्विक चेतना से जोड़ने वाली एक सशक्त कड़ी भी सिद्ध हुआ।

5. प्रवासी हिन्दी पर स्थानीय भाषाओं का प्रभाव

प्रवासी हिन्दी पर स्थानीय भज्ञषओं का प्रभाव एक स्वाभाविक और राचनात्मक भाषिक प्रक्रिया के रूप में सामने आता है। जब हिन्दी भाषी समुदाय किसी नए देश या क्षेत्र में बसता है, तो वहाँ की स्थानीय भाषा के शब्द, उच्चारण, वाक्य-रचना और भाव-भंगिमा धीरे-धीरे उनकी हिन्दी में घुलने लगती है। परिणामस्वरूप प्रवासी हिन्दी एक मिश्रित भाषिक स्वरूप ग्रहण करती है, जिसमें मूल हिन्दी की संरचना बनी रहती है, पर अभिव्यक्ति में स्थानीय संस्कृतियों की छाया स्पष्ट दिखाई देती है। यह प्रभाव केवल बोलचाल तक सीमित नहीं रहता, बल्कि प्रवासी साहित्य, गीत, कहानियों और नाटकों में भी उभरकर आता है।

''प्रवासी हिन्दी स्थानीय भाषाओं के संपर्क में आकर शब्दावली, उच्चारण और वाक्य-रचना में परिवर्तन ग्रहण करती है। अंग्रेज़ी-प्रभावित हिन्दी में संकर शब्दों का प्रयोग सामान्य हो गया है। यह प्रभाव भाषा को समृद्ध बनाता है, न कि कमजोर।''[8]

स्थानीय भाषाओं से संवाद करते हुए प्रवासी हिन्दी अधिक लचीली, व्यावहारिक और संवेदनशील बनती है, जिससे वह नए समाज की वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से अभिव्यक्त कर पाती है। इस प्रकार स्थानीय भाषाओं का प्रभाव प्रवासी हिन्दी को कमजोर नहीं करता, बल्कि उसे नए अर्थ, अनुभव और वैश्विक आयाम प्रदान करता है।

6. प्रवासी हिन्दी साहित्य का स्वरूप और प्रवृत्तियाँ

प्रवासी हिन्दी साहित्य का स्वरूप बहुआयामी अनुभवों और सांस्कृतिक द्वंद्वों से निर्मित होता है, जिसमें देश से दूर रहने की पीड़ा और नए परिवेश से जुड़ने की आकांखा साथ-साथ अभिव्यक्त होती है। इस साहित्य में स्मृति, जड़े, पहचान, विस्थापन और आत्मसंघर्ष जैसे विषय प्रमुखता से उभरते हैं, जो प्रवासी जीवन की वास्तविकताओं को गहराई से रेखांकित करते हैं। इसकी प्रवृत्तियों में आत्मकथात्मकता, सांस्कृतिक तुलना, भाषिक प्रयोग और वैश्विक चेतना का समावेश स्पष्ट दिखाई देता है।

''प्रवासी हिन्दी साहित्य में विस्थापन, सांस्कृतिक द्वंद्व, स्मृति और पहचान जैसे विषय प्रमुख है। आत्मकथाएँ, कविताएँ और उपन्यास प्रवासी जीवन की जटिलताओं को अभिव्यक्त करते हैं। यह साहित्य आधुनिक हिन्दी साहित्य को नई दृष्टि प्रदान करता है।''[9]

प्रवासी लेखक हिन्दी को नए सामाजिक संदर्भों में प्रयोग करते हुए उसे अधिक व्यापक और समाकलीन बनाते हैं, जहँ स्थानीय अनुभवों और वैश्विक दृष्टि का संतुलन स्थापित होता है। इस प्रकार प्रवासी हिन्दी साहित्य न केवल भावनात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम बनता है, बल्कि बदलते समय में हिन्दी साहित्य को नई दिशा और विस्तार भी प्रदान करता है।

7. मीडिया, तकनीक और प्रवासी हिन्दी

मीडिया और तकनीक ने प्रवासी हिन्दी को भौगोलिक सीमाओं से मुक्त कर एक वैश्विक संचार भाषा के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, ऑनलाइन समाचार पोर्टल, पॉडकास्ट और वीडियो चैनलों के माध्यम से प्रवासी हिन्दी भाषी समुदाय अपनी भाषा, संस्कृति और संवेदनाओं को निरंतर साझा कर रहा है। तकनीक ने न केवल हिन्दी के प्रयोग को सहज और त्वरित बनाया है, बल्कि प्रवासी अनुभवों को अभिव्यक्त करने के नए रूप और शैलियाँ भी विकसित की हैं।

''डिजिटल युग में सोशल मीडिया, ऑनलाइन पत्रिकाएँ

और वेब-पोर्टल प्रवासी हिन्दी के विकास में सहायक बने हैं। इन माध्यमों ने प्रवासी हिन्दी को वैश्विक संवाद का सशक्त मंच प्रदान किया है।''[10]

इस प्रक्रिया में प्रवासी हिन्दी अधिक संवादात्मक, आधुनिक और बहुभाषिक होती जा रही है, जहाँ स्थानीय और वैश्विक संदर्भ एक साथ उपस्थित रहते हैं। इस प्रकार मीडिया और तकनीक प्रवासी हिन्दी के संरक्षण, विस्तार और नवाचार के सशक्त माध्यम बनकर उभरे।

8. आधुनिक हिन्दी और प्रवासी हिन्दी का अंतर्संबंध

आधुनिक हिन्दी और प्रवासी हिन्दी का अंतर्संबंध निरंतर संवाद और पारस्परिक प्रभाव पर आधारित है। आधुनिक हिन्दी जहाँ समकालीन सामाजिक, राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तनों से आकार ग्रहण करती है, वही प्रवासी हिन्दी इन परिवर्तनों को वैश्विक अनुभवों और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के साथ जोड़ती है। प्रवासी हिन्दी में प्रयुक्त नए शब्द, अभिव्यक्ति-शैली और संवेदनाएँ आधुनिक हिन्दी को अधिक व्यापक और अंतरराष्ट्रीय दृष्अि प्रदान करती हैं,

''आधुनिक हिन्दी और प्रवासी हिन्दी एक-दूसरे की पूरक हैं। आधुनिक हिन्दी मानक और शब्द-संसाधन प्रदान करती है, जबकि प्रवासी हिन्दी आधुनिक हिन्दी का वैश्विक चेतना से समृद्ध करती है।''[11]

जबकि आधुनिक हिन्दी प्रवासी लेखन को भाषिक स्थिरता और साहित्यिक आधार देती है। दोनों के बीच यह संबंध हिन्दी को एक जीवंत, गतिशीली और समयानुकूल भाषा बनाए रखता है। इस प्रकार आधुनिक हिन्दी और प्रवासी हिन्दी एक-दूसरे को समृद्ध करते हुए हिन्दी के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं ।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः प्रवासी हिन्दी और आधुनिक हिन्दी दोनों मिलकर हिन्दी भाषा के विस्तृत, जीवंत और समकालीन स्वरूप को आकार देती हैं। प्रवासी हिन्दी जहाँ वैश्विक अनुभवों, सांस्कृतिक विविधता और विस्थापन की संवेदनाओं को अभिव्यक्त करती है, वहीं आधुनिक हिन्दी बदलते सामाजिक ढाँचों, तकनीकी विकास और नई वैचारिक चेतना का प्रतिनिधित्व करती हैं। दोनों के पारस्परिक संपर्क से हिन्दी की अभिव्यक्ति अधिक समृद्ध, लचीली और व्यापक होती है, जो उसे केवल एक राष्ट्रीय भाषा तक सीमित न रखकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित करती है। इस अंतर्संबंध ने हिन्दी को नई चुनौतियों के अनुरूप ढलने की क्षमता प्रदान की है और उसके साहित्य, मीडिया तथा संचार माध्यमों को नई दिशा दी है। अतः प्रवासी हिन्दी और आधुनिक हिन्दी का समन्वय हिन्दी भाषा के निरंतर विकास और वैश्विक पहचान का सशक्त आधार सिद्ध होता है। प्रवासी हिन्दी और आधुनिक हिन्दी का संबंध द्वंद्वात्मक नहीं, बल्कि सह-अस्तित्वात्मक है। दोनों के समन्वय से हिन्दी भाषा का भविष्य अधिक व्यापक, सशक्त और वैश्विक बनता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. डॉ. रामचंद्र वर्मा, समाजशास्त्र की मूल अवधारणाएँ, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2012, पृ. 45
2. एंथनीगिडेन्स, समाजशास्त्र, हिंदी अनुवाद, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2009, पृ. 112
3. डॉ. कमलेश्वर, प्रवासी हिन्दी : स्वरूप और संवेदना, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2015, पृ. 22
4. डॉ. प्रभाकर श्रोत्रिय, प्रवासी साहित्य की भूमिका, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली 2014, पृ. 39
5. डॉ. सुरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रवासी विमर्श और हिन्दी, लोकभारती प्रकाशन, प्रयागराज 2018, पृ. 56
6. डॉ. नामवर सिंह, आधुनिक हिन्दी की प्रवृत्तियाँ, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2005, पृ. 18
7. डॉ. यशपाल, हिन्दी का वैश्विक परिदृश्य, साहित्य अकादमी, नई दिल्ली, 2010, पृ. 67
8. डॉ. उदय नारायण तिवारी, भाषा-संपर्क और हिन्दी, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, 2008, पृ. 91
9. डॉ. कमल किशोर गोयनका, प्रवासी हिन्दी साहित्य, साहितय अकादमी, नई दिल्ली, 2016, पृ. 118
10. डॉ. संजीव कुमार, डिजिटल युग में हिन्दी, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, 2020, पृ. 74
11. डॉ. हरिमोनहन, हिन्दी भाषा : वैश्विक संदर्भ, किताबघर प्रकाशन, नई दिल्ली, 2019, पृ. 102

SHODH-GARIMA–YEAR-3, VOL. 3 (July to Sept., 2026)
A Peer-Reviewed & Referred
International Multidisciplinary
Research Journal

ISSN (Print) : 3048-6327

IMPACT-FACTOR
SJIF - 6.852

DOI : 10.5281/zenodo.23176360

Paper Received : 15th July 2026 Paper Accepted : 20th July 2026

आलोचक अशोक कुमार 'मंगलेश' की समीक्षात्मक-दृष्टि

□ नवनाथ महादेव पवार*
□ डॉ. कृष्णाल आनंदराव पाटील**

शोध-सारांश

डॉ. अशोक कुमार 'मंगलेश' की समीक्षा अनुसन्धात्मक और समाजवादी जीवन दृष्टि एवं नवोन्मेषी के भावमय समन्वय पर आधारित है। इसी कारण उन्हें एक ओर जहाँ प्रगतिवादी आलोचक के रूप में रखा जा सकता है तो वहीं दूसरी ओर उनको गये आलोचकों की श्रेणी में भी रखा जाता है। अपने पूर्ववर्ती आलोचकों से उनकी पृथकता यह है कि उन्होंने साहित्य की किसी एक विधा के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रूख नही अपनाया, बल्कि वह अलग-अलग विधाओं में रचित रचनाओं को अपनी समीक्षा में रखते हैं।

डॉ. अशोक कुमार 'मंगलेश' के समीक्षात्मक योगदान ने हिंदी आलोचना को नए आयाम दिए हैं। उन्होंने समीक्षा को केवल रचनाओं की व्याख्या और मूल्यांकन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे साहित्य, समाज और संस्कृति के बीच संबंधों को समझने का एक महत्वपूर्ण साधन बनाया है। वे हिंदी साहित्य के इतिहास में एक युगांतकारी व्यक्तित्व हैं उनकी समीक्षा दृष्टि ने हिंदी साहित्य की समझ को बदल दिया और आलोचनात्मक विमर्श को नई दिशा दी है। निश्चय ही वह हिंदी साहित्य के अध्येता और प्रेमी के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेंगे।

मुख्य शब्द—*'मंगलेश' की समीक्षा अनुसन्धात्मक और समाजवादी जीवन दृष्टि एवं नवोन्मेषी के भावमय समन्वय।*

डॉ. विजय कुमार वेदालंकार लिखते है, "सुधी समीक्षक डॉ. 'मंगलेश' की दृष्टि में रचनाकार अपने समय की उपज है। वह अपने युग से अलग कदापि नहीं रह सकता है। कवि के रचना-शिल्प में युग बोध की संवेदना कहीं-न-कहीं, किसी-न-किसी रूप में अवश्य मिलती है। इसी से उदात्त काव्य कालजयी होता है।"[1]

डॉ. अशोक कुमार 'मंगलेश' का समीक्षा साहित्य

काव्य पर्यालोचन—डॉ. अशोक कुमार 'मंगलेश' की यह प्रथम आलोचना कृति है। इस समयावधि में जहाँ रचनाकार खेमों में बंटे हुए हैं, ऐसे में डॉ. मंगलेश ने खेमों से ऊपर उङ्कर अनेकाधिक रचनाकारों की रचनाओं को अपनी समीक्षा में रखा। एक ओर विद्वानों को ऐसी पुस्तकें हजम नहीं हो रही थी, फिर भी कुछ विद्वानों की सराहना और समर्थन भी प्राप्त हो रहा था। डॉ. 'मंगलेश' ने 'काव्य पर्यालोचन' पुस्तक के लिए 35 काव्य कृतियों की समीक्षा करते हुए उन्होंने इस पुस्तक में समाहित किया है। डॉ.

* शोधार्थी, शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर (महाराष्ट्र)
** शोध-निर्देशक, शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर (महाराष्ट्र)

'मंगलेश' का इस सन्दर्भ में कथन है कि, ''यह कृति निर्णीत रूप में आलेचना का नवाचार एवं परिष्कृत व कलात्मक परिष्कृत स्वरूप है। नवाचार शैली की सर्जनात्मकता एवं स्वस्थता भी इस कृति में महत्तवपूर्ण है।''[2]

डॉ. विजय कुमार वेदालंकार लिखते हैं, ''बहुमुखी प्रतिभा के धनी, प्रखर आलोचक विद्वान डॉ. अशोक कुमार 'मंगलेश' ने जीवन की समसामयिक समस्याओं को उजागर करने का प्रयास किया है। विद्वान लेखक की सहज स्वीकृति है कि परिवेश से ली गई अनुभूतियाँ ही कवि की काव्यगत संवेदनाएँ अथवा कथ्यगत विशेषताएँ बनती हैं जो शिल्प-विधान से सजती-सँवरती हैं। बौद्धिक-विलास में निमग्न डॉ. 'मंगलेश' ने काव्य-कृतियों के प्रकृत विषय के प्रतिमानों को अभिव्यक्ति दी है। इसमें मानवता, प्रकृति, सामाजिकता और सर्जनात्मकता के अंतः सूत्र सुगुंफित हैं।''[3]

सृजन और समीक्षा—इस पुस्तक में डॉ. 'मंगलेश' द्वारा काव्य-समीक्षा के अतिरिक्त सामान्यतः गद्य साहित्यिक मूल्यों को स्पष्ट करने का प्रयास भी किया गया है। इस कृति की समीक्षाओं में व्यापकता एवं गहनता से मूल्यांकन एवं सामान्य विचारों को व्याख्यिक करने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही समीक्षाओं में अनुसंधात्मक दृष्टिकोण के आधार पर हिन्दी साहित्य के इतिहास को पुनर्व्यवस्थित किया गया है। 'मंगलेश' के कथानुसार, ''विभिन्न लेखकों एवं कृतियों द्वारा इन 32 समीक्षाओं के माध्यम से मूल्यांकनपरक आलोचना एवं साहित्यिक इतिहास के मध्य सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास किया गया है।''[4]

आगे डॉ. 'मंगलेश' लिखते हैं, ''सृजन और समीक्षा के अंतः सम्बन्ध को लेकर उमड़ने वाले अनेक प्रश्न हमारे लिए चुनौती बन गए हैं। इसका स्पष्ट कारण है कि आज भी हम ऐसे कुछ पुराने प्रश्नों में उलझे हैं कि आलोचना अथवा रचना आलोचना का मार्ग प्रशस्त करती है कि आलोचना रचना का। इस चुनौती का सामना हम तभी कर सकते हैं जब हम इससे दो कदम आगे बढ़े, रचना और आलोचना के संदर्भ में दिल और मस्तिष्क के रिश्तों की बात करें या रचना का संबंध कारयित्री प्रतिभा से और समीक्षा का संबंध भावयित्री प्रतिभा से स्थापित करने में मरूस्थल और मरूद्यान के कुलाबे मिलाने का संघर्ष करें।''[5]

देवदत्त देव जी पुस्तक 'सृजन और समीक्षा' की भूमिका में लिखते हैं, ''सृजन और समीक्षा' पुस्तक का आद्योपांत अध्ययन करने के पश्चात मैं निसंकोच कह सकता हूँ, कि समीक्षक ने केवल पुस्तकों की जानकारी भर ही नहीं दी, अपितु पुस्तकों के अध्ययन, मनन और चिंतन के उपरांत आत्मसातु कर निष्ठा एवं ईमानदारी से पुस्तकों की समीक्षा का कार्य किया है। आलोच्य पुस्तक में वर्णित विभिन्न पहलुओं से प्रतीत होता है कि मंगलेश जी को साहित्यिक ज्ञान और साहित्य के प्रति रूचि होने के साथ-साथ उन्हें हिन्दी साहित्य की परंपरागत प्रवृत्तियों, साहित्य के तमाम मौजूदा स्वरूपों, आंदोलनों और समकालीन साहित्य में क्या-क्या नई अवधारणाएँ स्थापित हो रही हैं तथा क्या कुछ नया लिखा जा रहा है आदि का संपूर्ण बोध है।''[6]

साहित्य सृजन और साहित्यालोचन—इस आलोच्य कृति के माध्यम से भी डॉ. 'मंगलेश' ने उपेक्षित तथा समीक्षा को साहित्यिक समीक्षा के स्तर पर पहुँचाने का प्रयास किया गया है। 'साहित्य सृजन और साहित्यलोचन' पुस्तक में दर्ज कविता, कहानी, गजल, लघुकथा, व्यंग्य, हाइकु, आलोचना, महाकाव्य, खण्डकाव्य तथा छंद विवेचना आदि की विभिन्न कृतियों की सारगर्भित एवं नीर-क्षीर विवक्षणा उनकी तीक्ष्ण- सूक्ष्म साहित्यिक दृष्टि को प्रमाणित करती है। डॉ. 'मंगलेश' ने अपने प्राक्कथन में 'साहित्य सृजन और साहित्यालोचना के पारस्परिक सम्बन्ध' शीर्षस्थ आलेख में सृजन और समालोचना को लेकर गम्भीर मंत्रणा प्रस्तुत की है जो शोधार्थियों के लिए अति उपादेय है। निश्चय ही, डॉ. मंगलेश' ने आलोचना साहित्य की गौरवशाली परंपराओं, अवधारणाओं का अनुसंधान करते हुए नवीन आलोचना दृष्अि का विकास किया है। डॉ. 'मंगलेश' समीक्षा-कर्म को 'संतुलन-सेतु रूप में मरूद्यान' मानते हैं जो प्रासंगिक एवं सार्थक है।

हिंदी आलोचना के विविध प्रतिमान—इसमें हिंदी साहित्य के निमित्त कविता, कहानी, उपन्यास, संस्मरण तथा अनुवाद सन्दर्भ में काव्य- मूल्यों सम्बन्धी आलोचना के प्रश्नों पर दृष्टिपात किया गया है। हिंदी में आलोचना के आभ्यंतर व बहिर्लक्षी अनेक प्रतिमान हैं।

प्रो. बाबूराम लिखते हैं, ''प्रकृत आलोच्य पुस्तक कृति केंद्रित समीक्षा- दृष्टि के बावजूद इसमें कलागत शास्त्रीयता, समाजशास्त्रीयता, तत्त्वान्मेषी- दृष्टि, पारंपरिक मानदंड के

साथ-साथ समकालीन आलोचना की पड़ताल आदि के गुण इन समीक्षओं को विशिष्ट बनाते हैं विभिन्न विधाओं की दृष्टि से भी इस कृति का स्वरूप बहुआयामी है। अतः डॉ. 'मंगलेश' की आलोचना दृष्टि रचना के विस्तार रूप में सामने आती है। इन समीक्षाओं में भाषा की गद्य-पद्य लय का भी अपना आस्वाद है। समग्रतः विभिन्न कृतियों के अंतरंग को उजाकर करती यह समीक्ष्य-कृति डॉ. मंगलेश की समीक्षा-दृष्अि को व्यापक एवं नवोन्मेषी करार देती है।''[7] डॉ. विजयदत्त शर्मा लिखते हैं, ''डॉ. मंगलेश' ने एक पुस्तक में हिंदी साहित्य के विविध पक्षों को भिन्न-भिन्न पृष्ठभूमि में उद्घाटित किया है, वह समीक्षा की एक नूतन दृष्टि ही नहीं, अपितु वह 'गागर में सागर' की शक्ति से परिपूर्ण है। इस लेख-संग्रह में लेखों की विविध आभासिता, गहनता, व्यापकता, साहित्यिकता, साहित्येतरता, अखिल भारतीय जैसी विशेषताएँ ही नहीं, बल्कि विलक्षणताओं के साथ डॉ. 'मंगलेश' की चिन्तन शक्ति की विविधता, सार्थकता, बहुआयामिता के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। हिंदी समीक्षालोक में इसे एक नूतन एवं उपयोगी प्रयोग कहना नितान्त उचित होगा।''[8]

साहित्य पर्यालोचनः इस पुस्तक में भी अनेक रचनाकारों के व्यक्तित्व के साथ उनकी विभिन्न कृतियों में जीवन-मूल्यों एवं दृष्टियों की समीक्षा समाहित की गई हैं, इसमें विभिन्न लेखकों की विधागत अनेक रचनाओं अथवा कृतियों पर शोधात्मक कार्य किया है।

''आधुनिक परिवेश के इस भौतिकवादी दौर में साहित्य-साधना एक दिवा स्वप्न बनकर रह गई है। हर तरफ भौतिक उपलब्धियों का शोर है, साहित्य-साधना के लिए आवश्यक शांति व समय उपलब्ध नहीं है। साहित्य में आलोचना विधा में काम करना और भी दुःसाध्य कार्य है। परिणामस्वरूप अधिकतर बिना साधना व मनन-चिंतन के लिखा गया साहित्य ही परोस रहे हैं जिस पर टिप्पणी करना अति कठिन है। परन्तु डॉ. अशोक कुमार 'मंगलेश' ने अपना समालोचना का कार्य बड़ी सतर्कता एवं निपुणता से किया है। अलग-अलग साहित्यिक विषयों की समालोचना पद्धति भी अलग-अलग होती है, इस मापदंड पर डॉ. 'मंगलेश' खरे उतरते हैं।'[9]

डॉ. अशोक कुमार 'मंगलेश' की समीक्षा-दृष्टि

डॉ. अशोक कुमार 'मंगलेश' हिंदी साहित्य के विलक्षण प्रतिभा के साहित्यलोचक हैं जिन्होंने अपनी समीक्षात्मक दृष्अि से हिंदी साहितय में नवोन्मेषी बदलाव एवं नव-प्रयोग प्रस्तुत किए हैं। वे एक विख्यात विद्वान, आलोचक, अनुवादविद, संपादक और कवि हैं जिन्होंने हिंदी साहितय के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया है। आलोचना के परिप्रेक्ष्य में अक्सर वाद-प्रतिवाद होते रहते हैं। लेकिन डॉ. 'मंगलेश' कृत ''हिंदी आलोचना के विविध प्रतिमान'' में विविधागामी कृतियों की समीक्षाएँ नई राह बनाती हुई, नए-नए प्रतिमान गढ़ती हैं। डॉ. अशोक कुमार 'मंगलेश' आलोचना के परम्परावादी एवं आधुनिकता के समन्वयवादी परिप्रेक्ष्य की केंद्रीयता के पक्षधर हैं इसलिए वे रचना के आभ्यंतर पक्ष के रेशे-रेशे को खोलते हैं और आधुनिक आलोचना के विविध प्रतिमानों को रचते हैं। रचना अथवा कृति केंद्रित उनकी समीक्षा-दृष्अि न केवल रचना की समझ का परिप्रोक्ष्य विकसित करती है, बल्कि रचना के भीतर आए यथार्थ व बदलावों को भी रेखांकित करते हुए रचना को नवोन्मेष एवं श्रेष्ठ बनाती है।

विनोद कुमार आचार्य लिखते हैं, ''आलोचना या समीक्षा साहित्य की ऐसी विधा है जिसमें किसी साहित्यिक रचना या कृति का विभिन्न मापदंडों पर मूल्यांकन-विश्लेषण का कार्य किया जाता है। सरल-सी दिखने वाली है यह विधा बहुत दुसाध्य एवं दुष्कर होती है। इसमें साहित्यकार को कृति को न केवल आत्मसात करना होता है अपितु तात्कालिक साहित्य सृजन के परिदृश्य के प्रति भी सचेत रहना होता है। समीक्षा के इस कर्म में डॉ. अशो कुमार 'मंगलेश' की 'साहित्य सृजन और साहित्यलोचन' कृति के अध्ययन उपरांत यह स्वयं सत्यापित हो जाता है। कि डॉ. 'मंगलेश' एक सच्च समीक्षक एवं आलोचक हैं, जो सदैव सत्य का मंडन और असत्य का शोधन करते हैं।''[10]

डॉ, 'मंगलेश' की आलोचना दृष्टि में निम्नलिखित बिन्दु दृष्टिगोचर होते हैं-

तुलनात्मक दृष्टिः डॉ. अशोक कुमार 'मंगलेश' ने प्राचीन एवं आधुनिक आलोचना सिद्धान्तों पर समान दृष्टिकोण अपनाते हुए अपने सिद्धान्तों को स्थापित किया है। आलोचना संदर्भ में डॉ. नगेंद्र का कथन है, ''आधुनिक

काल में किन्हीं कारणों से यह परम्परा टूट गई तथा काव्य-भाषा का विश्लेषण काव्य के मूल्यांकन पर आधारित न रहकर भाव-विवेचन के पश्चात् कला-विवेचन के रूप में पीछे से जोड़ दिया जाने वाला एक गौण कार्य बन गया। नई कविता के प्रादुर्भाव के साथ जब पुनः कविता की रचना में 'वामर्थ प्रतिप्रति' को स्थापित किया गया तो स्वाभाविक रूप से काव्य-समीक्षा में भी उसका प्रतिफलन परिलक्षित होने लगा तथा पूर्ववर्ती आलोचना के दोष समाप्त करते हुए काव्य-भाषा को पुनर्मूल्यांकन के मूलाधार के रूप में प्रतिष्ठित करने हेतु प्रयत्न प्रारम्भ हुए।''[11]

काव्य भाषा एवं शिल्पगत दृष्टि—डॉ. अशोक कुमार 'मंगलेश' की यह मान्यता है कि ''यदि भाषा कवि के अनुभव एवं ज्ञान का साधन है तो कविता की भाषा एवं भावों का विश्लेषण कर उसकी अनुभव शक्ति का आंकलन आलोच्य-दृष्टि से किया जाता है। किंतु वर्तमान में इस स्पष्टीकरण के लिए कोई स्थान नहीं है। कि कवि का अनुभव तो बहुत है, परंतु भाषा की असमर्थता के कारण अपनी बात को पूर्णतः व्यक्त कर पाने में असमर्थ ही पाया जाता है।''

डॉ. 'मंगलेश' की मान्यता है, ''काव्य में रचना-पद्धति की कोई निश्चित प्रक्रिया नहीं है। यह कवि की रूचि, प्रतिभा और दृष्टिकोण तथा विषय की विविधता के अनुसार बदलती रहती है। परिणामस्वरूप शिल्प के क्षेत्र में नव-प्रयोग स्वतः होते रहते हैं इसी से शिल्प प्रवहमान जल की भाँति गतिशील है।''[12]

प्रबुद्ध आलोचक डॉ. 'मंगलेश' के अनुसार, ''भाषा में शब्द की दो प्रकार की गति होती है एक साधारण दूसरी नर्तन। साधारण गति गद्य में और नर्तन गति काव्य में। शील कौशिक के काव्य में शब्द की यही नर्तन गति प्रयुक्त हुई है। इससे उनकी काव्य-भाषा विशिष्ट लोक का सृजन करती है। इस दृष्टि में शील कौशिक का काव्य वस्तुतः विशिष्टता से युक्त होकर शिल्पगत दृष्टि से भी उच्च कोटि का है।''[13]

तीक्ष्ण आलोचकः गहन चिन्तन-मनन एवं अध्ययनशीलता के कारण डॉ. अशोक कुमार 'मंगलेश' ने इतनी क्षमता विकसित की है। कि वे नीर-क्षीर-विवेक के साथ तीक्ष्ण प्रहार करने का सामर्थ्य रखते हैं इसके अतिरिक्त उनके स्वयं के मौलिक विचार और चिंतन भी इसमें सहायक हैं कृतियों के कवियों/लेखकों, आलोचकों एवं अन्य चिंतकों की आलोचना करते समय उनकी कलम प्रायः तलवार की पैनी धार पर चलने के समान तथा स्वर तीक्ष्ण हो उठता है।

अनुसन्धान की प्रवृत्ति—डॉ. अशोक कुमार 'मंगलेश' उच्चकोटि के समीक्षक होने के साथ-साथ कुशल आलोचक भी हैं आलोचना के क्षेत्र में उनकी अनुसन्धात्मक समीक्षाएँ हिंदी आलोचना जगत में उनका पर्याप्त अवदान है। इस क्षेत्र में उनका दृष्टिकोण यथार्थवादी तथा समाजवादी होने के साथ शोधपरक है। गहनतापूर्ण चिन्तन-मनन करने के उपरानत परिपूर्ण विश्लेषण करके मौलिक तथ्य प्रस्तुत करने में डॉ. 'मंगलेश' की सर्वमान्य महत्ता है।

साहित्य आलोचक डॉ. आरती लोकेश' एक पुस्तक की फ्लैट टिप्पणी में लिखती है, ''एक उत्कृष्ट जौहरी की भाँति डॉ. 'मंगलेश' हीरे जैसे साहितय को तुरंत परख लेते हैं और उनकी आंतरिक ऊर्जा से स्वचालित कलम उस हीरे को तराशने के गंतव्य को निकल पड़ती है। हरियाण साहित्य आकादमी से 'श्रेष्ठ महिला रचनाकार' सम्मान से सम्मानित सुश्री शील कौशिक का काव्य ऐसा नगीना है जिसकी सबसे कमनीय खूबियों को डॉ. 'मंगलेश' ने अपनी कुशल छैनी से प्रकट किया है।''[14]

सांगोपांग विवेचन—डॉ. अशोक कुमार 'मंगलेश' की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वे विषय पर पूर्ण चिंतन-मनन करते है। डॉ. 'मंगलेश' कृति के विषय के किसी भी पक्ष को छोड़ते नहीं है, बल्कि सभी दृष्टियों से उस पर विचार करते हैं । डॉ. मंगलेश लिखते हैं, ''सामान्यतः अभिव्यक्ति सत्ता के बाह्य प्रकाशन की व्यापकतम संज्ञा है। काव्य में यह व्यापकता भाषा, अलंकार और छंद जिसे हम क्रमशः काव्य की वेशभूषा, सज्जा-सामग्री और गति कह सकते हैं और जो काव्य की समग्र सीमाओं को घेरे हुए हैं। अतः जब तक अभिव्यंजना (शिल्पगत रूप) के सूक्ष्म प्रसाधनों का कौशलपूर्वक प्रयोग न हो तब तक वस्तु का मार्मिक व पूर्ण अंतः साक्षात्कार संभव नहीं है। स्पष्ट हे कि अभिव्यंजना साधन मात्र है।''[15]

'काव्य पर्यालोचन', 'सृजन और समीक्षा' तथा 'हिंदी आलोचना के विविध प्रतिमान' नामक कृतियों में सांगोपांग विवेचना के उदाहरण स्पष्ट रूप में परिलक्षित होते हैं।

विद्वत्ता की छाप—डॉ. अशोक कुमार 'मंगलेश' एक मननशील एवं अध्ययनशील मनीषी हैं। उनकी आलोचना कृतियों में इस प्रकार के प्रमाण स्पष्ट रूप में प्राप्त होते हैं। प्रसिद्ध भारतीय एवं पाश्चात्य चिन्तकों के सिद्धान्तों के आधार पर विवेचन करना तो अनेक आलोचकों की विशेषता रही है, लेकिन अप्रचलित, अल्प प्रचलित मनीषियों सिद्धान्तों को उल्लेखित करना डॉ. 'मंगलेश' की विद्वता के प्रत्यक्ष रूप में प्रमाणित समीक्षाएँ हैं। उनकी पुस्तकों की भूमिका, समीक्षा अथवा दो शब्द लिखने वाले विद्वानों एवं साहित्यकारों- डॉ. सारस्वत मोहन 'मनीषी, प्रो. बाबूराम, प्रो. नरेश मिश्र, प्रो. पूरनचंद टण्डन, डॉ. मुक्ता, डॉ. दिग्विजय कुमार शर्मा, डॉ. जयभगवान शर्मा, डॉ. सुमन राठी, डॉ. संजय चोपड़े आदि कि टिप्पणियां इस बात की पुष्टि करती है। डॉ. जयभगवान शर्मा का मानना है कि डॉ. 'मंगलेश' वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आलोचना एवं अनुवाद शैली के सम्भवतः अनन्त साहित्य-साधक तथा सशक्त हस्ताक्षर हैं। इतनी सद्यः प्रकाशित अद्वितीय कृति 'सृजन और समीक्षा' में तीस समीक्षाएँ निबद्ध है, जिनमें लोक, लोक संस्कृति, साहित्यिक नवाचारी अनुभव, सघन शोधन, सामाजिक विसंगतियाँ व विद्रूपताएँ, लोकाचार, समसामयिक विषय, हरियाणवी साहित्य की अद्यतन विधा लघु कविता, छन्द शास्त्रीय व अनुवादित अध्ययन आदि बिन्दुओं पर आधृत विषयों का आलोडन एवं विश्लेषण करते हुए अनुपमन रचनाधमिता को प्रतिष्ठित करने का सटीक प्रयास किया गया है। भारतेन्दु युग से लेकर अद्य प्रभृति आलोचना के स्वरूप का डॉ. 'मंगलेश' ने आद्योपान्त दिग्दर्शन प्रकृत पुस्तक में कराया है, जो श्लाघनीय है। ऐसे सुधी रचनाकार तथा पक्षपात रहित आलोचक/समीक्षक डॉ. अशोक कुमार 'मंगलेश' विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व है।''[16]

नवोन्मेषी एवं प्रयोगधर्मिता दृष्टि—काव्य को नयी परिपाटियों पर परिभाषित करते हुए, शील कौशिक की कविताओं को, उनके व्यक्तित्व व दृष्टि की तारतम्यता में संजोते हुए उनके रचना-धर्म को साहित्यकार के निकष पर कसकर एक अभूतपूर्व रोचक निचोड़ प्रस्तुत किया है डॉ. 'मंगलेश' ने। काव्यधर्मिता के किसी पहलू को अछूता नहीं छोड़ा गया है इस शोध-पुस्तक 'शील कौशिक का काव्यः संवेदना और शिल्पबोध' में जो हिंदी साहित्य के शोध कर्म में मीन का पत्थर सिद्ध होगी।

आलोचक बी.एल.आच्छा लिखते हैं, ''सृजन का स्वातंत्र्य भी अपने नेपथ्य में बहुत कुछ समाए रखता है। इसलिए आलोचना भी गहरी पड़ताल की अपेक्षा रखती है। अपने समय और परम्परा के अंतविरोधों को रूपाकृति देते समय रचनाकार की भाव-लिपि और शब्द लिपि का संघर्ष सहज नहीं होता। ऐसे ही आलोचक भी गहरे विश्लेषण-संश्लेषण से रचना का पुनसृजन करता है। डॉ. अशोक कुमार 'मंगलेश' ने भी अनेक कृतियों का बहुआयामी साक्षात्कार किया है। सृजन की अंतर्वस्तु और कलात्मक प्रयोगशीलता की पड़ताल भी कृति-केन्द्रित है।''[17]

वैज्ञानिक दृष्टिः हिंदी साहित्य जगत में आलोचना एक सशक्त विधा है। नीर-क्षीर विवेक की गुणवत्ता के साथ सृजनात्मकता में वैज्ञानिकता का होना लाजिमी है। सृजन की अंतर्वस्तु और कलात्मक तथा तयिपरक, यथार्थवादी कथ्यात्मक, नवोन्मेषी प्रयोगशीला डॉ. मंगलेश की वैज्ञानिक समीक्षा की विशेषताएँ हैं। सत्यवीर नाहड़िया लिखते हैं, ''मैं पुस्तक 'सृजन और समीक्षा' की अनूठी साधना हेतु समय के अध्येता तथा प्रखर शब्द साधक डॉ. 'मंगलेश' जी में समीक्षा-कर्म का एक नवाचारी सहृदय संवाहक देखते हुए बधाई एवं साधुवाद देता हूँ।''[18]

डॉ. आरी 'लोकेश' लिखती है, ''जिस प्रकार फलों से लदे हुए पेड़ झुके रहते हैं उसी प्राकार के शालीन, सौम्य, मधुर व्यक्तित्व के स्वामी डॉ. अशोक कुमार 'मंगलेश' से मेरा परिचय गतवर्ष ही हुआ। विद्वता का डॉ. आरती लोकेश लिखती हैं, ''वे सच्चे अर्थों में वैज्ञानिक हैं जिन्होंने साहित्य के सम्मुख प्राप्त प्रश्नों के समाधान के साथ ही मानवीय प्रवृत्तियों व व्यवहार से अपेक्षाओं का उपचार भी किया है। उनका रचना-कर्म जहाँ हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है वहीं उनका विनम्र-विनीत व्यवहार सर्वथा अनुकरणीय है। ऐसे कुछ महान व्यक्ति समाज व जीवन में आस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।''[19]

वस्तुनिष्ठ आलोचना—डॉ. अशोक कुमार 'मंगलेश' ने इस बात को स्वीकारा है कि आलोचना 'कृति' की ही होनी चाहिए, न कि कृतिकार की। डॉ. 'मंगलेश' की समीक्षा-पद्धति विशिष्ट हैं, उसमें मौलिकता और सृजनातमकता को नहित है ही साथ में वस्तुनिष्ठता का गुण भी विद्यमान है।

वे निरन्तर विकासोन्मुखी पद्धति के कारण वे हिन्दी आलोचना साहित्य को विशिष्ट अवदान प्रदान करने में सर्वदा सफल रहे हैं। उनकी सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक आलोचना पद्धति के वैशिष्ट्य के विवेचन से स्पष्ट है कि इन्होंने आलोचना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

डॉ. नगेंद्र लिखते हैं, ''आलोचक की वस्तुनिष्ठता इस बात पर आधारित है कि वह किसी कृति के मूल्यांकन की प्रक्रिया में उसके रूप की पुनर्दृष्टि अपने लिए करता है, वह यथासम्भव अधिकाधिक मूल कृति के समीप है।''[20]

निष्कर्षतः उक्त विशेषताओं के अतिरिक्त भी डॉ. अशोक कुमार 'मंगलेश' की आलोचना पद्धति की अन्य अनेक विशेषताएँ हैं, जिनका उल्लेख अनेक स्थलों पर देखने को मिलता है। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि भारतीय समाजवादी समीक्षकों, आधुनिक समीक्षकों में नवीन भाव बोध, नवाचार शैली, प्रयोगशीलता एवं चिन्तन के साथ विशिष्ट विश्लेषण-मूल्यांकन पद्धति के आधार पर हिन्दी आलोचना क्षेत्र को उपकृत करने वाले समीक्षकों में डॉ. अशोक कुमार 'मंगलेश' का अपना एक विशिष्ट एवं अविस्मरणीय स्थान प्राप्त है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. डॉ. अशोक कुमार 'मंगलेश', सृजन और समीक्षा, पृ. 14
2. डॉ. अशोक कुमार 'मंगलेश', काव्य पर्यालोचन, पृ. 20
3. डॉ. अशोक कुमार 'मंगलेश', सृजन और समीक्षा, पृ. 19
4. डॉ. अशोक कुमार 'मंगलेश', सृजन और समीक्षा, पृ. 13
5. डॉ. अशोक कुमार 'मंगलेश', सृजन और समीक्षा, पृ. 12
6. डॉ. अशोक कुमार 'मंगलेश', सृजन और समीक्षा, पृ. 17
7. डॉ. अशोक कुमार 'मंगलेश', हिंदी आलोचना के विविध प्रतिमान, फ्लैप से
8. डॉ. अशेक कुमार 'मंगलेश', हिंदी आलेचना के विविध प्रतिमान, फ्लैप से
9. डॉ. अशोक कुमार 'मंगलेश', साहित्य पर्यालोचन, पृ. 12
10. डॉ. अशोक कुमार 'मंगलेश', साहित्य सृजन और साहित्यालोचन, फ्लैप टिप्पणी से
11. डॉ. नगेंद्र, आधुनिक हिन्दी कविता की मुख्य प्रवृत्ति, पृष्ठ 99
12. डॉ. अशोक कुमार 'मंगलेश', शील कौशिक का काव्यः संवेदना और शिल्पबोध, पृष्ठ 11
13. डॉ. अशोक कुमार 'मंगलेश', शील कौशिक का काव्यः सववेंदना और शिल्पबोध, पृष्ठ 12
14. डॉ. अशोक कुमार 'मंगलेश', शील कौशिक का काव्यः संवेदना और शिल्पबोध, फ्लैप टिप्पणी से
15. डॉ. अशोक कुमार 'मंगलेश', शील कौशिक का काव्यः संवेदना और शिल्पबोध, फ्लैप टिप्पणी से
16. डॉ. अशोक कुमार 'मंगलेश', साहित्य सृजन और साहित्यालोचन, फ्लैप टिप्पणी से
17. डॉ. अशोक कुमार 'मंगलेश', साहित्य सृजन और साहित्यालोचन, फ्लैप टिप्पणी से
18. डॉ. अशोक कुमार 'मंगलेश', साहित्य सृजन और साहित्यलोचन, फ्लैप टिप्पणी से
19. डॉ. अशोक कुमार 'मंगलेश', शील कौशिक का काव्यः संवेदना और शिल्पबोध, फ्लैप से
20. डॉ. नगेन्द्र, आधुनिक हिन्दी कविता की मुख्य प्रवृत्ति, पृ. 104

SHODH-GARIMA–YEAR-3, VOL. 3 (July to Sept., 2026)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal

ISSN (Print) : 3048-6327

IMPACT-FACTOR
SJIF - 6.852

DOI : 10.5281/zenodo.23176380

Paper Received : 15th July 2026 **Paper Accepted : 20th July 2026**

सिवनी जिले का नामकरण : जनश्रुतियों का समालोचनात्मक विश्लेषण

❑ **डॉ. संकेत कुमार चौकसे***

शोध-सारांश

किसी भी क्षेत्र का नामकरण केवल अक्षरों का यादृच्छिक समूह या सिर्फ़ एक भौगोलिक पहचान नहीं होता, बल्कि एक नाम अपने भीतर सदियों की यात्रा, सांस्कृतिक बदलावों और सभ्यता के विकास क्रम को समेटे रहता है। इस शोध में मध्य प्रदेश के सतपुड़ा अंचल में स्थित ऐतिहासिक सिवनी जिले के नामकरण से जुड़े छः मुख्य आयामों सेवन वृक्ष की प्रचुरता (वानस्पतिक मत), शिवनी या शिवभक्तों की बाहुल्यता (धार्मिक मत), श्रीवृक्ष (बिल्व) वृक्षों की अधिकता (धार्मिक मत), आदि शंकराचार्य द्वारा प्रदत्त श्रीवनी (सांस्कृतिक मत), सोनारानी/सुवनीरानी की वीरगाथा (लोक–साहित्यिक मत), और सैन्य छावनी (सामरिक–प्रशासनिक मत)का गहनता से अनुशीलन किया गया है। इनमें वैज्ञानिक दृष्टि से सेवन वृक्ष का मत सर्वाधिक प्रामाणिक है, वहीं लोक–आस्था में शिवनी और श्रीवनी जैसी जनश्रुतियां भी प्रचलित है।

मुख्य शब्द–सिवनी, जनश्रुति, सेवन वृक्ष, छावनी, श्रीवनी।

किसी भी क्षेत्र का नामकरण केवल अक्षरों का यादृच्छिक समूह या सिर्फ़ एक भौगोलिक पहचान नहीं होता, बल्कि एक नाम अपने भीतर सदियों की यात्रा, सांस्कृतिक बदलावों और सभ्यता के विकास क्रम को समेटे रहता है। नामकरण का सबसे सुंदर पहलू लोक–मानस में रची–बसी जनश्रुतियां और स्थानीय मान्यताएँ हैं। ऐतिहासिक तथ्य जहां अकादमिक सत्य को खोजते हैं, वहीं जनश्रुतियां और लोकोक्तियां उस क्षेत्र के लोगों की आस्था, मान्यताओं, और उनके सामूहिक मनोविज्ञान को अभिव्यक्त करती हैं। इसी दिशा में प्रस्तुत शोधपत्र में मध्यप्रदेश के सतपुड़ांचल में बसे सिवनी जिले के नामकरण संबंधी विभिन्न मान्यताओं एवं जनश्रुतियों का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

संबंधित साहित्य की समीक्षा

शोध साहित्य की समीक्षा शोध प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक सोपान होता है। यह समस्या के सीमांकन एवं कथन में सहायक होता है। सिवनी जिले से संबंधित अनेक प्रकाशित एवं अप्रकाशित ग्रंथ उपलब्ध है। जानकी प्रसाद पाठक द्वारा लिखित ग्रंथ 'सिवनी कल आज और कल' सिवनी जिले पर लिखी गई एक महत्वपूर्ण पुस्तक

* सहायक प्राध्यापक (इतिहास विभाग), राजमाता सिंधिया शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

है। जिसमें सिवनी नगर की स्थापना एवं नामकरण से लेकर वर्ष 2000 तक उसके विकास के क्रम को बतलाया गया है। सिवनी जिले से संबंधित एक अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक एस. एन. शर्मा के द्वारा लिखित 'सिवनी प्राचीन एवं अर्वाचीन' है। इसमें 1861 ईसवी तक सिवनी जिले की राजनैतिक व सांस्कृतिक दशा की जानकारी प्राप्त होती है।

सिवनी जिले से संबंधित गजेटियर्स में आर. व्ही. रसल द्वारा 1907 ईसवी में सम्पादित सेण्ट्रल प्रोविन्स डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, सिवनी एवं एस. डी. गुरू द्वारा 1989 ईसवी में सम्पादित मध्यप्रदेश डिस्ट्रिक्ट गजेटियर सिवनी जिला जिले संबंधी बहुमूल्य एवं प्रामाणिक सूचनाएं प्रदान करते है। इनके अतिरिक्त गोकुल प्रसाद द्वारा 1925 ईसवी में लिखित ग्रंथ सिवनी सरोजिनी ब्रिटिशकाल में सिवनी की भौगोलिक एवं प्रशासनिक दशा पर विस्तृत प्रकाश डालता है। उपरोक्त ग्रंथों में सिवनी के नामकरण संबंधी विभिन्न अवधारणाएं एवं जनश्रुतियों का उल्लेख किया गया है। प्रस्तुत शोधपत्र में इन सभी अवधारणाएं एवं जनश्रुतियों का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

सिवनी जिले की भौगोलिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

मध्यप्रदेश के जबलपुर संभाग के अंतर्गत सम्मिलित सिवनी जिला 21°36′ से 22°57′ उत्तरी अक्षांश एवं 79°12′ से 80°17′ पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है।[1] जिले की सीमाएं उत्तर में जबलपुर, पश्चिम में छिंदवाड़ा, पूर्व में बालाघाट, उत्तर–पूर्व में मण्डला, उत्तर–पश्चिम में नरसिंहपुर एवं दक्षिण में महाराष्ट्र राज्य के नागपुर और भण्डारा जिले को स्पर्श करती है। मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र राज्य के मध्य में स्थित होने के कारण यह जिला दोनों ही राज्यों की संस्कृति को आत्मसात करता है। यह जिला बहुत ही विषमता लिये दक्षिण की ओर कुछ संकरा और उत्तर की ओर अपेक्षाकृत चौड़ा है। इस जिले का आकार मछली के समान दिखाई देता है।[2] सिवनी जिले की सीमाओं में प्रवाहित होने वाली प्रमुख ऐतिहासिक नदियां नर्मदा एवं वैनगंगा है।

सिवनी जिले में मानव के अस्तित्त्व के प्रमाण प्रागैतिहासिक युग से ही प्राप्त होने लगते है। पाषाणयुग से संबंधित विविध साक्ष्य जिले के बंडोल, अलोनिया, कान्हीवाड़ा, छपारा तथा सुआखेड़ा इत्यादि अनेक ग्रामों से प्राप्त हुए है।[3] ऐतिहासिक युग में यह जिला नंद, मौर्य, शुंग, सातवाहन, वाकाटक, कलचुरी एवं राष्ट्रकूट इत्यादि राजवंशों के उत्थान एवं पतन का साक्षी रहा है।मध्ययुग में सिवनी जिले का संबंध गढ़–मण्डला एवं देवगढ़ राज्यों से रहा।[4] तत्पश्चात यह क्षेत्र मराठा शासन के नियंत्रण में चला गया। आंग्ल–मराठा युद्धों के पश्चात यह क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। 1932 ईसवी में ब्रिटिश सत्ता द्वारा प्रशासनिक पुनर्गठन करते हुए सिवनी को छिंदवाड़ा जिले का एक सबडिवीजन बना दिया गया। 1956 ईसवी में राज्य पुनर्गठन के अवसर पर सिवनी को पुनः जिला बनाया गया।[5]

सिवनी के नामकरण संबंधी विविध जनश्रुतियां

सिवनी के नामकरण के संबंध में मुख्यतः छः जनश्रुतियों प्रचलित है जो सेवनी (सेवन के वृक्षों की अधिकता), शिवभक्तों की बाहुल्यता (शिवनी), नैनागढ़ (नैनपुर) के गोंड शासक इन्दरमन की बहिन सोनारानी (सुवनीरानी), विल्व अर्थात श्रीवृक्ष की अधिकता (श्रीवनी), आदि शंकराचार्य द्वारा प्रदत्त नाम श्रीवनी एवं विशाल सैनिक छावनी पर आधारित है। इनका विस्तृत विश्लेषण इस प्रकार है–

(1) सेवनी (सेवन के वृक्षों की अधिकता) संबंधी जनश्रुति– यह सिवनी के नामकरण संबंधी सर्वप्रमुख और जनश्रुति है। इसके अनुसार सिवनी का नामकरण सेवन के वृक्षों के कारण पड़ा है।[6] सेवन वृक्ष की प्रचुरता के कारण स्थानीय जनजातीय और ग्रामीण समाज इस पूरे भूभाग को सेवनी कहकर संबोधित किया जाने लगा। यही सेवनी शब्द कालांतर में भाषाई अपभ्रंश और उच्चारण की सुगमता के कारण आधुनिक काल में सिवनी के

रूप में परिवर्तित और स्थापित हो गया।

इस जनश्रुति को बल इसलिए भी मिलता है क्योंकि सेवन केवल एक वृक्ष नहीं था, बल्कि वह इस क्षेत्र के जनजीवन की रीढ़ था। सेवन की लकड़ी अपनी मजबूती, हल्केपन और ध्वन्यात्मक गुण के लिए विख्यात है। स्थानीय लोक–मान्यता है कि इस क्षेत्र में बनने वाली प्रसिद्ध ढोलक और वाद्य यंत्रों के लिए इसी सेवन की लकड़ी का उपयोग किया जाता था। सेवन के वृक्ष का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा और आयुर्वेद में कई बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। इसकी छाल, पत्तियां और जड़ें औषधीय गुणों से भरपूर होती हैं, जिसके कारण इस वृक्ष का एक विशेष स्थान था।

(2) सोनारानी (सुवनीरानी) संबंधी जनश्रुति– सिवनी के नामकरण के ऐतिहासिक (सेवन वृक्ष) और धार्मिक (श्रीओनी) आधारों के समानांतर लोक–मानस में एक अत्यंत लोकप्रिय और काव्यात्मक जनश्रुति भी प्रवाहित है, जो सोनारानी या सुवनीरानी के नाम से जुड़ी है। यह जनश्रुति क्षेत्र की मौखिक इतिहास परंपरा का हिस्सा है, जो मध्यकाल के शौर्य, लोक–कथाओं और क्षेत्रीय राजवंशों की स्मृति को अपने भीतर समेटे हुए है।

स्थानीय लोक–मान्यताओं के अनुसार नैनागढ़ के गोंड राजा इन्दरमन की बहिन सोना रानी अनुपम सुंदरी थी। उनका निवास हिर्री नदी के निकट अमोदगढ़ के पास खोहगढ़ में था। सोनारानी के पिता सोमदेव ने उनके विवाह हेतु एक शर्त रखी थी कि जो वीर योद्धा बाघ से लड़ने की क्षमता रखता हो उससे ही सोना रानी का विवाह किया जाएगा।[7] महोबा के चंदेल शासक परमर्दिदेव के सेनानायक ऊदल ने उनके भाई आल्हा को सोनारानी से विवाह करने का आग्रह किया। अंततः ऊदल से इन्दरमन को परास्त कर आल्हा के साथ सोनारानी का विवाह सम्पन्न करवाया।[8] स्थानीय मान्यतानुसार रानी सुवनी के नाम पर इस क्षेत्र की स्थापना की गई थी। यह जनश्रुति इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तत्कालीन समाज में स्त्री–नेतृत्व और नारी के प्रति सम्मान को दर्शाती है।

(3) शिवभक्तों की बाहुल्यता (शिवनी)– संबंधी जनश्रुति–सिवनी के नामकरण की श्रृंखला में शिवभक्तों की बाहुल्यता और उससे उपजे शिवनी शब्द की जनश्रुति धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सतपुड़ा का यह अंचल प्राचीन काल से ही सघन वनों, ऋषियों की तपोभूमियों और शैव संप्रदाय का एक प्रमुख केंद्र रहा है। लोक–मानस में यह दृढ़ मान्यता है कि इस क्षेत्र का मूल नाम सिवनी नहीं, बल्कि शिव के नाम पर शिवनी था।[9] स्थानीय जनश्रुति के अनुसार, इस भू–भाग में प्राचीन काल से ही भगवान शिव के उपासकों की अत्यधिक बाहुल्यता थी। इस क्षेत्र में अनेकानेक प्राचीन शिवलिंगों की उपस्थिति और शिव मंदिरों का पाया जाना इस बात का साक्ष्य प्रस्तुत करता है। शिवभक्तों की इसी सघनता और शिव–उपासना के प्रमुख केंद्र होने के कारण इस संपूर्ण क्षेत्र को शिव की भूमि या शिवनी (शिव की नगरी) कहा जाने लगा।

(4) श्रीवृक्ष की अधिकता (श्रीवनी)– संबंधी जनश्रुति–सिवनी के नामकरण की ऐतिहासिक और जनश्रुतिक कड़ियों में श्रीवृक्ष की अधिकता और उससे व्युत्पन्न श्रीवनी का सिद्धांत सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा में प्रकृति को ईश्वर का रूप माना गया है, जहाँ विशिष्ट वृक्षों को केवल वनस्पति नहीं, बल्कि दैवीय शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। सनातन शास्त्रों, आयुर्वेद और लोक–परंपरा में मुख्य रूप से बेलया बिल्व के वृक्ष को श्रीवृक्ष कहा जाता है। सिवनी नगर में बिल्व वृक्षों की अधिकता के कारण ही इसका नाम श्रीवनी पड़ गया हो जो कालांतर में अपभ्रंश रूप में सिवनी हो गया।[10]

(5) आदिशंकराचार्य संबंधी जनश्रुति– एक अन्य जनश्रुति के अनुसार जब आदि शंकराचार्य ने सनातन संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर प्रस्थान किया, तब इस पावन यात्रा के दौरान जब वे इस विशिष्ट

भू–भाग से गुज़रे, तो यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और सघन वनों के वैभव ने उन्हें अत्यधिक प्रभावित किया। इस अलौकिक वनांचल की दिव्य ऊर्जा और वानस्पतिक समृद्धि को देखकर आदि शंकराचार्य ने इस क्षेत्र को श्रीवनी नाम से विभूषित किया।[11]

यहां श्री का तात्पर्य केवल भौतिक संपदा से नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के ऐश्वर्य, औषधीय वैभव, जैव–विविधता और आध्यात्मिक शांति का प्रतीक है। शंकराचार्य द्वारा दिया गया यह नाम इस क्षेत्र की तात्कालिक पर्यावरणीय और आध्यात्मिक प्रचुरता का सर्वोच्च सम्मान था। लोकसामान्य की भाषा हमेशा उच्चारण की सुगमता खोजती है। कालान्तर में यह संस्कृतनिष्ठ और बोलने में थोड़ा क्लिष्ट शब्द श्रीवनी अपभ्रंश के प्रभाव के कारण धीरे–धीरे सिवनी के रूप में रूपांतरित हो गया।

(6) छावनी संबंधी जनश्रुति–मध्यकाल में जब गढ़ा–मंडला के गोंड राजाओं के साम्राज्य पर मुगलों का आक्रमण हुआ, तब इस क्षेत्र की सामरिक स्थिति बेहद संवेदनशील हो गई थी। इस मुगल आक्रमण को विफल करने और गोंड साम्राज्य की रक्षा के लिए नागपुर के भोंसले राजाओं की सेना और गढ़ा–मंडला के गोंड सैनिकों का एक विशाल संयुक्त मोर्चा तैयार हुआ। युद्ध की रणनीति और रसद प्रबंधन के लिए सेनाओं ने सतपुड़ा के इस मध्यवर्ती भाग को अपना मुख्य पड़ाव बनाया। सैन्य पड़ाव के इस विस्तृत क्षेत्र को सामान्य बोलचाल में छावनी कहा जाने लगा।[12]

इस जनश्रुति को ऐतिहासिक भूगोल से भी बल मिलता है। यह संपूर्ण अंचल (जिसमें धूमा, लखनादौन, गढ़ छपारा और खवासा शामिल थे) सैनिकों के ठहरने, घोड़ों के चारे और जल स्रोतों की दृष्टि से सर्वसुविधा युक्त था। कुछ ब्रिटिश प्रशासकों और औपनिवेशिक इतिहासकारों का भी यह मानना है कि यह क्षेत्र लंबे समय तक एक विशाल सैनिक क्षेत्र या परिक्षेत्रीय छावनी रहा है। भाषा विज्ञान के नियमों के अनुसार, जब कोई बाहरी या शासकीय शब्द स्थानीय लोक–भाषा के संपर्क में आता है, तो उच्चारण की सुगमता के लिए उसमें ध्वनि–परिवर्तन होने लगता है। स्थानीय जनमानस और ग्रामीण आबादी द्वारा छावनी शब्द का उच्चारण धीरे–धीरे बदलकर छिवनी, सिउनी और अंततः सिवनी के रूप में रूपांतरित हो गया। लोक–भाषा में छ ध्वनि का सध्वनि में बदल जाना बेहद स्वाभाविक भाषायी प्रक्रिया है।

निष्कर्ष

इस प्रकार सिवनी का नामकरण केवल किसी एक आकस्मिक घटना का परिणाम नहीं है, बल्कि यह इस क्षेत्र के भूगोल, अध्यात्म, शौर्य और सैन्य इतिहास का एक अनूठा संगम है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यहाँ सेवन वृक्षों की प्रचुरता संबंधी मत सबसे अधिक प्रामाणिक और साक्ष्य–सम्मत प्रतीत होता है। किंतु, लोक–मानस ने अपनी आस्था और चेतना के अनुरूप इस नाम को शिवनी (शिव भक्तों की भूमि) और आदि शंकराचार्य द्वारा प्रदत्त श्रीवनी (वनों से श्री संपन्न) के रूप में स्वीकार कर इसे एक दिव्य आध्यात्मिक आभा प्रदान की। छावनी संबंधी मत जहाँ मध्यकाल में इस क्षेत्र की केंद्रीय सामरिक स्थिति और सैन्य इतिहास को रेखांकित करता है, वहीं सोनारानी (सुवनीरानी) की गाथा तत्कालीन समाज में नारी नेतृत्व के प्रति लोकसम्मान की स्वीकार्यता को उजागर करती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. गुरू, एस.डी.; मध्यप्रदेश डिस्ट्रिक्ट गजेटियर सिवनी जिला, संस्कृति विभाग, भोपाल, 1989, पृ. 01
2. प्रसाद, गोकुल, सिवनी सरोजिनी, डॉ. हीरालाल : एक संकलन, कला एवं सांस्कृतिक धरोहर हेतु भारतीय राष्ट्रीय न्यास, जबलपुर प्रभाग, 1988, पृ. 277
3. गुरू, एस.डी.; वही, पृ. 21
4. गुप्ता, शिल्पा (सं.); सिवनी जिले का पुरातत्त्व, संचालनालय पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, मध्यप्रदेश, भोपाल, 2023, पृ. 03
5. बादल, अभय; मध्यप्रदेश में स्वाधीनता संग्राम 'सिवनी' वर्मा, संतोष कुमार (सं.), स्वराज संस्थान संचालनालय,

संस्कृति विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल, 2024, पृ. 07
6. शर्मा, एस. एन; सिवनी प्राचीन एवं अर्वाचीन, दिवाकर प्रिंटर्स, सिवनी, 1961, पृ. 01
7. रसल, आर. व्ही.; सेण्ट्रल प्रोविन्स डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, सिवनी डिस्ट्रिक्ट, इलाहाबाद, 1907, पृ. 26
8. पाठक, प. जानकी प्रसाद.; सिवनी कल आज और कल, कोणार्क कम्प्यूटर्स, सिवनी, 2004, पृ. 06
9. श्रीवास्तव 'चातक', रमेश; स्मारिका समर्पण, श्री महावीर व्यायाम शाला संगठन सिवनी, 2021, पृ. 18
10. पाठक, प. जानकी प्रसाद.; वही, पृ. 06
11. वही
12. वही, पृ. 07

SHODH-GARIMA–YEAR-3, VOL. 3 (July to Sept., 2026)
A Peer-Reviewed & Referred
International Multidisciplinary
Research Journal

ISSN (Print) : 3048-6327

IMPACT-FACTOR
SJIF - 6.852

DOI : 10.5281/zenodo.23176527

Paper Received : 15th July 2026 Paper Accepted : 25th July 2026

Soil Microbial Community Changes under Invasive Plant Species in the Semi-Arid Ecosystems of Solapur District, Maharashtra

❐ Tolnure Pratiksha Prakash*
❐ Dr.Dinesh Kumar Singh**
❐ Dr.Ravindra P. Jadhavv***

ABSTRACT

Invasive plant species can substantially reshape soil microbial communities through altered litter chemistry, root exudation, allelopathy and rhizosphere nutrient dynamics, with consequences for carbon and nitrogen cycling and ecosystem resilience. This study examined changes in soil microbial biomass, enzyme activity and culturable microbial community structure beneath two dominant invasive plantsParthenium hysterophorus L. (Asteraceae) and Prosopis juliflora (Sw.) DC. (Fabaceae) relative to adjoining native vegetation soils across the semi-arid, rain shadow landscape of Solapur district, Maharashtra. Rhizosphere and bulk soils (0–15 cm) were sampled from 27 paired sites (nine each under Parthenium, Prosopis and native vegetation) across three talukas during the post-monsoon season. Soil physicochemical properties, microbial biomass carbon (chloroform-fumigation extraction), four hydrolytic and oxidative enzyme activities (dehydrogenase, urease, alkaline phosphatase, β-glucosidase), and culturable bacterial, fungal, actinomycete and diazotrophic counts were determined. Both invaded soil types supported significantly higher microbial biomass carbon and culturable microbial counts than native vegetation soils ($p < 0.05$), with Prosopis rhizosphere soils showing the greatest enrichment, consistent with its nitrogen fixing symbiosis. Dehydrogenase and urease activities were elevated beneath both invaders, tracking increases in soil organic carbon and available nitrogen, whereas alkaline phosphatase activity was comparatively suppressed in Parthenium invaded soils, suggesting altered phosphorus cycling dynamics potentially linked to allelopathic secondary metabolites. Diazotrophic

* Research Scholar in Shri JJT University, Jhunjhunu, 333010 (Rajasthan)
** Research Guide, Shri JJT University, Jhunjhunu, 333010 (Rajasthan)
*** Research Co-Guide, Shri JJT University, Jhunjhunu, 333010 (Rajasthan)

counts were markedly higher in Prosopis rhizosphere soils, while Parthenium rhizosphere soils showed relative enrichment of fast-growing, copiotrophic bacterial morphotypes. These findings indicate that invasive plants are actively re-engineering the belowground microbial environment of Solapur's semi-arid soils in species specific ways that may reinforce their own establishment while altering nutrient cycling pathways relevant to native vegetation recovery and agricultural soil health.

Keywords: *-Soil microbial community, Parthenium hysterophorus, Prosopis juliflora, Enzyme activity, Rhizosphere, Semi-arid ecosystem, Solapur.*

1. Introduction

Soil microbial communities mediate the majority of biogeochemical processes that sustain terrestrial ecosystem function, including organic matter decomposition, nutrient mineralization, and the cycling of carbon, nitrogen and phosphorus. Because these communities respond rapidly and sensitively to changes in plant litter quality, root exudate chemistry and rhizosphere microhabitat, shifts in aboveground vegetation composition including those driven by biological invasion are increasingly recognized as a major, though still incompletely understood, driver of belowground microbial change. A growing body of research shows that invasive plants can restructure microbial community composition, biomass and enzymatic function relative to the native vegetation they displace, with effects that are frequently idiosyncratic to the invader and the invaded ecosystem rather than following a single universal pattern.

Semi-arid ecosystems present a particularly informative setting in which to examine these dynamics, since soil moisture and organic matter are already limiting for microbial activity, so that even modest invader driven changes in litter input, root architecture or exudate chemistry may produce proportionally large shifts in microbial biomass and function. Work in Mediterranean climate and Rocky Mountain semi-arid grasslands has shown that plant invasion can alter microbial community structure, respiration and carbon use efficiency, sometimes without corresponding changes in aboveground abiotic soil properties, indicating that invaders can influence microbial function through pathways that are not fully captured by bulk soil chemistry alone.

The semi-arid Deccan Plateau tract of Maharashtra, including Solapur district, is host to two of India's most conspicuous invasive plants: *Parthenium hysterophorus L.*, a fast growing annual forb of neotropical origin known for its strong allelopathic chemistry, and Prosopis juliflora (Sw.) DC., a nitrogen fixing leguminous tree introduced from tropical America that has become naturalized across drylands throughout peninsular India. Both species are characterized by vigorous growth on nutrient poor, moisture limited soils that would otherwise support only sparse native vegetation, raising the question of whether their invasion success is partly underpinned by an ability to recruit or cultivate distinctive rhizosphere microbial communities. Prior work characterizing the rhizosphere bacterial communities of these two species in peninsular India found elevated culturable microbial counts relative to bulk soil and identified a range of plant-growth-promoting and diazotrophic bacterial groups associated with their root zones, suggesting that both invaders may actively engineer a more favourable belowground microbial environment than that available to native flora in the same soils.

Despite this, habitat specific, comparative assessments of how these two co-occurring invasive species alter soil microbial biomass, enzymatic activity and culturable community structure relative to each other and to native vegetation remain scarce for the semi-arid landscapes of Maharashtra specifically. Understanding these belowground changes is important for two reasons. First, invader driven enrichment of microbial biomass and nitrogen cycling activity could constitute a positive feedback that further facilitates invasion, a mechanism increasingly implicated in plant invasion theory. Second, because these soils frequently transition into or border cultivated land, invader associated microbial shifts may carry consequences for soil fertility and crop relevant nutrient cycling once such land is reclaimed for agriculture or pasture. This study therefore aimed to: (i) compare soil physicochemical properties, microbial biomass carbon, key enzyme activities and culturable microbial group abundances beneath *Parthenium hysterophorus, Prosopis juliflora* and adjoining native vegetation across Solapur district; (ii) determine whether the two invaders differ from one another in their microbial signature; and (iii) relate observed microbial changes to soil nutrient status to infer probable mechanisms and ecological implications.

The broader theoretical context for this work is the plant soil feedback framework, which posits that plants can modify soil biotic and abiotic properties in ways that subsequently affect the performance of the same species (self-feedback) or of other species establishing in that soil. When invasive plants generate soil conditions including altered microbial communities that favour their own continued growth or the growth of subsequent invader cohorts more than they favour native species, the resulting feedback is described as positive and is considered a plausible contributor to the persistence and self reinforcing spread of many invasive species once initial establishment has occurred. Evidence for such feedbacks varies considerably across invader ecosystem combinations, and disentangling nutrient mediated effects from more specific microbial or allelochemical mechanisms requires the kind of multi-parameter, comparative soil assessment undertaken in the present study. Because Parthenium and Prosopis differ fundamentally in growth form, life history and nutrient-acquisition strategy (a fast-growing allelopathic annual forb versus a nitrogen fixing perennial tree), comparing their microbial signatures within the same regional soil and climate context also offers an opportunity to examine whether convergent or divergent belowground pathways underlie the invasion success of taxonomically and functionally distinct invasive species sharing the same semi-arid landscape.

2. Study area

The study was carried out in Solapur district (17°102 –18°322 N, 74°422 –76°152 E), a semi-arid, rain shadow tract of the western Deccan Plateau in Maharashtra, India, receiving a mean annual rainfall of 448–750 mm concentrated in a bimodal south west monsoon pattern between June and September. Soils are predominantly shallow to medium deep black (regur) soils derived from Deccan Trap basalt, together with murum and calcareous soils on drier uplands, and are characterized by naturally low organic carbon and available nitrogen status typical of semi-arid tropical soils. Natural vegetation, where uninvaded, comprises dry deciduous scrub and grassland dominated by Poaceae and Fabaceae herbs and scattered native trees such as Acacia and Ziziphus species.

Sampling was conducted across three talukas Solapur North, Barshi and Mohol selected to span the district's peri-urban, rain fed cropping belt and canal command agro ecological settings respectively, and within which both *Parthenium hysterophorus* and *Prosopis juliflora* occur as well established, locally dominant invaders on fallow land, field margins and roadside/wasteland

habitat, alongside remnant patches of native scrub/grassland vegetation suitable for paired comparison.

3. Materials and methods

3.1 Soil sampling

At each of the three talukas, three replicate sites were selected, and at each site paired soil samples were collected beneath (i) monospecific *Parthenium hysterophorus* stands, (ii) *Prosopis juliflora* canopy/rhizosphere zones, and (iii) adjoining native vegetation patches at least 50 m from either invader, giving 9 samples per vegetation type and 27 samples in total. At each sampling point, rhizosphere soil was collected by gently uprooting three individual plants (or, for Prosopis, excavating fine feeder roots within the top 15 cm) and shaking loosely adhering bulk soil away, retaining the soil closely adhering to roots (<2 mm) as the rhizosphere fraction; a parallel bulk soil sample was collected 30–50 cm away from plant bases at 0–15 cm depth. Samples were collected during the post-monsoon season (October to November), sieved (2 mm), and divided into subsamples for physicochemical analysis (air dried), enzyme assay (field moist, stored at 4 °C, analysed within one week) and microbial enumeration (field moist, processed within 48 h).

3.2 Physicochemical and microbial analyses

Soil pH and electrical conductivity (EC) were measured in a 1:2.5 soil water suspension. Organic carbon was determined by the Walkley Black wet oxidation method, available nitrogen by the alkaline potassium permanganate method, and available phosphorus by the Olsen method. Microbial biomass carbon (MBC) was estimated by the chloroform fumigation extraction method. Four enzyme activities relevant to carbon, nitrogen and phosphorus cycling were assayed using standard colorimetric protocols: dehydrogenase activity (triphenyl tetrazolium chloride reduction, an indicator of overall microbial oxidative activity), urease activity (urea hydrolysis, ammonium release), alkaline phosphatase activity (p-nitrophenyl phosphate hydrolysis), and β-glucosidase activity (p-nitrophenyl-β-D-glucopyranoside hydrolysis, indicative of cellulose/carbohydrate-degrading activity). Culturable microbial populations (total heterotrophic bacteria, fungi, actinomycetes and free living diazotrophic bacteria) were enumerated by serial dilution and plating on nutrient agar, Martin's rose bengal agar, Kenknight and Munaier's agar, and Jensen's N-free agar respectively, with colony forming units (CFU) expressed per gram dry soil.

3.3 Statistical analysis

Differences among the three vegetation types (Parthenium, Prosopis, native) in soil physicochemical properties, MBC, enzyme activities and culturable counts were tested by one-way ANOVA followed by Tukey's HSD post hoc comparison, after confirming normality (Shapiro Wilk) and variance homogeneity (Levene's test); CFU data were log-transformed prior to analysis. Pearson correlation analysis was used to relate MBC and enzyme activities to soil organic carbon and available nitrogen. All analyses were performed in R (v4.3) with significance accepted at $p < 0.05$.

4. Results

4.1 Soil physicochemical properties

Soils beneath both invasive species had significantly higher organic carbon and available nitrogen than native-vegetation soils, with Prosopis juliflora rhizosphere soils showing the greatest enrichment, consistent with nitrogen inputs from its rhizobial symbiosis and substantial leaf-litter turnover (Table 1). Soil pH did not differ significantly among vegetation types, remaining mildly alkaline across all samples as is typical of the district's basaltic-derived soils, while EC was marginally but significantly elevated beneath Prosopis, likely reflecting localized nutrient accumulation.

Table 1: - Soil physicochemical properties (0–15 cm) under Parthenium hysterophorus, Prosopis juliflora and native vegetation, Solapur district (mean ± SE, n = 9 per group)

Parameter	Parthenium	Prosopis	Native vegetation	ANOVA (F, p)
pH (1:2.5)	7.62 ± 0.08	7.71 ± 0.09	7.58 ± 0.07	F=0.82, p=0.45
EC (dS m□^{1})	0.31 ± 0.03	0.42 ± 0.04	0.27 ± 0.02	F=6.14, p<0.01
Organic carbon (%)	0.58 ± 0.05	0.74 ± 0.06	0.41 ± 0.04	F=11.7, p<0.001
Available N (kg ha□^{1})	182.4 ± 12.6	224.6 ± 14.2	138.9 ± 10.1	F=14.3, p<0.001
Available P (kg ha□^{1})	14.8 ± 1.4	16.9 ± 1.6	12.1 ± 1.2	F=3.28, p=0.05
Moisture content (%)	9.6 ± 0.8	10.8 ± 0.9	8.9 ± 0.7	F=1.64, p=0.21

4.2 Microbial biomass and enzyme activity

Microbial biomass carbon was significantly higher beneath both invaders than in native-vegetation soils, and highest of all beneath Prosopis (Table 2). Dehydrogenase and urease activities followed the same pattern, tracking the elevated organic carbon and nitrogen status of invader soils. In contrast, alkaline phosphatase activity was significantly suppressed in Parthenium invaded soils relative to both Prosopis and native vegetation soils, despite Parthenium soils having intermediate organic carbon status, pointing to a possible allelopathy linked disruption of phosphorus cycling microbial activity distinct from general carbon/nitrogen enrichment effects. β-glucosidase activity was elevated under both invaders relative to native vegetation, with no significant difference between the two invader types.

Table 2 : Microbial biomass carbon and enzyme activities under the three vegetation types (mean ± SE, n = 9 per group)

Parameter	Parthenium	Prosopis	Native vegetation	ANOVA (F, p)
Microbial biomass C (µg g□^{1})	218.4 ± 18.2	276.9 ± 21.5	142.7 ± 13.8	F=15.6, p<0.001
Dehydrogenase (µg TPF g□^{1} 24h□ ^{1})	38.2 ± 3.4	46.8 ± 4.1	24.6 ± 2.6	F=12.9, p<0.001
Urease (µg NH„ z -N g□^{1} h□^{1})	24.6 ± 2.2	31.4 ± 2.8	16.3 ± 1.9	F=13.4, p<0.001
Alkaline phosphatase (µg PNP g□^{1} h□^{1})	42.1 ± 3.6	68.3 ± 5.2	64.7 ± 4.9	F=9.82, p<0.001
β-glucosidase (µg PNP g□^{1} h□^{1})	36.8 ± 3.1	39.4 ± 3.3	22.5 ± 2.4	F=8.47, p<0.001

4.3 Culturable microbial community structure

Culturable heterotrophic bacterial and actinomycete counts were significantly higher in rhizosphere soils of both invaders than in native vegetation soils, and fungal counts showed a similar though less pronounced trend (Table 3). The most striking difference was in free living diazotrophic bacterial counts, which were roughly three fold higher beneath Prosopis than beneath native vegetation, consistent with the well-documented recruitment of nitrogen fixing rhizobial and associative diazotrophic bacteria by this leguminous invader. Parthenium rhizosphere soils, while not enriched in diazotrophs to the same extent, supported markedly higher counts of fast growing, copiotrophic bacterial morphotypes on nutrient agar, consistent with the elevated labile carbon inputs from its rapid biomass turnover.

Table 3: - Culturable microbial counts (log € CFU g□^{1} dry soil) under the three vegetation types (mean ± SE, n = 9 per group)

Microbial group	Parthenium	Prosopis	Native vegetation	ANOVA (F, p)
Total bacteria	6.84 ± 0.09	7.12 ± 0.11	6.31 ± 0.08	F=17.2, p<0.001
Fungi	4.68 ± 0.12	4.79 ± 0.13	4.32 ± 0.10	F=4.36, p<0.05
Actinomycetes	5.42 ± 0.10	5.71 ± 0.12	4.98 ± 0.09	F=9.14, p<0.001
Diazotrophs (Jensen's N-free agar)	4.16 ± 0.14	5.38 ± 0.16	3.72 ± 0.13	F=22.6, p<0.001

4.4 Correlations with soil nutrient status

Across the pooled dataset, microbial biomass carbon correlated strongly and positively with soil organic carbon ($r = 0.79$, $p < 0.001$) and available nitrogen ($r = 0.74$, $p < 0.001$), as did dehydrogenase and urease activity ($r = 0.68$–0.72, $p < 0.001$), indicating that invader driven organic matter and nitrogen enrichment is the principal proximate driver of the elevated microbial biomass and activity observed beneath both Parthenium and Prosopis. Alkaline phosphatase activity, by contrast, was only weakly correlated with organic carbon ($r = 0.21$, ns) and showed no significant relationship with available phosphorus, reinforcing the inference that its suppression under Parthenium reflects a mechanism distinct from general nutrient enrichment, plausibly linked to allelopathic secondary metabolites released by this species.

5. Discussion

The consistent enrichment of microbial biomass, oxidative/hydrolytic enzyme activity and culturable microbial counts beneath both Parthenium hysterophorus and Prosopis juliflora relative to native vegetation, documented here for the semi-arid soils of Solapur district, aligns with the broader pattern reported across invaded ecosystems worldwide, in which invasive plants frequently increase soil nutrient availability and associated microbial activity relative to the native vegetation they displace, even though the direction and magnitude of such effects are known to vary considerably by invader identity and ecosystem context. The particularly strong enrichment observed beneath Prosopis juliflora is consistent with its nitrogen fixing leguminous biology and with earlier rhizosphere-bacterial profiling of this species in peninsular India, which identified elevated culturable microbial counts and a diverse diazotrophic community associated with its root zone.

The comparatively lower alkaline phosphatase activity beneath Parthenium, despite its soils showing intermediate carbon and nitrogen enrichment, is a notable finding that merits further mechanistic investigation. *Parthenium hysterophorus* is well known for releasing sesquiterpene lactones, most notably parthenin, into surrounding soil, and allelochemical suppression of specific microbial enzymatic pathways as opposed to a uniform effect across all soil enzymes has been documented for other allelopathic invaders, where root-exuded secondary metabolites selectively inhibit particular microbial taxa or enzyme systems while leaving others, or even overall microbial biomass, comparatively unaffected. This raises the possibility that Parthenium's rhizosphere microbial community, while quantitatively larger than that of native vegetation, is qualitatively skewed away from phosphorus cycling functional groups, a pattern that would be consistent with reports from other invaded systems that plant invasion can alter microbial community composition through pathways not fully predicted by bulk soil chemistry.

The elevated culturable bacterial, actinomycete and, for Prosopis, diazotrophic

counts observed in this study are broadly consistent with rhizosphere bacterial community assessments of Parthenium and Prosopis from other semi-arid Indian settings, which similarly reported higher culturable microbial densities in the rhizosphere of these two species relative to bulk soils, and identified plant-growth-promoting bacterial groups within their root zones. Taken together with the present findings, this supports the hypothesis that both invaders may benefit from a degree of positive plant–soil feedback, in which invader recruited or invader-enriched microbial communities enhance nutrient availability in ways that further favour the invader's own growth relative to native species adapted to the district's naturally nutrient poor soils a mechanism increasingly regarded as an important, if still incompletely quantified, contributor to invasion success in nutrient limited drylands.

The functional divergence between the two invaders is nonetheless instructive. Prosopis juliflora's enrichment pattern elevated microbial biomass, enzyme activity and diazotroph counts moving broadly in step with organic carbon and nitrogen status is consistent with a relatively conventional nutrient-mediated pathway rooted in its rhizobial symbiosis and substantial, slowly decomposing woody litter input. *Parthenium hysterophorus*, by contrast, produced a more selective signature: strong enrichment of fast growing copiotrophic bacteria and of carbon and nitrogen cycling enzymes, but suppression of phosphorus cycling enzymatic activity that was not predicted by its intermediate organic carbon status. This divergence suggests that at least two distinct belowground mechanisms are operating concurrently within the same semi-arid landscape general nutrient enrichment feedback for the leguminous tree invader and a more targeted allelochemical interference pathway for the allelopathic forb a distinction that would not be apparent from bulk soil chemistry or aboveground vegetation surveys alone, and which reinforces the value of pairing enzyme-specific and taxon specific microbial assays when characterizing invasion mechanisms in dryland soils.

These belowground changes carry practical implications beyond pure invasion ecology. Because Prosopis and Parthenium invaded land in Solapur district frequently borders or is periodically reclaimed for cultivation, the elevated organic carbon, nitrogen and microbial activity documented beneath these invaders could, in principle, translate into a short term soil fertility benefit if such land is cleared and brought under cultivation, particularly in nitrogen-limited rain-fed cropping systems. However, this potential benefit must be weighed against the substantial costs of clearing dense, well-established invasive stands, the risk of allelochemical carry over affecting crop germination in newly cleared Parthenium sites, and the loss of native vegetation and its associated ecosystem services documented in parallel botanical surveys of the district. Any reclamation strategy would therefore need to account for these trade-offs rather than treating invader enriched soil fertility as an unqualified positive outcome.

Several limitations should be noted. Culturable count methods capture only a fraction of total soil microbial diversity, and molecular community profiling approaches (e.g., 16S/ITS amplicon sequencing) would be needed to resolve the taxonomic and functional shifts underlying the enzymatic and culturable count patterns reported here. Sampling was restricted to a single post monsoon season and three talukas; seasonal and inter annual variability, as well as district wide spatial coverage, remain to be characterized. Finally, this study examined correlative patterns; controlled greenhouse or field manipulation experiments would be required to establish causal mechanisms linking specific invader derived compounds to the observed suppression

of phosphatase activity under Parthenium.

5.1 Management implications

- Treat invader enriched soil organic carbon and nitrogen as a partial, not complete, offset against the ecological costs of Parthenium and Prosopis invasion when planning land reclamation.
- Where Parthenium invaded land is cleared for cultivation, allow an adequate fallow or amendment period before sowing, given the potential for allelochemical carry over and altered phosphorus cycling activity.
- Prioritize molecular (sequencing based) follow-up studies to resolve the taxonomic identity of the microbial groups driving the enzymatic shifts identified here.
- Incorporate belowground soil microbial monitoring alongside aboveground vegetation surveys in future district wide invasive species assessments, given the demonstrated sensitivity of soil microbial function to invader identity.

6. Conclusion

This study demonstrates that both *Parthenium hysterophorus* and *Prosopis juliflora* significantly alter soil microbial biomass, enzymatic activity and culturable microbial community structure relative to native vegetation across the semi-arid soils of Solapur district, with effects that are broadly convergent in direction (enrichment of carbon- and nitrogen cycling activity) but diverge in detail most notably in the suppression of alkaline phosphatase activity specific to Parthenium invaded soils. These findings support the view that invasive plants in nutrient-limited drylands can actively restructure the belowground microbial environment in ways that may reinforce their own establishment, and highlight the need to consider soil-microbial dynamics, alongside aboveground vegetation impacts, in developing integrated management strategies for invasive species in Solapur district and comparable semi-arid landscapes.

References

1. Coats VC, Rumpho ME (2014) The rhizosphere microbiota of plant invaders: an overview of recent advances in the microbiomics of invasive plants. Front Microbiol 5:368
2. Carey CJ, Beman JM, Eviner VT, Malmstrom CM, Hart SC (2015) Soil microbial community structure is unaltered by plant invasion, vegetation clipping, and nitrogen fertilization in experimental semi-arid grasslands. Front Microbiol 6:466
3. Nasto MK, et al. (2022) The effect of plant invasion on soil microbial carbon-use efficiency in semi-arid grasslands of the Rocky Mountain West. J Ecol 110:2949–2962
4. Batbaatar A, et al. (2021) Meta-analysis of the impact of plant invasions on soil microbial communities. Plants 10:1698
5. Sigüenza C, Corkidi L, Allen EB (2006) Feedbacks of soil inoculum of mycorrhizal fungi altered by N deposition on the growth of a native shrub and an invasive annual grass. Plant Soil 286:153–165
6. Batten KM, Scow KM, Espeland EK (2008) Soil microbial community associated with an invasive grass differentially impacts native plant performance. Microb Ecol 55:220–228
7. Cibichakravarthy B, Preetha R, Sundaram SP, Kumar K, Balachandar D (2012) Diazotrophic diversity in the rhizosphere of two exotic weed plants, Prosopis juliflora and Parthenium hysterophorus. World J Microbiol Biotechnol 28:605–613
8. Shang S, et al. (2022) Effect of Parthenium hysterophorus L. invasion on soil microbial communities in the Yellow River Delta, China. Microorganisms 11:18
9. Srivastava P, Raghubanshi AS (2021) Impact of Parthenium hysterophorus L. invasion on soil nitrogen dynamics of grassland vegetation of Indo-Gangetic plains, India. Environ Monit Assess. https://doi.org/10.1007/s10661-021-09070-6
10. Rout ME, Callaway RM (2012) Interactions between exotic invasive plants and soil microbes in the rhizosphere suggest that 'everything is not everywhere.' Ann Bot 110:213–222

11. Zhang P, Li B, Wu J, Hu S (2019) Invasive plants differentially affect soil biota through litter and rhizosphere pathways: a meta-analysis. Ecol Lett 22:200–210
12. Vance ED, Brookes PC, Jenkinson DS (1987) An extraction method for measuring soil microbial biomass C. Soil Biol Biochem 19:703–707
13. Tabatabai MA (1994) Soil enzymes. In: Weaver RW et al (eds) Methods of Soil Analysis, Part 2. Soil Science Society of America, Madison, pp 775–833
14. Walkley A, Black IA (1934) An examination of the Degtjareff method for determining soil organic matter. Soil Sci 37:29–38
15. Kohli RK, Batish DR, Singh HP, Dogra KS (2006) Status, invasiveness and environmental threats of three tropical American invasive weeds (Parthenium hysterophorus L., Ageratum conyzoides L., Lantana camara L.) in India. Biol Invasions 8:1501–1510
16. Pasiecznik NM, et al. (2001) The Prosopis juliflora–Prosopis pallida Complex: A Monograph. HDRA, Coventry
17. Krishi Vigyan Kendra Solapur (2023) District agro-climatic and soil profile, Solapur

SHODH-GARIMA–YEAR-3, VOL. 3 (July to Sept., 2026)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal

ISSN (Print) : 3048-6327

IMPACT-FACTOR SJIF - 6.852

DOI : 10.5281/zenodo.23176587

Paper Received : 25th July 2026 **Paper Accepted : 30th July 2026**

प्रयागराज की वरिष्ठ महिला साहित्यकार देवयानी का रचना संसार

□ **प्रो. (डॉ.) रतन कुमारी वर्मा***

शोध-सारांश

देवयानी प्रयागराज की वरिष्ठ महिला साहित्यकार हैं। इनकी मातृभाषा बांग्ला है, परन्तु प्रयागराज में रहने का आकर्षण है कि इन्होंने हिन्दी भाषा में अपनी रचनाएँ की। आपने कविता, कहानी, महापुरुषों की जीवनी से सम्बन्धित अनेक पुस्तकों का प्रणयन किया है। इनकी रचनाओं में बहुत विविधता है। जीवन के विभिन्न क्षेत्र के अनुभवों को अपनी कविता तथा कहानियों में पिरोया है। देश-विदेश की विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में इनकी रचनाओं को स्थान मिला है। देवयानी की साहित्यिक उपलब्धियों के लिए अनेक पुरस्कार तथा सम्मान प्राप्त हुए हैं। देवयानी के रचना संसार से पाठकों को परिचित कराना इस शोधपत्र का उद्देश्य है। केवल हिन्दी भाषा भाषी ही नहं, अपितु अनेक मातृभाषा भाषी लेखक भी हिन्दी साहित्य में रचनाएँ करके हिन्दी साहित्य जगत को समृद्ध कते रहे हैं। उनमें देवयानी का योगदान अमूल्य है।

***मुख्य शब्द**—कविता, कहानी, सृजनात्मक, सरस्वती, प्रयाग, इलाहाबाद।*

देवयानी हिन्दी साहित्य की प्रयागराज की वरिष्ठ साहित्यकार हैं। आपका जन्म 5 अक्टूबर 1951 ई. को इलाहाबाद, प्रयागराज में हुआ था। आपकी माता का नाम सविता मुखर्जी तथा पिता का नाम रवि कुमार मुखर्जी था। आपने स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद बी०टी०सी० की ट्रेनिंग का प्रशिक्षण प्राप्त किया।

बचपन से ही आपकी साहित्य में रुचि थी। जिसका परिणाम हुआ साहित्य के सृजन में अपने आपको संलग्न करना। परिणामतः प्रभूत मात्रा में सृजनात्मक लेखन कार्य किया। आपने कविता, कहानी, महापुरुषों की जीवन सम्बन्धित अनेक पुस्तकों का प्रणयन किया है। आपके प्रमुख काव्य संग्रह हैं—'जज्बात',[1] 'मनतरंग'[2] 'मनसौरभ'[3], 'मनमाली'[4], 'मनविहंग'[5]। कहानी संग्रह में मुख्य हैं—'एक खिड़की कहानियों की'[6], 'कदम जिंदगी के'[7] 'बस चार किरदार',[8] 'अमृतवाणी', 'चयन मल्लिका'[9]। महापुरुषों के जीवन से संबंधित पुस्तक का सृजन किया है—'भारत के मनीषी'[10]।

देवयानी की रचनाओं में बहुत विविधता है। जीवन के विविध क्षेत्र के अनुभवों को अपनी कविता तथा कहानियों में पिरोया है। मातृभाषा बांग्ला होते हुए भी देवयानी ने हिन्दी साहित्य की सेवा में सदैव अपने को समर्पित किया है। देवयानी अदम्य साहसी रचनाकार हैं। इनकी कविता एवं कहानियाँ देश-विदेश की विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुईं। आकाशवाणी और दूर दर्शन पर भी प्रसारण हुआ। एक खिड़की कहानियों की कहानी संग्रह की पहली कहानी का रूपान्तरण नाटक में हुआ। 'दर्शन बाबा सोमनाथ जी

* जगत तारन गर्ल्स डिग्री कॉलेज, प्रयागराज

का' नामक कहानी का रूपान्तरण नाटक के रूप में विविध भारती से प्रसारित हुआ।

देवयानी की साहित्यिक उपलब्धियों के लिए विभिन्न सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। उनमें प्रमुख रूप से हैं।—सरस्वती सभ्यर्चना, भारतीय परिषद् प्रयाग, इलाहाबाद, 1995, यथार्थ के धरातल पर वेदमयी कविताओं की रचनाकर्त्री-भारती परिषद् प्रयाग, इलाहाबाद 2002, वांड्मय-मधुपक प्रशस्ति-पत्र, मित्र-कुल प्रयाग, इलाहाबाद, 2002, 'साहित्य', अखिल भारतीय भाषा साहित्य सम्मेलन, भोपाल 2003, फोरम ऑफ ह्यूमन राइट्स एण्ड नेचुरल जस्टिस, इलाहाबाद, 2005, 'भाषा गई तो संस्कृति गई', हिन्दी प्रचारिणी सभा, मॉरिशस, 2006, भारत भाषा भूषण' उपाधि अखिल भारतीय भाषा साहित्य सम्मेलन, बंगलौर, 2007, बागीवंदावर सम्मान, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, इलाहाबाद 2011, श्रीमती सुमन चतुर्वेदी स्मृति राष्ट्रीय द्वितीय पुरस्कार, 2012, श्रीधर शास्त्री स्मृति सम्मान, भारती परिषद्, प्रयाग, प्रयागराज, 2015, प्रथम साहित्य-सृजन शिखर सम्मान, अखिल भारतीय भाषा साहित्य सम्मेलन, भोपाल, 2016।

समय-समय पर देवयानी की कविता एवं कहानी संग्रह प्रकाशित होते रहे। पाठकों का भरपूर प्यार और स्नेह मिला। बहुत सराहना भी मिली। प्रख्यात कवि कैलाश गौतम ने इनकी पहली कहानी संग्रह 'एक खिड़की कहानियों की' के प्रकाशन के बाद उसकी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि 'देवयानी की कहानियों में बहुत ही मधुर सामंजस्य है।' आगे कहते हैं—इन कहानियों के पात्र कपोलकल्पित नहीं लगते, बल्कि वे हर वक्त अपने आस-पास मंडराते हुए महसूस होते रहते हैं। इसमें वर्णित घटनाएं आसमान से टपकती नहीं, बल्कि निरंतर अपनी आँखों के सामने घटित होती रहती हैं। इसलिए आदमी को समाज को अपने साथ लेकर चलती हैं और संवेदनशील पाठक को बहुत कुछ सोचने को और कहने को विवश करती हैं। ऐसी भावप्रधान कहानियों की आवश्यकता कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी।' प्रसिद्ध साहित्यकार डा. प्रदीप चित्रांशी ने देवयानी को 'शब्द साधिका कवयित्री देवयानी' के विशेषण से विभूषित किया है। चित्रांशी ने लिखा है—'निराशा के बीच में आशा का दीप जलाने वाली, स्वामी रामकृष्ण परमहंस एवं उनके शिष्य स्वामी विवेकानन्द को अपना आध्यात्मिक गुरु और आदर्श मानने वाली, माँ काली की आराधिका देवयानी ने अपने साहित्यिक उपवन में विभिन्न प्रजातियों के शब्द-पुष्प के पौध लगाकर साहित्यिक बगिया को हरा-भरा रखने लिए एक सुन्दर अभिनव प्रयोग किया है, जिसमें हर्ष, आनन्द, उल्लास का अनुपम मिश्रण देखने को मिलता है। अहिन्दीभाषी परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी हिन्दी के प्रति आपका अनुराग यूँ ही नहीं दिखाई देता है। इसके पीछे प्रयाग की धरती की सोंधी साहित्यिक सुगंध और आपके श्रद्धेय फूफा कमल बनर्जी के मार्गदर्शन का प्रिय संगम दिखाई देता है। पाविारिक और सामाजिक संघर्षों के बीच सत्य की शिला बनकर, आपने प्रकृति को अपना-मित्र बनाकर, पशु और पक्षियों की सेवा करके समाज को मनुष्यता का पाठ पढ़ाने वाली कई रचनाओं का सृजन कर उन्हें समाज को अपनी पुस्तक के माध्यम से समर्पित कर दिया।'

देवेन्द्र कुमार श्रीवास्तव 'देवेश' ने कविता के माध्यम से देवयानी के प्रति अपने हृदयउद्गार व्यक्त किया है—

तेरी लेखनी अभिनन्दनीय/तेरी रचनाएं लाजवाब हैं। तेरे जज़्बात में धार है। तेरा 'मन विहंग' नापता आकाश है। तेरा कवित्त तेरी पहचान है। तेरी कहानियाँ आइना-ए-समाज हैं। तेरा 'अवशेष' उपसंहार नहीं। देवयानी-समग्र का रूपाकार है।

इस प्रकार प्रयाग की साहित्यिक समृद्धि में देवयानी का अमूल्य योगदान है। आज भी देवयानी बहुत साहस के साथ रचनाकर्म में तल्लीन हैं। स्वयं मोबाइल द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा हमें अपनी साहित्यिक सामग्री उपलब्ध कराकर हमें उपकृत किया है। इस संग्रेह में विशेष रूप से देवयानी सरीखे साहित्याकारों के विषय में जानकारी उपलब्ध कर पाना अपना सौभाग्य समझती हूँ। वर्तमान समय के विद्यार्थियों के बीच में उनकी कविता, कहानियां लोकप्रिय हों, आज के पाठकों तक पहुँचे। इसी दिशा में यह प्रयास किया जा रहा है। भविष्य में हिन्दी साहित्य के पाठक इन शीर्षस्थ साहित्यकारों के विषय में एक जगह जानकारी प्राप्त कर सकें।

सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची

1. देवयानी, जज़्बात (काव्य संग्रह), नया बैरहना, इलाहाबाद, 1993
2. देवयानी, मनतरंग, (कविता संग्रह), भारतीय प्रकाशन, इलाहाबाद, 1999
3. देवयानी, मन सौरभ (कविता संग्रह), मोहित पब्लिकेशन, इलाहाबाद, 2002
4. देवयानी, मन विहंग (कविता संग्रह), साहित्य संगम प्रकाशन, इलाहाबाद, 2018
5. देवयानी, बस चार किरदार, (कविता संग्रह), ऐकेडमी प्रेस, इलाहाबाद, 2024
6. देवयानी, एक खिड़की कहानियों की, (कहानी संग्रह) मोहित पब्लिकेशन, इलाहाबाद, 2004
7. देवयानी, कदम जिंदगी के (कहानी संग्रह), अंकित प्रकाशन, इलाहाबाद, 2007
8. देवयानी, चयन मल्लिका (कहानी संग्रह), मोहित पब्लिकेशन, इलाहाबाद, 2002
9. देवयानी, भारत के मनीषी, किताब महल, इलाहाबाद, 2014

SHODH-GARIMA–YEAR-3, VOL. 3 (July to Sept., 2026)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal

ISSN (Print) : 3048-6327

IMPACT-FACTOR SJIF - 6.852

DOI : 10.5281/zenodo.23176655

Paper Received : 25th July 2026 **Paper Accepted : 30th July 2026**

आचार्य मम्मट के काव्यलक्षण का समीक्षात्मक विवेचन

□ डॉ. कुश कुमार*

शोध-सारांश

काव्य सौन्दर्य का नियमन एवं परख करने वाले शास्त्र को काव्यशास्त्र कहा जाता है। संस्कृत साहित्य में काव्य अपने व्यापक स्वरूप में साहित्य का समानार्थी है, वर्तमान समय में साहित्य शब्द से वाङ्.मय की जिन विद्याओं का अर्थ लिया जाता है उन सबका बोध संस्कृत के काव्य शब्द से हो जाता है वस्तुतः काव्य का स्वरूप बहुत व्यापक है उसको शब्दों में बांधना आसान काम नही है फिर भी आचार्यो ने अपने दृष्टिकोण से उसे व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। आचार्य भरतमुनि से लेकर पंडितराज जगन्नाथ तक लगभग 2000 वर्षों तक फैली हुई संस्कृत साहित्य की परम्परा में अनेक मान्य आचार्य हुए जिन्होंने काव्य को परिभाषित करने का प्रयास किया। भामह, दण्डी, वामन, कुंतक, रूद्रट, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ आदि आचार्यों के समक्ष काव्य लक्षण के दो दृष्टिकोण रहे है एक तो काव्य का शरीर (बहिरंग) और दूसरी काव्य की आत्मा (अंतरंग) जिसमें किसी विशेष दृष्टिकोण के अभाव में किसी भी परिभाषा को पूर्ण नहीं माना जा सकता। आचार्य मम्मट ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य प्रकाश में अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के कतिपय काव्य लक्षणों का समन्वय करते हुए जो काव्य लक्षण प्रस्तुत किया उससे स्पष्ट है कि आचार्य ने काव्य के बहिरंग तत्वों की चर्चा किया है अंतरंग तत्वों पर विशेष बल नहीं दिया और 1200 वर्षों में आचार्यो द्वारा दिये गये काव्य लक्षणों का सार अपने काव्य लक्षण में समाविष्ट कर दिया। यद्यपि इनके परवर्ती आचार्य विश्वनाथ और जगन्नाथ ने इनके काव्य लक्षण पर आपत्ति की फिर भी थोड़े शब्दों में भावगाम्भीर्य के द्वारा मम्मट ने अपने काव्य लक्षण को अत्यंत हृदयग्राही एवं उपादेय बना दिया है।

मुख्य शब्द– शब्दार्थ, अनलंकृति, रमणीयार्थ, आनंदानुभूति, अंतरंग, बहिरंग, उत्कर्ष, अपकर्ष, सगुणौ, पदावली, भावगाम्भीर्य, पूर्ववर्ती, परवर्ती, काव्यसौन्दर्य, अतिव्याप्ति, अव्याप्त।

* असिस्टेंट प्रोफेसर (हिन्दी विभाग), सी.एस.एन. पी.जी. कॉलेज, हरदोई

सत्य की सत्ता बहुत व्यापक और अनंत है, उसकी अनुभूति की अनेक भावभूमियां है और अभिव्यक्ति के विविध माध्यम है। इसी सत्य की सौन्दर्यमय आनंदानुभूति का शब्दमय रूप काव्य है जिसका मूल वैशिष्ट्य उसकी सूक्ष्म ग्रहणशीलता तथा शब्दमय कल्पना विधान में निहित है। काव्य शब्द कवि से बना है भारतीय संस्कृति मे कवि को ईश्वर, ब्रह्म और प्रजापति का पर्याय माना गया है 'कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभू[1] कहकर उसकी सर्वत्र प्रशंसा की गई है उसके लिये 'कवयति सर्वजानाति सर्ववर्णयतीति कविः' अर्थात जो कविता करता हैं, सबको जानता हैं और सबका वर्णन करता है उसे कवि कहते है। राजानक कुन्तक ने कवि के कर्म को काव्य कहा है कवेः कर्म काव्यम्।[2] कवि स्वरूप विवेचन में आचार्य भट्टतौत ने बड़ी बात कही है कि कवि अनृष नही होता बल्कि कवि ऋषि ही होता है मंत्र का द्रष्टा पुरूष ही ऋषि की महनीय उपाधि धारण करता है 'ऋषयोः मंत्र द्रष्टारः[3] अपनी कवित्व शक्ति के द्वारा कवि काव्य जगत का स्रष्टा होता है ध्वन्यालोककार आनंदवर्धनाचार्य ने कवि को स्वयं प्रजापति और उसकी सृष्टि को काव्य संसार कहा है–

अपारे काव्य संसारे कविरेकः प्रजापतिः।
यथास्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तते।।[4]

इस कवि प्रजापति की रूचि और इच्छा के अनुसार ही काव्य जगत की सृष्टि होती है इस प्रकार आनंदवर्धनाचार्य ने कवि के महत्व का प्रतिपादन किया आचार्य मम्मट इससे एक कदम और आगे बढ़कर कवि सृष्टि को प्रजापति की सृष्टि से उत्कृष्ट बता दिया और कवि की सामर्थ्य को ब्रह्मा के सामर्थ्य से अधिक महत्व प्रदान किया है।

नियतिकृत नियम्रहितांह्लादेक
मयीमनन्य परतंत्राम्।
नवरस रूचिरां
निर्मितिमादधती भारतीकवेर्जयति।।[5]

लौकिक साहित्य में कवि अर्थ की व्याप्ति कुछ कम होने लगी और रमणीय शैली में शब्दार्थ को रचने वाले को कवि के अर्थ में किया जाने लगा। वाल्मीकि रामायण को आदिकाव्य की संज्ञा दी जाती है अर्थात् कवि शब्द विशिष्ट प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति के लिए एक विशेष अर्थ संदर्भ में रूढ़िगत हो गया। 'काव्यं लोकोत्तंर वर्णनानिपुणं कवि कर्म[6] अर्थात जो लोकोत्तर वर्णन शैली में निपुण कवि का कर्म है वह काव्य है जो मन को आनंद की सीमा तक ले जाने वाला होता है कवि के मन और बुद्धि से निकले शब्द काव्य होते है जो पाठक अथवा श्रोता के मन बुद्धि से साधारणीकृत होकर उसके मन को लीन कर देते है। अब प्रश्न यह उठता है कि उस काव्य का स्वरूप क्या है उसका लक्षण क्या है। किसी वस्तु अथवा विषय के असाधारण अर्थात विशेष धर्म का कथन करना लक्षण कहलाता है लक्षण निर्धारित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उसमें विवेच्य विषय वस्तु का ऐसा विशिष्ट गुण निदिृष्ट किया जाय जो केवल उसी पदार्थ में विद्यमान हो, अतिव्याप्ति और अव्याप्त दोषों से दूर हो, यथासम्भव सूत्रात्मक हो, सुबोध हो, पारिभाषिक शब्दावली से रहित हो तथा व्याख्या की अपेक्षा न रखता हो। वस्तुतः काव्य का स्वरूप इतना सूक्ष्म और व्यापक है कि उसे स्थूल शब्दावली में बांधना आसान काम नही है फिर भी विद्वान आचार्यों ने अपनी मेधा शक्ति से देशकाल एवं परिस्थिति के अनुरूप काव्य के स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया है।

भारतीय काव्यशास्त्र की लगभग दो हजार वर्षो की सुदीर्घ परम्परा रही है जिसमें भरतमुनि से लेकर पण्डितराज जगन्नाथ तक कई प्रभृत विद्वान आचार्य हुए जिन्होंने अपनी मेधा शक्ति से विभिन्न काव्य सिद्धान्तों का प्रतिपादन भी किया और खंडन–मंडन भी किया। 'मुण्डे–मुण्डे मतिर्भिन्ना' के अनुसार काव्य को भी आचार्यो ने अपने–अपने दृष्टिकोण से व्याख्यायित किया। लक्षण दो प्रकार के होते है बहिरंग और अंतरंग। बहिरंग निरूपक लक्षण के लिए वस्तु के स्वरूप बोध कराने के लिए बाहरी चिह्नों का वर्णन किया जाता है और अंतरंग

निरूपक में वस्तु के आंतरिक चिह्नों का वर्णन किया जाता है। यद्यपि भरत मुनि ने काव्यलक्षण का निरूपण नही किया, किन्तु नाटक की विशेषताओं का विवेचन करते हुए जिन तत्वों का उल्लेख किया वे काव्य के भी तत्व है। भारतीय आचार्यों में भामह पहले आचार्य हुए है जिन्होंने काव्य को परिभाषित किया और कहा कि शब्द और अर्थ मिलकर काव्य कहलाते है। शब्दार्थौं सहितौ काव्यम्[7] दण्डी ने इष्ट अर्थ से परिपूर्ण पदावली को काव्य का शरीर कहा है। 'शरीरं तावदीष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली'[8] रूद्रट ने शब्दार्थ के सम्बन्ध को काव्य माना 'ननु शब्दार्थौ काव्यम्'[9] कविराज विश्वनाथ ने रसमयी वाक्य को काव्य कहा है 'वाक्यं रसात्मकं काव्यं'[10] पण्डितराज जगननाथ ने रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाले शब्द को काव्य कहा है। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्[11] इस प्रकार आचार्यों ने अपने–अपने दृष्टिकोण से काव्य को परिभाषित किया है। किन्तु विवेच्य विषय वस्तु के आधार पर यहां आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण की समीक्षा करना समीचीन होगा।

वाग्देवतावतार आचार्य मम्मट समूची काव्यशास्त्रीय परम्परा में सबसे यशस्वी आचार्य है। इनके अक्षय कीर्ति का आधार इनका श्रेष्ठ काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ काव्य प्रकाश है जो दस उल्लासों में विभक्त है इस ग्रंथ की महत्ता इस बात से और सिद्ध हो जाती है कि इस पर 70 से भी अधिक टीकाएं लिखी जा चुकी है यह प्रथम काव्यशास्त्रीय ग्रंथ है जिसमें काव्यलक्षण, काव्यहेतु, काव्यप्रयोजन, शब्द शक्ति, ध्वानेभेद, रस, गुण, अलंकार, रीति, वृत्ति तथा दोषों संगोपांग विवेचन एवं विश्लेषण किया गया है। ये समन्वयवादी आचार्य है और ध्वनिवाद की दृष्टि से अपने पूर्ववर्ती सभी आचार्यो के मतों का व्यवस्था पूर्ण समन्वय किया इसलिए इन्हें ''ध्वनिप्रस्थापन परमाचार्य'' कहा जाता है।

आचार्य मम्मट का काव्य लक्षण ''तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृती पुनः क्वापिः'[12] अर्थात दोषों से रहित गुण युक्त और कहीं कहीं अलंकार रहित शब्द और अर्थ की समष्टि काव्य कहलाती है।

आचार्य भामह के पश्चात् आचार्य मम्मट की काव्य परिभाषा उल्लेख्य हैं और यह लक्षण विद्वानों में अपेक्षाकृत अधिक समादरणीय भी रहा और व्याख्यापेक्ष भी। जैसा कि कहा गया है कि यह बहिरंग निरूपक काव्य लक्षण है आचार्य ने ऐसे शब्दार्थ को काव्य माना है जो दोषरहित और गुणसहित हो, उसमें चाहे अलंकार हो न हो परन्तु मन को पकड़ने, आहलादित करने या भावविभोर करने की क्षमता अवश्य होनी चाहिये। कहने का तात्पर्य यह कि यह लक्षण काव्य के अंगो और उपांगों की विशिष्टता दर्शाता है शब्द और अर्थ का मंजुल समन्वय काव्य होता है और मम्मट ने अपने द्वितीय उल्लास में शब्दार्थ के स्वरूप को बताया है वाचक लक्षक और व्यंजक तीन प्रकार का शब्द होता है। ''स्यादृाद्वाचको लाक्षणिकः शब्दोडमाब्दोषत्र व्यंजक स्त्रिधा''[13] अब प्रश्न यह हैं कि काव्य किसमें हैं शब्द में अथवा शब्दार्थ में तो आचार्यगण इसमें एक मत नही हैं पंडितराज जगन्नाथ शब्द को काव्य मानते है उनका स्पष्ट मानना है कि चमत्कार जनक भावना का विषय बनने वाले अर्थ के प्रतिपादक शब्द में ही काव्य की स्थिति है जिस शब्द का बार–बार अनुचिंतन चित्त में चमत्कार उत्पन्न करता है वही काव्य है[14] आचार्य मम्मट शब्दार्थ में काव्य की अवस्थिति मानते है। वास्तव में शब्द और अर्थ दोनों का समन्वित रूप काव्य है जिस प्रकार रसोन्मीलन में शब्द सहायक है उसी प्रकार अर्थ भी। शब्द और अर्थ का नित्य सम्बंध है। शब्द बोलते ही अर्थ स्वतः उत्पन्न हो जाता है। शब्द और अर्थ जल तंरगवत् होते हैं महाकवि कालिदास ने शब्द और अर्थ के नित्य सम्बंध को अर्धनारीश्वर से उपमा दिया हैं

वागर्थाविव सम्पृक्तौ वार्गथप्रति पत्तये।
जगतः पितरौ वन्दें पार्वती परमेश्वरौ,।।[15]

गोस्वामी तुलसीदास ने शब्द अर्थ को जल तंरगवत अभिन्न कहा है। ''गिरा अरथ जल वीचिसम कहियत भिन्न न भिन्न''[16]

इस प्रकार आचार्य मम्मट ने अपने काव्य लक्षण में शब्दार्थ के तीन विशेषण दिये है उनमें निर्दोषता और सगुणता अनिवार्य तत्व तथा स्फुट सालंकारता वैकल्पिक तत्व ठहरता है।

अदोषौ— आचार्य मम्मट ने अपने काव्य लक्षण में जिस दोष का उल्लेख किया है उसे स्पष्ट करते हुए काव्यप्रकाशकार ने सप्तम उल्लास में कहते है। ''मुख्यार्थ हतिर्दोषो रसश्च मुख्यस्तदा श्रयाद् वाच्यः''[17] अर्थात मुख्यार्थ का अपकर्ष जिससे होता है वह दोष है यहां मुख्यार्थ का मतलब वाच्यार्थ नहीं अपितु रस है (रसश्य मुख्यः) इस प्रकार रस के अपकर्षजनक कारण दोष है तात्पर्य यह है कि काव्यत्व के विघटक प्रबल च्युतसंस्कार आदि दोष है उनसे रहित शब्दार्थ काव्य हैं कोई दोष स्वरूपतः दोष नही होता बल्कि जब रसानुभूति में बाधा उत्पन्न करता है तब दोष कहलाता है। यही मम्मट का मन्तव्य है।

साहित्यदर्पणकार ने अदोषों पद का खण्डन यह कहकर किया कि यदि दोषरहित शब्दार्थ को काव्य माना जाय तो सर्वथा नितांत निर्दोष काव्य की परिकल्पना ही असम्भव हो जायेगी। जब मानव ही निर्दोष नही हैं तब मानव निर्मित रचना सर्वथा निर्दोष कैसे हो सकती है और यदि निर्दोष हो भी जाय तो रूचि वैभिन्य के कारण उसमें दोष निकल ही जायेंगे। यदि किसी को किसी रचना में गुण दिखाई देगा तो दूसरे को उसी रचना में दोष दिखाई देगा। ऐसी स्थिति में उत्तम काव्य संसार में मिलेगा ही नही। साहित्यदर्पणकार का मत है कि दोषों का सम्बंध काव्य के स्वरूप से न होकर उसके उत्कर्ष या अपकर्ष से है दोष का सामान्य लक्षण हैं ''रसापकर्षका दोषाः''[18] अर्थात् जो रस के अपकर्षक है वे ही दोष है और रस काव्य का आत्मभूत है शरीर में आत्मा की तरह सम्पूर्ण काव्य में व्याप्त रहता है किसी एक अंग में नही। दोषों का सम्बंध रसो से है यदि वे रस के अपकर्षक नही है तो उन्हें दोष भी नही कह सकते। जैसे रत्न के लक्षण में कीटानुवेध का परिहार नहीं किया जा सकता। जैसे कीड़ा लग जाने से किसी रत्न का रत्नत्व नष्ट नही हो जाता, उसी प्रकार श्रुतिकटुत्वादि दोष काव्य के काव्यत्व को समाप्त नही कर सकते'' नहि कीटानुवेधादयो रत्नस्य रत्नत्वं हन्तुमीशाः किन्तू पादेयतारतम्यमेव कर्तुम तद्वदत्र श्रुतिदुष्टादयोऽपि काव्यस्य''[19]

सगुणौ— काव्यप्रकाशकार ने काव्य में गुण का होना अनिवार्य माना हैं और अष्टम् उल्लास में गुण को स्पष्ट करते हुए कहते है आत्मा के शौर्यादि धर्मों के समान प्रधान रस के जो अपरिहार्य और उत्कर्षधायक धर्म है वे गुण कहलाते है

ये रसस्यांगिनो धर्मा शौर्यादय इवात्मनः।
उत्कर्ष हेतवस्ते स्युरचल स्थितयो गुणाः।।[20]

माधुर्य प्रसादादि गुणों का सम्बंध रस से है और गौण रूप से शब्दार्थ से भी अतः काव्य में इनकी सत्ता नितांत अनिवार्य हैं। इस पद की भी साहित्यदर्पणकार ने खण्डन किया और कहा कि शब्दार्थों के साथ सगुणौ का विशेषण उचित नही क्योंकि गुण केवल रस में विद्यमान रहते है शब्दार्थ में नही। काव्य प्रकाशकार ने यह बात स्वयं स्वीकार किया है तब शब्दार्थों के साथ सगुणौ कैसे उचित ठहरता है। यदि काव्य प्रकाशकार शब्द और अर्थ को काव्य मानते है तो उसमें रस रहता है या नही यदि नही तो उसमें गुण भी नही रह सकता। क्योंकि गुणों का रस से अन्वय व्यतिरेक का सम्बंध होता हैं एक की स्थिति में ही दूसरा रहता है (अन्वय), एक के न होने पर दूसरा भी नही रहता (व्यतिरेक)। यदि रस है तो गुण भी है। अतः यदि रस के बिना गुण नही रह सकता। तो सगुणौ के स्थान पर सरसौ विशेषण ही उचित है क्योंकि ''गुणाः शौर्यादिवत्ः''[21] जिस प्रकार शौर्यादि बिना प्राणी के नही हो सकता उसी प्रकार प्रसादादि बिना रस के नही हो सकता। ''तयोः काव्य स्वरूपेणाभिमतयोः शब्दार्थयो रसोऽस्ति न वा। नास्तिचेत गुणवत्वमपि नास्ति। गुणानाः तदन्वयव्यतिरेकानुविद्यायित्वात्। अस्ति चेत कथं नोक्तं रसवन्ताविति विशेषणम्।

गुणवत्वान्यथानुपपत्यैतल्लभयत् इति चेत तर्हि सरसावित्येव वक्तुंयुक्तम् न सगुणाविति''[22]

अनलंकृति पुनः क्वापि– काव्यप्रकाशकार अलंकार को काव्य का गौण तत्व मानते है उनके अनुसार काव्य में अलंकार होने चाहिए पर यदि न भी हो तो उससे काव्य के काव्यत्व में कोई हानि नही होती ''क्वापीत्यने नैतदाहयत् सर्वत्र सालंकारौ क्वचित स्फुटालंकार विरहेदपि न काव्यत्व हानिः यथा–यः कौमारहरः स एव हि[23] इस श्लोक में स्फुट रूप से कोई अलंकार नही है और जहाँ रस स्वयं प्रधान न होकर अन्य किसी का अंग बन जाता है वहां रसवत् अलंकार होता है यहां रस किसी का अंग नही अपितु स्वयं प्रधान के रूप से अनुभूत हो रहा है इसलिए रसवत् अलंकार भी नही।'' रसस्य प्रधान्यान्नालंकारता''[24] साहित्यदर्पणकार ने मम्मट के इस मत का भी खण्डन किया है वे कहते है कि काव्य पुरूष के अंगरचना के सदृश और उपमादि अलंकार कटक कुंडलादि के समान होते है ''अलंकाराः कटककुण्डलादिवतः''[25] इस रूपक के अनुसार अलंकार केवल उत्कर्ष पैदा करने वाले होते है स्वरूप के घटक नही और काव्यप्रकाशकार ने जो स्फुट अलंकार का उदाहरण दिया यह भी उचित नहीं है। जो काव्यप्रकाशकार यह कहते है कि इस श्लोक में स्फुटलंकार नही है काव्य में रस की स्थिति होने पर अलंकार की स्थिति अनिवार्य नहीं होती काव्य में रस की अनिवार्यता होनी चाहिए। साहित्यदर्पणकार की दृष्टि में यह भी ठीक नहीं है और इन्होंने इस श्लोक में विभावना विशेषोक्ति मूलक संदेह संकर अलंकार सिद्ध किया है ''अत्रहि विभावनाविशेषोक्तिमूलस्य संदेह संकरालंकारस्य स्फुटत्वम्''[26] और यह काव्य लक्षण भी खाण्डित हो गया। क्योंकि दोष गुणादिको का काव्यस्वरूप में निवेश नही हो सकता।

काव्यप्रकाशकार के अनलंकृति पुनः क्वापि का आलंकारवादी आचार्य जयदेव ने प्रबल विरोध किया। ये अलंकार को काव्य का प्राणभूत तत्व मानते है उनकी दृष्टि में अलंकार के बिना काव्य उसी प्रकार होगा जैसे उष्णता से रहित आग।

अंगी करोति यः काव्यं शब्दार्थवनलंकृती।
असौ न मन्यते कष्मादऽनुष्णलंकृति।।[27]

स्पष्ट है कि काव्य प्रकाशकार ने जो इस आधी कारिका में अपना काव्य लक्षण प्रस्तुत किया। वह अन्य आचार्यों के काव्य लक्षण की अपेक्षा अधिक परिमर्जित एवं सारगर्भित है इन्होंने काव्य के बहिरंग तत्वों की चर्चा की अंतरंग तत्वों पर कोई विशेष बल नही दिया और अलंकार के प्रति तो उनका दृष्टिकोण बड़ा संतुलित रहा है वे काव्य में अलंकार को अनिवार्य मानते है किन्तु उतना नही जिनता वामन और जयदेव मानते हैं आचार्य ने अपने लक्षण में अदोषौ और सगुणौ जोड़कर काव्य के प्रति नया दृष्टिकोण का परिचय दिया है और यह स्पष्ट किया कि कितना भी सुन्दर काव्य हो यदि उसमें एक भी बड़ा दोष (श्रुतिकटुत्वादि) हो तो काव्य के गौरव को कम कर देता है। दोष के बाद गुण की चर्चा करते है तत्पश्चात् अलंकार का नम्बर आता है इस प्रकार थोड़े शब्दों में सरल सुबोध और स्पष्ट काव्य लक्षण आचार्य मम्मट ने प्रस्तुत किया जो बाद के आचार्यो के लिए समीक्षा का भी विषय बना और लोकप्रियता का भी। निश्चिय ही आचार्य का काव्यलक्षण अपने भावगाम्भीर्य के कारण विद्वानों में आदरणीय रहा है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. ईशावास्योपनिषद मंत्र 8, पृष्ठ 56
2. वक्रोक्तिजीवित (कुंतक) प्रथमोन्मेष (वृत्ति), पृष्ठ 6
3. संस्कृत आलोचना (पं0 बलदेव उपाध्याय), पृष्ठ 12
4. ध्वन्यालोक (आनंदवर्धन) तृतीय उद्योत पृष्ठ 587
5. काव्यप्रकाश (मम्मट) प्रथम उल्लास 1, पृष्ठ 5
6. वही (वृत्ति) पृष्ठ 12
7. काव्यालंकार (भामह) 16, पृष्ठ 9
8. काव्यादर्श (दण्डी) प्रथम परिच्छेद 10, पृष्ठ 9
9. काव्यालंकार (रूद्रट) 2.1, पृष्ठ 17
10. साहित्यदर्पण (विश्वनाथ) प्रथम परिच्छेद, पृष्ठ 19
11. रसगंगाधर (जगन्नाथ) प्रथम आनन 1, पृष्ठ 10

12. काव्यप्रकाश (मम्मट) प्रथम उल्लास, पृष्ठ 21
13. वही द्वितीय उल्लास, पृष्ठ 38
14. काव्यशास्त्र चर्चा (डॉ. देवकी नंदन श्रीवास्तव), पृष्ठ 22
15. रघुवंशम (महाकवि कालिदास) मंगलाचरण श्लोक
16. रामचरितमानस बालकाण्ड दोहा 18
17. काव्यप्रकाश (मम्मट) सप्तम उल्लास 49, पृष्ठ 308
18. साहित्यदर्पण (विश्वनाथ) सप्तम परिच्छेद, पृष्ठ 227
19. वही प्रथम परिच्छेद, पृष्ठ 15
20. काव्यप्रकाश (मम्मट) अष्ट्म उल्लास 66, पृष्ठ 437
21. साहित्यदर्पण प्रथम परिच्छेद, पृष्ठ 16
22. वही, पृष्ठ 15–16
23. काव्यप्रकाश (मम्मट) प्रथम उल्लास, पृष्ठ 21–22
24. वही, पृष्ठ 22
25. साहित्यदर्पण प्रथम परिच्छेद, पृष्ठ 16
26. वही पृष्ठ 17
27. चन्द्रालोक (जयदेव) प्रथम मयूख 8, पृष्ठ 10

SHODH-GARIMA–YEAR-3, VOL. 3 (July to Sept., 2026)
A Peer-Reviewed & Referred
International Multidisciplinary
Research Journal

ISSN (Print) : 3048-6327

IMPACT-FACTOR
SJIF - 6.852

DOI : 10.5281/zenodo.23176701

Paper Received : 15th July 2026

Paper Accepted : 25th July 2026

Curcumin Phytosomal Complex : A Physico-Chemical Fabrication and Evalauation Study Focused on Solubility and Absorption Enhancement

Corresponding Author : Dr. Vineet Mehta

Kalpna Kashyap*
Ankit Singh**
Vineet Mehta***

ABSTRACT

Objective: *This study aimed to enhance curcumin's solubility and absorption by formulating a curcumin-phospholipid phytosome complex as an antidiabetic agent.*

Methods*: Phytosomes were prepared using solvent evaporation by refluxing curcumin with soya lecithin in methanol: chloroform at 40°C. The film was dried and hydrated with phosphate buffer under stirring. The formulation was characterized by FTIR, DSC, and XRD to confirm complex formation. Solubility, particle size, PDI, and zeta potential were determined. In vitro drug release was evaluated using dialysis method.*

Results*: FTIR and DSC confirmed complex formation between curcumin and phospholipid, while XRD showed reduced crystallinity. Phytosomes showed particle size of 219.3 nm, PDI of 26.7%, and zeta potential of -38.6 mV. The formulation enhanced curcumin's aqueous solubility by 30-fold. Release studies showed sustained drug release following the Korsmeyer-Peppas model.*

Conclusion: *The curcumin-phospholipid phytosomes improved solubility and release profile of curcumin, suggesting phytosomal delivery systems are promising for diabetes management.*

Keywords*: Curcumin, Phytosomes, Solvent evaporation, Particle size, Zeta potential, Apparent Solubility.*

* *Department of Pharmacy, Shri Jagdishprasad Jhabarmal Tibrewala University, Jhunjhunu (Rajasthan)*
Email : kalpnakashyap87@gmail.com

** *Department of Pharmacy, Shri Jagdishprasad Jhabarmal Tibrewala University, Jhunjhunu (Rajasthan),*
Email : pharmvivek16@gmail.com

*** *Department of Pharmacology, Govt. College of Pharmacy, Rohru, District Shimla (Himachal Pradesh),*
Email : vineet.mehta20@gmail.com

Introduction

Diabetes Mellitus has emerged as a global public health emergency, significantly impacting the lifestyles of a large portion of the world's population. DM is a persistent metabolic condition characterized by prolonged high blood sugar levels. This chronic hyperglycemia results in elevated levels of advanced glycation end products (AGEs), which directly affect cells, leading to pro-inflammatory responses and oxidative stress, ultimately causing organ failure [1-2]. The American Diabetes Association projects that by 2045, 783 million people worldwide will be affected, up from 537 million in 2021 [3]. Epidemiological research has identified a link between inflammatory biomarkers and the development of T2DM and its complications. Adipose tissue appears to be a major source of these inflammatory biomarkers due to interactions between adipocytes, macrophages, and other immune cells within the expanded adipose tissue [4-7]. Oxidative stress is also implicated in T2DM development, leading to increased free radical production and decreased antioxidant capacity [8]. Hyperglycemia can exacerbate oxidative stress by increasing polyol pathway activity, activating protein kinase C, altering eicosanoid metabolism, and inducing glucose autoxidation, all of which contribute to higher reactive oxygen species (ROS) levels. ROS can have numerous harmful effects that initiate and worsen diabetes, such as impairing glucose transport channels, reducing insulin secretion, causing protein fragmentation and oxidation, damaging DNA, generating free fatty acids, and increasing vascular permeability. Additionally, oxidative stress promotes AGE formation, contributing to endothelial dysfunction and the development of microvascular and macrovascular complications in T2DM [9-11]. Herbal compounds have been found to enhance ^{2}-cell function and encourage ^{2}-cell regeneration, which is vital for managing diabetes. This enhancement includes increasing ^{2}-cell mass, boosting insulin secretion in response to glucose by activating glucose transporter-2 (GLUT-2) receptors, and raising intracellular calcium levels. Additionally, some herbal agents have antiapoptotic properties and activate insulin signaling pathways while safeguarding ^{2}-cells. Herbal medicines have shown their ability to inhibit key enzymes involved in carbohydrate metabolism, such as ±-glucosidase and ±-amylase, thereby helping to lower postprandial blood glucose levels. Furthermore, targeting inflammatory pathways, like the inhibition of the NLRP3 inflammasome by natural compounds from herbal medicine, aids in reducing inflammation and oxidative stress associated with the progression and complications of diabete[12-13]. Curcumin, a significant natural polyphenolic compound, is primarily derived from the rhizomes of the Curcuma genus. Curcumin offers beneficial effects on metabolic diseases due to its diverse pharmacological activities, including hypoglycemic, antioxidant, anti-inflammatory, cardiovascular protective, and hepatoprotective properties [14].The primary aim of this study was to formulate and evaluate curcumin–phospholipid complex with a focus on enhancing the apparent solubility and absorption of curcumin, thereby establishing its potential as an effective antidiabetic agent.

MATERIAL AND METHODOLOGY

Materials

Curcumin was purchased from Baidyanath Asli Ayurved Store. Soya lecithin from Sigma Aldrich Pvt Ltd., Bangalore India. Methanol and Chloroform from Fisher Scientific (Mumbai). All other solvents and reagents were of analytical grade.

Preparation of the curcumin -phospholipid complex (CPC)

The precise amount of curcumin and phospholipid was taken in 250 ml RBF (round bottom Flask) and were refluxed at temp range of 40 °C for 2 h with the methanol: Chloroform (1:1) as solvent system.The formulated solution

of curcumin phospholipid complx was placed in the desiccators for overnight. After overnight, the solution became hydrated with phosphate buffer containing pH 6.8 volume upto 100ml with constant stirring to obtain the phytosomes complex, after that phytosomes was kept in amber color glass bottle and stored in the cool place at room temperature.

EVALUATION PARAMETERS :

Particle Size Distribution and PDI (Polydispersity Index) and Zeta Potential

Take 10mg of curcumin phytosomes powder and dissolved in 10ml of water then shake or sonicate to dissolve it. Following the proper dilution with distilled deionised water, dynamic light scattering was used to analyze the particle size (mean size and polydispersity index (PDI) and zeta potential were obtained using a Zeta-sizer (Anton paar model Litesizer).

Surface Morphology:

The complex's surface morphology and particle size estimation have been determined using scanning electron microscopy. For auxiliary electron emissive SEM (Hitachi-S 3400N), the samples were sputter-covered with gold/ palladium for 120 seconds at 14 mA in argon air. At a voltage of 15.0 kV, the samples were observed for morphology.

FTIR

The FTIR Spectrometer (INFRA 3000B FTIR) was used to assess chemical or physical compatibility of Curcumin, Soy Lecithin, Physical Mixture (1:1) and CPC. The infrared spectrum's observed range was 400 cm-1 to 4000 cm-1. FTIR was used to scan the samples in the 400–4000 cm^{-1} range

Differential Scanning Calorimetry (DSC)

Differential scanning calorimetry (Perkin Elmer, DSC 6000) is used as thermal analyser, the thermal behaviour of CPC were investigated. As the carrier gas, nitrogen was heated at a rate of 10°C/min and flowed at a rate of 20 °C/min for the DSC analysis. 5.2mg was the sample size, and observations were made between 250°C.

X-ray Diffraction (XRD)

This technique is used to characterize the crystalline nature of the compounds. In phytosomes, XRD helps evaluate whether the active compounds (like curcumin) are still crystalline or have transformed into an amorphous or semi-crystalline state—which typically enhances solubility and bioavailability.

***In vitro* drug release**

Dialysis method was used to measure the in vitro release. The formulation was dissolved in phosphate buffered saline (PBS), a pH 7.4 release medium, to create a suspension. Both ends of the suspension were tied after it was placed into a cellulose dialysis membrane (Dialysis Membrane-70, Himedia, Mumbai, India). After that, it was suspended in 10 milliliters of release medium in a glass vial. At 37°C, a water bath shaker was used to shake the vial horizontally.

RESULT & DISCUSSION

Particle Size and Zeta Potential Analysis

The particle size distribution analysis of CPC F3 revealed a mean hydrodynamic diameter of 219.3/ nm, with a polydispersity index (PDI) of 0.267 displayed in fig.1. The relatively narrow distribution (PDI < 0.3) indicates moderate uniformity in particle size and suggests efficient formulation and good physical stability of the phytosomal dispersion.Smaller particle sizes are known to enhance the surface area, improving interaction with biological membranes[15] while a lower PDI suggests controlled and reproducible particle formation.

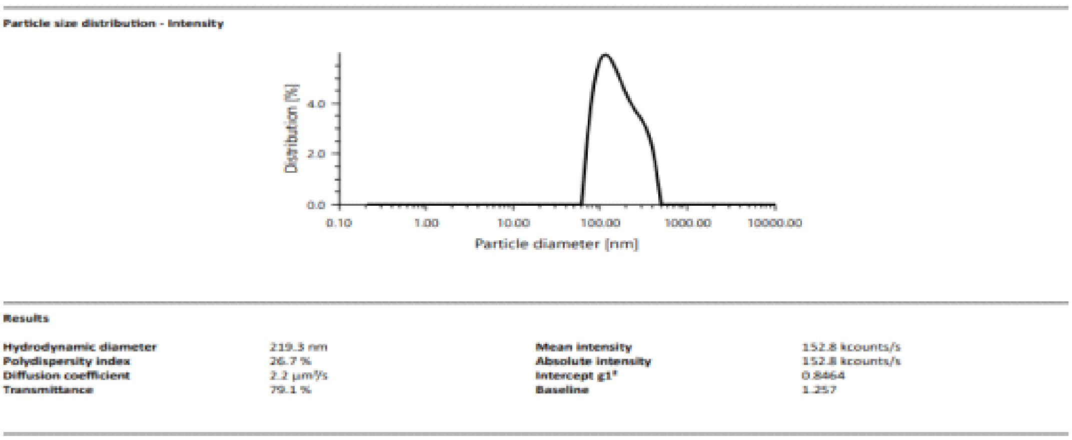

Fig. 1 : Dynamic light scattering (DLS) analysis of the phytosomal formulation showing a unimodal particle size distribution with an average hydrodynamic diameter of 219.3 nm and a polydispersity index (PDI) of 26.7

Zeta Potential Analysis

The zeta potential of CPC was found to be "38.6/ mV displayed in fig. 2 which reflects a highly negative surface charge. A zeta potential greater than ±30/ mV typically indicates sufficient electrostatic repulsion between particles to prevent aggregation, thus confirming colloidal stability of the nanosystem This strong negative potential ensures that the phytosome dispersion remains physically stable over time by resisting flocculation and sedimentation.

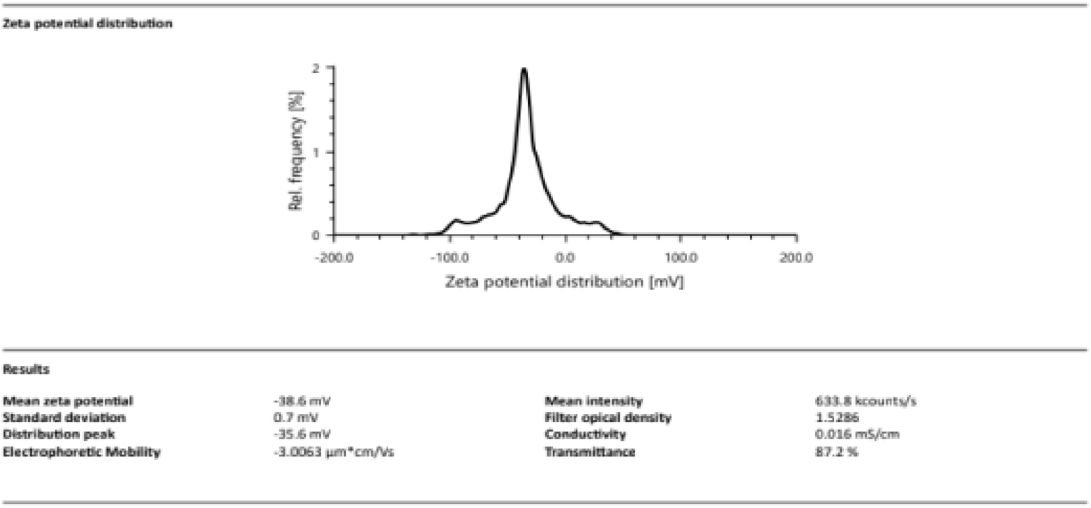

Figure 2 - Zeta potential distribution of the phytosomal formulation showing a mean zeta potential of –38.6 mV.

Surface Morphology:

The Surface morphology of Curcumin Phytosomes Complex (CPC) was studied by Scanning electron microscopy (SEM). Fig.3 depicts the SEM image at 1,000× magnification (left image) reveals that exhibits an irregular,

aggregated, and flake-like morphology, suggesting the presence of layered structures. This type of morphology is indicative of successful formation of phytosomal complexes, as it contrasts with the typically crystalline structure of pure curcumin.

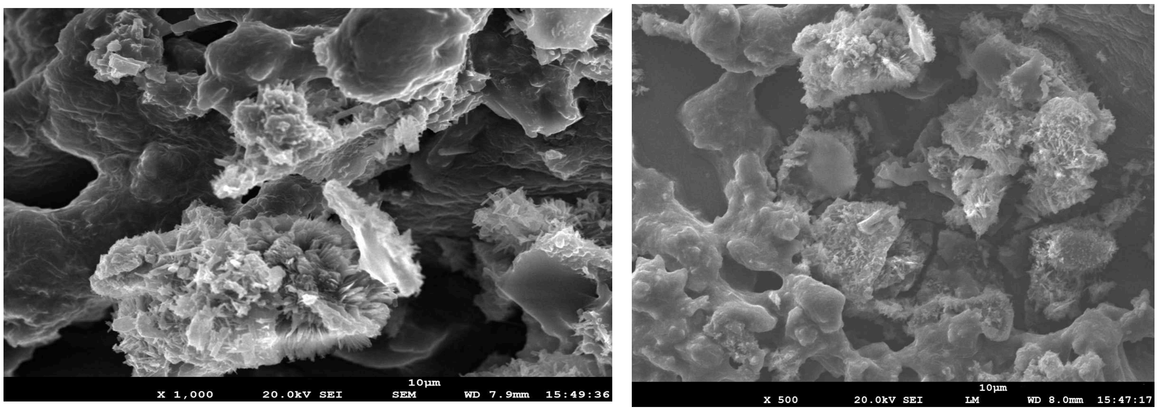

Fig.3- Surface morphology of curcumin phytosomes (SEM)

In the second image at 500× magnification (right image) of CPC, the aggregated structure is more clearly visible, with the particles forming dense clusters. This clustering may result from the hydrophobic nature of curcumin and its tendency to self-associate, further stabilized by the phospholipid matrix. The particle size appears to be in the micron range (~1–10 µm), as evidenced by the scale bar, which is consistent with expectations for phytosomal dispersions prepared without extensive size reduction techniques.[16]. Moreover, this morphology is favorable for enhanced dissolution of curcumin, which is otherwise poorly soluble in water.

FTIR

Analysis of pure curcumin using Fourier Transform Infrared (FTIR) spectroscopy verified the presence of distinct functional groups while preserving its structural integrity.

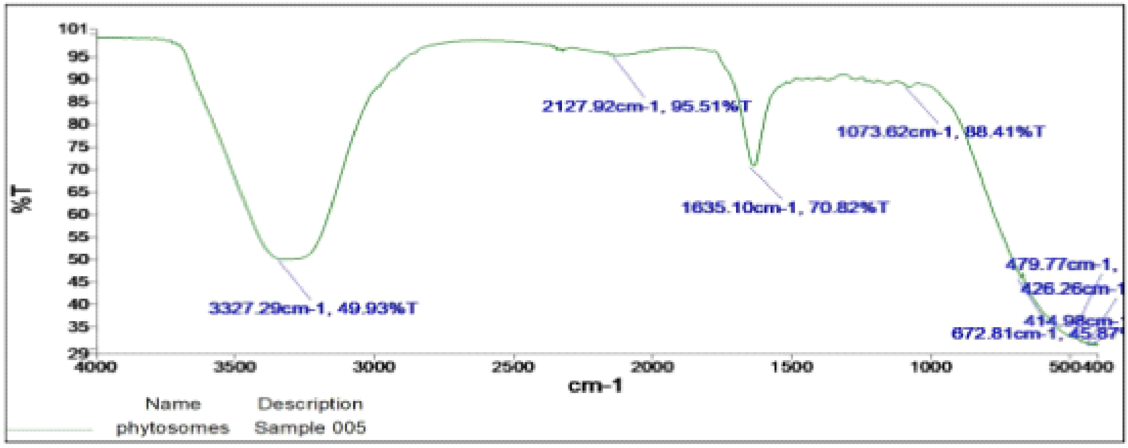

Fig. 4-FTIR spectrum of the phytosomal curcumin complex

DSC

Differential Scanning Calorimetry (DSC) of Curcumin Phytosome Complex showing thermogram of the CPC F3 shows a distinct endothermic peak at 171.60/ °C, with an onset at 164.46/ °C and an end at 176.89/ °C. displayed in fig.5. This represents a significant shift and broadening of the melting peak compared to pure curcumin (182.01/ °C) and the physical mixture (173.20/ °C), The disappearance of the sharp, high-melting peak seen in pure curcumin confirms that the drug is no longer in its original crystalline form but has formed a new solid-state structure, likely due to complexation with phospholipids.

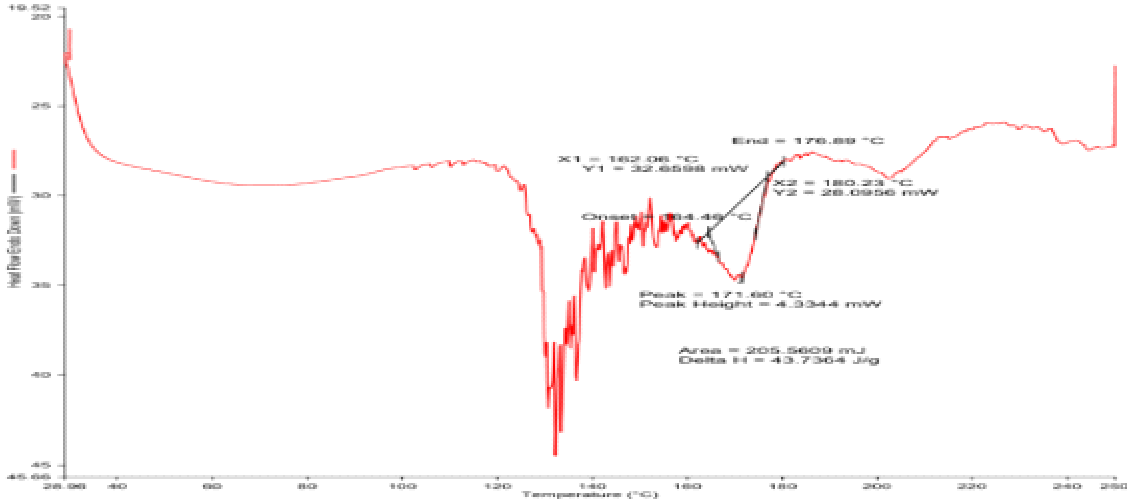

Fig.5- DSC thermogram of CPC F3 showing a broad endothermic peak at 171.60/ °C, confirming complex formation.

X-ray Diffraction (XRD) Analysis of Curcumin Phytosome Complex

The X-ray diffraction (XRD) pattern of the CPC reveals significant changes in the crystalline structure of curcumin after complexation with phospholipids.The diffractogram exhibits multiple broad and diffused peaks as shown in the fig. 6 within the 2¸ range of 10° to 35°, indicating a partially crystalline or semi-amorphous nature of the phytosome complex.

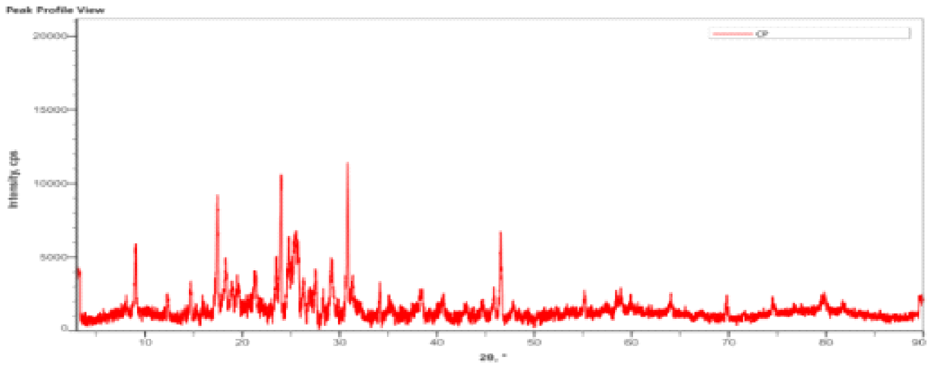

Fig.6 X-ray diffraction (XRD) pattern of CPC.

This suggests a loss of long-range crystalline order, likely due to the molecular interaction between curcumin and phospholipids, wherein curcumin molecules are either embedded within or surface-bound to the phospholipid matrix. This structural modification is desirable as it may lead to enhanced solubility, improved wettability, and better bioavailability of curcumin [17-19].

Solubility studies

The solubility of Curcumin and CPC in water or n-octanol was studied. The data shows that solubility of CPC in n-octanol was more than in water **Table 1**.

Table 2: Apparent solubility of RT and CPC in n-octanol and water at 25°C.

Sample	Apparent solubility in n-octanol at 25°C (µg/mL)			x±s
Curcumin	621.55	633.63	642.88	632.69 ± 10.70
CPC	2556.87	2587.12	2577.41	2573.80 ± 15.44
Sample	**Apparent solubility in water at 25°C (µg/mL)**			**x±s**
Curcumin	1.92	1.77	1.86	1.85 ± 0.08
CPC	56.73	58.92	57.32	57.66 ± 1.13

***In Vitro* Drug Release Profile**

The *in vitro* drug release study was carried out using the dialysis bag method to compare the release profile of curcumin from the phytosome complex (CPC) against the pure curcumin. The cumulative percentage release was monitored over a 24-hour period in phosphate buffer (pH 7.4) .At the initial time points (0.5–2 hrs), a significantly faster release was observed from the plain curcumin, with 45.45% release at 0.5 hrs and 64.87% by 2 hrs, while CPC exhibited only 26.61% and 43.30%, respectively. This burst release from the plain curcumin is attributed to the unencapsulated nature and higher solubility of free curcumin[20-21].However, as time progressed, the CPC formulation showed a sustained and controlled release profile, steadily increasing from 54.11% at 4 hrs to 84.62% at 24 hrs. In contrast, the plain curcumin plateaued early, reaching a maximum of ~91.76% by 20 hrs, indicating complete and rapid release. This sustained release behaviour of CPC is attributed to encapsulation of curcumin within the phospholipid matrix.

CONCLUSION

The present study successfully demonstrated the development and evaluation of a curcumin-phospholipid phytosome complex using the solvent evaporation method. This method facilitated the effective entrapment of curcumin within the phospholipid matrix, aimed at improving its apparent solubility, absorption and therapeutic efficacy, particularly in the context of diabetes management.The particle size of 219.3 nm and a PDI of 0.267, along with a zeta potential of "38.6 mV, confirm the successful creation of stable, nano-sized curcumin-loaded phytosomes. These favorable particle size and zeta potential values play a crucial role in enhancing the solubility, absorption, stability, and release rate of the active ingredient within the phytosome formulation. The DSC analysis showed a shift and broadening of curcumin's melting peak in the phytosome complex, suggesting reduced crystallinity and strong drug–phospholipid interactions. This confirms successful complex formation, likely contributing to enhanced solubility and bioavailability. The XRD pattern of the curcumin–phospholipid

complex exhibited broad, diffused peaks, indicating a transition from crystalline to semi-amorphous form due to molecular interactions. The apparent solubility of curcumin in water was significantly improved through phytosome formulation, increasing from 1.85 ± 0.08 µg/mL for pure curcumin to 57.66 ± 1.13 µg/mL for the curcumin–phospholipid complex. This represents a more than 30-fold enhancement, likely due to the amphiphilic nature of phospholipids, improved wettability, and the reduced crystallinity of curcumin in the complex.The study confirms that the curcumin phytosome complex exhibits a controlled and sustained drug release pattern over 24 hours, in contrast to the rapid release observed with the standard plain curcumin.

Acknowledgment

The authors would like to acknowledge SJJT University, Jhunjhunu, and Govt. Pharmacy college Kangra to provide us with the facility to carry out this research work.

Funding Statement

The authors declare that no external funding received for this research work and was fully supported by the author's own resources.

Conflict of Interest

The authors declare no conflict of interest with respect to this article.

REFERENCES

1. Tang JW, Xiong XS, Qian CL, Liu QH, Wen PB, Shi XY, Dereje SB, Zhang X, Wang L. Network pharmacological analysis of ethanol extract of Morus alba linne in the treatment of type 2 diabetes mellitus. Arabian Journal of Chemistry. 2021 Oct 1;14(10):103384.
2. Patergnani, Simone, EsmaaBouhamida, Sara Leo, Paolo Pinton, and Alessandro Rimessi, "Mitochondrial Oxidative Stress and 'Mito-Inflammation': Actors in the Diseases.," *Biomedicines*, Vol. 9, No. 2, February 20, 2021, p. 216.
3. Cho, N.H, J.E Shaw, S Karuranga, Y Huang, J.D Da Rocha Fernandes, A.W Ohlrogge, and B Malanda, "IDF Diabetes Atlas: Global Estimates of Diabetes Prevalence for 2017 and Projections for 2045," *Diabetes Research and Clinical Practice*, Vol. 138, February 26, 2018, pp. 271–281.
4. Snelson M, de Pasquale C, Ekinci EI, Coughlan MT. Gut microbiome, prebiotics, intestinal permeability and diabetes complications. Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism. 2021 May 1; 35(3):101507.
5. Zhang P, Sun X, Jin H, Zhang FL, Guo ZN, Yang Y. Association between obesity type and common vascular and metabolic diseases: a cross-sectional study. Frontiers in Endocrinology. 2020 Jan 9; 10:900.
6. Sousa RA, Improta-Caria AC, Souza BS. Exercise–linked irisin: Consequences on mental and cardiovascular health in type 2 diabetes. International journal of molecular sciences. 2021 Feb 23;22(4):2199.
7. Adams JA, Uryash A, Lopez JR, Sackner MA. The endothelium as a therapeutic target in diabetes: a narrative review and perspective. Frontiers in physiology. 2021 Feb 23; 12:638491.
8. Shen CY, Lu CH, Wu CH, Li KJ, Kuo YM, Hsieh SC, Yu CL. The development of maillard reaction, and advanced glycation end product (AGE)-receptor for AGE (RAGE) signaling inhibitors as novel therapeutic strategies for patients with AGE-related diseases. Molecules. 2020 Nov 27; 25(23):5591.
9. Salvatore T, Pafundi PC, Galiero R, Rinaldi L, Caturano A, Vetrano E, Aprea C, Albanese G, Di Martino A, Ricozzi C, Imbriani S. Can metformin exert as an active drug on endothelial dysfunction in diabetic subjects?. Biomedicines. 2020 Dec 22; 9(1):3.
10. Wickramasinghe ASD, Kalansuriya P, Attanayake AP. Herbal Medicines Targeting the Improved â-Cell Functions and â-Cell Regeneration for the Management of Diabetes Mellitus. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2021; 2021:1–32.
11. Salaj N, Kladar N, SrðenoviæÈoniæ B, Jeremiæ K, Hitl M, Gavariæ N, et al. Traditional multi-herbal formula in diabetes therapy – Antihyperglycemic and antioxidant potential. Arabian Journal of Chemistry. 2021; 14:103347.
12. Oglah MK, Mustafa YF, Bashir MK, Jasim MH,

Mustafa YF. Curcumin and its derivatives: A review of their biological activities. Syst. Rev. Pharm. 2020 Mar 1;11(3):472-81.

13. Vankudri R, Habbu P, Hiremath M, Patil BS, Savant C. Preparation and therapeutic evaluation of rutin-phospholipid complex for antidiabetic activity. Journal of Applied Pharmaceutical Science. 2016 Jan 26; 6(1):090-101.
14. Joshi D, Kumar B, Singhal M, Bhargava S, Ankur K. Neuroprotective Cognitive Effects of Nose-to-brain Delivered Linagliptin Loaded Polymeric Nanosuspension in Animal Model. Letters in Drug Design & Discovery. 2024 Jan 1; 21(1):152-65.
15. Yanyu X, Yunmei S, Zhipeng C, Qineng P. The preparation of silybin–phospholipid complex and the study on its pharmacokinetics in rats. International journal of pharmaceutics. 2006 Jan 3;307(1):77-82.
16. Soumyanath A, Venkatasamy R, Joshi M, Faas L, Adejuyigbe B, Drake AF, Hider RC, Young AR. UV irradiation affects melanocyte stimulatory activity and protein binding of piperine. Photochemistry and photobiology. 2006 Nov;82(6):1541-8.
17. Bala M, Gupta P, Gupta S, Dua A, Injeti E, Mittal A. Efficient and modified 2-NBDG assay to measure glucose uptake in cultured myotubes. Journal of Pharmacological and Toxicological Methods. 2021 May 1;109:107069.
18. Joshi D, Tiwari M, Singh B, Semwal N. Design and characterisation of rosuvastatin calcium nanosuspension loaded transdermal patch. Letters in Drug Design & Discovery. 2023 Jul 1;20(7):943-56.
19. Yadav VR, Suresh S, Devi K, Yadav S. Effect of cyclodextrin complexation of curcumin on its solubility and antiangiogenic and anti-inflammatory activity in rat colitis model. AapsPharmscitech. 2009 Sep;10(3):752-62.
20. Shen F, Lu D, Ling X, Wang X, Liu T, Huang T, He K. Thermodynamic analysis and calculation of solubility of Memantine hydrochloride in ethanol plus (acetonitrile, water, ethyl acetate) binary solvent mixtures. Journal of Molecular Liquids. 2017 Mar 1;229:58-66.
21. Sav A, Khetrapal N, Amin P. Preparation of curcumin solid dispersions using hydrophilic polymers by different techniques and in vitro characterization. Asian Journal of Pharmaceutical Sciences. 2012;7(4):271-9.

SHODH-GARIMA–YEAR-3, VOL. 3 (July to Sept., 2026)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal

ISSN (Print) : 3048-6327

IMPACT-FACTOR SJIF - 6.852

DOI : 10.5281/zenodo.23176784

Paper Received : 10th Aug. 2026 **Paper Accepted : 20th Aug. 2026**

छत्तीसगढ़ नगर-निगम योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी ''स्वास्थ्य के सम्बन्ध में''

डॉ. प्रेमलता एक्का*

शोध-सारांश

छत्तीसगढ़ प्रारम्भ से ही विषम भौगोलिक परिस्थितियों तथा संघर्षपूर्ण इतिहास की भूमि रहा है। यहाँ के विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक व ऐतिहासिक तत्वों में एक ओर जहां महिलाओं की गरिमा को बढ़ाया है; वहीं दूसरी ओर इनकी स्थिति को विषम बनाने में सहायक भूमिका अदा की है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान के लिए कई प्रयास किए गए हैं। जिसमें भारतीय समाज में महिलाओं के स्थान को दर्शाया गया है और बताया गया है कि यदि महिलाओं को सशक्त बनाना है तो स्वास्थ्य शिक्षा के साथ–साथ उन्हें उनका मौलिक अधिकार तथा आगे बढ़ाने के लिए नये रास्ते बनाना भी जरूरी है और इसी सोच के साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाने के साथ–साथ उनका स्वाबलम्बन की नीति को अपनाया है। हालांकि विभिन्न स्तर की राजनीतिक गतिविधियों में महिलाओं का स्तर काफी बढ़ रहा है, इसके बावजूद महिलाओं को अभी भी प्रशासन और निर्णयात्मक पदों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। साथ ही लड़कियों को पराया धन समझने की सोच महिला शिक्षा पर आर्थिक तौर पर बोझ मानती है। लड़कियों पर घरेलू दायित्व का बोझ बाल–विवाह, अधिक शिक्षित होने पर अधिक दहेज शिक्षा के लिए लड़कियों को घर से दूर जाने पर सुरक्षा आदि कई कारण उन्हें पढ़ाने के प्रति अभिभावकों को हतोत्साहित करते हैं।

मुख्य शब्द– महिला जागरूकता, महिला स्थिति, सामाजिक और राजनीतिक विकास महिला उत्थान पर सरकारी प्रयास, सामूहिक महिला विकास

प्रस्तावना

किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए महिलाएँ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। महिला अपने उपस्थित होने का प्रमाण दे या न दे लेकिन वे समाज का वह आधार स्तंभ होती हैं। जिसके सहारे सम्पूर्ण समाज टिका होता है, किन्तु आज कुछ पिछड़े देशों या राज्यों में महिलाओं की स्थिति में संतुष्टिपूर्ण सुधार देखने को नहीं मिल पाता है।

* सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय सिलफिली जिला–सूरजपुर, छत्तीसगढ़

कारण है कि महिलाओं के प्रति लोग और समाज की रूढ़िवादी सोच अनादिकाल से स्त्री की गौरवगाथा सुनने को मिलती है। तो फिर वह कहाँ से निर्बल हो सकती है किन्तु समाज के कुचक्र ने उन्हें आज घर की चारदीवारी में कैद होने में बेबस कर दिया है। साक्षरता किसी भी समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जिसमें महिला साक्षरता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है किन्तु आज भी जनजातीय महिला साक्षरता की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता 393 प्रतिशत है जबकि पुरुषों का 65 प्रतिशत अर्थात् पुरुषों की तुलना में 25.7 प्रतिशत की कमी है। अतः सरकार को इन जनजातीय महिलाओं की साक्षरता विकास को बढ़ावा देकर इन्हें शिक्षा से अवगत कराने की आवश्यकता है। जिससे वह अपने अधिकारों को पहचाने और जाने कि वो किस कार्य को करने में आज भी उतनी ही सक्षम है जितनी पहले थी। रात्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 66.16 लाख है जो कि कुल जनसंख्या का 31.76 प्रतिशत है किन्तु आज भी अधिकांश अनुसूचित जनजातियाँ अशिक्षित हैं। यहाँ अनुसूचित जनजातियों की स्थिति अच्छी नहीं है। इसके कारण समुदाय के बच्चे शिक्षा के स्थान पर श्रम करते हैं; व लड़कियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे स्कूल जाने के स्थान पर श्रम कर ें और छोटे भाई–बहनों की देखभाल करें तथा घर में ही रस्सी बनाने में सहायता करें। यह परम्परा पिछड़े इलाके जैसे छत्तीसगढ़ राज्य में अधिक देखने को मिलती थी इन्हीं रूढ़िवादी को छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला उत्थान के विभिन्न आयामों को संचालित करने का भरपूर प्रयास किया है। जिसमें राज्य सरकार को कुछ हद तक सफलता भी मिली है। जैसे छत्तीसगढ़ के नगर निगम क्षेत्रों में महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं, पोषण, स्वच्छता, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा जागरूकता से सम्बन्धित कई प्रकार के नुक्कड़ नाटक लोगों के सामने कराना जिससे जो अशिक्षित महिलाएँ हैं वे इनके माध्यम से अपने अधिकारों से अवगत हों। इन कार्यक्रमों में नगर–निगम, स्वास्थ्य विभाग आंगनवाड़ी केन्द्र, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं तथा स्वयं सहायता समूह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।

नगर–निगम द्वारा चलाए गए स्वास्थ्य योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी

स्वच्छता में महिलाओं की भागीदारी

कहा जाता है कि स्वस्थ्य जीवन ही इंसान की सबसे बड़ी पूँजी होती है लेकिन स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घरों के आस–पास का वातावरण स्वच्छ रखे ताकि उसे किसी भी प्रकार का बीमारी का सामना न करना पड़े छत्तीसगढ़ में स्वच्छता अभियान को चलाकर लोगों को इसके लाभ हानि के बारे में बताया जा रहा है।

स्वास्थ्य एवं पोषण

स्वास्थ्य एवं पोषण जागरूकता का मुख्य उद्देश्य संतुलित आहार, साफ–सफाई और सही जीवन शैली को अपनाकर बीमारियों से बचाव करना है। स्वस्थ्य पोषण आहार हमारे शरीर को निरोग रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिसमें मौसमी फल, सब्जियाँ, मोटे अनाज और प्रोटीन को शामिल करना है। भारत सरकार पोषण को पूरा करने के लिए ''पोषण अभियान'' के तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष जोर दे रही हैं।

स्वास्थ्य शिविर का आयोजन

स्वास्थ्य शिविर जिसे अंग्रेजी में भ्मंसजी ब्ंउच भी कहते हैं; यह एक अस्थायी कार्यक्रम है। जिसका मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को मुफ्त या कम खर्च पर स्वास्थ्य जाँच परामर्श और बुनियादी दवाइयाँ उपलब्ध कराना है। प्रत्येक राज्य के जैसे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन समय–समय पर किया जाता है ताकि इसके जरिये लोगों को और खासकर महिलाओं को होने वाली गंभीर बीमारियों की शुरूआती पहचान और रोकथाम

के प्रति जागरूकता का प्रचार–प्रसार किया जाता है। शिविर में मुख्य लाभ भी दिए जाते हैं। जैसे– परामर्श, निःशुल्क रक्तचाप की जाँच, खून–पेशाब की जाँच, रोगों से बचने के तरीके, दवाओं का वितरण इत्यादि सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं।

मातृ एवं बाल स्वास्थ्य

गर्भवती महिलाओं की श्वास् जाँच, पोषण संस्थागत प्रसव, टीकाकरण तथा बच्चों के पोषण सम्बन्धी गतिविधियों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण है।

अध्ययन का उद्देश्य

(1) स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं को जानना।

(2) नगर निगम द्वारा चलाए गए अभियान तथा योजनाओं को अपनाने से स्वास्थ्य में क्या परिवर्तन हुआ।

(3) सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में स्वास्थ्य योजनाओं से लोगों को अवगत कराना।

(4) पोषण आहार के बारे में महिलाओं को उसके महत्व से अवगत कराना।

(5) मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी का अध्ययन करना।

छ.ग. के नगर निगम में महिलाओं की स्वास्थ्य योजनाओं में भागीदारी

MAS

1. छत्तीसगढ़ में महिला आरोग्य समिति (MAS) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत शहरी मलिन बस्तियों में स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता सुनिश्चित करने वाला स्थानीय महिला समूह है; छत्तीसगढ़ में कुल 3,754 महिला आरोग्य समितियाँ सक्रिय हैं, MAS 20 से अधिक शहरों में 20 लाख से अधिक झुग्गी–झोपड़ी की आबादी को कवर करता है।

क्र.	सूचकांक	आँकड़ा
1.	महिला आयोग समितियाँ	3,754
2.	कवर किए गए शहर	20
3	प्रत्येक महिला आरोग्य समिति में	लगभग 10 महिलाएँ
4.	कवर आबादी	20 लाख +
5.	नियमित मासिक बैठक करने वाली महिला आरोग्य समिति	लगभग 95 प्रतिशत

2. स्वास्थ्य समस्याओं पर महिलाओं की भागीदारी

सितम्बर 2025 में छत्तीसगढ़ में ''स्वस्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान'' के अन्तर्गत 10,000 से अधिक शिविरों में लगभग 3,98,542 लोगों को स्वास्थ्य सेवाएँ मिली हैं जिसमें महिलाओं की हिस्सेदारी 2,80,204 थी। अर्थात् देखा जा सकता है कि कुल लाभार्थियों में 70.3 प्रतिशत तक महिलाओं की हिस्सेदारी है।

निष्कर्ष –

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि समूह की क्रियाओं में भाग लेकर महिलाएँ विभिन्न कार्यों से जुड़कर विकास के नए आयाम से जुड़ गई हैं जो महिलाएँ शिक्षित हैं वो अशिक्षित महिलाओं को जागरूक करने का कार्य करती हैं; जो कि राज्य और केन्द्र सरकारों से मिलने वाली योजनाओं को जान और समझकर उसका लाभ ले रही हैं। जिससे उनके स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाएँ और आर्थिक कल्याण सम्बन्धी सेवाओं का भी भरपूर लाभ ले रही हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण आज भी वहाँ की महिलाएँ बाहरी लोगों से सामना करने में डरती हैं लेकिन धीरे–धीरे ऐसी महिलाओं की कमी भी देखने को मिल रही हैं। नगर–निगम स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से जागरूक अभियान चलाकर प्रत्येक महिलाओं को लाभान्वित कर रही हो।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. डॉ0 एस.एन. त्रिपाठी (2000) : महिला सशक्तिकरण के माध्यम से लिंग समानता रणनीतियाँ और दृष्टिकोण, लखनऊ, भारत बुक सेंटर, 2004
2. छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (छत्तीसगढ़ सरकार)
3. स्टेट हेल्ट रिसोर्स सेंटर छत्तीसगढ़ (MAS से सम्बन्धित रिपोर्ट)
4. राजकुमार 2005 नारी के बदलते आयाम, अर्जुन पब्लिकेशन हाउस नई दिल्ली।

SHODH-GARIMA–YEAR-3, VOL. 3 (July to Sept., 2026)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal

ISSN (Print) : 3048-6327

IMPACT-FACTOR SJIF - 6.852

DOI : 10.5281/zenodo.23176868

Paper Received : 10th Aug. 2026 **Paper Accepted : 20th Aug. 2026**

भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन और महावीर सिंह

□ डॉ. फ़ैज़ान अहमद*

शोध-सारांश

भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन विश्व के सबसे व्यापक और बहुआयामी राष्ट्रीय आन्दोलनों में से एक था। इस आन्दोलन में ऐसे अनेक क्रान्तिकारियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, जिन्हें मुख्य धारा के इतिहास में अपेक्षित स्थान नहीं प्राप्त हो सका। शहीद महावीर सिंह ऐसे ही महान क्रान्तिकारियों में से एक थे। वे 'हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन' के सक्रिय सदस्य तथा चन्द्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के विश्वसनीय सहयोगी थे। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध सशस्त्र क्रान्तिकारी आन्दोलन को गति प्रदान की तथा अन्ततः अण्डमान की सेलुलर जेल में राजनीतिक क़ैदियों के अधिकारों के लिए आमरण अनशन करते हुए 17 मई 1933 ई. को शहीद हो गए।

मुख्य शब्द– भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन, महावीर सिंह, क्रान्तिकारी जीवन, लाहौर षड्यंत्र केस, सेलुलर जेल, शहादत, महान व्यक्तित्व।

प्रस्तावना

भारत का स्वतन्त्रता आन्दोलन केवल राजनीतिक सत्ता परिवर्तन का आन्दोलन नहीं था, बल्कि यह सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा वैचारिक मुक्ति का व्यापक संघर्ष था। इस आन्दोलन में एक ओर महात्मा गाँधी के नेतृत्व में अहिंसात्मक जन आन्दोलन चल रहा था, वहीं दूसरी ओर क्रान्तिकारी युवाओं का एक वर्ग ब्रिटिश शासन को सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से समाप्त करने का संकल्प लिए हुए था। इन क्रान्तिकारियों ने राष्ट्रहित को व्यक्तिगत जीवन से ऊपर रखा। महावीर सिंह उन क्रान्तिकारियों में अग्रणी थे, जिन्होंने युवावस्था में ही अपना सम्पूर्ण जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। उनका जीवन त्याग, साहस, वीरता, अनुशासन तथा देशभक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है। दुर्भाग्यवश भारतीय इतिहास लेखन में उनका उल्लेख अपेक्षाकृत कम मिलता है, जबकि उनका योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण रहा है।

प्रारम्भिक जीवन

महावीर सिंह का जन्म 16 सितम्बर 1904 ई. को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन एटा (वर्तमान में कासगंज) जनपद के शाहपुर टहला गाँव में हुआ

* प्रोफ़ेसर (राजनीति विज्ञान) एवं कार्यवाहक प्राचार्य, जी.बी.पन्त (पी.जी.) कालेज, कछला, बदायूँ (उ.प्र.)
e-mail-gbpantdegreecollege@gmail.com, Mob. : 9412368300

था। उनके पिता कुँवर देवी सिंह एक प्रतिष्ठित वैद्य तथा राष्ट्रवादी विचारों वाले व्यक्ति थे। उनकी माता शारदा देवी एक धर्मपरायण महिला थीं। बाल्यकाल से ही महावीर सिंह में राष्ट्रप्रेम एवं अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की भावना विकसित हो गई थी। प्रारम्भिक शिक्षा गाँव के ही स्कूल में प्राप्त करने के बाद उन्होंने हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षा राजकीय इण्टर कालेज एटा से उत्तीर्ण की। किशोर अवस्था से ही महावीर सिंह स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लेने लगे।

जनवरी 1922 ई. में एक दिन कासगंज तहसील (वर्तमान में ज़िला) में असहयोग आन्दोलन के दौरान अंग्रेज़ अधिकारियों ने ब्रिटिश सम्राट के प्रति राजभक्ति प्रदर्शित करने के उद्देश्य से एक 'अमन सभा' का आयोजन किया, जिसमें कलेक्टर, पुलिस कप्तान, स्कूलों के इंसपेक्टर, तहसीलदार, आस–पास के ज़मींदार आदि जमा हुए। स्कूली बच्चों को भी ज़बरदस्ती ले जाकर इस सभा में बैठाया गया, जिसमें से एक महावीर सिंह भी थे। लोग बारी–बारी से उठकर अंग्रेज़ी हुकूमत की तारीफ़ में लम्बे–लम्बे भाषण दे ही रहे थे कि तभी बच्चों के बीच से किसी ने ज़ोर से नारा लगाया– ''गाँधी जी की जय हो, अंग्रेज़ों का नाश हो।''[1] शेष बच्चों ने भी समवेत स्वर में ऊँचे कंठ से इसका समर्थन किया और पूरा वातावरण इस नारे से गूँज उठा। अंग्रेज़ अधिकारी इससे तिलमिला उठे। इस प्रकरण की जाँच में महावीर सिंह को विद्रोही बालकों का नेता पाया गया। अंग्रेज़ कलेक्टर ने उन्हें बेतों की सज़ा दी। महावीर सिंह के शरीर पर एक–एक करके कई बेंत लगाए गए। श्री व्यथित हृदय ने लिखा है कि ''बेतों की मार से उनके शरीर की चमड़ी उधड़ गई, रक्त निकलने लगा, किन्तु किशोर वय के महावीर सिंह विचलित नहीं हुए। वे सिंह की तरह दृढ़ बने रहे। बेतों की उस मार ने उनके मन में विद्रोह की आग जला दी। उन्होंने मन ही मन निश्चिय किया कि या तो अंग्रेज़ी सरकार को वे धूल में मिला देंगे या उसे मिटाने के प्रयास में स्वयं मिट जाएंगे।''[2]

क्रान्तिकारी जीवन

1925 ई. में महावीर सिंह उच्च शिक्षा के लिए डी.ए.वी. कॉलेज कानपुर पहुँचे। इसी दौरान उनका सम्पर्क कुछ क्रान्तिकारी युवाओं, विशेष रूप से चन्द्रशेखर आज़ाद से हुआ। यह सम्पर्क उनके जीवन का निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ। वे शीघ्र ही 'हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन' के सक्रिय सदस्य बन गए और भगत सिंह के अत्यन्त निकट सहयोगियों में सम्मिलित हो गए।

महावीर सिंह का मानना था कि केवल याचना या संवैधानिक सुधारों से भारत को स्वतन्त्र नहीं कराया जा सकता। उन्होंने अपने निजी जीवन, विवाह तथा पारिवारिक सुखों का त्याग कर क्रान्तिकारी मार्ग अपनाया। जब उनके पिता ने विवाह का प्रस्ताव भेजा, तब महावीर सिंह ने अत्यन्त भावपूर्ण पत्र लिखकर स्पष्ट किया कि उन्होंने अपना जीवन राष्ट्रसेवा को समर्पित कर दिया है और व्यक्तिगत जीवन अब उनके लिए गौण है। यह पत्र उनके आदर्शवाद, राष्ट्रनिष्ठा और त्याग की भावना का प्रमाण माना जाता है। इस पत्र के जवाब में महावीर सिंह के पिता कुँवर देवी सिंह ने अपने पुत्र को लिखा कि ''मैं तो समझता था कि हमारे वंश में पूर्वजों का ख़ून अब नहीं रहा और हमने दिल से ग़ुलामी क़बूल कर ली है। तुम्हारा मन्तव्य जानकर आज मैं अपने को परम् सौभाग्यशाली समझता हूँ। देश की सेवा का मार्ग जो तुमने चुना है, वह तपस्या का मार्ग है। यह बड़ा कठिन मार्ग है। जब तुम उस पर चल ही पड़े हो तो कभी भी पीछे नहीं मुड़ना, भले ही तुम्हें मर मिटना क्यों न पड़े। अपने साथियों के साथ कभी भी विश्वासघात नहीं करना। अपने वृद्ध पिता के नाम का ध्यान रखना। तुम जहाँ भी रहोगे मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा।''[3] इस प्रकार महावीर सिंह भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन में क्रान्तिकारियों के साथ वीरतापूर्वक कूद पड़े।

महावीर सिंह ने चन्द्रशेखर आज़ाद, भगत

सिंह, राजगुरु, सुखदेव तथा शिव वर्मा आदि क्रान्तिकारियों के साथ अनेक गुप्त क्रान्तिकारी गतिविधियों में भाग लिया। वे संगठन के अत्यन्त विश्वसनीय सदस्य थे। सॉन्डर्स वध के बाद भगत सिंह को सुरक्षित स्थान तक पहुँचाने की योजना में भी उनका महत्वपूर्ण सहयोग माना जाता है। इसके अतिरिक्त संगठन के गुप्त संचालन, सम्पर्क व्यवस्था तथा क्रान्तिकारी गतिविधियों के समन्वय में उनकी सक्रिय भूमिका रही। वे अपने कठोर अनुशासन, साहस तथा संगठनात्मक क्षमता के कारण अपने साथियों के बीच विशेष सम्मान पाते थे।

लाहौर षड्यंत्र केस

साइमन कमीशन के भारत आगमन के विरोध में 30 अक्टूबर 1928 ई. को लाहौर में एक विशाल प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन का नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधीक्षक जेम्स ए. स्कॉट के आदेश पर लाठीचार्ज हुआ, जिसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए और बाद में उनका निधन हो गया। क्रान्तिकारियों ने इसे राष्ट्रीय अपमान माना और स्कॉट को दंडित करने की योजना बनाई। किन्तु पहचान में त्रुटि होने के कारण सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन पी. सॉन्डर्स की 17 दिसम्बर 1928 ई. को हत्या कर दी गई। इसके बाद भगत सिंह और उनके क्रान्तिकारी साथियों की व्यापक खोज प्रारम्भ हुई।

08 अप्रैल 1929 ई. को भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केन्द्रीय असेम्बली में बम फेंका। उन्होंने स्वयं गिरफ़्तारी दी, ताकि अपने विचारों को न्यायालय के माध्यम से जनता तक पहुँचा सकें। 12 जून 1929 ई. को अंग्रेज़ न्यायाधीश ने उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दी। बचाव पक्ष के वकील श्री आसिफ़ अली ने लाहौर उच्च न्यायालय में अपील की, किन्तु 13 जनवरी 1930 ई. को लाहौर उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायाधीश के फ़ैसले को मान्य ठहराते हुए अपील ख़ारिज कर दी। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार ने सॉन्डर्स हत्या प्रकरण को केन्द्रीय असेम्बली बम प्रकरण से जोड़ते हुए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, शिव वर्मा, महावीर सिंह, जयदेव कपूर, किशोरी लाल, विजय कुमार सिन्हा, गया प्रसाद तथा कन्हैया लाल त्रिवेदी आदि क्रान्तिकारियों पर व्यापक षड्यंत्र का आरोप लगया और उनके विरुद्ध मुक़द्मा चलाया। इतिहास में यह 'लाहौर षड्यंत्र केस' के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

लाहौर सेन्ट्रल जेल में आमरण अनशन

सॉन्डर्स हत्याकाण्ड और केन्द्रीय असेम्बली में बम फेंके जाने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के साथ राजगुरु, सुखदेव तथा महावीर सिंह आदि क्रान्तिकारी गिरफ़्तार किए गए। मुक़द्मे की सुनवाई के लिए उन्हें लाहौर सेन्ट्रल जेल भेज दिया गया। जेल में क्रान्तिकारियों ने अपने ऊपर किए जाने वाले अन्याय के विरुद्ध 13 जुलाई 1929 ई. से आमरण अनशन शुरू कर दिया। अनशन के ग्यारहवें दिन से अंग्रेज़ डाक्टरों ने क्रान्तिकारियों को बलपूर्वक दूध पिलाना आरम्भ कर दिया। महावीर सिंह जेल अधिकारियों से कुश्ती भी करते और गले से भी लड़ते। वे जेल अधिकारियों का रास्ता रोककर खड़े हो जाते तथा खूब धक्का–मुक्की करते। 51 दिनों के अनशन में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन महावीर सिंह को काबू करने में आधे घण्टे से कम समय लगा हो।

लाहौर षड्यंत्र केस के अभियुक्तों की अदालती सुनवाई के दौरान महावीर सिंह तथा उनके क्रान्तिकारी साथियों का कहना था कि "हम पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का अभियोग लगाया गया है। हम ब्रिटिश सरकार की बनाई हुई किसी भी अदालत से न्याय की आशा नहीं रखते, इसलिए हम इस अदालत को मान्यता देने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने से इनकार करते हैं।"[4] मुक़द्मे के दौरान महावीर सिंह ने न्यायालय को ब्रिटिश शाासन का उपकरण मानते हुए किसी भी प्रकार की क्षमा याचना या आत्मसमर्पण का

मार्ग स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने साथियों के साथ यह स्पष्ट किया कि उनका संघर्ष व्यक्तिगत नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए है। न्यायालय ने महावीर सिंह को सॉन्डर्स हत्याकाण्ड में भगत सिंह का सहयोग करने के कारण आजन्म कालापानी का दण्ड सुनाया। गिरफ़्तारी और मुक़द्मे की सुनवाई के दौरान महावीर सिंह लाहौर सेन्ट्रल जेल में बन्द रहे। सज़ा के बाद उन्हें बेलारी (कर्नाटक) सेन्ट्रल जेल भेज दिया गया। कुछ समय वह मद्रास प्रेसीडेंसी के अन्तर्गत आने वाली अन्य जेलों में भी रहे। अन्त में उन्हें जनवरी 1933 ई. में कालापानी की सज़ा भुगतने के लिए अण्डमान की सेलुलर जेल में भेज दिया गया। जब महावीर सिंह के पिता कुँवर देवी सिंह को पता चला कि उनके पुत्र को सेलुलर जेल में भेज दिया गया है तो उन्होंने महावीर सिंह को भेजे गए अपने पत्र में लिखा था कि ''जिस टापू पर अंग्रेज़ सरकार ने देशभर के जगमगाते हीरे चुन–चुन कर जमा किए हैं, मुझे ख़ुशी है कि उस टापू पर और जगमगाते हीरों के बीच तुम्हें भी रहने का अवसर मिला है। उनके बीच रहकर तुम और भी अधिक चमको। देश का नाम और भी रोशन करो, ताकि मेरे नाम को वह प्रकाश मिलता रहे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।''[5]

सेलुलर जेल के एक क़ैदी के रूप में

उस समय अण्डमान भेजा जाना लगभग 'जीवित– मृत्यु' के समान माना जाता था, क्योंकि वहाँ क़ैदियों को अत्यन्त कठोर शारीरिक एवं मानसिक यातनाएं दी जाती थीं। सेलुलर जेल ब्रिटिश शासन की सबसे कठोर दण्ड व्यवस्था का प्रतीक था। यहाँ राजनीतिक क़ैदियों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जाता था। यहाँ क़ैदियों को बैलों की तरह तेल कोल्हू चलाना पड़ता था, नारियल की रस्सियाँ बनाने का कठिन श्रम कराया जाता था, अपर्याप्त एवं घटिया भोजन दिया जाता था, चिकित्सा सुविधाएं लगभग नहीं थीं, पत्र व्यवहार और परिवार से मिलने पर कठोर प्रतिबन्ध था तथा छोटी सी ग़लती पर भी कोड़े, बेड़ियाँ और एकान्त कारावास जैसी सज़ाएँ दी जाती थीं। महावीर सिंह और उनके क्रान्तिकारी साथियों ने इसे राजनीतिक क़ैदियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन समझा।

सेलुलर जेल में ऐतिहासिक आमरण अनशन

मई 1933 ई. में महावीर सिंह एवं उनके साथी राजनीतिक क़ैदियों ने अपनी माँगों के समर्थन में अण्डमान की सेलुलर जेल में आमरण अनशन प्रारम्भ कर दिया। महावीर सिंह इस अनशन के अग्रणी नेताओं में से थे। उन्होंने अपने साथियों संग निर्णय लिया कि यदि आवश्यक हुआ तो वे अपने प्राणों का बलिदान दे देंगे, परन्तु अन्याय के सामने झुकेंगे नहीं। उनका दृढ़ संकल्प था कि–
''चर्ख़ पर चढ़ प्राण देना, हर्ष से स्वीकार है।
स्वर्ग भी परतंत्रता का, नहीं अंगीकार है।।''[6]

शहादत

महावीर सिंह और उनके साथी क़ैदियों के आमरण अनशन तुड़वाने के लिए सेलुलर जेल प्रशासन ने अत्यन्त अमानवीय उपाय अपनाए। क़ैदियों को जबरन भोजन कराने के लिए उनकी नाक में रबर की नली डाली जाती थी। 17 मई 1933 ई. को महावीर सिंह के साथ भी यह प्रक्रिया अपनाई गई। किन्तु जेल अधिकारियों की लापरवाही और क्रूरता के कारण भोजन फेफड़ों में चला गया। इससे उन्हें गम्भीर श्वांसावरोध हुआ और उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने उनके पार्थिव शरीर का सम्मानपूर्वक अन्तिम संस्कार तक नहीं होने दिया। उनके शव को पत्थरों से बाँधकर समुद्र में फेंक दिया, जिससे उनके बलिदान को जनता से छिपाया जा सके।

महान व्यक्तित्व के स्वामी

महावीर सिंह केवल वीर तथा साहसी क्रान्तिकारी ही नहीं थे, बल्कि उच्च नैतिक मूल्यों वाले महान व्यक्तित्व के स्वामी थे। अदम्य साहस,

देश के प्रति पूर्ण समर्पण, अनुशासन, संगठनात्मक क्षमता, त्याग और बलिदान की भावना, मानवीय दृष्टिकोण तथा राष्ट्रीय हित की सर्वोच्चता आदि उनके महान व्यक्तित्व की विशेषताएं थीं। श्री व्यथित हृदय ने महावीर सिंह के महान व्यक्तित्व की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि ''भयंकर शीत पड़ता हो, आग की भाँति सूर्य तप रहा हो, आँधी चल रही हो, घनघोर वृष्टि हो रही हो, किन्तु महावीर सिंह जी अपने कर्तव्य पालन में रत रहते थे।''[7] उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि सच्चा देश प्रेम केवल भाषणों से नहीं, बल्कि त्याग और बलिदान से सिद्ध होता है।

सम्मान

भारत की आज़ादी के बाद अमर बलिदानी महावीर सिंह की एक प्रतिमा अण्डमान निकोबार स्थित सेलुलर जेल प्रांगण में स्थापित की गई। 2018 ई. में भारत के प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जब सेलुलर जेल पहुँचे थे तो उन्होंने महावीर सिंह की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे। इसके बाद 2021 ई. में भारत के गृहमन्त्री श्री अमित शाह ने भी सेलुलर जेल पहुँचकर महावीर सिंह की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। महावीर सिंह के गाँव शाहपुर टहला एवं तहसील पटियाली में भी उनकी प्रतिमाएं स्थापित हैं। वर्तमान में उनके वंशज राजस्थान के जयपुर में निवास करते हैं।

निष्कर्ष

इस प्रकार कहा जा सकता है कि महावीर सिंह उन महान क्रान्तिकारियों में से एक थे जिन्होंने युवावस्था में ही देश की स्वतन्त्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उन्होंने ब्रिटिश शासन की अमानवीय नीतियों का डटकर विरोध किया, लाहौर षड्यंत्र केस में कठोर दण्ड स्वीकार किया, सेलुलर जेल की भयंकर यातनाएं सहीं और अन्ततः राजनीतिक क़ैदियों के अधिकारों के लिए आमरण अनशन करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनका जीवन भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के उस गौरवशाली अध्याय का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें देशभक्ति, त्याग, साहस, वीरता और आदर्शवाद का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। उनका जीवन यह सन्देश देता है कि किसी भी राष्ट्र का निर्माण केवल अधिकारों की माँग से नहीं, बल्कि कर्तव्यों के निर्वहन से होता है। वर्तमान समय में महावीर सिंह के जीवन और विचारों का अध्ययन युवाओं में राष्ट्रनिर्माण, लोकतान्त्रिक मूल्यों तथा सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. श्री व्यथित हृदय – स्वाधीनता संग्राम के क्रान्तिकारी सेनानी भाग दो – पृष्ठ 155 – सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली – संस्करण 1993 ई.
2. वही, पृष्ठ 155
3. नीलकंठ – कालापानी – पृष्ठ 52 – मनु प्रकाशन, दिल्ली – संस्करण 2020 ई.
4. https://hindi.heritagetimes.in – पृष्ठ 03 – दिनांक – 04/07/2026 से उद्धृत
5. नीलकंठ – कालापानी – पृष्ठ 53–54, मनु प्रकाशन, दिल्ली – संस्करण 2020 ई.
6. श्री व्यथित हृदय – स्वाधीनता संग्राम के क्रान्तिकारी सेनानी भाग दो – पृष्ठ 154 – सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली – संस्करण 1993 ई.
7. वही, पृष्ठ 156

SHODH-GARIMA–YEAR-3, VOL. 3 (July to Sept., 2026)
A Peer-Reviewed & Referred
International Multidisciplinary
Research Journal

ISSN (Print) : 3048-6327
IMPACT-FACTOR
SJIF - 6.852
DOI : 10.5281/zenodo.23176949

Paper Received : 10th Aug. 2026
Paper Accepted : 20th Aug. 2026

अयोध्या जनपद में नगरीय संकल्पना एवं नगरीकरण की उभरती प्रवृत्तियाँ एक भौगोलिक अध्ययन

डॉ. ललित कुमार यादव*
सौरभ सिंह**

शोध-सारांश

अयोध्या जनपद उत्तर प्रदेश के मध्य–पूर्वी भाग में स्थित एक महत्वपूर्ण भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं आर्थिक क्षेत्र है। सरयू नदी के तट पर स्थित अयोध्या की ऐतिहासिक एवं धार्मिक पहचान ने इसे लंबे समय से तीर्थ एवं सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित किया है। वर्तमान समय में धार्मिक पर्यटन, परिवहन सुविधाओं के विस्तार, आवासीय विकास, सेवा क्षेत्र, व्यापारिक गतिविधियों तथा आधारभूत संरचनाओं के विकास के कारण अयोध्या में नगरीकरण की प्रक्रिया तीव्र होती दिखाई दे रही है। जिला प्रशासन के अनुसार जनपद का कुल क्षेत्रफल 2,522 वर्ग किमी है तथा 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या 24,70,996 थी। अयोध्या विकास प्राधिकरण की प्रस्तुत अध्ययन में नगरीय संकल्पना, नगरीकरण की बदलती प्रवृत्तियों, धार्मिक पर्यटन, भूमि–उपयोग परिवर्तन, नगरीकरण से उत्पन्न समस्याओं तथा सतत नगरीकरण की आवश्यकता का भौगोलिक विश्लेषण किया गया है।

मुख्य शब्द– नगरीकरण, नगरीय संकल्पना, अयोध्या, धार्मिक पर्यटन, भूमि उपयोग, आधारभूत संरचना, क्षेत्रीय विकास, सतत नगरीकरण, प्रवासन, नगरीय नियोजन।

प्रस्तावना

नगरीकरण आधुनिक सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन की एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह केवल ग्रामीण जनसंख्या के नगरों में स्थानांतरण अथवा नगरों की जनसंख्या वृद्धि तक सीमित नहीं है, इसके अंतर्गत भूमि उपयोग, आर्थिक गतिविधियों, आवासीय संरचना, परिवहन, सामाजिक संस्थाओं, रोजगार के स्वरूप तथा जीवन–शैली में होने वाले व्यापक परिवर्तन भी सम्मिलित होते हैं। नगरीकरण किसी क्षेत्र की आर्थिक गतिशीलता और सामाजिक

* सहायक आचार्य (भूगोल–विभाग), मेजर एस.डी. सिंह विश्वविद्यालय, फर्रुखाबाद
** शोधार्थी, (भूगोल–विभाग)

परिवर्तन का महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है। नगरीय भूगोल में नगर को केवल एक भौतिक बस्ती के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि उसे विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं प्रशासनिक क्रियाओं के केंद्र के रूप में समझा जाता है।भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया क्षेत्रीय रूप से असमान रही है। महानगरों के साथ–साथ धार्मिक, ऐतिहासिक, प्रशासनिक एवं पर्यटन केंद्रों में भी नगरीकरण की विशिष्ट प्रवृत्तियाँ विकसित हुई हैं। अयोध्या इसी प्रकार के नगरों में प्रमुख स्थान रखती है। इसका विकास सामान्य औद्योगिक नगरों से भिन्न है, क्योंकि यहाँ धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ नगरीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत शक्ति रही हैं।अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित प्राचीन नगर है। जिला प्रशासन के अनुसार यह जनपद का मुख्यालय भी है तथा इसका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्त्व अत्यंत व्यापक है। धार्मिक आस्था के कारण देश के विभिन्न भागों से तीर्थयात्रियों का आगमन अयोध्या की नगरीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता रहा है। इसके फलस्वरूप आवास, भोजन, परिवहन, स्थानीय व्यापार, हस्तशिल्प, धार्मिक सामग्री तथा विभिन्न सेवा गतिविधियों का विकास हुआ है।

वर्तमान समय में अयोध्या का नगरीकरण एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। धार्मिक पर्यटन के विस्तार तथा क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय संपर्क सुविधाओं में वृद्धि ने नगरीय विकास को नई गति प्रदान की है। अयोध्या विकास प्राधिकरण की महायोजना–2031 में जीआईएस आधारित नियोजन को अपनाया गया है। महायोजना के अनुसार पूर्व निर्धारित विकास क्षेत्र 133.67 वर्ग किमी था, जबकि 2020 में विकास क्षेत्र का विस्तार कर 873.37 वर्ग किमी किया गया। यह परिवर्तन अयोध्या के बढ़ते क्षेत्रीय प्रभाव और नियोजित विस्तार की आवश्यकता को दर्शाता है।

महायोजना–2031 में अयोध्या के नगरीय विकास की दिशा को मुख्य मार्गों से जोड़कर देखा गया है। अयोध्या–आजमगढ़, अयोध्या–प्रयागराज, अयोध्या–रायबरेली तथा अयोध्या–लखनऊ मार्गों के किनारे विकास की प्रवृत्ति विशेष रूप से उल्लेखित की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि परिवहन मार्ग नगरीय विस्तार के प्रमुख वाहक के रूप में कार्य कर रहे हैं।

अयोध्या का नगरीकरण धार्मिक पर्यटन के साथ–साथ आवासीय, वाणिज्यिक और सेवा क्षेत्र के विस्तार से भी प्रभावित हो रहा है। तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों की बढ़ती आवश्यकताओं के कारण होटल, धर्मशाला, भोजनालय, यातायात सेवाएँ, पार्किंग, बाजार, मनोरंजन तथा अन्य नागरिक सुविधाओं की माँग बढ़ती है। इससे नगर के आर्थिक आधार का विस्तार होता है और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के साथ नगर का कार्यात्मक संबंध मजबूत होता है।नगरीकरण के इस विस्तार का प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों पर भी पड़ रहा है। नगर के आसपास स्थित कृषि भूमि का उपयोग धीरे–धीरे आवासीय, व्यावसायिक तथा संस्थागत गतिविधियों के लिए होने लगता है। परिणामस्वरूप ग्रामीण–नगरीय संक्रमण क्षेत्र विकसित होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में भूमि मूल्यों में वृद्धि, कृषि भूमि का रूपांतरण, नई बस्तियों का निर्माण और परिवहन मार्गों के किनारे व्यावसायिक गतिविधियों का विस्तार दिखाई देता है।अयोध्या के संदर्भ में नगरीकरण की प्रक्रिया को केवल भौतिक विस्तार के रूप में समझना पर्याप्त नहीं होगा। यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें धार्मिक संस्कृति, पर्यटन, आर्थिक गतिविधियाँ, जनसंख्या गतिशीलता, परिवहन, प्रशासनिक संरचना तथा भूमि उपयोग परिवर्तन परस्पर जुड़े हुए हैं।उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति–2022 में आध्यात्मिक एवं धार्मिक पर्यटन के लिए आधारभूत सुविधाओं, संपर्क व्यवस्था, आवास तथा तीर्थस्थलों की सुविधाओं के विकास पर बल दिया गया है।इस नीति का अयोध्या जैसे धार्मिक पर्यटन केंद्रों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।नगरीकरण के साथ अनेक चुनौतियाँ भी उत्पन्न होती हैं। यातायात दबाव, पार्किंग की कमी, ठोस अपशिष्ट, जल एवं सीवर व्यवस्था पर दबाव, अनियोजित निर्माण, हरित क्षेत्रों में कमी, भूमि मूल्यों

में वृद्धि तथा पर्यावरणीय दबाव प्रमुख समस्याओं में सम्मिलित हैं। यदि नगरीय विस्तार वैज्ञानिक भूमि उपयोग योजना के अनुरूप न हो तो भविष्य में नगर की वहन क्षमता प्रभावित हो सकती है। अयोध्या में नगरीकरण की वर्तमान प्रक्रिया का अध्ययन भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। इसके माध्यम से यह समझा जा सकता है कि धार्मिक पर्यटन और आधारभूत संरचना किस प्रकार नगरीय विस्तार को प्रभावित कर रहे हैं तथा भविष्य में किस प्रकार संतुलित एवं सतत नगरीय विकास सुनिश्चित किया जा सकता है।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

- अयोध्या जनपद में नगरीय संकल्पना को भौगोलिक दृष्टिकोण से स्पष्ट करना।
- अयोध्या में नगरीकरण की वर्तमान एवं उभरती प्रवृत्तियों का अध्ययन करना।
- धार्मिक पर्यटन और नगरीकरण के पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण करना।
- नगरीकरण के कारण भूमि उपयोग में हो रहे परिवर्तनों का अध्ययन करना।
- परिवहन एवं आधारभूत संरचना के नगरीय विस्तार पर प्रभाव का विश्लेषण करना।
- तीव्र नगरीकरण से उत्पन्न प्रमुख सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं की पहचान करना।
- ग्रामीण–नगरीय संक्रमण क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों का अध्ययन करना।
- अयोध्या के लिए सतत एवं नियोजित नगरीकरण की संभावनाओं का निर्धारण करना।

अध्ययन क्षेत्र का भौगोलिक परिचय

अयोध्या जनपद उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जिलों में से एक है। जिला प्रशासन के अनुसार जनपद का कुल क्षेत्रफल 2,522 वर्ग किमी है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र 2,459.88 वर्ग किमी तथा नगरीय क्षेत्र 62.12 वर्ग किमी है। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 24,70,996 थी।जनपद का मुख्यालय अयोध्या है। अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है, जिसने नगर के ऐतिहासिक विकास तथा सांस्कृतिक पहचान को प्रभावित किया है। सरयू नदी धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ–साथ नगर के भौगोलिक स्वरूप का भी महत्वपूर्ण तत्व है।जिले में प्रशासनिक दृष्टि से पाँच तहसील, 11 विकासखंड, 835 ग्राम पंचायतें तथा 1,272 गाँव हैं।[4] यह प्रशासनिक संरचना ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के बीच व्यापक क्षेत्रीय संबंध को प्रदर्शित करती है।अयोध्या का भौगोलिक महत्त्व इसके क्षेत्रीय संपर्क से भी निर्धारित होता है। नगर विभिन्न प्रमुख मार्गों द्वारा उत्तर प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण नगरों से जुड़ा हुआ है। अध्ययन क्षेत्र में समतल भू–आकृति, कृषि प्रधान ग्रामीण परिवेश तथा नदी तटीय भौगोलिक स्थिति नगरीय विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व हैं। नगर के चारों ओर ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण अयोध्या का नगरीय विस्तार ग्रामीण भूमि के साथ निरंतर संपर्क स्थापित करता है।वर्तमान में अयोध्या की भौगोलिक भूमिका स्थानीय नगर से आगे बढ़कर क्षेत्रीय धार्मिक एवं पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो रही है। इससे नगर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के बीच वस्तु, व्यक्ति एवं सेवा प्रवाह में वृद्धि होने की संभावना है।

नगरीय संकल्पना

नगरीय संकल्पना को समझने के लिए नगर को जनसंख्या के एकत्रीकरण से अधिक व्यापक सामाजिक–आर्थिक इकाई के रूप में देखना आवश्यक है। सामान्यतः नगर वह बस्ती है जहाँ जनसंख्या का पर्याप्त संकेंद्रण, गैर–कृषि आधारित आर्थिक गतिविधियों की प्रधानता, विकसित बाजार, प्रशासनिक संस्थाएँ, परिवहन सुविधाएँ तथा विविध प्रकार की सेवाएँ उपलब्ध होती हैं।नगरीयता केवल भौतिक संरचना नहीं है। किसी क्षेत्र में नगरीय जीवन–शैली, रोजगार की विविधता, बाजार व्यवस्था,

शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और संचार की सुविधाओं का विकास भी नगरीयता के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। इसी कारण नगरीय संकल्पना का अध्ययन जनसंख्या, कार्यात्मक संरचना और स्थानिक संगठन–तीनों स्तरों पर किया जाता है।अयोध्या के संदर्भ में नगरीय संकल्पना की अपनी विशिष्ट प्रकृति है। यहाँ धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ नगर की पहचान का मूल आधार रही हैं। तीर्थयात्रियों की निरंतर आवाजाही ने बाजार, परिवहन, आवास और सेवा गतिविधियों के विकास में योगदान दिया है।नगर की कार्यात्मक संरचना में धार्मिक स्थल, बाजार, आवासीय क्षेत्र, प्रशासनिक संस्थान, शैक्षणिक संस्थाएँ, स्वास्थ्य सेवाएँ, पर्यटन सुविधाएँ और परिवहन तंत्र सम्मिलित हैं। इन गतिविधियों का विस्तार नगरीय भूमि उपयोग को प्रभावित करता है।अयोध्या में नगरीकरण का एक महत्वपूर्ण पक्ष ग्रामीण–नगरीय संक्रमण है। जैसे–जैसे नगर की सीमा और प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है, आसपास की कृषि भूमि पर आवासीय एवं व्यावसायिक दबाव बढ़ता है। परिणामस्वरूप ऐसे क्षेत्र विकसित होते हैं जहाँ ग्रामीण और नगरीय विशेषताएँ एक साथ दिखाई देती हैं। अयोध्या की नगरीय संकल्पना को धार्मिक नगर, पर्यटन नगर, सेवा केंद्र तथा विकसित होते क्षेत्रीय नगरीय केंद्र इन सभी रूपों में समझा जा सकता है।

अयोध्या में नगरीकरण की उभरती प्रवृत्तियाँ

अयोध्या में नगरीकरण की वर्तमान प्रवृत्तियाँ बहुआयामी हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति धार्मिक पर्यटन से संबंधित गतिविधियों का विस्तार है। तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही के साथ होटल, धर्मशाला, भोजनालय, परिवहन, स्थानीय बाजार और अन्य सेवाओं का विस्तार होता है।दूसरी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति परिवहन मार्गों के किनारे नगरीय विस्तार की है। तीसरी प्रवृत्ति आवासीय क्षेत्र के विस्तार की है। बढ़ती जनसंख्या, सेवा क्षेत्र के विस्तार और बाहरी आबादी के आगमन से आवास की मांग में वृद्धि होती है।चौथी प्रवृत्ति भूमि उपयोग परिवर्तन की है। कृषि भूमि के कुछ हिस्सों का आवासीय, व्यावसायिक तथा संस्थागत उपयोग में परिवर्तन नगरीकरण का प्रमुख भौगोलिक परिणाम है।पाँचवीं प्रवृत्ति सेवा क्षेत्र के विस्तार की है। पर्यटन, होटल, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग तथा खुदरा व्यापार जैसी गतिविधियाँ नगर की अर्थव्यवस्था में बढ़ती भूमिका निभा रही हैं।

धार्मिक पर्यटन और नगरीकरण

अयोध्या के नगरीकरण को धार्मिक पर्यटन से अलग करके समझना कठिन है। धार्मिक आस्था के कारण यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या ने लंबे समय से स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित किया है।तीर्थयात्रियों के आगमन से होटल, धर्मशाला, भोजनालय, परिवहन, धार्मिक सामग्री, हस्तशिल्प तथा स्थानीय व्यापार की माँग बढ़ती है। परिणामस्वरूप नगर में सेवा क्षेत्र का विस्तार होता है और रोजगार के नए अवसर विकसित होते हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति–2022 में आध्यात्मिक एवं धार्मिक पर्यटन स्थलों पर नागरिक सुविधाओं, संपर्क व्यवस्था तथा आवास सुविधाओं के विकास पर विशेष बल दिया गया है। नीति में धार्मिक पर्यटन सर्किटों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय यात्रा नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में भी प्रावधान किए गए हैं। धार्मिक पर्यटन का प्रभाव केवल नगर की केंद्रीय सीमा तक सीमित नहीं रहता। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी परिवहन, छोटे व्यापार, भोजन, हस्तशिल्प, आवास तथा स्थानीय सेवाओं की माँग बढ़ सकती है। धार्मिक पर्यटन अयोध्या के लिए नगरीकरण का आर्थिक प्रेरक होने के साथ–साथ ग्रामीण–नगरीय संबंधों को मजबूत करने वाला कारक भी है।

भूमि उपयोग में परिवर्तन

नगरीकरण का सबसे स्पष्ट भौगोलिक प्रभाव भूमि उपयोग में परिवर्तन के रूप में दिखाई देता है। अयोध्या में नगरीय विस्तार के कारण आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत तथा पर्यटन संबंधी भूमि उपयोग की आवश्यकता बढ़ रही है।

कृषि भूमि का कुछ भाग नगरीय उपयोग में परिवर्तित होने से ग्रामीण परिदृश्य में परिवर्तन आता है। सड़क मार्गों के किनारे दुकानें, होटल, आवासीय परिसर तथा अन्य सेवाएँ विकसित होने से रैखिक विकास की प्रवृत्ति मजबूत होती है।जीआईएस आधारित नियोजन भूमि उपयोग परिवर्तन को अधिक व्यवस्थित रूप से नियंत्रित करने में उपयोगी हो सकता है। भूमि उपयोग परिवर्तन से आर्थिक अवसरों में वृद्धि होती है, लेकिन अनियोजित रूपांतरण कृषि भूमि, हरित क्षेत्र, जल निकासी तथा पर्यावरणीय संतुलन के लिए चुनौती भी बन सकता है।

नगरीकरण से उत्पन्न प्रमुख समस्याएँ

अयोध्या में तीव्र नगरीकरण के साथ निम्नलिखित प्रमुख समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं–

1. यातायात दबाव– पर्यटकों एवं स्थानीय वाहनों की संख्या बढ़ने से प्रमुख मार्गों पर यातायात दबाव बढ़ सकता है।

2. पार्किंग की समस्या– धार्मिक एवं पर्यटन क्षेत्रों में पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था आवश्यक है।

3. ठोस अपशिष्ट– पर्यटकों की संख्या बढ़ने से ठोस अपशिष्ट की मात्रा बढ़ती है।

4. जल आपूर्ति पर दबाव– बढ़ती आबादी और पर्यटन से जल की माँग बढ़ती है।

5. सीवर एवं जल निकासी– बढ़ती निर्मित भूमि के कारण जल निकासी व्यवस्था पर दबाव पड़ता है।

6. कृषि भूमि का रूपांतरण– नगरीय विस्तार से उपजाऊ कृषि भूमि पर दबाव बढ़ सकता है।

7. अनियोजित निर्माण– यदि निर्माण महायोजना के अनुरूप न हो तो नगरीय संरचना असंतुलित हो सकती है।

8. हरित क्षेत्र में कमी– निर्मित क्षेत्र बढ़ने से खुले एवं हरित क्षेत्रों का संरक्षण चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

9. भूमि मूल्यों में वृद्धि– पर्यटन एवं विकास गतिविधियों के कारण भूमि की कीमतों में वृद्धि स्थानीय निवासियों के लिए समस्या बन सकती है।

10. पर्यावरणीय दबाव– नदी, जल संसाधन, वायु गुणवत्ता और स्थानीय पारिस्थितिकी पर नगरीकरण का प्रभाव पड़ सकता है।

सतत नगरीकरण की आवश्यकता

अयोध्या जैसे धार्मिक एवं पर्यटन केंद्र के लिए सतत नगरीकरण अत्यंत आवश्यक है। सतत नगरीकरण का उद्देश्य आर्थिक विकास, सामाजिक सुविधाओं तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना है।सबसे पहले नगरीय विस्तार को वैज्ञानिक भूमि उपयोग योजना के अनुरूप किया जाना चाहिए। भविष्य में भूमि उपयोग की निगरानी और नियोजन में आधुनिक भौगोलिक सूचना प्रणाली का व्यापक उपयोग किया जाना चाहिए।दूसरे, परिवहन व्यवस्था को सार्वजनिक परिवहन केंद्रित बनाया जाना आवश्यक है। धार्मिक पर्यटन के कारण उत्पन्न यातायात दबाव को कम करने के लिए पार्किंग, पैदल मार्ग, सार्वजनिक परिवहन तथा यातायात प्रबंधन की समन्वित व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए।तीसरे, सरयू नदी और उससे संबंधित पर्यावरणीय क्षेत्र का संरक्षण प्राथमिकता होनी चाहिए। नदी तट का विकास पर्यावरणीय वहन क्षमता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।चौथे, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को पर्यटन व्यवस्था का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाना चाहिए। धार्मिक स्थलों तथा प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों में स्रोत पर कचरा पृथक्करण, पुनर्चक्रण और वैज्ञानिक निस्तारण को बढ़ावा देना आवश्यक है।

पाँचवें, नगरीय विकास में हरित क्षेत्र एवं खुले स्थानों का संरक्षण आवश्यक है। पार्क, वृक्ष–पंक्तियाँ, हरित पट्टियाँ और जल निकाय नगर के पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

छठे, ग्रामीण–नगरीय संक्रमण क्षेत्रों के लिए विशेष नियोजन आवश्यक है। इन क्षेत्रों में कृषि भूमि के अनियंत्रित रूपांतरण को रोकते हुए आवासीय

एवं व्यावसायिक विकास को निर्धारित क्षेत्रों तक सीमित किया जाना चाहिए।सातवें, स्थानीय समुदाय की भागीदारी को नगरीय नियोजन में शामिल किया जाना चाहिए। स्थानीय निवासियों, व्यापारियों, धार्मिक संस्थाओं, पर्यटन सेवा प्रदाताओं तथा प्रशासन के बीच समन्वय से विकास अधिक प्रभावी हो सकता है। आठवें, पर्यटन नीति में प्रस्तावित सुविधाओं के विकास के साथ पर्यावरणीय वहन क्षमता का ध्यान रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति–2022 में आध्यात्मिक पर्यटन के साथ सुविधाओं और संपर्क व्यवस्था के विकास तथा पर्यावरणीय पर्यटन में नियोजित एवं उत्तरदायी विकास पर बल दिया गया है।अयोध्या का भविष्य केवल अधिक निर्माण करने में नहीं, अपितु नियोजित, समावेशी, पर्यावरण–सम्मत और सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने वाले नगरीकरण में निहित है।

निष्कर्ष

अयोध्या जनपद में नगरीकरण की प्रक्रिया वर्तमान समय में महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व, पर्यटन गतिविधियों का विस्तार, परिवहन संपर्क, सेवा क्षेत्र तथा आधारभूत संरचना का विकास नगरीकरण की गति को प्रभावित कर रहे हैं।अयोध्या की विशिष्टता यह है कि यहाँ नगरीकरण की प्रक्रिया औद्योगिक विकास के बजाय मुख्यतः धार्मिक पर्यटन, सेवा गतिविधियों तथा क्षेत्रीय संपर्क पर आधारित है। प्रमुख परिवहन मार्गों के किनारे विकास की प्रवृत्ति तथा नगर के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि उपयोग परिवर्तन इसके महत्वपूर्ण भौगोलिक परिणाम हैं।

धार्मिक पर्यटन नगरीय अर्थव्यवस्था को रोजगार, व्यापार और सेवा क्षेत्र के माध्यम से मजबूत कर सकता है। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति–2022 भी धार्मिक पर्यटन स्थलों पर संपर्क, नागरिक सुविधाओं और आवासीय सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहित करती है।इसके साथ ही अनियोजित नगरीकरण से यातायात, पार्किंग, अपशिष्ट, जल, सीवर, कृषि भूमि संरक्षण तथा पर्यावरणीय समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए अयोध्या के विकास को केवल भौतिक विस्तार के रूप में नहीं, क्षेत्रीय नियोजन के रूप में देखा जाना चाहिए।भविष्य में इसके प्रभावी क्रियान्वयन के साथ स्थानीय समुदाय की भागीदारी, पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा तथा ग्रामीण–नगरीय संतुलन पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होगा। अयोध्या में नगरीकरण की अपार संभावनाएँ हैं, लेकिन इन संभावनाओं को वास्तविक एवं दीर्घकालीन विकास में परिवर्तित करने के लिए सतत, सहभागी, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील नगरीय नियोजन आवश्यक है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. जिला प्रशासन, अयोध्या, जिले के बारे में, उत्तर प्रदेश सरकार, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, अयोध्या, 2026, पृ. 8
2. अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या महायोजना–2031 : जीआईएस आधारित महायोजना, अयोध्या विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश, 2031, पृ. 26
3. पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति–2022, इन्वेस्ट यूपी, उत्तर प्रदेश सरकार, 2022, पृ. 10।
4. जिला प्रशासन, अयोध्या, जनसांख्यिकी, उत्तर प्रदेश सरकार, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, अयोध्या, 2026, पृ.14
5. बंसल, डॉ. सुरेश चन्द्र, नगरीय भूगोल, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ, 2000, पृ. 22
6. जोशी, डॉ. आर. एल., नगरीय भूगोल, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, पृ.28
7. सिंह, डॉ. ओमप्रकाश, नगरीय भूगोल, तारा बुक एजेंसी, वाराणसी, 1987, पृ. 30

SHODH-GARIMA–YEAR-3, VOL. 3 (July to Sept., 2026)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal

ISSN (Print) : 3048-6327

IMPACT-FACTOR SJIF - 6.852

DOI : 10.5281/zenodo.23177041

Paper Received : 20th Aug. 2026 **Paper Accepted : 4th Sept. 2026**

कौटिल्य के राजनीतिक विचारों की वर्तमान में उपयोगिता

□ डॉ. (श्रीमती) शशि त्रिपाठी*
□ सुधा साकेत**

शोध-सारांश

भारतीय राजनीतिक चिंतन की परंपरा बहुत विशाल और विविध है, जिसकी जड़ें प्राचीन ग्रंथों और दर्शनों में मिलती हैं। इस परंपरा के सबसे प्रभावशाली विचारकों में कौटिल्य (जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है) शामिल हैं, जो चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के एक विद्वान, रणनीतिकार और शाही सलाहकार थे। वे मुख्य रूप से अपनी प्रभावशाली रचना 'अर्थशास्त्र' के लिए जाने जाते हैं, जो यह शासन, कूटनीति और आर्थिक प्रबंधन के लिए एक व्यापक और व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। कौटिल्य के राजनीतिक विचारों को उनके यथार्थवादी दृष्टिकोण, रणनीतिक सूझ–बूझ और राज्य–संचालन पर केंद्रित होने के कारण अक्सर ''भारतीय मैकियावेली'' कहा जाता है। उनके सिद्धांत शासन के बारे में प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाते हैं और आज भी राजनीतिक सिद्धांत और व्यवहार को आकार दे रहे हैं।

मुख्य शब्द– अर्थशास्त्र, भारतीय मैकियावेली, राजधर्म, सप्तांग सिद्धांत, मंडल सिद्धांत, राज्यकला, शासन, कूटनीति।

शोध के उद्देश्य

1. अर्थशास्त्र में बताए गए कौटिल्य के राजनीतिक दर्शन के मूल सिद्धांतों की जांच करना।

2. राज्य–संचालन, शासन और कूटनीति पर कौटिल्य के दृष्टिकोण का विश्लेषण करना और समकालीन राजनीतिक सिद्धांत में उनकी प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना।

3. बाद की भारतीय राजनीतिक परंपराओं और समकालीन शासन स्वरूप पर कौटिल्य के राजनीतिक विचारों के प्रभाव और विरासत का आकलन करना।

शोध पद्धति

इस अध्ययन के लिए वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक शोध पद्धतियों को अपनाया गया है। विषय पर तथ्यात्मक जानकारी जुटाने के लिए द्वितीयक डेटा संग्रह पद्धति का उपयोग किया गया है, जिसमें शोध पत्र और लेख आदि शामिल हैं।

* प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान), शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
** शोधार्थी (राजनीति विज्ञान), शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

कौटिल्य का अर्थशास्त्र भारतीय राजनीतिक सोच में एक अहम काम है जो सरकार पर एक प्रायोगिक और सामरिक नज़रिया देता है। उनका दर्शन असलियत पर मज़बूती से आधारित है, जो एक स्थिर और खुशहाल राज्य को बनाए रखने के लिए ज़रूरी चीज़ों के तौर पर शक्ति, कूटनीति और प्रशासन पर ज़ोर देता है। उनके राजनीतिक दर्शन का मूल तीन बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है : राजधर्म (शासक का कर्तव्य), सप्तांग सिद्धांत (राज्य के सात अंग), और मंडल सिद्धांत।

1. राजधर्म : राजा का कर्तव्य

राजधर्म में एक राजा के नैतिक और प्रशासनिक कर्तव्य शामिल हैं। पूरी तरह से नैतिक परंपराओं के उलट, कौटिल्य का राजधर्म नैतिक ज़िम्मेदारी और राजनीतिक व्यावहारिकता का मिश्रण है। राजा के पास सत्ता में सबसे ऊंचा स्थान होता है, लेकिन उसकी मुख्य ज़िम्मेदारी कानून–व्यवस्था बनाए रखना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और राज्य को बाहरी और अंदरूनी खतरों से बचाना है। एक शासक में समझदारी, निष्पक्षता और फ़ैसला लेने की क्षमता होनी चाहिए, और उसे हमेशा अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं से ऊपर राज्य की ज़रूरतों को रखना चाहिए। उसका नेतृत्व योग्यता पर आधारित होना चाहिए, जहाँ मंत्रियों और अधिकारियों का चयन उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बजाय उनकी क्षमता और योग्यता के आधार पर किया जाए। नैतिक व्यवहार के महत्व पर ज़ोर देते हुए, कौटिल्य यह भी मानते हैं कि कभी–कभी स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए राजा को कठोर कदम उठाने पड़ते हैं, जैसे जासूसी करना, धोखा देना और विद्रोहियों को कड़ी सज़ा देना।

यह विचार नेतृत्व और शासन के आधुनिक सिद्धांतों से मेल खाता है, जहाँ नेताओं से उम्मीद की जाती है कि वे फ़ैसले लेते समय नैतिक विचारों और व्यावहारिकता के बीच संतुलन बनाए रखें।

2. सप्तांग सिद्धांत : राज्य के सात अंग

सप्तांग सिद्धांत शासन के लिए एक व्यापक ढांचा पेश करता है, जिसमें सात मुख्य घटकों की आपसी निर्भरता पर ज़ोर दिया गया है–

1. स्वामी (राजा)– कौटिल्य का कहना है कि शासक में बुद्धिमत्ता, अनुशासन और रणनीतिक सोच होनी चाहिए।

2. अमात्य (मंत्री)– कौटिल्य के अनुसार, फ़ैसला लेने और प्रशासन में मदद के लिए सक्षम सलाहकार होने चाहिए।

3. जनपद (क्षेत्र और लोग)– आबादी और क्षेत्र राज्य का आधार होते हैं। एक समृद्ध और आत्मनिर्भर आबादी राज्य की स्थिरता की गारंटी देती है।

4. दुर्ग (किलेबंद राजधानी)– किले हमलों से बचाव के लिए सुरक्षा ढांचा प्रदान करते हैं।

5. कोष (खज़ाना)– सैन्य और कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए हर राज्य के लिए आर्थिक मज़बूती महत्वपूर्ण है।

6. दंड (सेना और कानून–व्यवस्था)– कौटिल्य के अनुसार, एक कुशल सेना और मजबूत कानूनी व्यवस्था राज्य में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करती है।

7. मित्र (सहयोगी)– कौटिल्य का कहना है कि रणनीतिक साझेदारी कूटनीति और युद्ध में मदद करती है।

यह सिद्धांत आज के शासन–संचालन के स्वरूपों से मेल खाता है, जहाँ राजनीतिक स्थिरता प्रभावी नेतृत्व, कुशल प्रशासन, मजबूत अर्थव्यवस्था, कड़े सुरक्षा उपायों और सकारात्मक अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर निर्भर करती है। यह दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले आधुनिक लोक प्रशासन और शासन के ढाँचों के अनुरूप है।

3. मंडल सिद्धांत : भू–राजनीतिक रणनीति

कौटिल्य का मंडल सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय संबंधों का एक यथार्थवादी स्वरूप है, जो बताता है कि पड़ोसी राज्य स्वाभाविक रूप से दुश्मन होते हैं, जबकि दूर स्थित राज्य गठबंधन बना सकते हैं। यह सिद्धांत शासकों को राजा के साथ उनके

संबंधों के आधार पर चार समूहों में बांटता है–

1. अरि (दुश्मन)– अरि वे होते हैं जो ठीक बगल में पड़ोसी होते हैं और सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं।

2. मित्र (सहयोगी)– कौटिल्य के अनुसार, मित्र उन देशों को कहा जाता है जो दुश्मन की पहुँच से दूर होते हैं और रणनीतिक साझेदारी में मूल्यवान सहयोगी हो सकते हैं।

3. मध्यम (तटस्थ राज्य)– इसके पास बहुत अधिक शक्ति होती है और यह क्षेत्र में शक्ति के संतुलन को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है।

4. उदासीन (तटस्थ पर्यवेक्षक)– कौटिल्य का कहना है कि तटस्थ राज्य की भूमिका एक दूर की इकाई जैसी होती है, जो सीधे तौर पर संघर्ष में शामिल नहीं होती है।

कौटिल्य कूटनीति के विभिन्न तरीके सुझाते हैं, जैसे :–

- संधि (समझौता)– कौटिल्य जरूरत पड़ने पर समझौता करने का सुझाव देते हैं।
- विग्रह (युद्ध)– कौटिल्य ने कहा है कि जब कूटनीतिक प्रयास विफल हो जाएं, तब युद्ध किया जाना चाहिए।
- आसन (तटस्थता)– कौटिल्य का कहना है कि बदलती परिस्थितियों में कभी–कभी स्थिति पर नज़र रखना ज़रूरी होता है।
- द्वैधीभाव (दोहरी नीति)– कौटिल्य ज़रूरत के हिसाब से कूटनीति और युद्ध की रणनीति, दोनों का एक साथ इस्तेमाल करने का सुझाव देते हैं।
- उपेक्षा (रणनीतिक अनदेखी)– सही समय आने तक जान–बूझकर खतरे से बचना।

यह तरीका आज के अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए बहुत काम का है और आजकल की भू–राजनीति में ''शक्ति संतुलन'' की रणनीति जैसा है, जहाँ देश संभावित खतरों का मुकाबला करने के लिए गठबंधन बनाते हैं।

राज्य–संचालन, शासन और कूटनीति पर कौटिल्य का नज़रिया आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के लिए इसकी प्रासंगिकता :

कौटिल्य का 'अर्थशास्त्र' राज्य–संचालन का एक व्यापक और व्यावहारिक नज़रिया पेश करता है। यह एक स्थिर और शक्तिशाली राज्य की नींव के तौर पर असरदार शासन, रणनीतिक कूटनीति और आर्थिक मज़बूती पर ज़ोर देता है। आदर्शवादी या नैतिक ढांचों के उलट, कौटिल्य ने यथार्थवादी नज़रिए की वकालत की। इसमें राजा का कर्तव्य सिर्फ़ धर्म (नैतिक व्यवस्था) को बनाए रखना ही नहीं, बल्कि सुरक्षा, समृद्धि और राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करना भी था, भले ही इसके लिए नैतिक रूप से लचीले तरीकों का इस्तेमाल करना पड़े।

कौटिल्य के दर्शन में राज्य–संचालन ''सप्तांग सिद्धांत'' के इर्द–गिर्द घूमता है। यह सिद्धांत राज्य के सात ज़रूरी तत्वों की पहचान करता है : राजा (स्वामी), मंत्री (अमात्य), क्षेत्र और आबादी (जनपद), किलेबंद शहर (दुर्ग), खज़ाना (कोष), सेना (दंड) और सहयोगी (मित्र)। राज्य की स्थिरता पक्की करने के लिए हर हिस्से से बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद की जाती थी। उनके शासन सिद्धांत में एक अच्छी तरह से संगठित प्रशासनिक व्यवस्था के महत्व पर ज़ोर दिया गया। उन्होंने एक ऐसे व्यापक ढांचे का सुझाव दिया जिसमें आपसी नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था हो।

शासन के मामले में, कौटिल्य ने अच्छी तरह से प्रशिक्षित और नैतिक नौकरशाही तथा एक मज़बूत केंद्रीय अधिकार, और एक ऐसा राजा जिसके पास ज्ञान और नेतृत्व क्षमता दोनों हों। उन्होंने इंटरनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक रेगुलेशन, कानून लागू करने और वेलफेयर पॉलिसी के लिए कई पहल कीं, जिससे वेलफेयर स्टेट और कानून के राज का पालन करने का शुरुआती उदाहरण दिखा।

कूटनीति ने उनकी राजनीतिक विचारधारा में एक अहम भूमिका निभाई, जैसा कि मंडल सिद्धान्त में दिखाया गया है, जिसमें एक मंडल चक्र दिखाया गया था जिसमें दुश्मन और साथी दोनों शामिल थे। इस सिद्धान्त ने सामरिक सहयोग बनाने और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के यथार्थवादी मूल्यांकन के आधार पर पहले से एक्शन लेने के महत्व पर ज़ोर दिया। जासूसी, बातचीत और यहां तक कि तोड़फोड़ को भी देश के हितों की रक्षा के लिए सही तरीके माना गया।

आज के राजनीतिक सिद्धान्त में, कौटिल्य के अवधारणा यथार्थवाद और नव–यथार्थवाद में आज भी उपयुक्त हैं, खासकर मैकियावेली और हॉब्स जैसे विचारकों की लेखन में– शक्ति संतुलन, राज्य के हितों और लीडरशिप की बारीकियों के बारे में उनकी समझ आज के राजनीतिक व्यवहार और विदेश नीति के फैसलों को समझने में बहुत उपयुक्त है।

भारतीय राजनीतिक परंपराओं और आज के सरकार का स्वरूप पर कौटिल्य के राजनीतिक विचारों के असर और विरासत का आकलन :

कौटिल्य के अर्थशास्त्र का भारतीय राजनीतिक सोच पर गहरा और लंबे समय तक चलने वाला असर रहा है और यह ऐतिहासिक और आधुनिक दोनों संदर्भों में सरकार, कूटनीति और राज–काज की चर्चाओं में एक संदर्भ बिन्दु बना हुआ है। उनके विचारों ने शुरुआती भारतीय समाज को बनाने में अहम भूमिका निभाई और आज भी वे आधुनिक प्रशासनिक और राजनीतिक तरीकों पर असर डालते हैं।

1. प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक परंपराओं पर असर :

प्राचीन भारत में, कौटिल्य की प्रायोगिक सोच ने मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक पर बहुत असर डाला, जिससे यह सबसे ताकतवर और भारतीय इतिहास में अच्छी तरह से संगठित साम्राज्य। इस साम्राज्य की शासन व्यवस्था जिसकी खासियत थी केंद्रीय नियंत्रण, कुशल नौकरशाही और खुफिया नेटवर्क चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में साफ तौर पर देखी जा सकती थी।

हालांकि बाद के भारतीय ग्रंथों, जैसे मनुस्मृति और धर्मशास्त्र में शासन के धार्मिक और नैतिक पहलुओं पर ज्यादा ज़ोर दिया गया, फिर भी कौटिल्य के कई रणनीतिक और प्रशासनिक विचार सुरक्षित रहे, खासकर नीति और राजनीति पर लिखे ग्रंथों में। उनकी यथार्थवादी राजनीतिक सोच मध्यकालीन राजपूत राज्यों में भी दिखाई दी, जिन्होंने उनकी सैन्य रणनीतियों और गठबंधन नेटवर्क के तत्वों को अपनाया।

2. पुनः खोज और आधुनिक महत्व

सदियों तक अर्थशास्त्र भुला दिया गया था, लेकिन 1905 में विद्वान आर. शमाशास्त्री ने इसे फिर से खोज निकाला। इस किताब ने कौटिल्य के विचारों में नई दिलचस्पी जगाई और अकादमिक व राजनीतिक दोनों ही हलकों पर गहरा असर डाला। तब से, उन्हें भारतीय राजनीतिक चिंतन में एक आधारभूत हस्ती के तौर पर फिर से स्थापित किया गया है; अक्सर उनकी तुलना मैकियावेली से की जाती है, लेकिन उनका नज़रिया ज्यादा व्यापक और प्रशासनिक था।

3. आज़ादी के बाद का भारत

कौटिल्य की बातें आज फिर से प्रासंगिक हैं। प्रशासनिक सुधार और शासन में जवाबदेही की ज़रूरत, सक्षम और अनुशासित नेतृत्व पर उनके ज़ोर से मेल खाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा पर उनका ज़ोर उनकी नीतियों में साफ दिखता है, जो मज़बूत रक्षा प्रणालियों और आंतरिक निगरानी को प्राथमिकता देती हैं। विदेश नीति के सिद्धांत, जैसे गठबंधनों का रणनीतिक इस्तेमाल और सॉफ्ट पावर (नरम शक्ति), उनकी मंडल सिद्धांत और कूटनीतिक रणनीतियों से मिलते–जुलते हैं। भारतीय राजनेता, नौकरशाह और रणनीतिकार अक्सर नीति–निर्माण के दौरान कौटिल्य की सीखों का सहारा लेते हैं।

निष्कर्ष

कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक यथार्थवादी और व्यावहारिक दृष्टिकोण पेश करता है शासन, कूटनीतिक और शासनकला। उनका राजधर्म नैतिक नेतृत्व सिद्धांतों से मेल खाता है, सप्तांग सिद्धान्त आधुनिक लोक प्रशासन को दिखाती है, और मंडल सिद्धान्त आज के अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध को दिखाती है। उनके विचारों का आज के राजनीतिक विश्लेषण पर, खासकर विदेश नीति, शासन रणनीति और सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में, बड़ा असर पड़ता है। कौटिल्य का काम उत्तर–औपनिवेशिक भारत में शासन प्रणाली में भी योगदान देता है, जहाँ विद्वान और नीति निर्माता के लिए तेज़ी से देसी परंपराओं की ओर मुड़ रहे हैं। असरदार सरकार, प्रशासन में जवाबदेही और राष्ट्रीय सुरक्षा पर उनका केन्द्र आज के भारतीय राजनीतिक विश्लेषण और लोक प्रशासन प्रैक्टिस से जुड़ा है। कौटिल्य के राजनीतिक विचारों ने न सिर्फ भारतीय शासन की नींव रखी है, बल्कि आज के प्रशासनिक संरचना, कूटनीतिक और राजनीतिक नेतृत्व तरीकों पर भी असर डालना जारी रखा है। उनकी विरासत को पुराने ज्ञान और आज के शासन के बीच एक कड़ी माना जाता है, जो कीमती जानकारी देती है जो आज के राजनीतिक मुद्दों से निपटने में काम आती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. ओ.पी. गौबा, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, नेशनल पेपरबैक्स, नई दिल्ली, 2021
2. पूर्वी गोसर और डॉ. हरीश पुरोहित, आज के संगठनात्मक शासन में कौटिल्य के अर्थशास्त्र की प्रासंगिकता IJARSCT, 1, दिसंबर 2022
3. .https://epgp.inflibnet.ac.in/epgpdata/uploads/epgp_content/S000030PU/P001502/M016154/ET/1465368524 01.ET.Kautilya-Rumki_Basu.pdf
4. https://politicsforindia.com/arthashastra-by-kautilya/
5. https://lukmaanias.com/wp-content/uploads/2021/06ध्UPSC-PAPER-II-2019_.pdf
6. https://samvadaworld.com/national/chanakyas-six-fold-policy-and-its-relevance-for-diplomacy-in-the-emerging-world/

SHODH-GARIMA–YEAR-3, VOL. 3 (July to Sept., 2026)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal

ISSN (Print) : 3048-6327

IMPACT-FACTOR SJIF - 6.852

DOI : 10.5281/zenodo.23177177

Paper Received : 20th Aug. 2026 **Paper Accepted : 4th Sept. 2026**

जनजातीय देवलोक की अवधारणा : एक अध्ययन

□ रवीन्द्र शंकर राय*
□ डॉ. सरिता पाण्डेय**

शोध-सारांश

भारत के शहरी क्षेत्र से सुदूर बसने वाली जाति को जनजाति कहा गया है, किन्तु इनकी विशेषता केवल यही नहीं है कि, ये शहर से दूर बसे हैं। इनकी विशेषता यह है कि, इनके पास ऐसे अनेक सशक्त कारण हैं जिनके कारण ये आज भी नगरीय जीवन से उत्तम ग्राम्य या वन्य जीवन को मानते हैं। इनकी परंपरायें वन से बंधी हुई हैं, वन से आशय केवल पेड़, पौधों से नहीं अपितु वन्य जीवों, वन्य वृक्षों तथा प्रत्येक वन्य संसाधनों जैसे– नदी, पहाड़, टीले, झरने आदि से है। जनजातियों की समृद्ध परंपराओं में उनके द्वारा अपने पूर्वजों को देवता मानकर पूजा करना, गांव की समृद्धि के लिए ग्राम देवता की कल्पना करना, रोगों से निवृत्त होने तथा जीवन में कभी रोगी न होने के लिए बूढ़ी दाई या बूढ़ी माता की पूजा अर्चना करना। साल वृक्ष में बड़ा देव की प्रतिष्ठा करना आदि परंपरायें आज भी ये नगरीय सभ्यता के लोगों से इन्हें अलग करती हैं। वनों के निकट जनजातियों अलावा भी अन्य जातियां वसती हैं किन्तु उनकी परंपराओं से इनकी रंपराओं में भिन्नता होती है। इनका देवलोक इतना प्रबल है कि, अनगढ़ पत्थर में भी उसी देवत्व को प्राप्त करते हैं जिन्हें सभ्य समाज बड़ी–बड़ी सुन्दर प्रतिमाओं में भी शयद ही उस प्रकार देख पाता हो। देवताओं की आराधना में इन जनजातियों के स्वार्थ भी बहुत ही छोटे होते हैं। इनके स्वार्थ में दैनिक जीवन से चुड़ी चीजें ही होती हैं। जो इनके देवलोक की कुपा से अनायास ही इन्हें प्राप्त होती रहती हैं।

मुख्य शब्द– जनजाति का स्वरूप, जनजाति देवलोक, देवलोक की अवधारणा।

परिचय

भारतीय पौराणिक परंपरा में देवलोक को स्वर्ग, इन्द्रपुरी के रूप में देखा जाता है। किन्तु जनजातियों के लिए देवलोक कोई आकाशीय लोक नही है। वह सीधे धरती का देवलोक है। जनजातियों का देवलोक वैदिक देवलोक से मेल खाता है किन्तु

* शोधार्थी (ललित कला विभाग), एकलव्य वि.वि. दमोह (म.प्र.)
** सहा. प्राध्यापक (ललित कला विभाग), एकलव्य वि.वि. दमोह (म.प्र.)

यह साहित्यिक न होकर परंपरागत कोकर रूढ़ हो चुका है। वेदों में देव प्राकृतिक पदार्थ ही हैं जिन्हें सूक्ष्मतम रूप से देखा गया है। जनजातियों का देवलोक अशिक्षित समाज का देवलोक है। जहां भावना की प्रधानता है तथा देवताओं को ज्यादा समझने की आवश्यकता की बजाय उन्हें मानने की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। वैदिक देवताओं में प्रत्येक देव का अर्थ है। इन्द्र क्यों कहते हैं। बृहस्पति का अर्थ क्या है? आदि आदि। किन्तु जनजातीय देवताओ में पहाड़ देवता क्या है? नदी देवी क्या है? आदि प्रश्न किए बिना ही आदिकाल से पूजा की जाती रही है।

शोध का उद्देश्य

प्रस्तुत शोधयोजना के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले का जिसमें एक देवसर नामक उपखण्ड में आदिवासियों की सर्वाधिक संख्या है तथा उनके समाज में स्थापित देवलोक के अन्तर्गत मूर्तियों का भी स्थान महत्वपूर्ण है। उनके द्वारा स्थापित की गईं मूर्तियों में उनके स्वयं के आचार–विचार, उनकी परिकल्पनाओं का परिचय प्राप्त होता है। जनजातीय देवलोक का अध्ययन करना प्रस्तुत शोध का उद्देश्य है। जनजातियों के उत्थान में तथा उनके विकास में प्रस्तुत शोध का महत्वपूर्ण स्थान होगा।

शोध का उल्लेखनीय योगदान

प्रस्तूयमान शोध कला के उन्नयन की दिशा में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत वर्ष के हृदय क्षेत्र में अवस्थित मध्यप्रदेश में वही कलाकृति छोटे–छोटे रूप में ही सही किन्तु आज के मानवों को आश्चर्य में डालने के लिए पर्याप्त है कि जिस काल में लोहे का नाम नहीं जानते थे उस काल में विशाल और विस्तृत पर्वत श्रृंखला को काटकर राजमहल के रूप में परिवर्तित कर दिया।

शोध कार्य हेतु प्रस्तावित शोध विधि

शोधविधि के विना किसी भी शोध के निष्कर्ष को प्राप्त करना कठिन होता है। प्रस्तुत शोधकार्य में निम्नांकित शोधविधियों का प्रयोग किया गया है–

1. अन्वेषण विधि।
2. विवरणात्मक विधि।

शोध की सीमा

प्रस्तूयमान शोध ''जनजातीय देवलोक की अवधारणा'' जैसा कि इसका शीर्षक है उसके अनुसार जनजातीय लोगों के देवलोक अर्थात् देवता सम्बन्धी अवधारणा व मान्यता तथा उनके स्वरूपों का अध्ययन किया जाना है।

देवलोक परिचय

देवलोक का शाब्दिक अर्थ है देवताओं का लोक। देवता जहां निवास करते हैं। इस विषय में दो प्रकार के देवलोक प्राप्त होते हैं। एक तो साहित्य के आधार पर तथा दूसरा समाज में जो प्रतिष्ठित हैं किन्तु उनका कोई लिखित साहित्य नहीं है किन्तु प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं है। इसे हम 1. वैदिक 2. पौराणिक तथा 3. जनजातीय नामों से जानते हैं–

1. वैदिक देवलोक

वेदों में देवलोक को इंद्र का निवास बताया गया है। यहां इन्द्र और अन्य देवताओं के बीच राजतन्त्र की व्यवस्था है। इन्द्र स्वर्ग, अप्सराओं और अमृत का स्वामी है। अन्य देवता भी स्वर्गीय सभी सुखों का भोग करते हैं। वैदिक देवताओं की कोटि का अर्थ प्रकार है। इन्द्र का साम्राज्य तीनों लोकों में हैं तथा प्रत्येक लोक में 11 प्रतिनिधि देवता राज्य का संचालन करते हैं।

2. पौराणिक देवलोक

पुराणों के अनुसार देवलोक सुमेरु पर्वत पर है। वहाँ कल्पवृक्ष है, जिसके फल का आस्वादन देवगण करते हैं। कामधेनु नामक गाय है जिसके दूध का पान देवगण करते हैं और देवताओं की संख्या 33 कोटि है।

3. जनजातीय देवलोक

जनजातियों के लिए देवलोक के 4 रूप देखने को मिलते हैं–

1. पहाड़ = देवलोक' सिंगरौली में ढोंढ़ी पहाड़ और मोरवा पहाड़ को बैगा पवित्र मानते हैं।

यहाँ पूजा के बाद ही जंगल से लकड़ी ली जाती है।

2. वृक्ष = देवलोक' बरगद, पीपल, साजा वृक्ष के नीचे देव ठान बनाई जाती है। इसे काटना पाप माना जाता है।

3. जल स्रोत = देवलोक' सोन नदी और झरनों को जल देव का घर माना जाता है।

4. पवित्र उपवन = देवलोक, गांव के बाहर 2–5 एकड़ जंगल जिसे सरना या देव वन कहते हैं। यहाँ किसी प्रकार के जीव का शिकार और लकड़ी की कटाई नहीं की जा सकती है।

देवलोक का प्राकृतिक संबंध

देवलोक भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में वह दिव्य लोक है जहाँ देवता निवास करते हैं। जनजातीय समाजों में देवलोक की अवधारणा सीधे प्रकृति से जुड़ी है। मध्यप्रदेश के सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर क्षेत्र की कोल, गोंड, बैगा, भील जनजातियों में पहाड़, नदी, वृक्ष और गुफाओं को ही देवलोक माना जाता है। इस शोध का उद्देश्य देवलोक की पौराणिक अवधारणा और जनजातीय प्रकृति–पूजा के बीच संबंध स्थापित करना है। जनजातियों के लिए देवलोक कोई आकाशीय स्थान नहीं, बल्कि जीवित प्रकृति ही है। वन, जल, पहाड़ और पवित्र वृक्ष उनके देवताओं का घर हैं। आधुनिकीकरण और औद्योगीकरण के कारण यह प्राकृतिक देवलोक नष्ट हो रहा है, जिससे जनजातीय सांस्कृतिक पहचान पर संकट आया है।

भारतीय संस्कृति में लोक की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है। वेदों में भू–लोक, भुव–लोक, स्व–लोक, मह–लोक, जन–लोक, तप–लोक और सत्य–लोक का वर्णन है। इनमें देवलोक या स्वर्गलोक वह स्थान है जहाँ देवता रहते हैं।

लेकिन मध्य भारत की जनजातियों के लिए देवलोक की परिभाषा अलग है। उनके लिए देवलोक कोई दूर का आकाश नहीं, बल्कि उनके गांव के पास का पवित्र जंगल, पहाड़ की चोटी, या बरगद का पेड़ है। बैगा इसे धरती देव कहते हैं, गोंड इसे बड़ादेव का स्थान मानते हैं। [Tribal Research and Development Institute, Bhopal- (2016)- Madhya Pradesh ki Janjatiyan: Baiga evam Gond, Tribes of Madhya Pradesh: Baiga and Gond,- TRDI Publication.]

सिंगरौली जैसे औद्योगिक क्षेत्र में कोयला खदानों के कारण जंगल कट रहे हैं। इसके साथ ही प्राकृतिक देवलोक भी नष्ट हो रहा है। इसलिए इस शोध की प्रासंगिकता बढ़ जाती है।

पौराणिक/वैदिक देवलोक के घटक

हिंदू पुराणों और वेदों के अनुसार देवलोक = स्वर्गलोक = इंद्रपुरी है।

क्रमांक	घटक	विवरण
1.	सुमेरु पर्वत	देवलोक इसी पर्वत की चोटी पर स्थित माना जाता है
2.	इंद्र का सिंहासन	देवराज इंद्र का दरबार। यहीं सभी देवताओं की सभा होती है
3.	33 कोटि देवता	12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, 2 अश्विनीकुमार आदि
4.	कल्पवृक्ष	इच्छा पूरी करने वाला दिव्य वृक्ष
5.	कामधेनु	इच्छा पूरी करने वाली गाय
6.	अमृत कुंड	अमरता देने वाला जल
7.	अप्सराए	उर्वशी, मेनका, रंभा जैसी नृत्य करने वाली देवकन्याएं
8.	नंदन वन	देवलोक का सबसे सुंदर बगीचा
9.	पारिजात वृक्ष''	सुगंधित दिव्य फूलों वाला वृक्ष
10.	विमान और दिव्य महल	सोने–चांदी के महल, पुष्पक विमान

जनजातीय देवलोक के घटक

मध्य भारत की गोंड, बैगा, कोल, भील जनजातियों के लिए देवलोक कोई आकाश नहीं, बल्कि प्रकृति ही है। यही मान्यता सिंगरौली के जनजातियों में भी है–

कमांक	घटक	विवरण	उदाहरण
1.	पवित्र पहाड़	पहाड़ को देवता का घर माना जाता है	सिंगरौली का मोरवा पहाड़, ढोंढ़ी पहाड
2.	पवित्र वृक्ष	बरगद, पीपल, करम, साजा के नीचे देव ठान	करम वृक्ष = कर्मा देव का स्थान
3.	पवित्र उपवन	गांव के बाहर का जंगल जहाँ शिकार मना है	सरना, मड़ाई, देव वन
4.	नदी और जल स्रोत	नदी, झरना, तालाब को जल देव मानते हैं	सोन नदी, स्थानीय झरने
5.	देव ठान/ चबूतरा'	पत्थरों का चबूतरा जहाँ गांव देव की पूजा होती है	बड़ादेव, ठाकुरदेव का चबूतरा
6.	गुफा	गुफा को ऋषि या देवता का निवास मानते हैं	बैगा गुफाओं में पूजा करते हैं
7.	पूर्वज स्थल	गांव के बाहर पूर्वजों को याद करने की जगह	दीवाली पर पूर्वज देवलोक से आते हैं
8.	सामुदायिक स्थल	जहाँ त्यौहार और नृत्य होते हैं	कर्मा अखाड़ा, गवरी मंच

पौराणिक देवलोक के 5 मुख्य घटक' = देवता. कल्पवृक्ष. अमृत. नंदन वन्, अप्सराएं है तथा जनजातीय देवलोक के 5 मुख्य घटक' = पहाड़. वृक्ष. जल. उपवन. देव ठान हैं। जनजातियों के लिए जहाँ प्रकृति है, वहीं देवलोक है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. V.S.- Brooks R.R-.Stone Age Painting in India- Yale University Press, 1976
2. Misra, V.N. Prehistoric Human Colonization of India- Journal of Biosciences, 2001
3. Sharma, R.K. Art and Architecture of Baghelkhand- Bhartiya Kala Prakashan, 2003
4. गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश 2023. Tribal Development Department Annual Report 2022–23

SHODH-GARIMA–YEAR-3, VOL. 3 (July to Sept., 2026)
A Peer-Reviewed & Referred
International Multidisciplinary
Research Journal

ISSN (Print) : 3048-6327

IMPACT-FACTOR
SJIF - 6.852

DOI : 10.5281/zenodo.23177354

Paper Received : 20th Aug. 2026 **Paper Accepted : 4th Sept. 2026**

विकसित भारत 2047 डॉ. भीमराव के सिद्धांतों की प्रासंगिकता और योगदान

❑ डॉ. रामेश्वरलाल*

शोध-सारांश

भारत ने वर्ष 2047 तक स्वयं को एक पूर्ण विकसित, आत्मनिर्भर और वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का महत्वाकांक्षी संकल्प लिया है। यह वर्ष भारतीय स्वतंत्रता का शताब्दी वर्ष भी होगा। एक 'विकसित भारत' की संकल्पना केवल सकल घरेलू उत्पाद (*GDP*) की वृद्धि या उन्नत तकनीकी बुनियादी ढांचे तक सीमित नहीं हो सकती। वास्तविक विकास वह है जो समावेशी हो, जहाँ सामाजिक न्याय, आर्थिक समता और मानवीय गरिमा अक्षुण्ण हो। भारत रत्न डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने आधुनिक भारत की जो संवैधानिक, आर्थिक और सामाजिक नींव रखी थी, वे सिद्धांत आज विकसित भारत 2047' के रोडमैप के मार्गदर्शक स्तंभ हैं। प्रस्तुत शोधलेख इस बात का गहन विश्लेषण करता है कि कैसे बाबा साहेब का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक विजन 21वीं सदी के मध्य तक भारत को एक न्यायपूर्ण और समृद्ध राष्ट्र बनाने में अपरिहार्य भूमिका निभा रहा है।

मुख्य शब्द– विकसित भारत 2047, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, सामाजिक न्याय, आर्थिक लोकतंत्र, संवैधानिक नैतिकता, समावेशी विकास।

1. प्रस्तावना

"विकसित भारत 2047" का विजन देश को औपनिवेशिक मानसिकता के अवशेषों से मुक्त कर एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था के शीर्ष पर ले जाने का है, जहाँ हर नागरिक सशक्त हो। इस यात्रा में नीति निर्माताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक प्रगति के साथ–साथ सामाजिक विषमता को समाप्त करने की है। दशकों पहले, संविधान निर्माता और महान अर्थशास्त्री डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने सचेत किया था कि राजनीतिक स्वतंत्रता तब तक अधूरी और अस्थिर है, जब तक कि वह सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता में तब्दील न हो जाए। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपने अंतिम भाषण में उन्होंने कहा था 26 जनवरी 1950 को हम अंतर्विरोधों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक तथा

* सहायक आचार्य (व्यावसायिक प्रशासन), राजकीय महाविद्यालय, मेड़तासिटी (नागौर), राजस्थान–341510, मो.: 9462278550

आर्थिक जीवन में हमारे पास असमानता होगी। आज, जब हम 2047 की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, भारत का लक्ष्य इन्हीं अंतर्विरोधों को पूरी तरह समाप्त करना है। बाबा साहेब का जीवन और दर्शन केवल एक वर्ग विशेष के उत्थान तक सीमित नहीं था, बल्कि वह एक समतावादी राष्ट्र के निर्माण का ब्लूप्रिंट था। उनका यह योगदान आज विकसित भारत के आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी और राजनैतिक स्तंभों को मजबूती प्रदान कर रहा है।

आर्थिक विजन

आत्मनिर्भरता और आधुनिक बुनियादी ढांचा आमतौर पर डॉ. अम्बेडकर को केवल एक कानूनविद् और सामाजिक सुधारक के रूप में देखा जाता है, लेकिन वे मूलतः एक उच्च कोटि के अर्थशास्त्री थे। कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट करने वाले बाबा साहेब के आर्थिक विचार आज के विकसित भारत की रीढ़ हैं।

2.1 मौद्रिक नीति और बैंकिंग प्रणाली की नींव

डॉ. अम्बेडकर के शोध ग्रंथ 'The Problem of the Rupee: Its Origin and Its Solution' ने देश में एक केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकता को रेखांकित किया था। इसी शोध के सिद्धांतों के आधार पर 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक (R.B.I.) की स्थापना के लिए हिल्टन यंग कमिशन ने सिफारिशें की थीं। आज, 2026–2047 के कालखंड में, जब भारत अपनी डिजिटल मुद्रा (CBDC-e रे) लॉन्च कर रहा है और वैश्विक व्यापार में रुपये को स्थापित कर रहा है, तो वित्तीय स्थिरता का यह पूरा ढांचा बाबा साहेब के मौद्रिक विजन का ही परिणाम है।

2.2 जल संसाधन, ऊर्जा और बुनियादी ढांचा विकास

विकसित भारत 2047 के लिए 'गति शक्ति मास्टर प्लान' और राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन (NIP) सबसे महत्वपूर्ण हैं। डॉ. अम्बेडकर ने वायसराय की कार्यकारी परिषद के श्रम सदस्य (1942–1946) के रूप में भारत में आधुनिक बुनियादी ढांचे की शुरुआत की थी। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं– उन्होंने दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना और सोन नदी घाटी परियोजना की रूपरेखा तैयार की। उनका मानना था कि बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और जलविद्युत के बिना भारत का औद्योगिक विकास संभव नहीं है। केंद्रीय जल और विद्युत बोर्ड उन्होंने केंद्रीय जल आयोग (CWC) और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) की स्थापना की। आज भारत जो नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) और 'जल जीवन मिशन' के जरिए हर घर जल पहुंचा रहा है, उसकी संस्थागत शुरुआत बाबा साहेब ने ही की थी।

2.3 श्रम सुधार और औद्योगिक दक्षता

एक विकसित राष्ट्र के लिए मानव श्रम का कुशल और सुरक्षित होना अनिवार्य है। डॉ. अम्बेडकर ने श्रम कानूनों में युगांतरकारी सुधार किए उन्होंने काम के घंटे प्रतिदिन 12 से घटाकर 8 घंटे किए। भारतीय श्रम सम्मेलन (ILC) की स्थापना की ताकि श्रमिकों, नियोक्ताओं और सरकार के बीच संवाद हो सके। महंगाई भत्ता, भविष्य निधि, और बोनस जैसे वैधानिक अधिकारों की शुरुआत की। 2047 के भारत में, जब हम विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनने की ओर अग्रसर हैं, श्रम संहिताओं का आधुनिकीकरण बाबा साहेब के इसी विजन को आगे बढ़ाता है, जहाँ श्रमिक का शोषण न हो और औद्योगिक उत्पादकता भी बढ़े।

3. सामाजिक लोकतंत्र और समावेशी विकास

कोई भी देश तब तक विकसित नहीं कहला सकता जब तक कि उसकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा बुनियादी अधिकारों से वंचित हो। डॉ. अम्बेडकर के लिए विकास का पैमाना केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियां या ऊंची इमारतें नहीं थीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति का आत्मसम्मान था।

विकसित भारत 2047 का मुख्य आधार

सामाजिक समता (अनुच्छेद 14–18)	महिला सशक्तिकरण (हिंदू कोड बिल)	मानव पूंजी (शिक्षा व कौशल)

3.1 हाशिए के समाजों का मुख्यधारा में समावेशन

भारतीय संविधान के माध्यम से डॉ. अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सुरक्षा कवच तैयार किया।

सकारात्मक कार्रवाई–आरक्षण केवल नौकरी पाने का जरिया नहीं, बल्कि शासन–प्रशासन में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का माध्यम था।

विकसित भारत का लक्ष्य– आज सरकार की आकांक्षी जिला कार्यक्रम (Aspirational Districts Programme) और 'पीएम–जनमन' जैसी योजनाएं देश के सबसे पिछड़े क्षेत्रों और जनजातियों तक विकास पहुंचा रही हैं। यह बाबा साहेब के 'अंत्योदय से सर्वोदय' के विचार का जीवंत उदाहरण है।

3.2 महिला सशक्तिकरण आधी आबादी का विकास

डॉ. अम्बेडकर का प्रसिद्ध कथन है–'मैं किसी समुदाय की प्रगति का मापन महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति की डिग्री से करता हूँ।' हिंदू कोड बिल कानून मंत्री के रूप में उन्होंने महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, तलाक का अधिकार और गोद लेने का अधिकार दिलाने के लिए हिंदू कोड बिल पेश किया। जब इसे पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया गया, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।

मातृत्व लाभ– उन्होंने ही महिला श्रमिकों के लिए सवैतनिक मातृत्व अवकाश की वकालत की। 2047 का परिदृश्य आज विकसित भारत का विजन महिला विकास से आगे बढ़कर 'महिला नेतृत्व वाले विकास' पर केंद्रित है। 'मुद्रा योजना' की महिला लाभार्थी, 'लखपति दीदी' योजना और संसद में महिला आरक्षण अधिनियम (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) बाबा साहेब के सपनों के भारत की गवाही देते हैं।

3.3 शिक्षा और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था

बाबा साहेब का मूल मंत्र था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उनका मानना था कि शिक्षा सामाजिक गतिशीलता का सबसे बड़ा साधन है। विकसित भारत 2047 का लक्ष्य भारत को वैश्विक 'ज्ञान की महाशक्ति' (Global Knowledge Superpower) बनाना है। 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' (NEP) और वंचितों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएम–दिशा) शिक्षा को हर गरीब तक पहुंचाकर बाबा साहेब के दृष्टिकोण को साकार कर रहे हैं।

4. सुदृढ़ शासन, संघवाद और संवैधानिक नैतिकता

एक विकसित राष्ट्र को स्थिर, पारदर्शी और न्यायसंगत शासन व्यवस्था की आवश्यकता होती है। डॉ. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में देश को एक ऐसा ढांचा दिया जो समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है।

4.1 संवैधानिक नैतिकता

बाबा साहेब के अनुसार, केवल संविधान का होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि नागरिकों और शासकों में संवैधानिक नैतिकता होनी चाहिए। इसका अर्थ है संविधान के मूल्यों न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के प्रति पूर्ण निष्ठा। 2047 के विकसित भारत में प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, और कानून का शासन इसी संवैधानिक नैतिकता को मजबूत करते हैं।

4.2 सहकारी संघवाद

डॉ. अम्बेडकर ने भारत के लिए एक अनूठे

संघवाद की वकालत की, जो संकट के समय एकात्मक हो सके ताकि देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रहे। उन्होंने मजबूत केंद्र की वकालत की ताकि भाषाई या क्षेत्रीय आधार पर देश का विघटन न हो और अंतर–राजकीय विवादों का निपटारा आसानी से हो सके। आज, जीएसटी परिषद और नीति आयोग के माध्यम से सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद' (Cooperative & Competitive Federalism) विकसित भारत की सामूहिक शक्ति बन चुका है।

5. कृषि विजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण

भारत की आत्मा गांवों में बसती है, लेकिन डॉ. अम्बेडकर ग्रामीण भारत की रूढ़िवादिता और वहां व्याप्त सामाजिक शोषण से भली–भांति परिचित थे। इसलिए उन्होंने कृषि के आधुनिकीकरण पर जोर दिया।

5.1 कृषि का औद्योगिकीकरण

बाबा साहेब का मानना था कि कृषि को एक उद्योग के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने भूमि के विखंडन (Fragmentation of Land) को रोकने के लिए सामूहिक खेती (Collective Farming) और राज्य के नियंत्रण में कृषि निवेश की वकालत की थी। उनका विचार था कि कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक बोझ कम किया जाना चाहिए और अतिरिक्त श्रम बल को उद्योगों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। 2047 के लिए प्रासंगिकता आज सरकार 'कृषि अवसंरचना कोष' (Agri Infrastructure Fund), 'पीएम किसान सम्मान निधि' और ड्रोन तकनीक (नमो ड्रोन दीदी) के माध्यम से खेती को आधुनिक और लाभप्रद बना रही है। यह कृषि को घाटे के सौदे से निकालकर एक आधुनिक व्यवसाय बनाने का बाबा साहेब का ही विजन है।

6. समकालीन चुनौतियाँ और अम्बेडकरवादी समाधान

जैसे–जैसे भारत 2047 की ओर बढ़ रहा है, देश के सामने नई तकनीकी और आर्थिक चुनौतियाँ आ रही हैं, जिनका समाधान बाबा साहेब के दर्शन में मिलता है–

विकसित भारत की चुनौतियाँ अम्बेडकरवादी दृष्टिकोण और समाधान

(I) डिजिटल विभाजन– बाबा साहेब के 'समान अवसर' के सिद्धांत के तहत इंटरनेट और एआई (AI) तकनीकों का लोकतांत्रीकरण किया जाए ताकि गरीब वर्ग पीछे न छूटे।

(II) आर्थिक असमानता– टैक्स नीतियों और सामाजिक कल्याण योजनाओं के जरिए धन के संकेंद्रण को रोकना, जैसा कि उन्होंने राज्य समाजवाद (State Socialism) में सुझाया था। सामाजिक ध्रुवीकरण (Social Polarization) उनके 'बंधुत्व' (Fraternity) के सिद्धांत को अपनाना। बिना सामाजिक समरसता के आर्थिक प्रगति लंबे समय तक टिकी नहीं रह सकती।

7. निष्कर्ष

डॉ. भीमराव अम्बेडकर केवल 20वीं सदी के भारत के नेता या संविधान निर्माता नहीं थे; वे दूरदृष्टा थे जिन्होंने 21वीं सदी के भारत की रूपरेखा पहले ही खींच दी थी। 'विकसित भारत 2047' का संकल्प केवल जीडीपी के आंकड़ों में पांचवीं से तीसरी या पहली अर्थव्यवस्था बनने का नहीं है। यह भारत के प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन, सामाजिक सुरक्षा और असीम अवसर प्रदान करने का संकल्प है। बाबा साहेब का त्रिसूत्र न्याय, स्वतंत्रता और समता–जब तक देश के नीति–निर्माण के केंद्र में रहेगा, तब तक भारत की प्रगति को कोई रोक नहीं सकता। जब भारत वर्ष 2047 में अपनी आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएगा, तब एक सशक्त, समृद्ध और जाति–मुक्त लोकतांत्रिक महाशक्ति के रूप में हमारी सफलता ही डॉ. भीमराव अम्बेडकर के प्रति देश की सच्ची और सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अम्बेडकर, बी. आर. (1923) The Problem of the Rupee: Its Origin and Its Solution लंदन पी.एस.

किंग एंड संस।
2. अम्बेडकर, बी. आर. (1936) Annihilation of Caste राहुल सम्पादकीय।
3. भारत सरकार (1949) संविधान सभा के वाद–विवाद (Constituent Assembly Debates) खंड XI
4. नीति आयोग (2024) विकसित भारत /2047– प्रगति और रणनीति दस्तावेज A, नई दिल्ली।
5. प्रोफेसर सुखदेव थोराट (2006) Ambedkar's Role in Economic Planning and Water Policy शिप्रा पब्लिकेशन्स।

SHODH-GARIMA–YEAR-3, VOL. 3 (July to Sept., 2026)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal

ISSN (Print) : 3048-6327

IMPACT-FACTOR
SJIF - 6.852

DOI : 10.5281/zenodo.23177521

Paper Received : 30th Aug. 2026 **Paper Accepted : 8th Sept. 2026**

शहरी प्रजननशील महिलाओं में स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति पर सोशल मीडिया का प्रभाव

□ डॉ. स्वीटी यादव*

शोध-सारांश

वर्तमान डिजिटल युग में सोशल मीडिया स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी सूचनाओं के प्रसार का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में प्रजननशील आयु–वर्ग की महिलाएँ स्वास्थ्य, आहार, गर्भावस्था, मासिक धर्म, मातृत्व, व्यायाम तथा जीवन–शैली से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करती हैं। इसके माध्यम से महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं, पोषण संबंधी जागरूकता तथा विशेषज्ञों की सलाह तक अपेक्षाकृत सरल पहुँच प्राप्त होती है। दूसरी ओर, अप्रमाणित स्वास्थ्य–सूचनाएँ, भ्रामक आहार संबंधी दावे और सोशल मीडिया पर प्रसारित मिथक महिलाओं के स्वास्थ्य व्यवहार को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। *WHO* के अनुसार डिजिटल माध्यम स्वास्थ्य–संबंधी जानकारी तक पहुँच बढ़ाने का अवसर देते हैं, लेकिन गलत एवं निम्न–गुणवत्ता वाली सूचनाएँ स्वास्थ्य संबंधी निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं।

भारत में महिलाओं के पोषण की स्थिति भी इस विषय को महत्वपूर्ण बनाती है। *UNICEF* के अनुसार भारत में 15–49 वर्ष की महिलाओं में एनीमिया तथा अल्पपोषण महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियाँ हैं; *NFHS*-5 के आधार पर लगभग 57 प्रतिशत प्रजननशील आयु की महिलाएँ एनीमिया से प्रभावित थीं।

अतः प्रस्तुत शोध–पत्र में सोशल मीडिया के उपयोग और शहरी प्रजननशील महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी ज्ञान, दृष्टिकोण तथा व्यवहार के बीच संबंध का विश्लेषण किया गया है।

प्रमुख शब्द– सोशल मीडिया, प्रजननशील महिलाएँ, स्वास्थ्य, पोषण, डिजिटल स्वास्थ्य, एनीमिया, स्वास्थ्य जागरूकता।

* असिस्टेंट प्रोफेसर (समाजशास्त्र विभाग), टी0एन0पी0जी0 कॉलेज, टाण्डा, अम्बेडकर नगर, मो0 नम्बर 7985126818, Email: sweetyyadav7985@gmail.com

1. प्रस्तावना

स्वास्थ्य मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। किसी भी समाज की प्रगति का आकलन केवल आर्थिक विकास से नहीं, बल्कि उसके नागरिकों की स्वास्थ्य एवं पोषण स्थिति से भी किया जाता है। महिलाओं का स्वास्थ्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि महिला का स्वास्थ्य उसके व्यक्तिगत जीवन के साथ–साथ परिवार और भावी पीढ़ी के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। UNICEF के अनुसार महिलाओं और किशोरियों का पोषण उनके स्वयं के स्वास्थ्य के साथ–साथ उनके बच्चों के पोषण एवं विकास से भी प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है।

प्रजननशील आयु सामान्यतः 15–49 वर्ष मानी जाती है। इस आयु वर्ग में महिलाओं को किशोरावस्था के बाद की पोषण आवश्यकताओं, मासिक धर्म, गर्भधारण, गर्भावस्था तथा प्रसवोत्तर अवस्था जैसी विभिन्न स्वास्थ्य परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस वर्ग की महिलाओं के लिए संतुलित आहार, पर्याप्त सूक्ष्म पोषक तत्व, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण तथा प्रमाणित स्वास्थ्य जानकारी अत्यंत आवश्यक है। इक्कीसवीं सदी में इंटरनेट और सोशल मीडिया ने स्वास्थ्य–सूचना प्राप्त करने के पारंपरिक तरीकों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। महिलाएँ अब स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन समुदायों तथा स्वास्थ्य–संबंधी सामग्री का उपयोग करती हैं। इससे स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने की संभावना उत्पन्न हुई है, किंतु साथ ही गलत सूचना की समस्या भी सामने आई है। WHO ने भी डिजिटल माध्यमों में स्वास्थ्य संबंधी गलत सूचना को एक महत्वपूर्ण चुनौती माना है।

2. अध्ययन की आवश्यकता एवं औचित्य

शहरी महिलाओं के जीवन में सोशल मीडिया की भूमिका निरंतर बढ़ रही है। शिक्षा, रोजगार, परिवार और सामाजिक जीवन के साथ–साथ स्वास्थ्य संबंधी निर्णयों में भी डिजिटल जानकारी का प्रभाव दिखाई देता है। विशेष रूप से पोषण से संबंधित सामग्री–जैसे संतुलित आहार, आयरन, विटामिन, वजन प्रबंधन, गर्भावस्था में पोषण तथा जीवन–शैली–सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से उपलब्ध है।

इस स्थिति में यह जानना आवश्यक है कि सोशल मीडिया पर उपलब्ध सामग्री–

महिलाओं के स्वास्थ्य ज्ञान को किस सीमा तक बढ़ाती है?

क्या इससे पोषण संबंधी व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन आता है?

क्या महिलाएँ ऑनलाइन प्राप्त जानकारी को चिकित्सकीय सलाह के समान मान लेती हैं?

स्वास्थ्य संबंधी गलत सूचना उनके निर्णयों को किस प्रकार प्रभावित करती है?

क्या शिक्षा, आय और डिजिटल साक्षरता के आधार पर सोशल मीडिया के प्रभाव में अंतर पाया जाता है?

इन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत अध्ययन की आवश्यकता अनुभव होती है।

3. अध्ययन के उद्देश्य

इस शोध के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

1. शहरी प्रजननशील महिलाओं में सोशल मीडिया के उपयोग की स्थिति का अध्ययन करना।

2. स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जानकारी प्राप्त करने में सोशल मीडिया की भूमिका का अध्ययन करना।

3. सोशल मीडिया के उपयोग और स्वास्थ्य–जागरूकता के मध्य संबंध का विश्लेषण करना।

4. सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त पोषण संबंधी जानकारी के प्रभाव का अध्ययन करना।

5. स्वास्थ्य संबंधी सोशल मीडिया सामग्री की विश्वसनीयता के प्रति महिलाओं के दृष्टिकोण का अध्ययन करना।

6. सोशल मीडिया पर उपलब्ध गलत स्वास्थ्य–सूचनाओं के संभावित प्रभावों का अध्ययन करना।

7. शिक्षा, आयु, आय एवं डिजिटल साक्षरता के आधार पर सोशल मीडिया के प्रभाव में अंतर का अध्ययन करना।

8. महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी व्यवहार में सोशल मीडिया की सकारात्मक भूमिका को पहचानना।

9. प्रमाणित डिजिटल स्वास्थ्य–सूचना के प्रसार हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

4. परिकल्पनाएँ

शोध के लिए निम्नलिखित परिकल्पनाएँ निर्धारित की जा सकती हैं–

1. सोशल मीडिया के उपयोग और शहरी प्रजननशील महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान के मध्य सार्थक संबंध है।

2. सोशल मीडिया के उपयोग और महिलाओं के पोषण संबंधी ज्ञान के मध्य सार्थक संबंध है।

3. सोशल मीडिया के नियमित उपयोग वाली महिलाओं में स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जागरूकता अपेक्षाकृत अधिक होती है।

4. महिलाओं की शैक्षिक स्थिति और सोशल मीडिया से प्राप्त स्वास्थ्य जानकारी की उपयोगिता के मध्य सार्थक संबंध है।

5. सोशल मीडिया पर उपलब्ध अप्रमाणित स्वास्थ्य–सूचनाएँ महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी निर्णयों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती हैं।

5. अध्ययन की अवधारणात्मक रूपरेखा

इस अध्ययन में स्वतंत्र चर के रूप में सोशल मीडिया के उपयोग को तथा आश्रित चर के रूप में स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति को लिया जा सकता है।

1. स्वतंत्र चर
2. सोशल मीडिया उपयोग की अवधि
3. स्वास्थ्य संबंधी सामग्री देखने की आवृत्ति
4. स्वास्थ्य विशेषज्ञों/संस्थाओं की सामग्री देखना
5. पोषण संबंधी सामग्री का उपयोग
6. ऑनलाइन स्वास्थ्य समुदायों में सहभागिता
7. स्वास्थ्य संबंधी जानकारी साझा करना
8. आश्रित चर
9. स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान
10. पोषण संबंधी ज्ञान
11. भोजन संबंधी व्यवहार
12. स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग का व्यव
13. स्वास्थ्य संबंधी निर्णय लेने की क्षमता
14. स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता
15. मध्यवर्ती चर
16. आयु
17. शिक्षा
18. वैवाहिक स्थिति
19. आय
20. व्यवसाय
21. डिजिटल साक्षरता
22. परिवार का आकार

6. सोशल मीडिया और स्वास्थ्य जागरूकता

सोशल मीडिया स्वास्थ्य शिक्षा का प्रभावी माध्यम बन सकता है। इसके माध्यम से महिलाओं को स्वास्थ्य शिविर, पोषण कार्यक्रम, चिकित्सकीय परामर्श, टीकाकरण, मातृ स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन जैसी सेवाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त हो सकती है। WHO ने भी डिजिटल माध्यमों को परिवार नियोजन और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के प्रसार का उपयोगी साधन माना है। साथ ही WHO ने प्रमाणित एवं साक्ष्य–आधारित सामग्री की आवश्यकता पर बल दिया है।

शहरी क्षेत्रों में स्मार्टफोन और इंटरनेट की उपलब्धता के कारण महिलाओं के लिए स्वास्थ्य–सूचना तक पहुँच आसान हुई है। सोशल मीडिया पर उपलब्ध चित्र, वीडियो, इन्फोग्राफिक्स तथा सरल भाषा में तैयार सामग्री कठिन स्वास्थ्य विषयों को समझने में सहायता कर सकती है।

हालाँकि स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को केवल सोशल मीडिया पर निर्भर होकर स्वीकार करना उचित नहीं है। WHO के अनुसार सोशल मीडिया पर गलत या भ्रामक स्वास्थ्य सूचना लोगों के

स्वास्थ्य व्यवहार और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच को प्रभावित कर सकती है।

7. सोशल मीडिया एवं पोषण संबंधी स्थिति

महिलाओं के लिए संतुलित पोषण अत्यंत आवश्यक है। आयरन, फोलिक एसिड, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन तथा अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में महिलाओं में एनीमिया एक प्रमुख पोषण संबंधी समस्या बनी हुई है। न्छप्ब्म्थ् के अनुसार महिलाओं के पोषण में सुधार करना मातृ स्वास्थ्य तथा अगली पीढ़ी के स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है।

सोशल मीडिया पोषण शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। उदाहरण के लिए, महिलाओं को निम्नलिखित विषयों पर जानकारी मिल सकती है –

1. संतुलित आहार
2. स्थानीय एवं मौसमी खाद्य पदार्थ
3. आयरन एवं फोलिक एसिड का महत्व
4. गर्भावस्था में पोषण
5. भोजन में विविधता
6. जल एवं स्वच्छता
7. बच्चों एवं माताओं का पोषण
8. एनीमिया से बचाव
9. स्वस्थ जीवन–शैली

लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी सामग्री भी प्रसारित होती है जो वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित नहीं होती।ॅभ्ब् ने विशेष रूप से ऑनलाइन पोषण संबंधी गलत सूचनाओं तथा अवैज्ञानिक आहार संबंधी सलाह को चिंता का विषय माना है।

8. सोशल मीडिया का सकारात्मक प्रभाव

सोशल मीडिया के सकारात्मक प्रभावों को निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है–

8.1 स्वास्थ्य जानकारी की आसान उपलब्धता

महिलाएँ स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकती हैं।

8.2 स्वास्थ्य जागरूकता में वृद्धि

नियमित स्वास्थ्य संदेश महिलाओं को स्वास्थ्य परीक्षण, पोषण और स्वस्थ जीवन–शैली के प्रति जागरूक कर सकते हैं।

8.3 विशेषज्ञों तक पहुँच

प्रमाणित स्वास्थ्य संस्थानों और विशेषज्ञों की डिजिटल सामग्री महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान को बढ़ा सकती है।

8.4 पोषण संबंधी ज्ञान

भोजन की पौष्टिकता, सूक्ष्म पोषक तत्वों तथा संतुलित आहार संबंधी सामग्री उपयोगी हो सकती है।

8.5 सामाजिक समर्थन

महिलाएँ स्वास्थ्य एवं मातृत्व से संबंधित अनुभवों को साझा करने वाले ऑनलाइन समुदायों से सामाजिक समर्थन प्राप्त कर सकती हैं।

WHO ने भी डिजिटल माध्यमों का उपयोग स्वास्थ्य साक्षरता और सकारात्मक स्वास्थ्य व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए करने की संभावनाओं को स्वीकार किया है।

9. सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव

सोशल मीडिया का प्रभाव हमेशा सकारात्मक नहीं होता। इसके प्रमुख नकारात्मक पक्ष निम्नलिखित हैं –

1. अप्रमाणित स्वास्थ्य जानकारी।
2. पोषण संबंधी मिथकों का प्रसार।
3. गलत चिकित्सकीय सलाह।
4. स्वास्थ्य संबंधी निर्णयों में भ्रम।
5. प्रमाणित चिकित्सकीय परामर्श की उपेक्षा।
6. अवैज्ञानिक आहार संबंधी दावों का प्रभाव।
7. स्वास्थ्य संबंधी भय एवं चिंता में वृद्धि।
8 व्यावसायिक हितों से प्रभावित सामग्री।

WHO के अनुसार स्वास्थ्य संबंधी गलत सूचना गलत स्वास्थ्य व्यवहार, गलत व्याख्या तथा स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में कमी जैसी समस्याएँ उत्पन्न कर सकती है।

10. भारतीय संदर्भ में महिलाओं की पोषण स्थिति

भारत में महिलाओं की पोषण स्थिति बहुआयामी

है। एक ओर अल्पपोषण एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की समस्या है, वहीं दूसरी ओर अधिक वजन एवं असंतुलित आहार से संबंधित समस्याएँ भी बढ़ रही हैं। न्छप्ब्म्थ् के अनुसार भारत में महिलाओं के बीच अल्पपोषण, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी और बढ़ते वजन की तीनहरी चुनौती मौजूद है।

NFHS-5 से संबंधित UNICEF विश्लेषण में 15–49 वर्ष की महिलाओं में एनीमिया की उच्च स्थिति सामने आई है। इसलिए सोशल मीडिया को केवल मनोरंजन के माध्यम के रूप में न देखकर स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा के संभावित माध्यम के रूप में भी देखा जाना चाहिए।

11. शोध–विधि

इस विषय पर क्षेत्रीय शोध के लिए वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध–विधि अपनाई जा सकती है।

अध्ययन क्षेत्र– जनपद–अम्बेडकरनगर के शहर/नगर को अध्ययन क्षेत्र के रूप में लिया गया है। जनपद–अम्बेडकरनगर के अकबरपुर नगर पालिका परिषद, टाण्डा नगर पालिका परिषद, इल्तिफातगंज नगर पंचायत, जलालपुर नगर पालिका परिषद, आलापुर नगर पालिका परिषद के नगर/शहर की प्रजननशील महिलाओं को अध्ययन का विषय बनाया गया है।

अध्ययन जनसंख्या– 15–49 आयु वर्ग की शहरी व नगरीय प्रजननशील महिलाएँ अध्ययन की लक्षित जनसंख्या होंगी।

नमूना– उदाहरण के लिए 300 महिलाओं का चयन किया जा सकता है। नमूना चयन के लिए स्तरीकृत या सुविधाजनक नमूना विधि का उपयोग किया जा सकता है। वास्तविक शोध में नमूना संख्या क्षेत्र एवं संसाधनों के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए।

प्राथमिक आंकड़े– संरचित प्रश्नावली/साक्षात्कार अनुसूची द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं।

द्वितीयक आंकड़े– WHO, UNICEFए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, छथ्भ्ै तथा शोध–पत्रिकाओं से प्राप्त प्रमाणित सामग्री का उपयोग किया जा सकता है।

सांख्यिकीय विधियाँ–

प्रतिशत

माध्य

मानक विचलन

सहसंबंध

t-test

ANOVA

आवश्यकता के अनुसार प्रतिगमन विश्लेषण।

12. प्रस्तावित प्रश्नावली के प्रमुख आयाम

शोध प्रश्नावली को पाँच भागों में विभाजित किया जा सकता है–

भाग–**A** : सामान्य जानकारी– आयु, शिक्षा, व्यवसाय, आय, वैवाहिक स्थिति आदि।

भाग–**B** : सोशल मीडिया उपयोग– उपयोग की अवधि, स्वास्थ्य संबंधी सामग्री देखने की आवृत्ति और जानकारी के स्रोत।

भाग–**C** : स्वास्थ्य ज्ञान– स्वास्थ्य परीक्षण, मासिक स्वास्थ्य, मातृ स्वास्थ्य और सामान्य स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न।

भाग–**D** : पोषण ज्ञान एवं व्यवहार– संतुलित आहार, आयरन, फोलिक एसिड, फल–सब्जियों, प्रोटीन आदि से संबंधित प्रश्न।

भाग–**E** : सोशल मीडिया का प्रभाव– क्या सोशल मीडिया से स्वास्थ्य संबंधी निर्णय प्रभावित होते हैं? क्या प्राप्त जानकारी की सत्यता जाँची जाती है? क्या ऑनलाइन जानकारी के आधार पर आहार या स्वास्थ्य व्यवहार में परिवर्तन किया गया?

13. अपेक्षित निष्कर्ष

अध्ययन से यह अपेक्षा की जा सकती है कि सोशल मीडिया स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विशेष रूप से शिक्षित एवं डिजिटल रूप से सक्रिय महिलाओं में प्रमाणित स्वास्थ्य–सूचना तक पहुँच अधिक हो सकती है।

हालाँकि केवल सोशल मीडिया का उपयोग स्वास्थ्य की बेहतर स्थिति सुनिश्चित नहीं करता। सूचना की गुणवत्ता, स्रोत की विश्वसनीयता और डिजिटल स्वास्थ्य साक्षरता महत्वपूर्ण मध्यवर्ती कारक हैं।˘भ्ट भी स्वास्थ्य संबंधी सोशल मीडिया सामग्री के लिए विश्वसनीय एवं प्रमाण–आधारित स्रोतों की पहचान को महत्वपूर्ण मानता है।

14. सुझाव

सोशल मीडिया पर प्रमाणित स्वास्थ्य एवं पोषण सामग्री का प्रसार बढ़ाया जाना चाहिए।

महिलाओं में डिजिटल स्वास्थ्य साक्षरता विकसित की जानी चाहिए।

स्वास्थ्य संबंधी वायरल सामग्री की सत्यता जाँचने की आदत विकसित की जानी चाहिए।

चिकित्सकों एवं पोषण विशेषज्ञों द्वारा सरल भाषा में डिजिटल सामग्री तैयार की जानी चाहिए।

एनीमिया, मातृ पोषण और संतुलित आहार पर नियमित डिजिटल जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए।

स्वास्थ्य संस्थानों को सोशल मीडिया पर सक्रिय एवं विश्वसनीय उपस्थिति विकसित करनी चाहिए।

अप्रमाणित आहार एवं उपचार संबंधी दावों के प्रति महिलाओं को जागरूक किया जाना चाहिए।

सोशल मीडिया को स्वास्थ्य सेवाओं का विकल्प न मानकर स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना का सहायक माध्यम माना जाना चाहिए।

शहरी स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा डिजिटल स्वास्थ्य परामर्श एवं जागरूकता कार्यक्रम विकसित किए जा सकते हैं।

सोशल मीडिया सामग्री में स्थानीय भाषा एवं सरल वैज्ञानिक भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए।

15. निष्कर्ष

शहरी प्रजननशील महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण पर सोशल मीडिया का प्रभाव बहुआयामी है। यह एक ओर स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी ज्ञान को सुलभ, त्वरित और व्यापक बनाकर महिलाओं की स्वास्थ्य–जागरूकता तथा निर्णय क्षमता को मजबूत कर सकता हैय दूसरी ओर अप्रमाणित एवं भ्रामक सूचनाएँ स्वास्थ्य व्यवहार को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती हैं।

अतः सोशल मीडिया को न तो पूर्णतः सकारात्मक और न ही पूर्णतः नकारात्मक माध्यम माना जा सकता है। इसका प्रभाव मुख्यतः सूचना की गुणवत्ता, उपयोगकर्ता की डिजिटल स्वास्थ्य साक्षरता और सूचना के स्रोत की विश्वसनीयता पर निर्भर करता है। WHO ने भी डिजिटल स्वास्थ्य माध्यमों में वैज्ञानिक एवं विश्वसनीय जानकारी को बढ़ावा देने तथा गलत सूचना से निपटने की आवश्यकता पर बल दिया है।

भारत में महिलाओं के बीच एनीमिया और पोषण संबंधी चुनौतियों की गंभीरता को देखते हुए सोशल मीडिया को प्रमाण–आधारित पोषण शिक्षा का प्रभावी माध्यम बनाया जा सकता है। इस दिशा में स्वास्थ्य विशेषज्ञों, सरकारी संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थानों और डिजिटल माध्यमों के बीच समन्वय आवश्यक है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. World Health Organization (WHO), Toolkit and content repository for digital client-facing platforms: Family Planning, 2025
2. World Health Organization (WHO), Global principles for identifying credible sources of health information on social media.
3. UNICEF India, Tracking anemia and its determinants from 2015-16 to 2019-21 in India.
4. UNICEF India, Women and Adolescent Girls' Nutrition.
5. UNICEF India, Coverage of Nutrition and Health Interventions in India.
6. World Health Organization, Infodemics and misinformation negatively affect people's health behaviours.
7. World Health Organization, Combatting misinformation online.
8. UNICEF India, महिलाओं और लड़कियों का आहार अधिकार, स्वास्थ्य और अवसर।

SHODH-GARIMA–YEAR-3, VOL. 3 (July to Sept., 2026)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal

ISSN (Print) : 3048-6327

IMPACT-FACTOR SJIF - 6.852

DOI : 10.5281/zenodo.23177655

Paper Received : 30th Aug. 2026 **Paper Accepted : 8th Sept. 2026**

विस्थापन से महानगरीय जीवन तक : हिन्दी सिनेमा में प्रवासन और शहरीकरण का अध्ययन

□ मानस कुमार मिश्रा*
□ प्रो. नीना शुक्ला**

शोध-सारांश

यह शोधपत्र हिन्दी सिनेमा में शहरीकरण और प्रवासन के सामाजिक–सांस्कृतिक आयामों का अध्ययन करता है। इसका उद्देश्य यह विश्लेषित करना है कि हिन्दी फिल्मों ने ग्रामीण से शहरी जीवन की ओर होने वाले प्रवासन, उससे उत्पन्न सांस्कृतिक परिवर्तन, पहचान के संकट तथा सामाजिक संबंधों में आए बदलावों को किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। अध्ययन का सैद्धांतिक आधार फर्डिनेंड टॉनीज के समुदाय–समाज सिद्धांत (*Gemeinschaft–Gesellschaft Theory*), एवरेट एस. ली के प्रेरक–आकर्षक प्रवासन सिद्धांत (*Push–Pull Theory*), जॉर्ज सिमेल के महानगरीय जीवन संबंधी दृष्टिकोण, लुईस वर्थ के *Urbanism as a Way of Life* तथा स्टुअर्ट हॉल के प्रतिनिधित्व सिद्धांत पर आधारित है। चयनित फिल्मों पतंगा, दो बीघा जमीन, सी ई डी, श्री 420, परख, गमन, रिहाई, के कथानक, संवादों, गीतों तथा दृश्य–प्रतीकों के गुणात्मक विश्लेषण के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि हिन्दी सिनेमा केवल सामाजिक यथार्थ का प्रतिबिंब नहीं, बल्कि बदलते भारत की सांस्कृतिक स्मृति और सामाजिक इतिहास का महत्त्वपूर्ण स्रोत भी है। अध्ययन का निष्कर्ष है कि हिन्दी सिनेमा में शहरीकरण और प्रवासन केवल भौगोलिक परिवर्तन नहीं, बल्कि मानवीय संबंधों, सांस्कृतिक पहचान, स्मृति, आकांक्षाओं तथा आधुनिकता के बीच निरंतर चलने वाले द्वंद्व और समन्वय की प्रक्रिया के रूप में उभरते हैं।

मुख्य शब्द– शहरीकरण, प्रवासन, हिन्दी सिनेमा, सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व, महानगर, सामाजिक इतिहास।

* शोधार्थी, सम्पर्क सूत्र 9452728734
** शोध निर्देशक, विभागाध्यक्ष मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, प्रयागराज

प्रस्तावना

भारत में शहरीकरण और प्रवासन केवल जनसंख्या के स्थानांतरण की प्रक्रियाएँ नहीं हैं, बल्कि वे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक परिवर्तनों के महत्त्वपूर्ण संकेतक भी हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात नियोजित विकास, औद्योगीकरण, परिवहन एवं संचार के विस्तार तथा शिक्षा एवं रोजगार के नए अवसरों ने ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर प्रवासन को तीव्र गति प्रदान की। परिणामस्वरूप भारतीय समाज की आर्थिक संरचना, पारिवारिक संबंधों, सांस्कृतिक पहचान तथा सामाजिक मूल्यों में व्यापक परिवर्तन हुए।

सिनेमा अपने समय और समाज का सांस्कृतिक दस्तावेज माना जाता है। इसलिए शहरीकरण, प्रवासन, विस्थापन, महानगरीय जीवन, वर्गीय विषमता तथा पहचान के संकट जैसे विषय हिन्दी सिनेमा की कथावस्तु में निरंतर उपस्थित रहे हैं। फिल्मकार सईद अख्तर मिर्जा का मत है कि ''एक विशेष प्रकार का सिनेमा इसलिए अस्तित्व में आता है क्योंकि एक विशेष प्रकार का राज्य और समाज अस्तित्व में होता है।'' (प्रसाद, 1998, पृ. 12) अर्थात् सिनेमा अपने समय की राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक नीतियों और सामाजिक परिस्थितियों से गहराई से प्रभावित होता है। इसी कारण हिन्दी सिनेमा में शहरीकरण और प्रवासन जैसे विषय केवल कथानक का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि वे स्वतंत्रता–उत्तर भारत में घटित सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनों और ऐतिहासिक यथार्थ का प्रतिनिधित्व भी करते हैं।

इस सन्दर्भ में जर्मन फिल्म सिद्धांतकार सीगफ्रीड क्रेकाउर के विचार भी कुछ इसी तरह है कि सिनेमा आधुनिक शहर का सांस्कृतिक दस्तावेज है। उनके मत में शहर और सिनेमा का विकास परस्पर संबद्ध है तथा आधुनिक शहरी जीवन की जटिलताएँ, वर्गीय संबंध, श्रम, प्रवासन और सांस्कृतिक परिवर्तन फिल्मों में विविध रूपों में अभिव्यक्त होते हैं। (क्राकाउर, 1995, पृ. 13)

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के समक्ष राष्ट्र–निर्माण, आर्थिक पुनर्गठन और विकास की दिशा निर्धारित करना एक बड़ी चुनौती थी। विभाजन से उत्पन्न विस्थापन, शरणार्थियों का पुनर्वास तथा औद्योगिक विकास की आवश्यकता ने शहरीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान की। महात्मा गांधी और नेहरू जी के बीच ग्राम और नगर को लेके भिन्न बिंदु दिखाई पड़ते है जहां महात्मा गांधी शहरों को पाप और भ्रष्टाचार का केंद्र मानते है वहीं नेहरु जी गांवों को पिछड़ेपन और अज्ञानता का प्रतीक। गांधी जी को लिखे पत्र में नेहरु जी ने लिखा कि ''मुझे समझ में नहीं आता कि ग्राम सत्य और अहिंसा के प्रतीक क्यों दिखे''? (प्रकाश, 2002, पृ.4) बाद में गांधी जी के अनुरोध पर जब उन्होंने गांव को नजदीक से देखा तो उसे ''भावपूर्ण बतलाया''। फिर भी नेहरु ग्रामों को नगरों की तरह बनाना चाहते थे जिसे नगरों की तरफ होने वाले पलायन को रोका जा सके यही कारण था कि स्वतंत्रता के बाद भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में नगर योजना के आधार बिंदु बने। इस संबंध में डॉ. भीमराव अम्बेडकर के विचार शहरों के विकास के ज्यादा अनुकूल थे। उनके अनुसार एक आदर्श समाज गतिशील और परिवर्तनशील होना चाहिए तथा उसमें ऐसे सामाजिक माध्यम उपलब्ध होने चाहिए, जिनके द्वारा समाज के एक भाग में होने वाला परिवर्तन दूसरे भागों तक पहुँच सके। उनके विचार में गतिशीलता व्यक्ति के विकास, नए अवसरों की प्राप्ति और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया से जुड़ी हुई थी। अम्बेडकर पारंपरिक भारतीय ग्राम–व्यवस्था को आदर्श सामाजिक व्यवस्था नहीं मानते थे और उसमें विद्यमान स्थानीयतावाद, अज्ञानता, संकीर्णता तथा सामुदायिक विभाजन की आलोचना करते थे। (अम्बेडकर 1936–2014, सेक्शन. 14) इस दृष्टि से उनके लिए व्यक्ति का अपने सीमित सामाजिक परिवेश से बाहर निकलना और व्यापक सामाजिक संसार से जुड़ना सामाजिक परिवर्तन का महत्त्वपूर्ण माध्यम था ।

1951 से 1991 के बीच भारत की शहरी जनसंख्या में निरंतर और उल्लेखनीय वृद्धि हुई। जनगणना के आँकड़ों के अनुसार 1951 में भारत की कुल जनसंख्या का 17.3 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करता था। यह अनुपात 1961 में 18.0 प्रतिशत, 1971 में 19.9 प्रतिशत, 1981 में 23.3 प्रतिशत तथा 1991 में बढ़कर 25.7 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार चार दशकों में शहरी आबादी का हिस्सा 8.4 प्रतिशत अंक बढ़ा। (Office of the Registrar General & Census Commissioner, India, 2001) यह वृद्धि भारत में ग्रामीण–शहरी संबंधों तथा शहरीकरण की बदलती प्रक्रिया का महत्त्वपूर्ण संकेतक थी। इस अवधि में ग्रामीण–शहरी प्रवासन, प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि तथा नगरों के विस्तार जैसे विभिन्न कारकों ने शहरी जनसंख्या की वृद्धि में योगदान दिया

चिन्मय तुम्बे के अनुसार भारतीय प्रवासन का प्रभाव केवल श्रम–स्थानांतरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह परिवार, सामाजिक संबंधों और सांस्कृतिक जीवन में व्यापक परिवर्तन उत्पन्न करता है। (तुम्बे, 2018, पृ. 1) इसलिए स्वतंत्रता–उत्तर भारत में शहरीकरण और प्रवासन की प्रक्रियाओं का प्रभाव हिन्दी सिनेमा की विषयवस्तु में स्वाभाविक रूप से दिखाई देता है।

शोध अंतराल

यद्यपि शहरीकरण, प्रवासन तथा हिन्दी सिनेमा पर पर्याप्त अध्ययन उपलब्ध हैं, किन्तु अधिकांश शोध इन विषयों का पृथक–पृथक विश्लेषण करते हैं। उपलब्ध अध्ययनों में अनघा काम्बले (2024) ने प्रवासन और हिन्दी सिनेमा में उसके प्रतिनिधित्व का अध्ययन किया है। जबकि ज्योति त्यागी एवं पंकज जैन (2020) ने दो बीघा जमीन के यथार्थवादी और सामाजिक पक्ष का विश्लेषण किया है।इसी प्रकार निकोलस डीकिन एवं दिनेश भुघरा (2012) ने शहरीकरण, ग्रामीण–शहरी प्रवासन तथा हिन्दी सिनेमा में पारिवारिक संरचना के बदलते प्रतिनिधित्व पर विचार किया है। रोबिना मोहम्मद (2007) ने हिन्दी सिनेमा में प्रवासी पहचान, मातृभूमि और डायस्पोरा के संबंधों का अध्ययन किया है।

इन अध्ययनों के बावजूद स्वतंत्रता–उत्तर भारत में शहरीकरण और प्रवासन की ऐतिहासिक प्रक्रिया को विकास–नीतियों, जनगणना के आँकड़ों तथा समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के साथ जोड़कर हिन्दी सिनेमा में उसके बदलते प्रतिनिधित्व का समेकित अध्ययन अपेक्षाकृत सीमित दिखाई देता है। विशेष रूप से 1949 से 1988 तक की चयनित फिल्मों को प्रवासन और शहरीकरण के विभिन्न ऐतिहासिक चरणों की निरंतरता में पढ़ने तथा उनके संवादों, दृश्यों, गीतों और पात्रों के माध्यम से सामाजिक–सांस्कृतिक अर्थों का विश्लेषण करने की आवश्यकता बनी हुई है। प्रस्तुत शोध इसी अंतराल को संबोधित करने का प्रयास करता है।

शहरीकरण, प्रवासन और हिन्दी सिनेमा : ऐतिहासिक एवं समाजशास्त्रीय विश्लेषण

1. प्रारम्भिक प्रवासन और पारिवारिक विरह : पतंगा (1949)

भारतीय समाज में प्रवासन केवल जनसंख्या के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया नहीं रहा है, बल्कि यह सामाजिक संबंधों, पारिवारिक संरचना, सांस्कृतिक पहचान तथा आर्थिक जीवन में व्यापक परिवर्तन का वाहक भी रहा है। समाजशास्त्री एस. जयराम के अनुसार प्रवासन में केवल व्यक्ति का भौतिक स्थानांतरण नहीं होता, बल्कि वह अपनी सामाजिक–सांस्कृतिक पहचान, विश्वास, व्यवहार, मूल्य और परम्पराओं को भी अपने साथ लेकर चलता है। (जयराम 2004 पृ.16) बीसवीं शताब्दी में औद्योगीकरण और शहरीकरण के विस्तार ने ग्रामीण जनसंख्या को नगरों तथा विदेशों की ओर आकर्षित किया, जिसका प्रभाव हिन्दी सिनेमा पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

इस प्रवृत्ति का प्रारम्भिक सिनेमाई उदाहरण फिल्म पतंगा (1949) में मिलता है। शमशाद बेगम द्वारा गाया गया लोकप्रिय गीत ''मेरे पिया गये रंगून, किया है टेलीफून'' तथा उत्तर गीत ''हम

छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए भूल किए जो तुमको साथ न लेकर आए...'' (रामचंद्र एवं कृष्ण, 1949) उस समय के भारतीय प्रवासी परिवारों की भावनात्मक स्थिति का सजीव चित्रण करते हैं। बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में रंगून भारतीय श्रमिकों का प्रमुख गंतव्य था। इसलिए गीत में व्यक्त विरह, प्रतीक्षा और संवादहीनता केवल एक दम्पति की निजी अनुभूति नहीं, बल्कि उस समय के हजारों प्रवासी परिवारों के सामूहिक अनुभव का प्रतिनिधित्व करती है। यह चित्रण एवरेट एस. ली के प्रेरक–आकर्षक प्रवासन सिद्धांत की भी पुष्टि करता है, जिसमें आर्थिक अवसर व्यक्ति को अपने मूल स्थान से दूर जाने के लिए प्रेरित करते हैं।

2. भूमि संकट, विवश प्रवासन और महानगरीय यथार्थ : दो बीघा जमीन (1953)

बिमल राय निर्देशित दो बीघा जमीन (1953) स्वतंत्रता–उत्तर भारत में भूमि संकट, ग्रामीण निर्धनता, शहरीकरण और विवश प्रवासन का अत्यंत यथार्थवादी चित्रण प्रस्तुत करती है। स्वतंत्रता के पश्चात् कृषि सुधार, जमींदारी उन्मूलन तथा भूदान आंदोलन जैसे अनेक प्रयास किए गए, किंतु भूमि के असमान वितरण की समस्या बनी रही। भारतीय रिजर्व बैंक के ग्रामीण संपत्ति संबंधी आँकड़ों के अनुसार 1971–72 में कुल भू–संपत्ति का केवल लगभग 0.1 प्रतिशत भाग सबसे गरीब परिवारों के पास था, जबकि सबसे समृद्ध 10 प्रतिशत परिवारों के पास आधे से अधिक भू–संपत्ति केंद्रित थी।(भारत सरकार, पंचवर्षीय ड्राफ्ट 1978–83, पृ. 11) यह स्थिति स्वतंत्रता–उत्तर भारत में भूमि विषमता और ग्रामीण आर्थिक असमानता की गंभीरता को स्पष्ट करती है।

फिल्म का नायक शंभू महतो (बलराज साहनी) अपनी पैतृक दो बीघा भूमि को बचाने के लिए संघर्ष करता है, किंतु जमींदार के कर्ज और आर्थिक अभाव के कारण वह अपने पुत्र कन्हैया के साथ कोलकाता जाने के लिए विवश हो जाता है। यह प्रवासन उसकी इच्छा का परिणाम नहीं, बल्कि परिस्थितियों द्वारा थोपा गया निर्णय है। समाजशास्त्री एल्विन एल. बर्ट्रेंड के अनुसार, "ग्रामीण समाज में भूमि का महत्त्व केवल आर्थिक नहीं होता, बल्कि वह सामाजिक प्रतिष्ठा, सांस्कृतिक पहचान और पारिवारिक विरासत का आधार भी होती है। किसान अपनी भूमि को जीवन और अस्तित्व का प्रतीक मानता है।" (बर्ट्रेंड, 1958, पृ. 27)। यही कारण है कि शंभू अपनी दो बीघा भूमि को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। उसके लिए भूमि का खोना केवल आर्थिक संकट नहीं, बल्कि अपनी पहचान, सामाजिक सम्मान और पारिवारिक विरासत से वंचित हो जाना है। फिल्म किसान और भूमि के मध्य विद्यमान गहरे भावनात्मक एवं सांस्कृतिक संबंध को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है।

फिल्म यह स्पष्ट करती है कि शंभू को शहर का आकर्षण नहीं बुलाता, बल्कि गाँव की गरीबी, ऋणग्रस्तता, भूमिहीन होने का भय और रोजगार का अभाव उसे गाँव छोड़ने के लिए विवश करता है। स्वतंत्र भारत की ग्रामीण अवसंरचना की सीमाएँ बिमल राय की ही फिल्म परख (1960) में भी दिखाई देती हैं, जहाँ पूरे गाँव में केवल एक डॉक्टर है और उसकी विशेषज्ञता से अधिकांश ग्रामीण अनभिज्ञ हैं, जबकि विद्यालय का शिक्षक शिक्षा की अपेक्षा स्थानीय राजनीति में अधिक सक्रिय दिखाई देता है। यह चित्रण स्वतंत्रता–उत्तर ग्रामीण भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रशासनिक सुविधाओं की कमी को रेखांकित करता है। दो बीघा जमीन इस तथ्य को स्थापित करती है कि भारतीय संदर्भ में ग्रामीण–शहरी प्रवासन का प्रमुख कारण ग्रामीण प्रतिकर्षण (Rural Push) था, न कि शहरी आकर्षण (Urban Pull)।

जनसांख्यिकीय आँकड़े भी इस निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की 17.3 प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती थी, जो 1961 में 18.0 प्रतिशत तथा 1971 में बढ़कर 19.9 प्रतिशत हो गई। दूसरी ओर ग्रामीण

Journal Starting Year-**2024**, Frequency- **Quarterly**, Subject- **Multidisciplinary**, Language-**Hindi & English**, Publishers- **Sushil Kumar Kushwaha**, Publishing Body- **G.H. Publication**, Prayagraj, U.P.-211003 (India), Email Id:- **ghpublication@gmail.com**, **Mob.: 9532481205, 9807520344**

क्षेत्रों में भूमि का विखंडन, कृषि पर बढ़ता जनसंख्या दबाव, भूमिहीनता, ऋणग्रस्तता तथा रोजगार के सीमित अवसर किसानों को गाँव छोड़ने के लिए विवश कर रहे थे। परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में किसान और खेतिहर मजदूर जीविका की तलाश में महानगरों की ओर प्रवास करने लगे। इस प्रकार जनगणना के आँकड़े भी यह सिद्ध करते हैं कि स्वतंत्रता–उत्तर भारत में ग्रामीण–शहरी प्रवासन मुख्यतः ग्रामीण संकट का परिणाम था। शंभू महतो का कोलकाता जाना इसी ऐतिहासिक यथार्थ का प्रतिनिधित्व करता है।

कोलकाता पहुँचने पर शंभू का सामना महानगरीय जीवन की कठोर वास्तविकताओं से होता है। हावड़ा पुल, भीड़भाड़ वाली सड़कें, ट्राम, झुग्गी–बस्तियाँ, बेरोजगारी और असंगठित श्रम के दृश्य यह संकेत देते हैं कि महानगर केवल विकास और अवसरों का प्रतीक नहीं है, बल्कि वहाँ निर्धनता, शोषण और सामाजिक विषमता भी विद्यमान है। सम्मानजनक रोजगार न मिलने के कारण शंभू का रिक्शा चालक बन जाना इस बात का प्रतीक है कि ग्रामीण निर्धनता अनेक बार शहरी निर्धनता में परिवर्तित हो जाती है। फिल्म इस प्रकार स्वतंत्रता–उत्तर भारत के असंतुलित शहरी विकास और प्रवासी श्रमिकों की कठिन जीवन–स्थितियों को यथार्थवादी रूप में प्रस्तुत करती है।

फिल्म ग्रामीण और शहरी नैतिक मूल्यों के अंतर को भी अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है। कन्हैया और शहर के जेबकतरे बालक के बीच का संवाद इस नैतिक द्वंद्व का प्रतिनिधित्व करता है। जब कन्हैया चोरी का विरोध करता है, तब जेबकतरा उत्तर देता है– "इन बाबुओं की जेब ही मेरा बैंक है।" यह संवाद महानगरीय जीवन में अपराध और अनैतिकता के सामान्यीकरण को दर्शाता है, जबकि कन्हैया ईमानदार श्रम और ग्रामीण नैतिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इसी प्रकार जब कन्हैया 50 रुपये उधार लेकर अपने पिता के लिए दवा और फल लाता है, तब शंभू यह सोचकर उसे डाँटता है कि उसने अनुचित साधनों से धन प्राप्त किया होगा। बाद में सत्य ज्ञात होने पर स्पष्ट होता है कि अत्यधिक निर्धनता के बावजूद शंभू अपने नैतिक मूल्यों से समझौता नहीं करना चाहता। इस प्रकार फिल्म यह स्थापित करती है कि आर्थिक संकट के बीच भी ग्रामीण समाज में ईमानदारी, श्रम और नैतिकता के मूल्य जीवित रहते हैं।

महात्मा गांधी ने 1927 में यंग इंडिया में लिखा था कि "कुछ गाँव वर्ष के छह या आठ महीनों तक लगभग वीरान पड़े रहते हैं। गाँव के लोग बम्बई चले जाते हैं, जहाँ वे अस्वास्थ्यकर और प्रायः अनैतिक परिस्थितियों में काम करते हैं। वर्षा ऋतु आने पर वे अपने गाँव लौटते हैं और अपने साथ भ्रष्टाचार, मद्यपान तथा बीमारियाँ भी लेकर आते हैं।" (गांधी,1927) गांधी की यह टिप्पणी उस विवश प्रवासन और महानगरीय नैतिक संकट की ओर संकेत करती है जिसे रामकृष्ण मुखर्जी 'विकृत शहरीकरण' (Involuted Urbanization) की संज्ञा देते हैं। उनके अनुसार भारत में शहरीकरण औद्योगिक विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में नहीं, बल्कि ग्रामीण संकट और निर्धनता से प्रेरित प्रवासन के कारण विकसित हुआ। फलतः महानगरों में जनसंख्या का तीव्र संकेंद्रण तो हुआ, किन्तु रोजगार, आवास, स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं का विकास उसी अनुपात में नहीं हो सका। (मुखर्जी, 1963)

फिल्म का एक अन्य महत्त्वपूर्ण पक्ष पार्वती का चरित्र है। शंभू और कन्हैया के प्रवास के बाद वह घर की आर्थिक और पारिवारिक जिम्मेदारियाँ स्वयं निभाती है। वह मजदूरी करती है, सीमित संसाधनों में परिवार का संचालन करती है और कठिन परिस्थितियों में आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करती है। इससे स्पष्ट होता है कि पुरुष–प्रधान प्रवासन का प्रभाव केवल प्रवासी व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पीछे छूटे परिवार, विशेषकर महिलाओं की सामाजिक भूमिका और उत्तरदायित्वों में भी परिवर्तन लाता है।

इस प्रकार दो बीघा जमीन केवल एक किसान की व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, बल्कि स्वतंत्रता–उत्तर भारत में भूमि संकट, ग्रामीण निर्धनता, विवश प्रवासन, शहरी विषमता और मानवीय संघर्ष का सशक्त सांस्कृतिक–ऐतिहासिक दस्तावेज है। फिल्म यह स्थापित करती है कि शहरीकरण और प्रवासन को केवल आर्थिक परिवर्तन के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक संबंधों, सांस्कृतिक पहचान, नैतिक मूल्यों, लैंगिक भूमिकाओं और मानवीय गरिमा के व्यापक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समझा जाना चाहिए।

3. महानगरीय जीवन और नैतिक द्वंद्व : श्री 420 (1955) एवं सी.आई.डी. (1956) ये मेरा इंडिया (2008)

राज कपूर निर्देशित श्री 420 (1955) स्वतंत्रता–उत्तर भारत में शहरीकरण, प्रवासन और महानगरीय जीवन के अंतर्विरोधों का सशक्त सिनेमाई दस्तावेज है। फिल्म का नायक राज बेहतर जीवन और रोजगार की तलाश में इलाहाबाद से बम्बई आता है, जहाँ उसे अवसरों के साथ–साथ नैतिक संकट और सामाजिक विषमताओं का भी सामना करना पड़ता है। फिल्म का प्रसिद्ध संवाद– ''ये बम्बई है मेरे भाई... यहाँ सच बोलकर पेट भरने का रास्ता नहीं मिलता और झूठ बोलकर पैसे बनाने के रास्ते हैं–420।'' महानगरीय जीवन की इसी विडंबना को अभिव्यक्त करता है। यह चित्रण फर्डिनेंड टॉनीज के समुदाय–समाज (Gemeinschaft–Gesellschaft) सिद्धांत तथा लुईस वर्थ की नगरीयता (Urbanism as a Way of Life) संबंधी अवधारणा की पुष्टि करता है, जिसके अनुसार महानगर अवसरों के साथ–साथ औपचारिक, प्रतिस्पर्धी और स्वार्थपरक सामाजिक संबंधों का निर्माण करता है।

इसी प्रकार फिल्म सी.आई.डी. (1956) का प्रसिद्ध गीत– ''ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हटके, जरा बचके, ये है बम्बई मेरी जान... मिलता है यहाँ सब कुछ, मिलता नहीं दिल।'' महानगर के द्वंद्वात्मक स्वरूप को प्रस्तुत करता है। हास्य कलाकार जॉनी वॉकर पर फिल्माया गया यह गीत एक ग्रामीण प्रवासी की दृष्टि से शहर के वर्गीय विभाजन और सामाजिक विषमताओं को चित्रित करता है। गीत यह संकेत देता है कि शहर अवसरों का केंद्र अवश्य है, किन्तु वहाँ मानवीय संवेदनाओं, आत्मीयता और सामाजिक सुरक्षा का अभाव भी अनुभव किया जाता है। यह चित्रण जॉर्ज सिमेल द्वारा वर्णित महानगरीय जीवन की मनोवैज्ञानिक जटिलताओं को भी अभिव्यक्त करता है।

महानगरीय जीवन की यही मनोवैज्ञानिक जटिलता फिल्म ये मेरा इंडिया (2008) में भी दिखाई देती है। फिल्म में बिहार से मुंबई आजीविका कमाने आया एक प्रवासी व्यक्ति शहर की भागदौड़, अकेलेपन और आत्मकेंद्रित सामाजिक दृष्टिकोण से प्रतिदिन संघर्ष करता है। इस संघर्ष को राजपाल यादव पर फिल्माए गए एक संवाद में अत्यंत मार्मिक ढंग से व्यक्त किया गया है, जहाँ वह कहता है– ''मेरे गाँव में दुश्मनों से भी इठलाकर मिलते हैं, तुम्हारा शहर देखा तो बहुत तकलीफ होती है...'' यह संवाद ग्रामीण समाज की आत्मीयता और महानगरीय जीवन की संवेदनहीनता के बीच के गहरे अंतर को रेखांकित करता है।

4. ग्रामीण–शहरी प्रवासन और विस्थापन : गमन (1978)

मुजफ्फर अली निर्देशित गमन (1978) हिन्दी सिनेमा में ग्रामीण–शहरी प्रवासन की त्रासदी का सबसे प्रभावशाली चित्रण प्रस्तुत करती है। फिल्म का नायक गुलाम हसन (फारूक शेख) रोजगार की तलाश में उत्तर प्रदेश के बदायूँ से बम्बई आता है। यह प्रवास केवल आर्थिक अवसरों की खोज नहीं, बल्कि सामाजिक विस्थापन, भावनात्मक अकेलेपन और सांस्कृतिक विछिन्नता का अनुभव भी है।

फिल्म की शुरुआत और समापन विरह की संवेदना से जुड़े गीत ''आजा तोहे गरबा लगा लू'' के साथ होता है, जो प्रवासी जीवन की भावनात्मक पीड़ा को अभिव्यक्त करते हैं। पत्नी का यह संदेश–

''मुझे बम्बई की कमाई नहीं चाहिए, तुम घर लौट आओ।'' स्पष्ट करता है कि आर्थिक उन्नति की कीमत अनेक बार पारिवारिक सुख और मानवीय संबंधों के रूप में चुकानी पड़ती है। इसी प्रकार गीत ''सीने में जलन, आँखों में तूफान सा क्यों है। इस शहर में हर शख्स परेशान–सा क्यों है।'' महानगरीय जीवन की संवेदनहीनता, मानसिक तनाव और सामाजिक अलगाव को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करता है।

फिल्म का अंतिम दृश्य, जिसमें नायक घर लौटने की इच्छा के बावजूद टिकट के अभाव में पुनः महानगर की भीड़ में खो जाता है, प्रवासन की विवशता का प्रतीक है। इसलिए गमन केवल एक व्यक्ति की कथा नहीं, बल्कि स्वतंत्रता–उत्तर भारत में शहरीकरण, प्रवासन और मानवीय संवेदनाओं का महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक दस्तावेज है।

5. वैश्विक प्रवासन और सांस्कृतिक स्मृति : नाम (1986)

बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में भारतीय प्रवासन का स्वरूप बदलने लगा। विशेष रूप से 1970 के दशक के बाद खाड़ी देशों में रोजगार के अवसरों के विस्तार ने बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को विदेश जाने के लिए प्रेरित किया। महेश भट्ट निर्देशित फिल्म नाम (1986) इसी ऐतिहासिक परिवर्तन को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है।

फिल्म का नायक बेहतर भविष्य की आशा में दुबई जाने का निर्णय लेता है। एक अवसर पर जहां स्थानीय बदमाश नायक को क्षेत्र छोड़ने की धमकी देता है तो नायक कहता है कि– ''मैं यह एरिया क्या, यह देश ही छोड़कर दुबई जाना चाहता हूँ।'' यह बात 1980 के दशक के युवाओं की आकांक्षाओं और आर्थिक विवशताओं का प्रतिनिधित्व करता है। फिल्म का प्रसिद्ध गीत ''चिट्ठी आई है'' प्रवासी जीवन की भावनात्मक त्रासदी का मार्मिक चित्रण करता है। गीत की पंक्तियाँ– ''तूने पैसा बहुत कमाया, इस पैसे ने देश छुड़ाया...'' यह संकेत देती हैं कि आर्थिक सफलता के बावजूद प्रवासी व्यक्ति अपनी जन्मभूमि, परिवार और सांस्कृतिक स्मृतियों से पूर्णतः अलग नहीं हो पाता।

अवतार ब्राह के प्रवासी समुदाय सिद्धांत (Diaspora Theory) के आलोक में देखा जाए तो नाम यह स्थापित करती है कि प्रवासी के लिए ''घर'' केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि स्मृति, संस्कृति और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक होता है। (ब्राह, 1996, पृ. 35) इस दृष्टि से फिल्म वैश्विक प्रवासन के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों को समझने का महत्त्वपूर्ण स्रोत है।

6. प्रवासन, परिवार और स्त्री–अनुभव : रिहाई (1988)

अरुणा राजे निर्देशित फिल्म रिहाई (1988) ग्रामीण भारत में पुरुष–प्रधान प्रवासन के सामाजिक परिणामों का सशक्त चित्रण करती है। फिल्म गुजरात के एक ऐसे गाँव की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जहाँ अधिकांश पुरुष रोजगार की तलाश में महानगरों की ओर चले जाते हैं और उनके पीछे रह जाने वाले परिवार, विशेषकर महिलाएँ, भावनात्मक अकेलेपन, सामाजिक नियंत्रण तथा पितृसत्तात्मक व्यवस्था के बीच जीवन व्यतीत करती हैं। (राकेश, 2024, पृ. 78)

फिल्म में टाकू (हेमा मालिनी) का पति अमरजी (विनोद खन्ना) आजीविका की तलाश में गाँव छोड़ देता है। उसकी अनुपस्थिति में टाकू के जीवन में उत्पन्न भावनात्मक रिक्तता यह स्पष्ट करती है कि प्रवासन का प्रभाव केवल प्रवासी व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पीछे छूटे परिवारों के सामाजिक और मानसिक जीवन को भी गहराई से प्रभावित करता है। इस स्थिति को फ्रैक्चर्ड फैमिली स्ट्रक्चर (विघटित पारिवारिक संरचना) की संज्ञा दी जा सकती है।

फिल्म का पंचायत वाला दृश्य पितृसत्तात्मक समाज के दोहरे नैतिक मानदंडों को उजागर करता है। जहाँ महानगरों में रह रहे पुरुषों के विवाहेतर संबंधों को अपेक्षाकृत सामान्य माना जाता

है, वहीं स्त्री के व्यवहार को सामुदायिक नैतिकता का प्रश्न बना दिया जाता है। अंत में अमरजी द्वारा टाकू और उसके गर्भस्थ शिशु को स्वीकार करना मानवीय संवेदना को सामाजिक रूढ़ियों से ऊपर स्थापित करता है।

इस प्रकार रिहाई प्रवासन को केवल आर्थिक प्रक्रिया के रूप में नहीं, बल्कि परिवार, लैंगिक संबंधों, सामाजिक नैतिकता और सांस्कृतिक संरचना को प्रभावित करने वाली व्यापक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करती है। इसलिए यह फिल्म स्वतंत्रता–उत्तर भारत में ग्रामीण–शहरी प्रवासन के सामाजिक इतिहास के अध्ययन का एक महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक स्रोत है।

7. समकालीन परिप्रेक्ष्य

यदि पतंगा, श्री 420, सी.आई.डी., गमन, नाम और रिहाई को एक साथ देखा जाए, तो स्पष्ट होता है कि हिन्दी सिनेमा भारतीय प्रवासन के विभिन्न चरणों और आयामों का क्रमिक सामाजिक इतिहास प्रस्तुत करता है। यद्यपि समकालीन दौर में स्वदेस (2004), पीपली लाइव (2010), सिटीलाइट्स (2014), भीड़ (2023), डंकी (2023) होमबाउंड (2023) तथा अन्य फिल्मों ने भी शहरीकरण, प्रवासन, विस्थापन और पहचान के संकट को नए सामाजिक–आर्थिक संदर्भों में प्रस्तुत किया है, फिल्म डंकी जहां अवैध प्रवासन का हास्य चित्रण प्रस्तुत करती है तो वही होमबाउंड कोरोना कॉल के उन लाखों प्रवासियों के घर लौटने की जद्दोजहद का सिनेमाई चित्रण प्रस्तुत करती है यह स्पष्ट है कि शहरीकरण और प्रवासन आज भी हिन्दी सिनेमा के महत्त्वपूर्ण विमर्श बने हुए हैं और इस क्षेत्र में भविष्य में व्यापक शोध की संभावनाएँ विद्यमान हैं।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन से स्पष्ट होता है कि शहरीकरण और प्रवासन आधुनिक भारत के सामाजिक इतिहास की महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाएँ हैं, जिन्होंने आर्थिक संरचना, पारिवारिक संबंधों, सांस्कृतिक पहचान तथा सामाजिक मूल्यों को गहराई से प्रभावित किया। हिन्दी सिनेमा ने इन परिवर्तनों को केवल मनोरंजन के विषय के रूप में प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि उन्हें अपने समय की सामाजिक चेतना, सांस्कृतिक स्मृति और ऐतिहासिक यथार्थ के रूप में अभिव्यक्त किया है।

पतंगा (1949) से रिहाई (1988) तक की चयनित फिल्मों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि हिन्दी सिनेमा ने प्रवासन के विविध आयामों– ग्रामीण संकट, रोजगार की तलाश, महानगरीय जीवन, विदेश–प्रवास, पारिवारिक विघटन, स्त्री–अनुभव तथा जन्मभूमि और कर्मभूमि के द्वंद्व को समयानुकूल सामाजिक संदर्भों में प्रस्तुत किया है। इन फिल्मों में प्रवासन केवल स्थान–परिवर्तन नहीं, बल्कि मानवीय संबंधों, सांस्कृतिक स्मृतियों और सामाजिक पहचान के पुनर्गठन की प्रक्रिया के रूप में उभरता है।

फर्डिनेंड टॉनीज के समुदाय–समाज सिद्धांत, एवरेट एस. ली के प्रेरक–आकर्षक प्रवासन सिद्धांत, जॉर्ज सिमेल के महानगरीय जीवन संबंधी दृष्टिकोण, लुईस वर्थ के नगरीयता संबंधी विचार तथा स्टुअर्ट हॉल के प्रतिनिधित्व सिद्धांत के आलोक में किए गए विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि हिन्दी सिनेमा सामाजिक यथार्थ का केवल प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि वह सामाजिक अर्थों, सांस्कृतिक स्मृतियों और ऐतिहासिक अनुभवों का निर्माण भी करता है।

अध्ययन यह भी स्थापित करता है कि हिन्दी सिनेमा को सामाजिक इतिहास के एक महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक स्रोत के रूप में गंभीरता से पढ़ा जाना चाहिए। यद्यपि फिल्में रचनात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम हैं, फिर भी वे अपने समय की सामाजिक परिस्थितियों, जन–आकांक्षाओं, आर्थिक परिवर्तनों और सांस्कृतिक मूल्यों का महत्त्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करती हैं। इसलिए शहरीकरण और प्रवासन के इतिहास के अध्ययन में हिन्दी सिनेमा एक पूरक स्रोत के रूप में उपयोगी सिद्ध हो सकता है जिसका अन्य समकालीन स्रोतों के साथ तुलनात्मक अध्ययन द्वारा ऐतिहासिक विश्वसनीयता का परीक्षण

किया जा सकता है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि शहरीकरण, प्रवासन और हिन्दी सिनेमा के बीच एक पारस्परिक (Reciprocal) संबंध विद्यमान है। जहाँ सामाजिक परिवर्तन सिनेमा की विषयवस्तु और अभिव्यक्ति को प्रभावित करते हैं, वहीं सिनेमा भी इन परिवर्तनों को व्यापक सामाजिक स्मृति और जनचेतना का हिस्सा बनाता है। इस प्रकार हिन्दी सिनेमा आधुनिक भारत के सामाजिक–सांस्कृतिक इतिहास को समझने का एक प्रभावशाली माध्यम है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

फिल्म संदर्भ (प्राथमिक स्रोत)

- रावल, एच. एस. (निर्देशक), (1949), पतंगा (फिल्म)
- रॉय, बिमल (निर्देशक), (1953), दो बीघा जमीन (फिल्म), बिमल रॉय प्रोडक्शंस
- कपूर, राज (निर्देशक), (1955), श्री 420 (फिल्म), आर. के. फिल्म्स
- खोसला, राज (निर्देशक), (1956), सी.आई.डी. (फिल्म)
- अली, मुजफ्फर (निर्देशक), (1978), गमन (फिल्म)
- परांजपे, सई (निर्देशक), (1983), कथा (फिल्म)
- भट्ट, महेश (निर्देशक), (1986), नाम (फिल्म)
- राजे, अरुणा (निर्देशक), (1988), रिहाई (फिल्म)

समकालीन संदर्भ की फिल्में

- गोवारिकर, आशुतोष (निर्देशक), (2004), स्वदेस (फिल्म)
- आडवाणी, निखिल (निर्देशक), (2008), ये मेरा इंडिया (फिल्म)
- मेहता, हंसल (निर्देशक), (2014), सिटीलाइट्स (फिल्म)
- सिन्हा, अनुभव (निर्देशक), (2023), भीड़ (फिल्म)
- हिरानी, राजकुमार (निर्देशक), (2023), डंकी (फिल्म), जियो स्टूडियोज, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट एवं राजकुमार हिरानी फिल्म्स
- घायवान, नीरज (निर्देशक), (2025), होमबाउंड खफिल्म, धर्मा प्रोडक्शंस

द्वितीयक स्रोत (बुक्स एंड आर्टिकल्स)

- Ambedkar, B. R. (1936). Annihilation of caste. Central Press of Bombay.
- Brah, A. (1996). Cartographies of diaspora: Contesting identities. Routledge.
- Deakin, N., & Bhugra, D. (2009). Migration and dislocation in post-independence Indian cinema: Do Bigha Zamin. International Review of Psychiatry, 21(5), 488–492. https://doi.org/10.3109/09540260903138850
- Kamble, A. (2024). Migration and Hindi cinema: A study. International Journal for Multidisciplinary Research, 6(3), 1–5. https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i03.16804
- Kracauer, S. (1995). Theory of film: The redemption of physical reality. Oxford University Press.
- Mukherjee, R. (1963). Urbanization and social transformation of India. International Journal of Comparative Sociology.
- Prakash, G. (2002). The urban turn. In The cities of everyday life (Sarai Reader 2, p. 4). Sarai.
- Prasad, M. M. (1998). Ideology of the Hindi film: A historical reconstruction. Oxford University Press.
- Tyagi, J., & Jain, P. (2020). Do Bigha Zamin: A realistic masterpiece of Indian cinema. Visual Anthropology, 33(5), 459–465. https://doi.org/10.1080/08949468.2020.1824977
- Tumbe, C. (2018). India moving: A history of migration. Penguin Random House India.
- Government of India. (1978). Draft Five Year Plan, 1978–83. Planning Commission.
- Hall, Stuart. (Ed.). (1997). Representation: Cultural representations and signifying practices. SAGE Publications.
- Tönnies, F. (2001). Community and civil society (J. Harris, Ed.; M. Hollis, Trans.). Cambridge University Press
- Simmel, G. (2002). The metropolis and mental life. In G. Bridge & S. Watson (Eds.), The Blackwell city reader (pp. 11–19). Blackwell.
- Wirth, L. (1938). Urbanism as a way of life. American Journal of Sociology, 44(1), 1–24. https://doi.org/10.1086/217913

SHODH-GARIMA–YEAR-3, VOL. 3 (July to Sept., 2026)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal

ISSN (Print) : 3048-6327

IMPACT-FACTOR
SJIF - 6.852

DOI : 10.5281/zenodo.23177831

Paper Received : 5th Sept. 2026 **Paper Accepted : 10th Sept. 2026**

Representations of Womanhood and Feminine Ideals in Kamayani

❑ **Mudit Pareek***

ABSTRACT

This paper examines representations of womanhood and feminine ideals in Jaishankar Prasad's Kamayani, with particular emphasis on the characters of Shraddha and Ila. It argues that Prasad constructs womanhood through a complex interaction of love, sacrifice, motherhood, compassion, duty, intellect, and spiritual strength. Shraddha emerges as an embodiment of faith, harmony, service, and emotional universality, while Ila represents intelligence, administrative ability, questioning, and social responsibility. Through these contrasting yet complementary figures, Kamayani presents woman as both a source of emotional stability and an active participant in the reconstruction of human society. The study further considers how Prasad's idealization of femininity reflects the cultural and philosophical values of his age.

The field of poetry is the field of human imagination. To express the silent sentiments of intellectuals who imagine the lake of Jnananand in the desert of intellectualism, an epic like 'Kamayani' has been created. The flights of Prasad's women illuminate the sky and dissolve into infinite blue.However, in the woman of Kamayani, the woman-creation of Prasad has reached its ultimate development and has achieved its perfection. In the character of Shraddha, the poet has drawn a comprehensive picture of the Indian woman. For the perfection of an Indian woman's life, worldly vices are not seen. The vicious form is usually found only in the plural. For example, look :

- Non-vicious (Avikari): Poot (Son); Vicious (Vikari): Pooton.
- Non-vicious (Avikari): Ghoda (Horse); Vicious (Vikari): Ghode, Ghodon.
- Non-vicious (Avikari): Gadha (Donkey); Vicious (Vikari): Gadhe, Gadhon.
- Non-vicious (Avikari): Koi, Kaun (Any, Who); Vicious (Vikari): Kis (Whom/ Which).
- Non-vicious (Avikari): Gaon (Village); Vicious (Vikari): Gaaven, Gaavon.

Today in Hindi, in place of these inflections,

* Research Scholar, Maharaja Surajmal Brij University, Bharatpur, Rajasthan

Journal Starting Year-**2024**, Frequency- **Quarterly**, Subject- **Multidisciplinary**, Language-**Hindi & English**, Publishers- **Sushil Kumar Kushwaha,** Publishing Body- **G.H. Publication**, Prayagraj, U.P.-211003 (India), Email Id:- **ghpublication@gmail.com, Mob.: 9532481205, 9807520344**

the use of postpositions like ‘ko’, ‘ka’, ‘se’, etc., is prevalent. In this, the postpositions ‘se’ of the third and fifth cases and ‘ka’, ‘ki’ of the sixth, fourth, and second cases show no difference between them. The implication is that the different inflections that were used in the Sanskrit language due to their variety disappeared in Hindi. The linguistic nuances that were in Sanskrit are not present in Hindi.The confluence of life and spiritual life is essential; that is available to us in the life of Shraddha. If we look at the character of Shraddha, it will become clearly known that as much as she is beautiful from the outside, she is equally pure and tender from the heart, as if her modesty has transformed into beauty. True to her name Shraddha, she is the tangible idol of all the sublime sentiments of the heart, the symbol of the infinite sentiments of womanhood. If we speak as a critic, service is her spiritual practice, duty is her means, sacrifice is her accumulation, the universe is her vow, tolerance is her support, harmony is her principle, supreme satisfaction is her contentment. Affection is her treasure, compassion is her ornament. Her dwelling is in the lap of nature, but a well-cultured life is simple and the principle very strict. Her heart is tender, but her body is full of vitality, radiance, and strength, which would not be inappropriate.

Love and parental affection are the primary tendencies of a woman’s heart. Their elevated and luminous form finds development only in a woman’s heart. When Shraddha finds Manu in a desolate region of the snowy mountains in a bewildered, motionless, and helpless state, then she produces this consolation:

- “Who are you? On the shore of the ocean of worldly existence,”
- “Like a jewel cast by the waves,”
- “Silently making the desolate place fragrant,”
- “Anointing the sorrow with a stream...”
- “...And thus, coming to know of Manu’s miserable state, the tender sentiment of her heart awakened...”

...because the poignant experience of the pain of love that a woman can feel, a man can do so much less. She showers all the heart-treasures of surrender, equality, universality, affection, etc., upon him. Surrendering herself at Manu’s feet, she says:

- “Surrender is the essence of service,”
- “That diffusion of the entire universe,”
- “This life-sacrifice from the core...”

In this poetic sacrifice, famous distortion— When the dark clouds of disappointment of Manu’s arrogant intellect shadow him, she encourages him through the principle of harmony, greets his waning consciousness with sorrow-work. She brings sweet spring into his dreary life, and brings his trembling-burdened life into light like the dawn. We get the introduction of Shraddha’s complete choice here, where she, considering this as fragrant due to her gentle smile, makes it auspicious. In ‘Kamayani’, understanding the womanly collection as an obstacle to her fragrance, she becomes self-restrained and stoic, but it is not born of detachment, rather it is more of affection. We get a beautiful example of this when she leaves her only beloved son behind for the welfare of a foreign region and goes out into the world. Such sacrifice is very rare in the world of women.In practical life, her conduct, good behavior, restraint, and modesty are also unparalleled. On the days in the cave when Manu eats cruelly and late, she is anxious and impatient to see him. This very anxiety and impatience of hers is the mark of their happy-unhappy married life.Faith is the pinnacle of glory in Shraddha’s character, and through this, her personal character becomes universal and sublime. When Manu flees again, even then her heart has complete faith that:

- “This sphere will not tilt this much.”
- “You will find it, O lover of love!”

In Shraddha’s life, there is such a wonderful synthesis of action, knowledge, and desire that she herself remains enlightened by it, and merely by her sight, others are also immersed in the

ocean of knowledge. Exploring the mystery of action, knowledge, and desire, she says to Manu:

- "Where is Pipur giving you,"
- "Those three drops of radiant laughter,"
- "To fill the center become full of life,"
- "How dear are all these to you?"
- "Some time away, what has been united,"
- "Why can desire be fulfilled?"
- "Not being able to meet one another,"
- "This is the irony of life."

As long as Manu enjoys Shraddha's divine conceptual beauty and experiences spiritual feelings equivalent to love in the form of desire, struggles, attachments, etc., enter their life; but when he recognizes the form of Shraddha as the 'Kalpaya bhumi' 'Kamyutsav', then they behold their women and the supreme gift and are fascinated in bliss. In Shraddha, the simple monochrome regarding the ethics of ideal women is well-organized by the intellect of duty. Seeing this provision of hers, even large beasts cannot remain without saying it. Truly, she is a true companion. The ultimate limit of motherhood is that embodiment of compassion.Her love becomes so expansive that she does not hesitate even a bit to sacrifice her only son for the welfare of the Saraswat region. This becomes the pinnacle of her worldly life. Beyond this, her spiritual life begins. Finding her lost husband, she takes him towards Kailash and lives there by setting her seat alongside her husband.

Motherhood is the ultimate development of woman. This very ultimate development of woman is found in Shraddha. The primal qualities of motherhood, such as compassion towards the mother of the universe, helpless individuals, and all living beings, are present in ample measure in Shraddha. The feeling of becoming a mother that exists in women naturally awakens when given the opportunity. At twilight, lion-cubs are kissing their infants in their laps; seeing this scene, Shraddha's greed to become a mother immediately awakens and she exclaims:

- "Their religious clamor is there,"
- "My cave entrance is empty."

In this way, her cosmic pillar-like form of world-like Shraddha remains natural. In Shraddha, a true introduction to caste-bound nature is obtained when all the treasures, states, love, service, sacrifice, affection, equality, faith, restraint, etc., of a woman are sacrificed at the feet of Manu. Melted by a life devoid of prisons, she makes the supreme offering. Thus the poet shows that man is the preceptor of authority; woman is the ascetic of surrender. Man wants receiving; woman gives. There is selfishness in man; there is sacrifice in woman. There is purity and tenderness in the heart of women; there is harshness in men.The maternal life of Shraddha has been depicted by the poet through service-modes. Her practical and daily life is the poet's private creation. Shraddha being non-violent, spinning thread on taklis, is the gift of the woman's age.If we also observe Ila's character, it appears that as far as she comes before us in a female form, she is endowed with departmental qualities such as policy, supreme responsibility, duty, administrative power, etc. But woman has come as a symbol of intellect; here she generates fickleness, struggle, upheaval, and rebellion. The feeling of national welfare lies deep within her. When she considers herself the reason for sharing with Ila, she begs forgiveness from Ila; that is the vision of love and true duty towards Ila. Such as:

- "Besides this, your good fortune,"
- "O Devi! Your divine melody."
- "O forgiveness, may your distress not be,"
- "May that consciousness not be sad."

Manu's attraction and love for Ila is the poet's striking feature. It has a historical name, and the poet has placed her in the form of intellect. It is evident from both the above portraits that Prasad's ideal of womanhood is wholly capable of instructing men in duty even while fully bestowing surrender. Granting the right of

sacrifice and equality, she herself is compassionate, equality-oriented, centrally-oriented, and perspiring. Prasad's female ideal of woman is filled with individuality, arduous sacrifice, modesty, shyness, reverence, love, and joy.

Refrences

- Nagendra, Dr. Kamayani: Adhyayan aur Mulyankan. National Publishing House, 1970.
- Prasad, Jaishankar. Kamayani. Bharati Bhandar, 1936.
- Shukla, Amba Prasad. "Kamayani Mein Nari-Srishti." Saraswati Samvad, pp. 95–97.

SHODH-GARIMA–YEAR-3, VOL. 3 (July to Sept., 2026)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal

ISSN (Print) : 3048-6327

IMPACT-FACTOR SJIF - 6.852

DOI : 10.5281/zenodo.23177906

Paper Received : 10th Sept. 2026 **Paper Accepted : 18th Sept. 2026**

ग्राम पंचायत में सूचना का अधिकार अधिनियम का महत्त्व

□ अमिता शर्मा*
□ डॉ. संध्या शुक्ला**

शोध-सारांश

सूचना का अधिकार कानून सभी ''सार्वजनिक प्राधिकरणों'' के पास मौजूद जानकारी तक पहुँचने का अधिकार देता है जिनमें संविधान के तहत स्थापित या गठित संस्थाएँ भी शामिल हैं। इसका मतलब है कि यह कानून पंचायती राज संस्थाओं पर भी लागू होता है जिनका ज़िक्र भारतीय संविधान के भाग *IX* में किया गया है। यह नागरिकों को इन स्थानीय प्राधिकरणों से जानकारी हासिल करने का एक और ज़रिया देता है। ग्राम पंचायत और ज़िला स्तर (ज़िला पंचायत) पर काम करती हैं।

73वें संविधान संशोधन कानून ने पंचायती राज संस्था के ज़रिए ग्रामीण इलाकों में विकेंद्रीकृत शासन–व्यवस्था को मंज़ूरी दी। सूचना का अधिकार सरकार पर लोगों तक जानकारी पहुँचाने की सकारात्मक ज़िम्मेदारी डालता है और लोगों को सरकारी निकायों (और कुछ मामलों में निजी निकायों) के पास मौजूद जानकारी माँगने और पाने का अधिकार देता है। जनता के सामने जानकारी दो तरह से रखी जाती है– खुद से और माँगने पर। यह कानून नागरिकों को सरकार के पास मौजूद जानकारी तक पहुँचने का अधिकार देता है, जिसमें पंचायत से जुड़ी जानकारी भी शामिल है। सूचना का अधिकार यह तय करता है कि लोग माँगने पर पंचायती राज संस्था से जानकारी हासिल कर सकें और पंचायतीराज संस्थाएं की यह ज़िम्मेदारी है कि वे ज़रूरी जानकारी खुद से प्रकाशित करें।

मुख्य शब्द– भागीदारी, पारदर्शिता, ग्राम पंचायत, सूचना, अधिकार, अधिनियम नागरिक, नियम, सरकारी, पंचायतीराज।

* शोधार्थी (राजनीति विज्ञान)
** शोध निर्देशक, सेवानिवृत्त प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

भूमिका

सूचना का अधिकार अधिनियम लोकतंत्र का मतलब है कि सार्वजनिक मामलों में नागरिकों की सार्थक भागीदारी हो। एक लोकतांत्रिक प्रशासन को आम राय पर ध्यान देना चाहिए, और ऐसा होने के लिए लोगों को जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सूचना का अधिकार शासन और प्रशासन की ज़रूरी प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी को ज़रूरी बनाता है। सूचना का अधिकार भारत का एकमात्र वैध कानून है। यह भारतीय प्रशासनिक इतिहास का सबसे लोकप्रिय, नागरिक केंद्रित और बदलाव लाने वाला कानून है।

सूचना का अधिकार अधिनियम लोगों को प्रभावित करता है और सार्वजनिक अधिकारियों के कामकाज में ज्यादा पारदर्शिता के ज़रिए भारतीय प्रशासन पर असर डालता है; सरकारी नियमों, नियमों और फ़ैसलों के बारे में जानकारी का खुलासा, हर सार्वजनिक प्राधिकरण को सभी रिकॉर्ड को सही तरीके से कैटलॉग और इंडेक्स करके रखना ज़रूरी है, ताकि अधिनियम के तहत जानकारी का अधिकार आसानी से मिल सके। सूचना कुछ और नहीं बल्कि ज्ञान है, ज्ञान इंसान को मज़बूत और ताकतवर बनाता है। अगर जानकारी सरकार और प्रशासन से जुड़ी हो, तो व्यक्ति अच्छे शासन और अपनी सुरक्षा के प्रति सक्रिय हो जाता है और उसका विकास होता है। सूचना के अधिकार अधिनियम भारत के लोगों को प्रशासनिक भ्रष्टाचार, गड़बड़ियों और प्रशासनिक तंत्र के गैर–ज़िम्मेदाराना रवैये के खिलाफ़ सशक्त बनाता है।

सूचना का अधिकार हर सरकारी संस्था के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है। दूसरे शब्दों में, इस कानून के ज़रिए भारत के नागरिकों को सरकारी कामों और फैसलों पर सवाल उठाने, उनका ऑडिट करने, समीक्षा करने, जांच करने और उनका आकलन करने का अधिकार मिला है, ताकि यह पक्का किया जा सके कि वे जनहित, अच्छे शासन और न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप हों।

सूचना का अधिकार अधिनियम को लागू करना

भारत को हमेशा से ही सबसे बड़े लोकतंत्र होने पर गर्व रहा है, लेकिन श्सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के पारित होने के साथ, यह एक जवाबदेह, इंटरैक्टिव और भागीदारी वाला लोकतंत्र भी बन गया है। यह अधिनियम जम्मू–कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे देश में लागू है। डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने संसद में लंबी और गहन चर्चा के बाद इसे मंजूरी दिलाई। इससे पहले 'सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002' को भारत के राष्ट्रपति की मंज़ूरी तो मिल गई थी, लेकिन उसे कभी अधिसूचित नहीं किया गया और अंततः उसकी जगह सूचना का अधिकार अधिनियम ने ले ली। यह 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ और उसी दिन श्री शाहिद रज़ा बर्नी ने पुणे पुलिस स्टेशन में पहली सूचना के अधिकार अर्ज़ी दाखिल की।

सूचना का अधिकार अधिनियम ने 2015 में सफलतापूर्वक दस साल पूरे किए। इस अधिनियम की लोकप्रियता और इसके इस्तेमाल करने वालों की संख्या हर साल तेज़ी से बढ़ रही है। सूचना के अधिकार की अवधारणा 1970 के दशक में न्यायपालिका द्वारा विभिन्न मौलिक अधिकारों, विशेषकर बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की उदार व्याख्या के साथ आकार लेने लगी। 1973 में 'बेनेट कोलमैन एंड कंपनी बनाम भारत संघ' मामले में, सुप्रीम कोर्ट की बहुमत वाली राय में कहा गया कि ''बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सभी नागरिकों का पढ़ने और जानकारी पाने का अधिकार भी शामिल है।''

1975 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले के फ़ैसले में कहा कि जानकारी हासिल करना हर व्यक्ति का अधिकार है। 1981 में 'मनुभाई शाह बनाम भारतीय जीवन बीमा निगम' मामले में अदालत के फ़ैसले ने इस बात की पुष्टि की। बोलने और अभिव्यक्ति की

Journal Starting Year-**2024**, Frequency- **Quarterly**, Subject- **Multidisciplinary**, Language-**Hindi & English**, Publishers- **Sushil Kumar Kushwaha**, Publishing Body- **G.H. Publication**, Prayagraj, U.P.-211003 (India), Email Id:- **ghpublication@gmail.com**, **Mob.: 9532481205, 9807520344**

स्वतंत्रता का मूल उद्देश्य यह है कि सभी सदस्य अपनी मान्यताएँ बना सकें और उन्हें दूसरों तक आज़ादी से पहुँचा सकें। संक्षेप में, यहाँ मुख्य सिद्धांत लोगों का जानने का अधिकार है। सरकारी जानकारी के खुलासे और पारदर्शिता के पक्ष में कई मामले सामने आए हैं। इस पर स्पष्ट कानून न होने के कारण, लोगों को इस अधिकार को लागू करवाने के लिए हर बार अदालतों का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता था। अदालतों ने लगभग हमेशा सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। लेकिन इस तरीके से नियम लागू करने का फ़ायदा ज्यादातर उन्हीं लोगों को मिल पाया जो जागरूक और पढ़े–लिखे थे।

आम नागरिकों के पास न तो साधन थे और न ही समय या इच्छा कि वे उलझी हुई कानूनी प्रक्रियाओं में पड़ें; यहाँ तक कि जनहित याचिका भी एक ऐसा ज़रिया था जो सिर्फ़ कुछ खास लोगों तक ही पहुँच पाता था। अकाल राहत कार्यों में बड़े पैमाने पर हो रहे भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए ग्रामीण गरीबों के साहसी और ज़बरदस्त ज़मीनी संघर्ष ने सूचना के अधिकार आंदोलन को नई गति दी। इस संघर्ष का नेतृत्व 'मज़दूर किसान शक्ति संगठन' ने किया। इस संघर्ष का असर दूर–दूर तक महसूस किया गया।

सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्य

1. नागरिकों को सरकार से सवाल पूछने के लिए सशक्त बनाना।

2. यह अधिनियम सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है।

3. यह कानून सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने और लोगों के लिए बेहतर तरीके से काम करने में भी मदद करता है।

4. इस कानून का मकसद ऐसे जागरूक नागरिक तैयार करना है जो सरकारी कामकाज पर ज़रूरी नज़र रख सकें।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत महत्वपूर्ण प्रावधान

- धारा 2(**h**)– सार्वजनिक प्राधिकरण का अर्थ है केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय निकायों के अंतर्गत आने वाले सभी प्राधिकरण और निकाय। वे नागरिक समाज संगठन जिन्हें सार्वजनिक धन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काफी हद तक वित्तपोषित किया जाता है, वे भी सूचना के अधिकार के दायरे में आते हैं।
- धारा 4 1(**b**)– सरकार को जानकारी बनाए रखनी होगी और उसे सक्रिय रूप से सार्वजनिक करना होगा।
- धारा 6– जानकारी प्राप्त करने के लिए एक सरल प्रक्रिया निर्धारित करती है।
- धारा 7– लोक सूचना अधिकारी द्वारा जानकारी प्रदान करने के लिए समय–सीमा निर्धारित करती है।
- धारा 8– केवल न्यूनतम जानकारी को ही सार्वजनिक करने से छूट दी गई है।
- धारा 8 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी प्रदान करने से छूट का उल्लेख करती है।
- धारा 8 (2) Official Secrets Act, 1923 के तहत छूट प्राप्त जानकारी को सार्वजनिक करने का प्रावधान करती है, यदि इससे व्यापक जनहित सधता हो।
- धारा 19– अपील के लिए दो–स्तरीय तंत्र।
- धारा 20– समय पर जानकारी न देने, या गलत, अधूरी, भ्रामक या विकृत जानकारी देने के मामले में दंड का प्रावधान करती है।
- धारा 23– निचली अदालतों को मुकदमों या आवेदनों पर विचार करने से रोका गया है। हालाँकि, संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों का रिट अधिकार क्षेत्र अप्रभावित रहता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम का महत्व

- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 नागरिकों को शासन में बरती जाने वाली गोपनीयता

और सत्ता के दुरुपयोग पर सवाल उठाने का अधिकार देता है।

- केंद्र और राज्य स्तर पर सूचना आयोगों के माध्यम से ही ऐसी जानकारी तक पहुँच प्रदान की जाती है।
- सूचना का अधिकार जानकारी को सार्वजनिक हित की वस्तु माना जा सकता है, क्योंकि यह नागरिकों के हितों के लिए प्रासंगिक है और एक पारदर्शी और जीवंत लोकतंत्र के कामकाज के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।
- प्राप्त जानकारी न केवल सरकार को जवाबदेह बनाने में मदद करती है, बल्कि अन्य उद्देश्यों के लिए भी उपयोगी है जो समाज के व्यापक हितों को पूरा करेंगे।
- हर साल, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लगभग 60 लाख (छह मिलियन) आवेदन दायर किए जाते हैं, जो इसे विश्व स्तर पर सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला 'सनशाइन कानून' (पारदर्शिता कानून) बनाता है।
- ये आवेदन कई तरह के मुद्दों पर जानकारी मांगते हैं – बुनियादी अधिकारों और हकदारियों को पूरा करने के लिए सरकार को जवाबदेह ठहराने से लेकर देश के सर्वोच्च कार्यालयों पर सवाल उठाने तक।
- सूचना का अधिकार अधिनियम का इस्तेमाल करके लोगों ने ऐसी जानकारी मांगी है जिसे सरकारें बताना नहीं चाहेंगी, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार, मानवाधिकारों का उल्लंघन और सरकार की गलत हरकतें सामने आ सकती हैं।
- सरकार की उन नीतियों, फैसलों और कामों के बारे में जानकारी पाना, जिनका असर नागरिकों की ज़िंदगी पर पड़ता है, जवाबदेही पक्की करने का एक ज़रिया है।
- सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में कहा है कि सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संविधान के आर्टिकल 19 और 21 से मिलता है; ये आर्टिकल नागरिकों को क्रमशः बोलने और अपनी बात कहने की आज़ादी और जीने का अधिकार देते हैं।

सूचना के अधिकार अधिनियम में संशोधन

- सूचना का अधिकार संशोधन बिल 2013 राजनीतिक दलों को 'सार्वजनिक प्राधिकरण' की परिभाषा के दायरे से और इसलिए सूचना का अधिकार एक्ट के दायरे से भी बाहर करता है।
- 2017 के ड्राफ्ट प्रावधान में आवेदक की मृत्यु होने पर केस बंद करने की बात कही गई है जिससे व्हिसल–ब्लोअर (भ्रष्टाचार उजागर करने वाले) की जान पर और हमले हो सकते हैं।
- प्रस्तावित सूचना का अधिकार संशोधन एक्ट 2018 का मकसद केंद्र को राज्य और केंद्रीय सूचना आयुक्तों का कार्यकाल और वेतन तय करने की शक्ति देना है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कानूनी रूप से सुरक्षित हैं।
- इस एक्ट में 5 साल के तय कार्यकाल की जगह सरकार द्वारा तय कार्यकाल लागू करने का प्रस्ताव है।

भागीदारी

बेहतर प्रशासन के लिए पुरुषों और महिलाओं दोनों की भागीदारी ज़रूरी है। प्रतिनिधि लोकतंत्र का मतलब कुछ खास लोगों का शासन नहीं है; इसमें समाज के सभी वर्गों, खासकर सबसे कमजोर वर्गों के हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए। सूचना का अधिकार एक्ट नागरिकों को न केवल हर पांच साल में एक बार, बल्कि हर दिन जुड़ने और किसी भी फैसले को चुनौती देने की सुविधा देता है। सूचना का अधिकार एक्ट आम लोगों को शासन में भाग लेने, सत्ता के असंतुलन को कम करने, अन्याय के खिलाफ विरोध करने का साधन देने और लोकतंत्र को सबके लिए काम करने लायक बनाने

के लिए सामूहिक भावना को बढ़ावा देने का अधिकार देता है। सूचना का अधिकार एक्ट जमीनी स्तर के लोकतंत्र को भी मजबूत करता है और स्थानीय शासन और विकास कार्यों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करता है।

सूचना का अधिकार समाज के सभी वर्गों को सरकारी विभागों, दस्तावेज़ों, रिकॉर्ड, सेवाओं, वित्त और नीतियों से जुड़ी जानकारी आसानी से पाने की सुविधा देता है। सूचना का अधिकार अधिनियम, जानकारी को ज्यादा सुलभ बनाकर, आम लोगों और सरकार के बीच की पारंपरिक दूरी को कम करता है और राष्ट्र–निर्माण की प्रक्रिया में मदद करता है। जानने का अधिकार और सरकारी जानकारी तक आसान पहुँच नागरिकों को सभी स्तरों पर सरकार की सीमाओं को समझने में मदद करती है। जानकारी की उपलब्धता विकास प्रक्रिया में भी योगदान देती है और यह एक सच्चे और परिपक्व लोकतंत्र की निशानी है।

पारदर्शिता

पारदर्शिता अच्छे शासन की एक अहम कड़ी है। पारदर्शिता का मतलब है कि लिए गए फ़ैसले और उन्हें लागू करने का काम नियमों और कानूनों के अनुसार किया जाए। इसका मतलब यह भी है कि जानकारी उन लोगों के लिए आसानी से और सीधे उपलब्ध हो जिन पर ऐसे फ़ैसलों और उनके लागू होने का असर पड़ेगा। पारदर्शिता और जवाबदेही तभी संभव है जब जनता के पास जानकारी हो। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू होने के बाद, लोग अब एक निश्चित समय सीमा के भीतर किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी मांग सकते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम का मकसद सरकारी फ़ैसला लेने की प्रक्रिया को ज्यादा खुला बनाकर सरकार में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। हालाँकि केंद्र सरकार के कुछ विभागों को इस अधिनियम से छूट दी गई है, लेकिन अगर मामला मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़ा हो तो जानकारी मांगी जा सकती है। निजी संस्थाओं से भी जानकारी केवल कंट्रोलिंग अथॉरिटी के ज़रिए ही मांगी जा सकती है और कंट्रोलिंग अथॉरिटी अधिनियम की धारा 11 के तहत संबंधित संस्था को नोटिस भेजेगी। इसके अलावा, नागरिक टैक्स देने वाले होते हैं, इसलिए उन्हें सरकार से सवाल पूछने का पूरा अधिकार है।

हम यह भी कह सकते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम आने के बाद, इसमें कुछ नियम और कानून भी दिए गए हैं कि धारा 8 और 9 के तहत कौन सी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए और कौन सी नहीं; साथ ही धारा 24 यह भी बताती है कि किन संगठनों को छूट दी जानी चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम निश्चित रूप से सरकार के लिए मददगार है और यह कुछ नियमों और कानूनों के तहत सरकार को ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाने में मदद करता है।

ग्राम सभा

पंचायती राज का मकसद ज़मीनी स्तर पर लोगों को सशक्त बनाना है ताकि वे विकास प्रक्रिया में भाग ले सकें। ग्राम सभा, जो गाँव की आम सभा होती है (जिसमें सभी योग्य मतदाता शामिल होते हैं), उसे पंचायत संस्थाओं की आत्मा माना गया है। ग्राम सभा ही ज़रूरतों का आकलन करके यह तय करती है कि पंचायतों द्वारा कौन–से विकास कार्य किए जाएँगे। ग्राम सभा के सदस्य अपनी बैठकों में पंचायतों के फैसलों पर सवाल उठा सकते हैं और उनकी जाँच–पड़ताल कर सकते हैं, साथ ही ग्राम पंचायतों के सालाना वित्तीय हिसाब–किताब और खर्चों पर चर्चा भी कर ग्राम पंचायत।

ग्राम पंचायत एक चुनी हुई संस्था है जिसे ग्राम सभा के सदस्य अपने बीच से ही चुनते हैं। इसमें एक प्रधान और कई पंच (नौ से पंद्रह तक) होते हैं। पंचों की संख्या आबादी पर निर्भर करती है जिसमें ग्राम सभा को एक बहु–सदस्यीय एकल निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है, जैसे– ग्राम पंचायत सदस्यों के चुनाव के लिए, हर ग्राम पंचायत क्षेत्र

को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। हर क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व ग्राम पंचायत में एक सदस्य करता है।

निष्कर्ष

सूचना का अधिकार अधिनियम अपनी पूरी तरह से सफलता हासिल नहीं कर पाया है क्योंकि सिस्टम की कमियों के कारण कुछ रुकावटें आईं। इसे सामाजिक न्याय, पारदर्शिता और जवाबदेह सरकार बनाने के मकसद से बनाया गया था। यह कानून हमें शासन की प्रक्रियाओं को फिर से तैयार करने का एक अनमोल मौका देता है, खासकर ज़मीनी स्तर पर जहां नागरिकों का सरकार से सबसे ज्यादा संपर्क होता है। यह अच्छी तरह से माना जाता है कि शासन को बेहतर बनाने के लिए सूचना का अधिकार ज़रूरी तो है, लेकिन काफ़ी नहीं है। शासन में जवाबदेही लाने के लिए और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, जिसमें व्हिसलब्लोअर (भंडाफोड़ करने वालों) की सुरक्षा, सत्ता का विकेंद्रीकरण और सभी स्तरों पर अधिकार के साथ जवाबदेही का तालमेल शामिल है। जैसा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है, सूचना का अधिकार अधिनियम के गलत इस्तेमाल से सही तरीके से निपटा जाना चाहिए; वरना जनता का इस ''सनशाइन एक्ट'' (पारदर्शिता लाने वाले कानून) से भरोसा और विश्वास उठ जाएगा।

इस प्रकार, यह सही कहा जा सकता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम अच्छे शासन और पारदर्शी सरकार का एक ज़रिया है। यह प्रशासन को लोगों के प्रति ज्यादा जवाबदेह बनाता है। यह लोगों को प्रशासन के बारे में जागरूक करता है और उन्हें फ़ैसला लेने की प्रक्रिया में हिस्सा लेने का मौका देता है। इसने प्रशासन में खुलापन और पारदर्शिता को बढ़ावा देकर लोकतांत्रिक सोच को आगे बढ़ाया है। यह भ्रष्टाचार और सरकारी कर्मचारियों द्वारा अधिकार के गलत इस्तेमाल की संभावनाओं को कम करता है। चूंकि यह कानून लोगों के हित के लिए बनाया गया है, इसलिए इसकी सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि लोग इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसके अलावा, लोगों, एन.जी.ओ., नागरिक समाज समूहों की सक्रिय भागीदारी, सूचना का अधिकार अधिनियम अधिकारियों के बीच तालमेल, सरकारी विभागों में ईमानदारी और सरकार व चुने हुए नेताओं की राजनीतिक इच्छाशक्ति की भी ज़रूरत है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. https://www.manupatrafast.com (आखिरी बार 10 जून 2019 को देखा गया)
2. https://timesofindia.indiatimes.com/defaultinterstitial.cms (आखिरी बार 10 जून 2019 को देखा गया)
3. https://indiankanoon.org (आखिरी बार 10 जून 2019 को देखा गया)
4. https://www.livelaw.in (आखिरी बार 10 जून 2019 को देखा गया) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
5. चौधरी, षर्मेंद्र, भारत में सूचना का अधिकार (8 फरवरी, 2011) A SSRN ij miyCèk:https://ssrn.com/abstract(1758022 http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1758022

SHODH-GARIMA–YEAR-3, VOL. 3 (July to Sept., 2026)
A Peer-Reviewed & Referred
International Multidisciplinary
Research Journal

ISSN (Print) : 3048-6327

IMPACT-FACTOR
SJIF - 6.852

DOI : 10.5281/zenodo.23178009

Paper Received : 10th Sept. 2026 Paper Accepted : 18th Sept. 2026

The Illusion of Affordability: How Price Perception Mediates the Impulsive Buying of High-Involvement Electronics in E-Markets

❑ Astha Mishra*
❑ Prof. (Dr.) Ram Karan**

ABSTRACT

This study aims to examine the relationship between e-commerce platforms that enable the purchase of costly electronic products impulsively by creating an "Illusion of Affordability. The study goes beyond the traditional psychological urgency theory to explore the effects of Marketing tactics and platform features on buying behaviours using the Mental Accounting Theory and transaction utility. Using a quantitative cross-sectional design, data was gathered from 806 consumers in India who recently bought high-involvement electronics online. The results from SEM and bootstrapping analysis indicate that the marketing stimuli had positive direct effect on impulsive buying, while the platform features had a positive direct effect on consumer caution. Most importantly, the perception of price is a strong mediator of marketing tactics. Moreover, platform mechanisms, such as customer reviews, have strong dual mediation effects indicating that social proof makes their way into the consumers' minds to support and rationalize high ticket purchases.

Keywords– *Impulsive Buying, Electronic Products, Online Reviews, Transaction Utility, Mental Accounting Theory, Price Perception, Structural Equation Modelling, E-Commerce*

1. Introduction

Electronics are considered to be high-involvement products that involve a lot of financial consideration and risk evaluation in the purchasing decision-making process (traditional consumer behaviour models). But, as is the norm on modern e-markets, this model is often thrown to the winds, turning high-cost goods into

* Research Scholar, Professor Rajendra Singh (Rajju Bhaiya) University, Prayagraj (U.P.)
E-mail ID: astha1mishra@gmail.com, Contact no.: +91-9670939507
** Madan Mohan Malviya P.G. College, KalaKankar, Pratapgarh (U.P.)
E-mail ID: dr.ramkaranyadav@gmail.com, Contact no.: +91-9415273025

spontaneous purchases. Emotional arousal has been argued to account for this behavioural change in the literature, but the literature has mostly focused on psychological arousal caused by digital urgency cues (countdown timers, scarcity messaging etc.).

This study is a departure from the psychological urgency paradigm to the economic justification in real time. This study builds on the **Mental Accounting Theory**by Nobel laureate Richard Thaler which suggests that e-markets construct an "Illusion of affordability. Through aggressive discount framing, the use of reference prices and the ease of digital credit integration (e.g. No-Cost EMIs), platforms can make it appear that there is greater 'utility' to a transaction, which is the psychological impression of 'bargaining'. These mechanisms play a game with the price, reclassifying purchases of high-cost items into important financial investments, thereby concealing the financial cost of the immediate purchase.

The main purpose of this research is to empirically verify the hypothesis that determines whether the perception of price is the essential mediator to make electronic products become impulses to purchase. This study compares this mediation pathway with the non-arousing nature of platform utility features in order to articulate how e-markets construct economic argument to fuel high value digital spontaneity.

2. Literature review

2.1. Transaction Utility Theory in E-Commerce

In order to explain the financial anomaly behavioural pattern of impulsive high involvement purchase, this study overcomes the traditional environmental urgency model and bases itself on Mental Accounting Theory (Thaler, 1985, "Mental Accounting and Consumer Choice",(Thaler, 1985). At the centre of this behavioural economic approach is the concept of two types of value to the consumer: acquisition utility, and transaction utility. Acquisition utility is the minimum economic value, the value perceived by the buyer as the worth of the electronic product relative to its retail value. Transaction utility, on the other hand, is the psychological value realized from the deal, which is the difference between the price the customer actually receives and his or her internal reference price.

Digital interfaces are particularly designed in the current e-markets in order to maximise transaction utility, to the extent that it surpasses acquisition utility. Consumers' attention is diverted from considering whether the product is needed to considering how much money they had save if they bought it (Grewal et al., 1998). Recent research on digital impulse buying shows that this artificially created transaction utility becomes the chief economic driver for spontaneous purchases, and it effectively cancels out the natural economic risk in the purchase of goods that are expensive and have high involvement, such as a laptop or a smartphone (Lichtenstein et al., 1990). E-tailers play on this cognitive distortion by making it seem like a good deal, while encouraging mindless buying.

2.2. Making Expensive Feel Cheap through Price Tags and Easy Payments

Marketing stimuli, like the 'flash sale counts down', the 'look at me' and scarcity cues, do not only rush consumers on to the checkout counter, they also 'anchor' their price perception. These platforms prominently display a crossed out artificially high Manufacturer's Suggested Retail Price (MSRP) next to a limited-time "offer price" in order to set a high cognitive anchor (Kahneman & Tversky', n.d.). Empirical studies in recent years confirm that this extreme contrast creates the greatest sense of utility in transactions, bringing about the impression of exploiting a "financial anomaly" for consumers(Zuo, 2023).

Moreover, frictionless digital credit products like 'Buy Now, Pay Later' (BNPL) and No-Cost Equated Monthly Instalments (No-Cost

EMI) further enhance the perception of affordability by way of payment decoupling (Prelec & Loewenstein, 1998). These marketing pushes provide the gratification of the product without causing the pain of the purchase until it is delayed down the road and contained in a separate space. Recent studies on e-commerce confirm that the 'buy now pay later' and 'discount framing' approach significantly reduces the psychological hurdles to impulse purchases of high-ticket items, and directly embeds the economic rationalization within the checkout process (*(PDF) BUY NOW PAY LATER: AN EMERGING TECHNIQUE IN E-COMMERCE AND ITS IMPACT ON CONSUMERS' BUYING BEHAVIOUR*, n.d.).

2.3. Platform Features as Financial Risk Mitigators

Platform utility features (user-generated reviews, aggregate ratings, expert Q&A sections) have nothing to do with transforming something into a profitable economic catalyst, but rather are tools for risk mitigation. In line with this, there has been a great volume of literature to date, which shows that these informational utilities play a crucial role in building platform credibility and minimizing perceived product risk for high-involvement electronics (Mudambi & Schuff, 2010).

In the context of mental accounting, however, the characteristics of the platform do not provide transaction utility. When reading technical specifications or doing a peer review, it's a matter of systematic cognitive processing and not a question of whether you can score a deal. Recent research on dual-process theories in digital retail has shown that assessing informational features can lead to 'cognitive friction', which slows down the shopping process and diverts the focus away from the 'feeling good' aspect needed to experience a 'temporary financial gain' (Plantinga, n.d.). Platform features are thus essential to validate the quality of the electronics and work against the psychological mechanism that would otherwise be needed to change the immediate price perception or elicit spontaneous economic action.

2.4. Hypotheses Formulation

This study proposes a structural mediation framework based on the synthesis of Mental Accounting Theory, transaction utility, and the different functions of e-market interfaces. The hypotheses presented in the following are used to test whether the affordability illusion fills the gap between the environmental digital stimuli and spontaneous high value acquisitions:

- **H1:** Marketing stimuli (flash sales, scarcity cues, discount framing) have a significant positive direct impact on the consumer's Price Perception (perceived transaction utility).
- **H2:** Price Perception has a significant positive direct impact on the impulsive buying of electronic products.
- **H3:** Price Perception significantly mediates the relationship between Marketing stimuli and Impulsive Buying, demonstrating that environmental urgency requires economic justification to trigger high-ticket acquisitions.
- **H4:** Price Perception does not mediate the relationship between Platform features (reviews, Q&A) and Impulsive Buying, as informational utilities mitigate risk but do not generate transaction utility.

3. Research Methodology and Data Analysis

3.1. Research Paradigm and Sampling Architecture

This investigation uses a quantitative, cross-sectional and empirical structure to investigate the structural mechanics of online consumer behavioural responses. Primary data was collected from individual consumers across India (Type X, Type Y and Type Z cities) who made a recent online purchase of a high-involvement electronic product (smartphones, laptops or home appliances), to understand the actual dynamics

of purchases in the emerging digital economy. The sampling method used was purposive sampling, and a final data set analysed was N = 806 valid responses. This sample size affords high statistical power, and meets the high sample size requirements needed for complex multivariate modelling and structural equation modelling.

3.2. Measurement Design and Construct Scaling

Items within the constructs of the structural model are operationalized by multi-item scales, which are adapted from the literature of e-commerce and consumer behaviour and are rated on a 5-point Likert scale (from 1, Strongly Disagree to 5, Strongly Agree).

Exogenous Variables: "*Marketing Stimuli"* were measured through items that captured the pressure of platform actions in the environment such as flash sales, count-down banners and scarcity notifications. Platform Features evaluated informational risk-mitigation features such as user-generated reviews and expert Q&A ratings.

Mediating Construct: "*Price Perception"* was used to measure the transaction utility and payment decoupling (e.g. psychological reduction of cost barriers through digital payment integration and instalment facilities) of the consumer.

Endogenous Variable: "*Impulsive Buying*", was the behavioural outcome, which included spontaneous, unplanned acquisition tendencies and self-reported frequency of unplanned checkout.

3.3. Statistical Modelling and Bootstrapping Protocol

All data were subjected to screening, descriptive profiling and normality checks in IBM SPSS. Hypothesis testing and structural equation modelling (SEM) were then carried out using JASP with Maximum Likelihood (ML) Estimator. A non-parametric resampling method was used to explicitly examine the complex mediation pathways, and to account for possible non-normality in indirect effects. Following current methodological recommendations for mediation analysis, a bias-corrected percentile bootstrapping method was used with 5,000 resampling. Direct effects, path coefficients and indirect pathways were assessed concurrently and an indirect pathway was judged to be statistically significant when its 95% confidence interval did not include zero.

4. Data Analysis and Results

4.1. Direct Effects

The direct effects evaluation examines the unmediated relationships between the predictor constructs and the behavioural outcome (Impulsive Buying)

Direct effects						95% Confidence Interval		
			Esimate	**Std.**	**z-**	**p error**	**Lower value**	**Upper**
Marketing Stimuli	→	Impulsive Buying	0.258	0.031	8.234	< .001	0.197	0.320
Platform Features	→	Impulsive Buying	-0.094	0.034	-2.799	.005	-0.161	-0.028

Note. Estimator is ML.

The findings show that the Marketing Stimuli have a strong, statistically significant positive direct effect on Impulsive Buying ($\beta = 0.258$, $p < .001$), showing that the stimuli in marketing such as flash sales and scarcity messages are directly affecting the purchase of products without the consumer's awareness. On the other hand, Platform Features have a significant

negative direct effect on Impulsive Buying (β = -0.094, p = .005), indicating that details like user reviews can help to promote reflection and caution among consumers.

4.1. Indirect Effects (Mediation Analysis)

The indirect effects test whether Price Perception acts as an operative mechanism bridging the predictors to impulsive purchasing behaviour.

In Direct effects								95% Confidence Interval	
					Esimate	**Std. error**	**z-value**	**p**	**Lower**	**Upper**
Marketing Stimuli	→	Price Perce-ption	→	Impulsive Buying	0.020	0.007	2.949	.003	0.008	0.038
Platform Features	→	Price Perce-ption	→	Impulsive Buying	0.059	0.012	4.873	< .001	0.038	0.085

Note. Estimator is ML.

Both indirect pathways are statistically significant as their respective 95% confidence

Both indirect pathways are statistically significant as their respective 95% confidence intervals exclude 0.The indirect path through Marketing Stimuli is significant {β = 0.020, p = .003, C1 (0.008, 0.038)}, confirming that promotional urgency works partly by manipulating the supposed financial value of the deal. Likewise, the indirect path through Platform Features is significant {β = 0.059, p < .001, C1 (0.038, 0.085)}, demonstrating that informational reviews also enhance affordability perceptions to encourage purchases.

4.3. Total Effects

The total effects model totals both the direct and indirect pathways from the predictors to the outcome variable.

Total effects						95% Confidence Interval		
			Esimate	**Std.**	**z-**	**p error**	**Lower value**	**Upper**
Marketing Stimuli	→	Impulsive Buying	0.279	0.030	9.259	< .001	0.217	0.341
Platform Features	→	Impulsive Buying	-0.035	0.032	-1.097	.273	-0.101	0.028

Note. Estimator is ML.

The total effect of Marketing Stimuli on Impulsive Buying remains vigorous and significant (β = -0.279, < p = .001). However, the total effect of Platform Features becomes non-significant (β = -0.035, p = .273), reflecting opposing direct and indirect forces canceling out overall aggregate impact.

4.4. Path Coefficients

Following explains all individual path links within the mediation model framework

Path coefficients					95% Confidence Interval			
			Esimate	**Std.**	**z-**	**p error**	**Lower value**	**Upper**
Price Perception	→	Impulsive Buying	0.151	0.026	5.905	< .001	0.101	0.201
Marketing Stimuli	→	Impulsive Buying	0.258	0.031	8.234	< .001	0.197	0.320
Platform Features	→	Impulsive Buying	-0.094	0.034	-2.799	.005	-0.161	-0.028
Marketing Stimuli	→	Impulsive Buying	0.135	0.040	3.357	< .001	0.056	0.215
Platform Features	→	Impulsive Buying	0.392	0.041	9.665	< .001	0.310	0.466

Note. Estimator is ML.

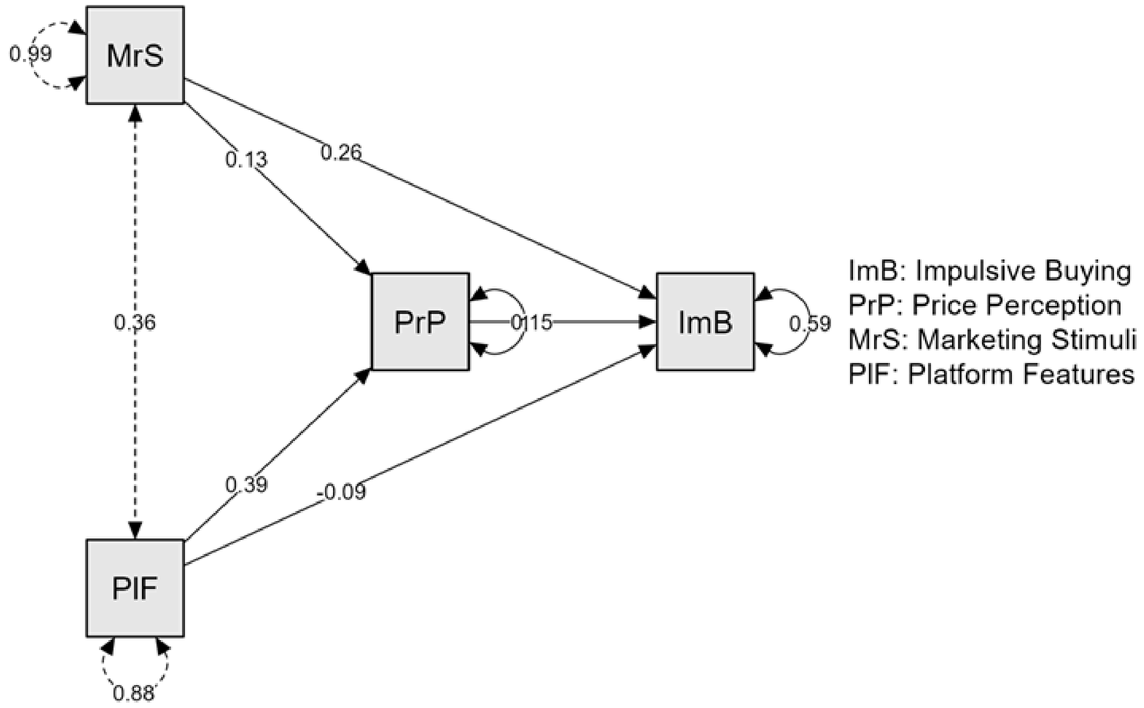

Figure : Structural Equation Modelling (SEM) Mediation Path Diagram for Online Impulsive Buying of Electronic Products

Price Perception state a significant positive effect on Impulsive Buying (β = 0.151, < p = .001). Additionally, Platform Features exhibits a unexpectedly strong positive influence on Price Perception (β = -0.392, < p = .001), indicating that review trust heavily reinforces consumer judgments regarding financial affordability.

4.5. Hypothesis Testing Result

The structural equation modelling (SEM) analysis was used to test four main hypotheses related to consumer behaviour in digital e-commerce. The hypothesized paths, empirical coefficients and statistical results are summarized below :

Hypothesis	Structural Path	Standardized Estimate (β)	p-value	Empirical Verdict
H1	Marketing Stimuli → Price Perception	0.135	< .001	**Supported**
H2	Price Perception → Impulsive Buying	0.151	< .001	**Supported**
H3	Marketing Stimuli → Price Perception Impulsive Buying	0.020	.003	**Supported**
H4	Platform Features → Price Perception Impulsive Buying	0.059	< .001	**Significantly Supported (Dual Mediation)**

- **Hypothesis 1 (Marketing Stimuli → Price Perception) : Supported.** Online stores can fool our minds in the best ways, such as the use of countdown timers, flash sales and "limited-time" labels, and it does just that.
- **Hypothesis 2 (Price Perception → Impulsive Buying : Supported.** If a consumer actually thinks that he or she is getting a big deal, the instinctive urge to buy the product is immediate with no second thoughts.
- **Hypothesis 3 (Marketing Stimuli → Price Perception → Impulsive Buying). Supported.** Urgency and a sense of urgency can push people into buying without thinking, but it can also make a high-priced product seem like a smart, "good value for money", buy now or pay later.
- **Hypothesis 4(Platform Features → Price Perception → Impulsive Buying): Significantly Supported (Dual Mediation)** We'd been inclined to believe that positive reviews would just make people wary, but the numbers show otherwise: positive reviews and expert ratings have the effect of telling shoppers that a high-ticket item is a safe, rational purchase and as a result, positively influences impulsive checkout.

Direct Influences: Marketing stimuli (flash sales, scarcity alerts) apply a significant positive direct effect on impulsive buying (β = 0.258, $p < .001$), driving spontaneous checkouts. On the other hand, platform features (customer reviews, expert ratings) shows a negative direct effect on impulsive buying (β = -0.094, p = .005), indicative ofthose informational features prompt consumer reflection and careful evaluation rather than immediate impulse.

The Mediating Role of Price Perception: The mediation analysis sanctions that economic justifications play a key role. Price perception significantly links marketing stimuli to impulsive buying {Indirect Effect = 0.020, p = .003), CI (0.008, 0.038)}, founding that scarcity cues and flash deals functions partly by altering the consumer's perceived transaction utility. Also, platform features reveal a powerful, significant indirect path through price perception (β = 0.059, $p < .001$). Rather than remaining isolated risk-mitigators, high review ratings heavily inflate price perception (β = 0.392, p < = .001), assuring consumers that high-ticket expenditures represent safe, rationalized financial investments.

5. Conclusion

The study aimed at finding the psychological and economic mechanism behind online impulsive buying of high-involvement electronic products in E-Markets in India. The study aimed to answer the question of whether the "Illusion of Affordability" can close this gap between digital retail and the haphazard acquisition of consumers, grounded in the concepts of Mental Accounting Theory and transaction utility.

The results of structural equation modelling support that marketing stimuli (flash sales, scarcity warnings) have a significant direct and indirect impact on impulsive buying. Importantly, price perception is an important partial mediator because when the price perception is successful in changing the cognitive evaluation of a deal, environmental urgency is most effective. In addition, the study found that platform features were not just about risk mitigation, but also can be a force multiplier for price perception—the verdict of positive customer reviews and expert ratings are powerful. In emerging digital markets, social proof acts like a psychological safety net; it gives the economic justification to rationalize a high ticket, spontaneous purchase.

Overall, this study provides insights into the intricate relationship among digital marketing strategies, cognitive values perceptions, and the consumer's self-control in e-commerce. A deeper comprehension of these psychology and economy mechanisms is essential for creating a healthier online consumption, helping to conduct the retail trade ethically, and avoiding financial distress by consumers.

Bibliography

- Grewal, D., Krishnan, R., Baker, J., & Borin, N. (1998). The effect of store name, brand name and price discounts on consumers' evaluations and purchase intentions. *Journal of Retailing*, *74*(3), 331–352. https://doi.org/10.1016/S0022-4359(99)80099-2
- Kahneman, D., & Tversky', A. (n.d.). *E C O N OMETRICA I C I VOLUME 47 MARCH, 1979 NUMBER 2 PROSPECT THEORY: AN ANALYSIS OF DECISION UNDER RISK*.
- Lichtenstein, D. R., Netemeyer, R. G., & Burton, S. (1990). Distinguishing Coupon Proneness from Value Consciousness: An Acquisition-Transaction Utility Theory Perspective. *Journal of Marketing*, *54*(3), 54–67. https://doi.org/10.1177/002224299005400305
- Mudambi, S. M., & Schuff, D. (2010). What makes a helpful online review? A study of customer reviews on amazon.com. *MIS Quarterly: Management Information Systems*, *34*(1), 185–200. https://doi.org/10.2307/20721420
- *(PDF) BUY NOW PAY LATER: AN EMERGING TECHNIQUE IN E-COMMERCE AND ITS IMPACT ON CONSUMERS' BUYING BEHAVIOUR*. (n.d.). Retrieved September 22, 2026, from https://www.researchgate.net/publication/400546373_BUY_NOW_PAY_LATER_AN_EMERGING_TECHNIQUE_IN_E-COMMERCE_AND_ITS_IMPACT_ON_CONSUMERS'_BUYING_BEHAVIOUR
- Plantinga, L. (n.d.). *Running head: DOUBT AND TRUST IN ONLINE CONSUMER REVIEWS I doubt, we doubt, they doubt: The influence of personalization, analytical thinking style and doubt on (dis)trust in online review advice*.
- Prelec, D., & Loewenstein, G. (1998). The Red and the Black: Mental Accounting of Savings and Debt. *Https://Doi.Org/10.1287/Mksc.17.1.4*, *17*(1), 4–28. https://doi.org/10.1287/MKSC.17.1.4
- Thaler, R. (1985). Mental Accounting and Consumer Choice. *Https://Doi.Org/10.1287/Mksc.4.3.199*, *4*(3), 199–214. https://doi.org/10.1287/MKSC.4.3.199
- Zuo, X. (2023). Applications of the Anchoring Effect in Online Shopping Festivals. *Advances in Economics, Management and Political Sciences*, *12*(1), 261–268. https://doi.org/10.54254/2754-1169/12/20230633

SHODH-GARIMA–YEAR-3, VOL. 3 (July to Sept., 2026)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal

ISSN (Print) : 3048-6327
IMPACT-FACTOR SJIF - 6.852
DOI : 10.5281/zenodo.23178051

Paper Received : 10th Sept. 2026 **Paper Accepted : 18th Sept. 2026**

छत्रचूड़ामणि ग्रन्थ में वर्णित नैतिक सूक्तियाँ

□ प्रशांत वसंत उकलकर*
□ प्रो. ऋषभचन्द्र जैन**

शोध-सारांश

नैतिक सूक्ति भारतीय संस्कृति में प्रचलित नीति वचन है, जो मानव चरित्र, चरित्र निर्माण, कर्त्तव्य और सामाजिक मूल्यों के विकास में शिरोधार्य है। नैतिक सूक्तियाँ उचित आचरण का हिस्सा होती हैं और इन्हें जीवन जीने की कला माना जाता है जो नैतिकता के सिद्धान्तों को सरल शब्दों में प्रस्तुत करती हैं।

नैतिक सूक्तियाँ मानव के व्यवहार के मानदण्ड होती हैं। ये मानवीय आचरण को दिग्दर्शित करके सम्यक् अवबोध कराने वाली संक्षिप्त सारगर्भित और शिक्षा प्रद वाक्य होते हैं। प्रमुख तत्वों में ईमानदारी, सत्यता, न्याय, समानता, दया, सहानुभूति, अचौर्य, परोपकारिता, आत्मानुशासन और उत्तरदायित्व जैसे गुणों को गुम्फित किया गया है।

नैतिक सूक्तियों की आवश्यकता

नैतिक सूक्तियाँ सुविचार जीवन की समग्रता की पहचान हैं। जीवन में सही गलत का भेद सिखाने चरित्र निर्माण और मानसिक मजबूति के लिए अत्यन्त आवश्यक अनिवार्य तत्व हैं। ये मार्गदर्शन प्रदान कर व्यक्ति को ईमानदारी सहानुभूति व कर्त्तव्यनिष्ठा जैसे मानवीय मूल्यों के प्रति प्रेरित करती हैं, जिससे समाज में सद्भाव न्याय और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा मिलता हैं।

नैतिक सूक्तियों के प्रकार

नैतिक सूक्तियाँ जीवन को व्यवस्थित मार्ग दर्शित करने वाली संक्षिप्त और सारगर्भित वाक्य हैं। जिन्हें मुख्य रुप से चार प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है आदर्शवादी (उच्च नैतिक मूल्य) व्यावहारिक (दैनिक जीवन के प्रयोग) उपदेशात्मक (सीख/शिक्षा) और दार्शनिक (सत्य ज्ञान) से व्यक्ति के चरित्र निमार्ण और यथार्थ वास्तविक निर्णय लेने और सामाजिक संतुलन में सहायक हैं।

नैतिक सूक्तियों की वर्तमान प्रासंगिकता

नैतिक सूक्तियाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण के साथ साथ समाज के नैतिक पतन को अवरोधित करती हैं। व्यक्ति स्वार्थ लोभ असत्यता पूर्ण व्यवहार में अत्यधिक प्रवीणता प्रदर्शित कर रहा है। ये अन्याय अनीति पूर्ण व्यवहार क्षणिक सुखाभास है दीर्घकालिक नहीं है। दीर्घकालिक सुख तो सत्य,

* शोधार्थी (जैन और प्राकृत अध्ययन–विभाग), एकलव्य विश्वविद्यालय, दमोह (म.प्र.)
** आचार्य (जैन और प्राकृत अध्ययन–विभाग), एकलव्य विश्वविद्यालय, दमोह (म.प्र.)

अहिंसा, अचौर्य, ब्रहमचर्य, सहयोग, समन्वय, परोपकार आदि नैतिक गुणों से प्राप्त होते हैं।

नैतिक सूक्तियाँ समाज में सही गलत का भेद सिखाकर चरित्र निर्माण, मार्गदर्शन, दिशानिर्देश, और व्यक्तिगत सामाजिक विकास में आधारभूत भूमिका निर्वहन करती हैं। इनका स्वरुप लघुता एवं सारपूर्ण होने से स्मृति में प्रतिक्षण स्मरित होता है। जिससे सत्य ईमानदारी और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा मिलता है। जिससे व्यक्ति का चरित्र उज्ज्वल होता और समाज में शान्ति व सौहार्द्र का वातावरण रहता है।

प्रवचनसार में 'चरित्तं खलु धम्मो'1 जैसा नीति वाक्य कहकर नैतिक विचारों का प्रादुर्भाव किया है। तत्वार्थसूत्र में प्रसिद्ध वाक्य 'परस्परोपग्रहो जीवानाम्' अर्थात् एक जीव दूसरे जीव पर उपकार करते हैं।

'वत्थुसहावो धम्मो' वस्तु का स्वभाव ही धर्म है।

इसके अतिरिक्त अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह के भाव को लेकर भी आचार्यों ने सूक्तियाँ प्रगटित की हैं। सूक्तियाँव्यक्ति के चारित्र पल्लवन की प्रेरणा प्रदान करती हैं।

छत्रचूडामणि ग्रन्थ में नैतिक सूक्तियाँ

छत्रचूडामणि ग्रन्थ नैतिक सूक्तियों का कोश ग्रन्थ है, इसमें विभिन्न विषयों को लेकर सूक्तियां दर्शित है –

स्त्री विषयक

- अंगजायां हि सूत्यायामयोग्यं काल–यापनम्।[2]
  कन्या के जवान हो जाने पर विवाह के बिना काल बिताना अनुचित है।
- न हि भेद्यं मनः स्त्रीयाः।[3]
  स्त्रियों का मन भेद्य नहीं है।
- अंगार सदृशीनारी नवनीत समाः नराः।[4]
  स्त्रियाँ आगर समान तथा पुरुष मक्खन के समान है।

क्रोध विषयक

महाभारत के आदिपर्व में कहा गया है–

अक्रोधनो क्रोधनेभ्यो विशिष्टस्तथा
तितिक्षुर ति तिक्षो विशिष्टः।[5]

इसका आशय है कि क्रोध नही करना चाहिए हैं।

- दहेत्स्वमेव शेषाग्निर्नापरं विषयं ततः।
  क्रुध्यग्निक्षिपति स्वांगे वह्निमन्य दिधिक्षया।।[6]

क्रोध रूपी अग्नि, क्रोध करने वाले को ही जलाती है, क्रोधी जिस जीवों पर क्रोध करता है उसे नहीं जलाती। क्रोध करने वाला दूसरों को जलाने के लिए अंगारे को उठाता है तो पहले उसके ही हाथ जल जाते हैं।

पुण्य–पाप विषयक

- अहो पुण्यस्य वैभवं।[7]
  पुण्य की भी कैसी विचित्र सामर्थ्य है।
- अहो पापस्य घोरत्वं।[8]
  पाप का भयंकरपाना भी कैसा विचित्र।
- हि विकारस्य हेतौ सति तत् अभावः धीरता।[9]
  निश्चय से विकार का कारण होने पर विकारी न होना ही धीरता है।
- न हि प्रसाद खेदाभ्यां विक्रियन्ते विवेकिनः।[10]
  विवेकी पुरुष हर्ष और विषाद से विकारभाव को प्राप्त नहीं होते हैं।
- वांच्छितार्थेऽपि कातर्यं वशिनां न हि दृश्यते।[11]
  इच्छित पदार्थ में जितेन्द्रिय पुरुषों के अधीरता नहीं देखी जाती है।

दुर्जन स्वभाव

नीतिशतक में भर्तृहरि कहते है कि दुर्जन से दूर रहना चाहिए–

दुर्जनः परिहर्त्तव्यो विद्ययाकृपाऽपि सन्।
मणिना भूषितः सर्प किमसौ न भयंकरः।[12]

- अहेः नकुलवत प्रकृत्या तेषां विद्विषः।[13]
  दुर्जन पुरुष सर्प नेवले के सदृश स्वभाव से सज्जन पुरुषों के शत्रु होते हैं।

- स्पृष्टानाम हि भिर्नश्येत् गात्रं खलजनेन तु।
  वंशवैभव वैदुष्यक्षान्ति कीर्त्यादिकं क्षणात्।।[14]
  सर्पो से डरे हुए पुरुषों का केवल शरीर ही नष्ट होता है किन्तु दुर्जन, पुरुषों का सम्बन्ध करने वाले पुरुषों के कुल, सम्पत्ति, पाण्डित्य, क्षमा और कीर्त्यादिक गुण सभी नष्ट हो जाते हैं।

बुद्धि विषयक

- चला धीरेव बाधिका।[15]
  चलायमान बुद्धि ही मनुष्य के चरित्र को बिगाड़ देती है।
- हेये स्वयं सती बुद्धिर्यत्नेनाप्य सती शुभे।
  तद्धेतु कर्म तद्वन्तमात्मानमपि साधयेत।।[16]
  बुद्धि बुरे कार्य में अपने आप ही लग जाती है, किन्तु अच्छे कार्यों में प्रयत्न करने पर प्रवृत्त नहीं होती है, इस प्रवृत्ति का कारण कर्म ही है जो आत्मा को भी अपने समान ही कर देता है।

सज्जन पुरुष विषयक

नीतिशतक में लिखा है कि सज्जन पुरुष मन वचन काय से अमृत पूर्ण होते है–

- मनसि वचसि कार्ये पुण्य पीयूष पूर्णाः
  त्रिभुवनमुपकारश्रेणिभिः प्रीणयन्तः।।[17]

क्षत्रचूडामणि में लिखा है कि–

- हेत्वन्तर कृतोपेक्षे गुणदोष प्रवर्तिते।
  स्यातामादान हाने चेतद्धि सौजन्य लक्षणम्।।[18]
  केवल गुण और दोष से प्रवर्तित किसी वस्तु का ग्रहण और त्याग हो तो निश्चय से वह ही सज्जनता का लक्षण है।

मृत्यु विषयक

- हि अत्रलोके प्राण प्रयाण वेलायां प्रतिक्रिया न।[19]
  इस संसार में प्राणों के निकलते समय मृत्यु को रोकने का कोई उपाय नहीं है।
- सत्यायुषि हि जायेत प्राणिनां प्राण रक्षणम्।[20]
  आयु के रहने पर प्राणियों के प्राणों की रक्षा हो ही जाती है।

रामायण में लिखा है कि जन्म भूमि श्रेष्ठ है–

- जननी जन्मभूमि गरीयसी।[21]
  छत्रचूडामणि ग्रन्थ में लिखा है–
- स्वदेशे हिशशप्रायो बलिष्ठः कुञ्जरादपि।[22]
  निश्चय से अपने स्थान पर खरगोश के समान तुच्छ प्राणी हाथी से भी बलवान होता है।
- करुणा कृति सम्भवा।[23]
  विद्वानों से उत्पन्न दया दोषों के सम्बन्ध से रहित होती है।

उपकार विषयक

- उपकार स्मृतिः कस्य न स्यान्नो चेद चेतनः।[24]
  उपकार का स्मरण किसे नहीं होता यदि वह अचेतन नहींतो ?
- प्रतिकर्तुं कथं नेच्छेदुपकर्तुः सचेतनः।[25]
  सचेतन प्राणी अपने उपकार करने वाला का प्रत्युपकार करने के लिए कैसे इच्छा नहीं करें? वह तो इच्छा करता ही है।

शौर्य विषयक

श्रीमद् भागवत्गीता में शौर्य के विषय में बहुत ही मार्मिक उपदेश दिया गया है–

शौर्यं तेजो धृति र्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायमानम्।
छानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्।।[26]

क्षत्रचूडामणि ग्रन्थ लिखा है कि–

- मृगाः किं नाम कुर्वन्ति मृगेन्द्रं परितः स्थिताः।[27]
  सिंह के चारों ओर घेरकर खड़े हुए हिरण सिंह का क्या कर सकते हैं?
- न हि स्ववीर्य गुप्तानां भीतिः केसरिणामिव।[28]
  अपने पराक्रम से सहित पुरुषों को सिंहो की तरह भय नहीं होता है।

मित्रता विषयक

नीतिशतकम में कहा गया गया है कि मित्र पाप कार्यों से दूर करता है–

पापान् निवारयति भोजयते हिताय।
गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति।।[29]

छत्रचूडामणि ग्रन्थ में कहा गया है कि–

- सर्वथा शत्रु भावश्च सर्वमेतद्धि कल्पना।[30]
  सर्व प्रकार से मित्रता और शत्रुता नहीं होती है यह सब कल्पना मात्र है।

छत्रचूड़ामणि ग्रन्थ में जीवन्धर कुमार के कथानक को रखकर सूक्ति रत्न अवतरित किये हैं। सूक्ति रत्न किसी एक विषय से सम्बन्धित नहीं हैं। यह सूक्तियों अनेक प्रकार के विषयों को योजित करके प्रस्तुत हैं। इन सूक्तियों को मानव अपने जीवन में अवतरित कर ले तो उसका सम्पूर्ण जीवन अलौकिक मोक्ष गम्य हो जायेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. प्रवचनसार, गा. 7
2. छत्रचूड़ामणि, वादीभसिंह, 3/38
3. वही 4/27,
4. वही 7/41,
5. महाभारत, आदिपर्व, 6
6. छत्रचूड़ामणि, वादीभसिंह, 2/43
7. वही 5/7,
8. वही 2/22,
9. वही , 2/41
10. वही , 8/25,
11. वही ,8/72
12. नीतिशतक, 73
13. छत्रचूड़ामणि, वादीभसिंह, 2/17
14. वही, 2/48
15. वही, 2/54,
16. वही, 1/77,
17. नीतिशतक, 79
18. छत्रचूड़ामणि, वादीभसिंह, 4/24
19. वही, 2/57,
20. वही, 3/19,
21. रामायण, 124/17
22. छत्रचूड़ामणि, वादीभसिंह, 6/4
23. वही, 7/34
24. वही, 4/12
25. वही, 4/14
26. श्रीमद् भागवतगीता, 18/43
27. छत्रचूड़ामणि, वादीभसिंह, 5/18
28. वही, 5/32
29. नीतिशतक, 73
30. क्षत्रचूड़ामणि, वादीभसिंह, 1/61

SHODH-GARIMA–YEAR-3, VOL. 3 (July to Sept., 2026)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal

ISSN (Print) : 3048-6327

IMPACT-FACTOR SJIF - 6.852

DOI : 10.5281/zenodo.23178120

Paper Received : 20th Sept. 2026 **Paper Accepted : 24th Sept. 2026**

वैदिक संस्कृति और आदिवासी परम्परा

□ प्रो. सूर्य नारायण गौतम 'वेदाचार्य'*

शोध-सारांश

भारत में आदिवासी शब्द बहुत प्राचीन नहीं है', यह वैदिक, रामायण, महाभारत या पुराणों में नहीं मिलता। प्राचीन ग्रन्थों में इनके लिए निषाद, किरात, भील, शबर, कोल, वनवासी, गिरिजन, आटविक जैसे शब्द मिलते हैं। प्रस्तुत शोध से यह पता चलता है कि, मरकाम–मार्कण्डेय, उरांव–कच्छप या कश्यप, धुर्वे–ध्रुव–अत्रि, टेकाम–शुकदेव, मरावी–मरिचि। यह समानता सिद्ध करती है कि आदिवासीय गोत्र व्यवस्था वैदिक ऋषि परम्परा का ही वन–संस्करण है।

मुख्य शब्द– वैदिक संस्कृति, आदिवासी परम्परा, गोत्रावली।

इतिहासकारों के अनुसार 1930 में अंग्रेजों की फूट डालने की नीति के तहत इस शब्द को लाया गया था, ऐसा राजस्थान के जनजातीय मंत्री ने भी कहा है।वास्तव में इस शब्द को लोकप्रिय बनाया 'ठक्कर बापा (अमृतलाल विट्ठलदास ठक्कर) ने। 1930–40 के दशक में उन्होंने भीलों और गोंड समुदायों के कल्याण कार्य के दौरान आदि–वासी = आदि काल से वास करने वाले अर्थ में प्रयोग किया। इस शब्द की शुरुआतब्रिटिश जनगणना में हुई–

1871 की जनगणना में इन्हें Aborigines (मूल निवासी) कहा गया।

1881–1891 में *Aboriginal (आदिवासी)' शब्द लिखा गया।

1901–1921 तक Animist (जीवात्मवादी)

1931 में पहली बार Tribal Religion/ Tribe शब्द आया।

संविधान में आदिवासी शब्द की स्थिति

संविधान सभा में जयपाल सिंह मुंडा ने 'आदिवासी'शब्द को शामिल करने की मांग की थी, पर संविधान में अंत में अनुसूचित जनजाति ैबीमकनसमक ज्तपइम) शब्द रखा गया। आज भी सरकारी दस्तावेजों मैंज्शब्द ही मान्य है, आदिवासी नहीं। संक्षेप मेंएक शब्द के रूप में 1930–38 के बीच इसका राजनीतिक–सामाजिक प्रयोग शुरू हुआ और स्वतंत्रता के बाद 1950 के बाद आम बोलचाल में फैल गया।

आदिवासी शिक्षा प्रणाली

आदिवासियों की शिक्षा प्रणाली में दो बिन्दु मुख्य हैं–1. धुमकुड़िया और 2. अखड़ा ये दोनों मिलकर एक गुरुकुल बनते हैं–

धुमकुड़िया

भिन्न–भिन्न विद्वानों द्वारा दिये गए धुमकुड़ियाके शाब्दिक अर्थ, जिसमें सबसे प्रामाणिक व्युत्पत्ति

* आचार्य (संस्कृत–विभाग), एकलव्य विश्वविद्यालय, दमोह, (म.प्र.)

Journal Starting Year-**2024**, Frequency- **Quarterly**, Subject- **Multidisciplinary**, Language-**Hindi & English**, Publishers- **Sushil Kumar Kushwaha**, Publishing Body- **G.H. Publication**, Prayagraj, U.P.-211003 (India), Email Id:- **ghpublication@gmail.com**, **Mob.: 9532481205, 9807520344**

1. **S.C. Roy** के अनुसार–

धुम– कुरुख भाषा में धुम का अर्थ है– 'जमावड़ा, एकत्र होना, इकट्ठा होना'

कुड़िया– कुड़िया – कुडिया का अर्थ है– 'घर, झोपड़ी, स्थान'

अर्थ हुआ– एकत्र होने का घर या युवाओं के जमावड़े का घर।[1]

2. **Verrier Elwin** के अनुसार–

Elwin ने धुमकुड़िया की तुलना बस्तर के घोटुल से की और अर्थ बताया–

धुमकुड़िया का संबंध धुमकना से भी है– जिसका अर्थ है 'धूम–धाम करना, नाच–गान करना'इसलिए धुमकुड़िया = 'जहाँ धूम–धाम, नाच–गान होता है वह घर।[1]

3. डॉ. हीरालाल शुक्ल के अनुसार (भाषा–विज्ञान)–शुक्ल जी संस्कृत से जोड़ते हैं–

धूम + कुटी + इया= धूमकुटिया

धूम = धुआँ, अग्नि (वैदिक हवन का धुआँ)

कुटी = कुटिया

इया = प्रत्यय– जहाँ है

अर्थ–जहाँ सदा धूनी (अग्नि) जलती रहती है वह कुटिया।

शुक्ल जी प्रमाण देते हैं– धुमकुड़िया में बीच में सदा आग (धूनी) जलती रहती है, जैसे वैदिक गुरुकुल में धूनी। उरांव लोग आज भी उसे धुनी कुड़िया कहते हैं।[2]

4. बैदिक शब्दकोष के अनुसार–

वैदिक शब्द 'ध्रुव–कुटी' (ध्रुव=स्थिर, कुटी=घर) का अपभ्रंश धुमकुड़िया है। अर्थ स्थिरध्स्थायी युवाओं का घर, जहाँ युवक ब्रह्मचर्य काल में स्थिर रहते हैं।[3] यह वैदिक 'ब्रह्मचर्याश्रम' का ही पर्यायवाची शब्द है।

अखड़ा

यह धुमकुड़िया का ही बाहरी रूप है। ध ुमकुड़िया घर है, अखड़ा उसका आंगन है।अखड़ा का शाब्दिक अर्थ

व्युत्पत्ति– अन्य ग्रंथों से–

मुंडारी में अर्थ ='नाचना, खेलना, कूदना, शब्द करना' ड़ा प्रत्यय है जिसका अर्थ है 'स्थान' अर्थ हुआ= नाचने–खेलने का स्थान।[4]

संथाली में अखड़ा = अखरा– अर्थ– साफ–सुथरा किया हुआ गोल स्थानजहाँ धूल हटाकर लीप–पोतकर नृत्य के लिए तैयार किया जाता है। संस्कृत से तुलना

संस्कृत अक्ष+वाट=अक्षवाट–अखड़ा

अक्ष = चौसर खेलने का स्थान ध सभा–स्थान (ऋग्वेद में अक्षवाट का उल्लेख है)

वाट = घेराध्बाड़ी

अर्थ– 'सभा और खेल का घेरा' – वही जो वैदिक सभा थी।

सार– अखड़ा = नृत्य, सभा और खेल का पवित्र गोल स्थान।[5]

अखड़ा में होने वाले 8 क्रियाकलाप

1. नृत्य–गीत (मुख्य कार्य)– रोज शाम को युवक–युवतियां करमा, जदुर, सरहुल नृत्य करते हैं।ढोल–मांदल बजना, करमा गीत गाना।

2. न्याय–पंचायत (वैदिक सभा जैसा)– गांव का कोई झगड़ा, जमीन, चोरी आदि का फैसला अखड़ा में ही होता है। बूढ़े 'महतो'सबके बीच में बैठते हैं, सब गोल घेरे में होते हैं, इसे अखड़ा पंचायत कहते हैं।[6]

3. विवाह–तय और युवक–युवती परिचय– अलग–अलग गांव के लोग अखड़ा में परिवार तथा सम्बन्धियों सहित मिलते हैं, यहीं लड़के–लड़कियों के रिश्ते तय होते हैं।[7] इसे'अखड़ा–देखनी' कहते हैं।

4. पर्व–त्योहार की तैयारी– सरहुल में साल वृक्ष की पूजा, करमा में करम डाली लाना इत्यादि सब योजनाएँ अखड़ा में बनाती जाती हैं।महुआ बीनने, धान काटने का दिन तक सभी काम इसी समय तय होते हैं।[8]

5. युद्ध और शिकार का प्रशिक्षण– पुराने समय में युवकों को तीर चलाना, लाठी चलाना अखड़ा में सिखाया जाता था।शिकार पर जाने से

पहले रणनीति यहीं बनती थी।[9]

6. अतिथि–सत्कार– बाहर से कोई अतिथि आए तो उसे अखड़ा में ही ठहराया जाता था, वहीं पारंपरिक नाच–गान से उस अतिथि का स्वागत करने की प्रथा थी।10

7. देव–पूजा–

अखड़ा के बीच में एक पत्थर होता है जिसे–अखड़ा देव/चांदो देव कहते हैं। नृत्य से पहले उसे महुआ और सिंदूर चढ़ाया जाता है। यह ग्राम–देवता है।

8. सामुदायिक श्रम (सहकार्य)– किसका खेत कब काटना है, तालाब कब खोदना है– यह निर्णय अखड़ा में सामूहिक रूप से होता है।

धुमकुड़िया और अखड़ा में अंतर

धुमकुड़िया तथा अखड़ा मिलकर भादौं के एक जीवनोपयोगी उत्सव के दो भाग है, धुमकुड़िया में सीखते हैं, अखड़ा में दिखाते हैं।

देव एवं प्रतीक

बूढ़ादेव का प्रतीक– साजा वृक्ष– ब्रह्मा का प्रतीक– कमल– दोनों सृष्टि के प्रतीक।

बड़ादेव का प्रतीक–बरगद वृक्ष (अक्षय)– विष्णु का प्रतीक–बरगद (अक्षयवट) दोनों अमरता के प्रतीक।

महादेवका प्रतीक–लिंग, पत्थर–शिव का प्रतीक– शिवलिंग–दोनों एक ही। म्सूपदलिखते हैं गोंड लोग लिंग को कुपर लिंगो कहते हैं।[11]

पूजा–पद्धति में समानता

वैदिक त्रिदेव पूजा जनजातीय त्रिदेव पूजा में समानता–

ब्रह्मा को– पुष्प, जल बूढ़ादेव[12] को– सफेद फूल, नदी जल।

विष्णु को– तुलसी, नैवेद्य बड़ादेव को– बरगद पत्ता, महुआ लाटा

शिव को– बेलपत्र, भस्म महादेव[13] को– महुआ पत्ता, राख (भस्म)

यह सूची जनजातीय धर्म का विश्वकोशहै।[14]

सबसे बड़ा प्रमाण– लिंगो और शिव[15]

बूढ़ादेव, बड़ादेव, महादेव – यह वैदिक त्रित (त्रि–देव) का ही रूप है। ऋग्वेद 1.105 में ऋत्रि–देव का उल्लेख है।[16]

अन्य विद्वानों की दृष्टि में–

1. डॉ. वेरियर एल्विन "Gonds did not borrow from Hindus, Hindus borrowed from Gonds. Budhadev is older than Brahma in oral tradition."[17]

2. महाश्वेता देवी 'जंगल के दावेदार' नामक पुस्तक में लिखती हैं– आदिवासी महादेव को बड़ा बाबा कहते हैं, वही शिव महादेव हैं। दोनों जंगल में रहते हैं, दोनों भोले हैं।इस प्रकार अन्य 8 ग्रंथों से सिद्ध होता है–

बूढ़ादेव = ब्रह्मा (सृजन)

बड़ादेव = विष्णु (पालन)

महादेव = शिव (संहार और मोक्ष)

ये तीनों वैदिक त्रिमूर्ति के ही वनवासी नाम हैं।

जनजातीय लोकगीत एवं वैदिक सामवेद

आदिवासी लोकगीत वैदिक सामवेद के ही लोक–रूप हैं। विंध्य अंचल के 4 वर्गों में अन्य विद्वानों द्वारा संकलित प्रामाणिक लोकगीतों में देव, वन्यजीव, कृषि, लोकजीवन है–

1. देव–विषयक गीत

घंशानदेव गीत (गोंडी)

घंसा बाबा डोंगर मा, तोर चौरा हरियाय
तोर बिना जंगल सूना, पत्ता नहीं हिलाय।[18]

भावार्थ– घंशा बाबा पहाड़ पर हैं, उनका चौरा हरा–भरा है। उनके बिना जंगल सूना है। यह अथर्ववेद के अरण्यानी सूक्त (10.146) का लोक–अनुवाद है।

बूढ़ी माई का जल–गीत (बैगा)

बूढ़ी माई के कुइया मा, निर्मल पानी हो।
जे पीये उहै जाने, माई के बानी हो।।[19]

अर्थ– माई के कुएँ का जल निर्मल है, जो पीता है वही माई की वाणी समझता है। यह जल–संरक्षण का गीत है।

2. वन्यजीव–विषयक गीत

बाघ देव का गीत (गोंड)

बघौत राजा गुर्राय, सगरी रात डराय
हम तो तोका पूजिला, खेतवा ना खाय।[20]

अर्थ– बघौत राजा रात भर गुर्राता है, हम तुम्हें पूजते हैं, हमारे खेत मत खाओ। यह मानव–वन्यजीव सह–अस्तित्व का गीत है।

मोर और महुआ (करमा गीत)

मोर नाचे मड़वा मा, महुआ टपके हो
बन के राजा नाचेला, देख के हरषे हो[21]

यह गीत वसंत में गाया जाता है– मोर नृत्य और महुआ टपकना– यह ठपवकपअमतेपजल का उत्सव है। वैदिक ऋतु–गीतों जैसा।

कृषि गीत

ठाकुर देव ला मनावा, बीज धरती मा बोवा
धरती माई हरियावे, अन्न धन होवा[22]

अर्थ– ठाकुर देव को मनाकर बीज धरती में बोते हैं, धरती माई हरी होती है, अन्न–धन होता है। यह वैदिक कृषि सूक्त[23] का अनुवाद है।

फसल कटाई का गीत (ददरिया)

धान कटे खेत मा, हँसिया चमके हो
ठाकुर देव के किरपा से, कोठी भरके हो[24]

लोकजीवन गीत–(जन्म, विवाह, जीवन)

जन्म गीत (बधावा)–

आंगन मा बाजे बधाई, ललना जनम लिहिस
साजा के पेड़ तरे, दाई लोरी गाविस[25]

जन्म पर साजा वृक्ष के नीचे लोरी–वृक्ष और मनुष्य का जन्म–बंधन।

विवाह गीत (करमा)–

करमा डार काटे गे, भादो परब मनावा गे
भाई–बहिन नाचे गे, जंगल जीवना गे[26]

करम वृक्ष की डाल काटकर भादो पर्व मनाना

यह वृक्ष–पूजा और सामुदायिक जीवन का गीत है। डॉ. हीरालाल शुक्ल जनजातीय संस्कृति के जनजातीय लोकगीतों में 4 स्थायी तत्व बताते हैं, जैसे– देव, जंगल, खेत और मनुष्य। यही चतुर्वर्ण नहीं, चतुर्भुज संस्कृति है।[27] लोकगीतों में घंशानदेव के माध्यम से वन–संरक्षण बूढ़ी माई के माध्यम से जल–संरक्षण और ठाकुर देव के माध्यम से कृषि–संरक्षण की त्रयी मिलती है। यह वैदिक त्रयी –जल, थल, वनका ही लोक–रूप है।

जनजातीय समाज और वैदिक गोत्र समानता

जनजातीय एवं वैदिक ऋषियों की गोत्र समानता अखंड भारतीय संस्कृति का प्रमाण है।वैदिक काल में गोत्र का अर्थ था– किसी महान ऋषि के वंश/शिष्य परम्परा से जुड़ना। वही व्यवस्था जनजातीय टोटम/किली/गोत्र व्यवस्था में भी सुरक्षित है।

प्रमुख समानताएँ–

गोत्र का आधार समान दोनों में गोत्र बहिर्विवाह (अपने गोत्र में विवाह निषेध) का नियम है। यह वैदिक ऋषियों ने ही दिया।ऋषि ही मूल हैं– जनजातियाँ स्वयं को किसी ऋषि, नदी, वृक्ष, पशु से उत्पन्न मानती हैं, जैसे वैदिक गोत्र ऋषि से। वैदिक ऋषि तथा उनके गोत्र जनजातीय समुदाय में समान है–

1. भील– गोंड समाज में, आज भी 70% से अधिक गोत्र सीधे वैदिक सप्तर्षियों के नाम पर हैं। जैसे– कश्यप गोत्र वाले भील अपने को कश्यप ऋषि के वंशज मानते हैं।

2. मीणा– मीणाओं के सभी गोत्रों में वशिष्ठ, गौतम, कश्यप, भारद्वाज आदि सम्मिलित हैं। उनके बही–भाट आज भी वैदिक गोत्रावली बोलते हैं।

3. संथाल–मुंडा– इनमें 'किली' व्यवस्था है जो गोत्र ही है। किली के नाम ऋषि, पशु, पौधों पर हैं– जैसे हंसदा, मुर्मू, सोरेन– जो वैदिक टोटमवाद से मिलते हैं।

आदिवासीय 10 गोत्र, वैदिक ऋषि समानता

आदिवासी गोत्र एवं वैदिक ऋषि से संबंध

1. मरकाम गोंड हैं, इनके ऋषि'मार्कण्डेय हैं, मरकाम=मार्कण्डेय का अपभ्रंश है। गोंड महाकथाओं में मरकाम ऋषि को अमर ऋषि कहा गया है, जैसे मार्कण्डेय पुराण में उनके अमर होने की कथा वर्णित है।

2. उरांव– और्व, कच्छप कश्यप गोत्र कश्यप ऋषिउरांव जनजाति का सबसे बड़ा गोत्र कच्छप (कछुआ) है। कच्छप=कश्यप ऋषि का प्रतीक। कश्यप को सृष्टि का कछुआ अवतार माना जाता है।

3. धुर्वे– गोंड ध्रुव अत्रि ऋषि, धुर्वे गोत्र के लोग ध्रुव तारे को अपना गुरु मानते हैं। ध्रुव उत्तानपाद के पुत्र तथा अत्रि ऋषि के वंशज हैं। वैदिक ध्रुव–तारा उपासना से जुड़ा है।

4. टेकाम– गोंड शुकदेव व्यासटेकाम गोत्र तोते (टुईया) को टोटम मानता है। शुक=तोता, शुकदेव मुनि व्यास पुत्र, जिनका चिन्ह तोता है।

5. मरावी– गोंड होते हैं तथा इनके ऋषि मरिचि हैं, मरिचि सप्तर्षियों में एक कश्यप के पिता हैं। मरावी = मरिचि का अपभ्रंश है, गोंड में मरावी सबसे प्राचीन गोत्र है।

6.उइके– गोंड उशिक या उशना (शुक्राचार्य) उइके गोत्र उल्लू (उलूक) टोटम मानता है। उलूक शुक्राचार्य का वाहन है।

7. सोड़ी सोरी– गोंड, शौनक सौर ऋषि,सोरी सूर्यवंशी हैं, सूर्य उपासक। वैदिक सौर ऋषि परम्परा, शौनक ऋषि के वंशज हैं।

8. कंवर– कंवर जनजाति के ऋषि कण्व हैं कंवर अर्थात कण्व ऋषि के वंशज। कण्व ऋषि ने शकुंतला का पालन किया था। छत्तीसगढ़ के कंवर आज भी कण्व गोत्र बोलते हैं।

9. नगर्ची, नाग– भील हैं, ये पतंजलि, शेषनाग, अनंत ऋषि को मानते हैं। नाग गोत्र के लोग नाग देवता की पूजा करते हैं। वैदिक ऋषि पतंजलि को शेषनाग का अवतार मानते हैं।

10. पोर्ते– राजगोंड पुलस्त्य ऋषि– पोर्ते = पुलस्त्य का अपभ्रंश। पुलस्त्य सप्तर्षि, रावण के पितामह। गोंड राजाओं का यह राजगोत्र है।

निष्कर्ष

जनजातीय समाज वैदिक समाज से अलग नहीं, बल्कि वैदिक ऋषि परम्परा के सबसे प्राचीन वाहक हैं। अंग्रेजों ने 'Tribal vs Vedic' का भेद पैदा किया। सत्य यह है कि जनजातीय= वनवासी वैदिक ऋषि परम्परा है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. The Oraons of Chota Nagpur - S. C. Roy (1915), च. 177
2. The Muria and their Ghotul - Verrier Elwin (1947) p.12
3. ग्रंथ मध्यप्रदेश के आदिवासी– भाषा और संस्कृति– डॉ. हीरालाल शुक्ल, पृ.128
4. वैदिक कोश– पं. भगवद्दत्त, पृ. 212 और S.C. Roydk तुलनात्मक नोट
5. संथाली–हिन्दी शब्दकोश–डॉ. मार्टिन ओरांव, पृ. 23
6. डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल (पृ. 89)
7. Tribal Panchayats - K.S. Singh, p. 98
8. Munda Festivals - Jagdish Trigunayat, p. 112
9. Tribal Festivals of Bihar – L.P. Vidyarthi p. 89
10. The Baiga - Verrier Elwin, p. 167
11. Chota Nagpur Gazetteer (1910), p. 112
12. Vedic and Tribal Rituals - Anthropological Survey of India (1988)
13. डॉ. सुनीति कुमार चटर्जी (1974)– बूढ़ादेव शब्द बुद्धदेव नहीं, वृद्धदेव है, अर्थात् सबसे वृद्धदेव– यही ब्रह्मा का लक्षण है– पितामह।
14. महाश्वेता देवी (जंगल के दावेदार, पृ. 89)
15. डॉ. ब्रह्मदेव शर्मा, पृ. 156
16. हिन्दू सभ्यता में आदिवासी योगदान– डॉ. गोविंद चंद्र पांडे, पृ. 73
17. डॉ. वेरियर एल्विन (1943)
18. Tribal Songs of Central India - Verrier Elwin (1944), p. 112.
19. मध्यप्रदेश के जनजातीय गीत– डॉ. हीरालाल शुक्ल, पृ. 78
20. The Baiga - Verrier Elwin, p. 204
21. Folk Songs of the Maikal Hills .W. G. Archer (1947)
22. छत्तीसगढ़ी और विंध्य के लोकगीत – डॉ. श्याम परमार, पृ. 102
23. ऋग्वेद संहिता 4.57
24. सिंगरौली के लोकगीत–डॉ. शिवकुमार तिवारी (1998)
25. Gonds of Andhra Pradesh - Christoph von Furer&Haimendorf_
26. Folk Culture of Bastar- L. S. Nigam, p. 67
27 डॉ.हीरालाल शुक्ल (जनजातीय संस्कृति, पृ. 112)

SHODH-GARIMA–YEAR-3, VOL. 3 (July to Sept., 2026)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal

ISSN (Print) : 3048-6327

IMPACT-FACTOR SJIF - 6.852

DOI : 10.5281/zenodo.23178183

Paper Received : 20th Sept. 2026 **Paper Accepted : 24th Sept. 2026**

आंचलिकता की अवधारणा, स्वरूप और साहित्य

□ धीरेन्द्र यादव*
□ डॉ. आलोक यादव**

शोध-सारांश

आंचलिकता हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण साहित्यिक अवधारणा है, जिसका संबंध किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र विशेष के सत्य का उद्घाटन करता हुआ जीवन है, जो किसी एक परिवेश विशेष नहीं वरन् उस खंड के समग्र क्षेत्रीयता का प्रतीक है। आंचलिक साहित्य किसी क्षेत्र का केवल भौगोलिक विवरण प्रस्तुत नहीं करता बल्कि उस अंचल में रहने वाले लोगों की सामूहिक चेतना, जीवन संघर्ष, सुख–दुःख, विश्वास, लोकमान्यताओं और सांस्कृतिक अस्मिता को रचनात्मक अभिव्यक्ति देता है। डॉ. राजेन्द्र कुमार सेन के अनुसार– ''आंचलिकता का विकासक्रम अंचल, आंचलिक और आंचलिकता के रूप में हुआ है।''[1] अतः हमें सर्वप्रथम अंचल के विषय में समझना चाहिए।

प्रस्तुत आलेख में आंचलिकता की अवधारणा, उसके स्वरूप, विशेषताओं तथा हिंदी साहित्य में उसके विकास और महत्व को व्याख्यायित किया गया है।

बीज शब्द– अंचल, आंचलिक, आंचलिकता, भू–भाग, लोकजीवन, लोक–संस्कृति, लोकभाषा, लोकसंवेदना, ग्रामीण जन–जीवन, भौगोलिक पर्यावरण, सांस्कृतिक परिवेश, सांस्कृतिक अस्मिता, प्रकृति, समाज, आंचलिक उपन्यास।

प्रस्तावना

साहित्य समाज और जीवन का वह सृजनात्मक प्रतिबिंब है जिसमें मनुष्य की सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक जीवन की अभिव्यक्ति दिखाई देती है। अर्थात् हम कह सकते हैं कि आंचलिक साहित्य उसी साहित्य का एक सृजनात्मक प्रतिबिंब है जिसमें किसी अंचल विशेष की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति, उसकी संस्कृति, लोकजीवन, लोकभाषा, लोकसंवेदना, लोकविश्वास, रीति–रिवाज, सामाजिक व सांस्कृतिक संरचना, ग्रामीण जन–जीवन तथा प्रकृति के साथ समग्रता से उसे चित्रित किया जाता है। जिससे उस अंचल विशेष का स्वरूप निर्मित होता है। जैसा कि रामपत यादव ने कहा है– ''अंचल वास्तव में जनपद या क्षेत्र विशेष का अर्थ देता है, आंचलिक उस जनपदीय या क्षेत्रीय विशिष्टताओं का बोध देता है। आंचलिकता शब्द

* शोधार्थी, हिन्दी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
** सहायक आचार्य, हिन्दी विभाग, शिया पी0जी0 कॉलेज, लखनऊ

इस विशिष्ट अर्थबोध की आंचलिक भावाभिव्यक्ति का संकेत करता है।''[2] अतः आंचलिकता को केवल 'संक्षिप्त भू–भाग मात्र' या 'किसी क्षेत्र विशेष का वर्णन मात्र' मानना उसके व्यापक साहित्यिक अर्थ को संकुचित करने जैसा होगा।

1. आंचलिकता की अवधारणा

आंचलिकता शब्द 'अंचल' से बना हुआ है। अंचल शब्द का अर्थ विभिन्न कोशों में अलग–अलग दिया हुआ है। वृहत हिंदी कोश में अंचल का अर्थ– ''वस्त्र का छोर, साड़ी, ओढ़नी आदि का वह भाग जो छाती और पेट पर रहता है, आँचल, छोर, देश का प्रांत भाग, कोना, तट, किनारा आदि।''[3] पर साहित्य की परिधि में आकर 'अंचल' शब्द केवल अपने भौगोलिक आयाम को ही प्रदर्शित नहीं करता बल्कि यह एक ऐसे भू–खंड विशेष को प्रदर्शित करता है जो अपनी स्थानीय सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक या प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य प्रदेशों से भिन्नता रखते हैं। जैसा कि डॉ. ह.क. कड़वे का कथन है– ''आंचलिकता साहित्य की वह प्रवृत्ति है जहाँ किसी अंचल–विशेष की प्राकृतिक पार्श्वभूमि में वहाँ का समग्र लोकजीवन अपनी संपूर्ण गतिशीलता एवं भावमय चेतना के साथ स्थानीय बोली के माध्यम से सजीव रूप में वर्णित होता है।''[4]

हिंदी साहित्य में आंचलिकता का विकास विशेष रूप से कथा साहित्य में हुआ। आंचलिक साहित्य हिंदी कथा साहित्य की नवीनतम विधा है। इसके विकास में जहाँ एक ओर स्वातंत्र्योत्तर, राजनैतिक, सामाजिक परिस्थितियां हैं वहीं बाह्य प्रभाव भी स्पष्ट देखा जा सकता है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज में गाँव, किसान, मजदूर, निम्नवर्ग, जनजातीय समुदाय तथा ग्रामीण स्त्रियों के जीवन को साहित्य में अत्यधिक व्यापकता प्राप्त हुई। इससे साहित्य का केंद्र सामान्य व निम्न वर्ग की ओर स्थानांतरित हुआ।

2. आंचलिकता का स्वरूप

हिंदी साहित्य में आंचलिकता के स्वरूप की बात की जाए तो यह बहुआयामी है। इसके प्रमुख पक्ष निम्नलिखित हैं–

(क) भौगोलिक स्वरूप

किसी भी आंचलिक साहित्य में वहाँ के अंचल की भौगोलिक स्थिति आंचलिक रचना का आधार एवं नींव रखने का कार्य करती है। नदी, पहाड़, खेत, मिट्टी, जंगल, जलवायु, मौसम तथा प्राकृतिक संसाधन वहाँ के भौगोलिक स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं तथा वहाँ के जनजीवन को प्रभावित भी करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्रकृति न केवल आंचलिक साहित्य को सौंदर्य प्रदान करती है बल्कि वहाँ के मनुष्यों के जीवन शक्ति भी प्रदान करती है।

(ख) सामाजिक स्वरूप

आंचलिक साहित्य में वहाँ के क्षेत्र की सामाजिक संरचना उस क्षेत्र की विशिष्ट पहचान होती है। वहाँ की जाति व्यवस्था, वर्ग–संघर्ष, पारिवारिक संबंध, सामुदायिक जीवन, स्त्री–पुरुष का संबंध और सामाजिक संघर्ष तथा उस समाज में सामाजिक नियम जैसे मामले आंचलिक साहित्य के महत्वपूर्ण विषय हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आंचलिक साहित्य समाज के अनेकों व विभिन्न वर्गों को पारस्परिक संबंधों में एक साथ जोड़ने का कार्य करती है।

(ग) सांस्कृतिक स्वरूप

किसी भी आंचलिक साहित्य में उस अंचल विशेष की लोक–संस्कृति उस आंचलिक साहित्य का महत्वपूर्ण आधार होती है। जो उस अंचल विशेष के लोकपर्व, विवाह–संस्कार, जन्म–मृत्यु संबंधी परंपराएँ, लोकगीत, लोकनृत्य, लोककथाएँ और उस अंचल की धार्मिक मान्यताएँ तथा उस अंचल की सांस्कृतिक विशिष्टता को निर्मित करती हैं। जब कोई रचनाकार इस लोकसंस्कृति को अपनी रचनाओं में विशिष्ट स्थान देता है तब उस रचनाकार की रचना जीवंत बनती है।

(घ) आर्थिक स्वरूप

आंचलिक साहित्य में किसी अंचल विशेष में

हो रही कृषि, मजदूरी, पशुपालन, स्थानीय व्यवसाय, गरीबी, बेरोजगारी, सामंती संबंध और आर्थिक विषमता उस आंचलिक साहित्य के महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं। इसलिए आंचलिक साहित्य में किसी अंचल की सामाजिक–सांस्कृतिक न राजनैतिक स्थिति समझने के लिए वहाँ की आर्थिक स्थिति को समझना अत्यंत आवश्यक है।

(ङ) भाषिक स्वरूप

आंचलिक साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में वह विशेषता आती है जो वहाँ के अंचल की स्थानीय भाषा और बोली होती है। जिनका प्रयोग वहाँ के स्थानीय, ग्रामीण अथवा क्षेत्रीय लोग अपने संवादों में करते हैं। क्षेत्रीय लोग अपने स्थानीय शब्दावली, मुहावरें और बोलचाल की भाषा का बहुतायत प्रयोग करते हैं। यही उनकी जमीन से जुड़ी हुई भाषा आंचलिक साहित्य को प्रामाणिकता प्रदान करती है।

(च) लोक संवेदात्मक स्वरूप

किसी भी आंचलिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष उसकी लोकसंवेदना होती है। लोक–संवेदना सामान्य जन की सामूहिक अनुभूति होती है। जिसमें जीवन दृष्टि, सुख–दुःख, आशा–निराशा, संघर्ष और सामाजिक चेतना को प्रकट किया जाता है। जब हम आंचलिक साहित्य में लोकसंवेदना को वहाँ के स्थानीय जीवन की संवेदना के साथ प्रस्तुत करते हैं तब वह साहित्य न केवल क्षेत्रीय या स्थानीय लोगों को प्रभावित करता है बल्कि वह साहित्य समस्त मानवीय जीवन को प्रभावित करता है।

3. हिंदी साहित्य में आंचलिकता का उद्भव एवं विकास

हिंदी साहित्य में आंचलिकता की शुरुआत कथा साहित्य से माना जाता है। कुछ समीक्षकों ने शिवपूजन सहाय के 'देहाती दुनिया' (1926 ई.) को प्रथम आंचलिक उपन्यास स्वीकार किया हैं, किंतु डॉ. बदरीदास तथा गोपाल राय की दृष्टि से–''मन्नन द्विवेदी का 'रामलाल' (1914 ई.) हिंदी का प्रथम श्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास है।''[5] राजनाथ शर्मा की दृष्टि से–''सेठ बाँकेलाल प्रथम आंचलिक उपन्यास है।''[6] डॉ. सत्यपाल चुघ मानते हैं कि–''बहती गंगा प्रथम आंचलिक उपन्यास है।''[7] तो वहीं प्रतापारायण टंडन ने–''भुवनेश्वर मिश्र के 'घरारू घटना' को आंचलिक श्रेणी में डालने का प्रयास किया है।''[8] यही भ्रम कुछ लोगों को प्रेमचंद के 'गोदान' (1936 ई.) उपन्यास को लेकर भी होता है कि यह आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में आती है पर गोदान में किसी अंचल का न तो वर्णन है न ही चित्रण। इस संबंध में डॉ. रामदरश मिश्र कहते हैं–''प्रेमचंद के उपन्यासों में ग्राम–जीवन की छवि है किंतु प्रेमचंद के गाँव स्थानीय रंगत के बावजूद गाँव विशेष नहीं है, सामान्य है।''[9] वहीं हिंदी साहित्य के बहुतायत समीक्षक आंचलिकता की प्रवृत्ति का श्रीगणेश फणीश्वरनाथ रेणु के 'मैला आँचल' (1954 ई.) उपन्यास से स्वीकार करते हैं।

रेणु जी के बाद हिंदी साहित्य में अनेकों ऐसे साहित्यकार आये, जिन्होंने आंचलिकता के इस नन्हें पौधे को सींचने और उस पौधे को विस्तृत और विशाल करने में अपनी भागीदारी प्रस्तुत की। इन साहित्यकारों में नागार्जुन का 'बलचनमा', देवेंद्र सत्यार्थी का 'रथ के पहिये', रामदरश मिश्र का 'पानी के प्राचीर', शैलेश मटियानी का 'हौलदार', राजेन्द्र अवस्थी का 'जंगल के फूल' प्रमुख हैं।

वर्तमान समय में रेणु जी द्वारा लगाया गया आंचलिकता का नन्हा पौधा आज एक विशाल वृक्ष हो चुका है। आंचलिकता का स्वरूप दिन–प्रतिदिन बदलता जा रहा है। रणेन्द्र का 'ग्लोबल गाँव के देवता' उपन्यास इसका प्रमुख उदाहरण है। जिसमें भूमंडलीकरण, बाजारवाद, पलायन, विस्थापन जैसी समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है।

4. साहित्य में आंचलिकता और लोकजीवन

साहित्य में आंचलिकता और लोकजीवन का संबंध अत्यंत घनिष्ठ है। जहाँ लोकजीवन में किसी क्षेत्र के सामान्य लोगों की जीवन पद्धतियाँ, परंपराएँ व उनके विश्वासों और सामाजिक व्यवहार को सम्मिलित करते हैं वहीं आंचलिक साहित्य में

इनको साहित्यिक रूप प्रदान किया जाता है। जैसा कि मैला आँचल उपन्यास की भूमिका में फणीश्वरनाथ रेणु लिखते हैं– ''यह है मैला आँचल, एक आंचलिक उपन्यास। कथानक है पूर्णिया।''[10] अर्थात् रेणु जी पूर्णिया जिले के मेरीगंज गाँव के माध्यम से समस्त गाँवों के लोकजीवन को प्रस्तुत करते हैं। जिसमें सुंदरता भी है और कुरूपता भी। जैसा कि रेणु जी उसी मैला आँचल की भूमिका में कहते हैं– ''इसमें फूल भी हैं, शूल भी, धूल भी है, गुलाब भी, कीचड़ भी है, चंदन भी, सुंदरता भी है, और कुरूपता भी।''[11] वही हाल 'पठार पर कोहरा' उपन्यास का है, जिसमें संजीव नामक पात्र को लगता है– ''आदिवासी समाज और संस्कृति के प्रति हमारे सुसंस्कृत समाज का रवैया मनोरंजन मात्र का ही तो रहा है।''[12] अतः हम कह सकते हैं कि आंचलिक उपन्यास उन लोगों को साहित्य में स्थान दिलाने का कार्य करता है जिन्हें लंबे समय तक साहित्य के मुख्य केंद्र से बाहर रखा गया था। आंचलिक साहित्य किसान, मजदूर, ग्रामीणस्त्रियाँ, छोटे दुकानदार, कारीगर, चरवाहे, नाविक, और अन्य स्थानीय समुदाय के लोकजीवन को प्रस्तुत करती है।

5. आंचलिकता की प्रमुख विशेषताएँ

आंचलिक साहित्य की कई प्रमुख विशेषताएँ हैं जो इस प्रकार हैं –

1. आंचलिक साहित्य में लोकजीवन और लोकसंस्कृति की अभिव्यक्ति होती है।

2. आंचलिक साहित्य में लोकविश्वासों एवं लोकमान्यताओं को उपस्थित किया जाता है।

3. आंचलिक साहित्य में स्थानीय लोकभाषा और बोलियों प्रयोग होता है।

4. यहाँ स्थानीय रीति–रिवाज और परंपराओं का चित्रण किया जाता है।

5. मनुष्य और प्रकृति के बीच पारस्परिक संबंधों का प्रस्तुतीकरण।

6. विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों का सजीव वर्णन होता है।

7. आंचलिक साहित्य में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजनैतिक यथार्थ का प्रयोग होता है।

8. स्थानीय पात्रों और उनके विशिष्ट जीवन व्यवहार को प्रस्तुत किया जाता है।

9. स्थानीयता के माध्यम से व्यापक मानवीय संवेदना को प्रकट किया जाता है।

10. सामान्यजन के जीवन–संघर्ष को साहित्य के मुख्य केंद्र में रखना।

11. अंचल को ही नायक के रूप में प्रस्तुत करना।

निष्कर्ष

आंचलिक साहित्य हिंदी साहित्य की एक ऐसी साहित्यिक प्रवृत्ति है, जिसमें किसी विशिष्ट अंचल की ही नहीं बल्कि उस अंचल विशेष में रहने वाले लोगों और उनकी भाषा, संस्कृति, प्रकृति, परंपरा, संघर्ष और सामूहिक संवेदना को प्रकट किया जाता है। यह उस विशिष्ट क्षेत्र के जीवन को उसकी संपूर्णता के साथ प्रस्तुत करता है तथा सामाजिक–सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को प्रकट करता है। आंचलिक साहित्य स्थानीय लोगों की जड़ों से जुड़ी हुई है। आंचलिक साहित्य वह विशाल वृक्ष है जिसकी शाखाओं पर भारतीय समाज के अनेकों पिछड़े गाँवों, किसानों, मजदूरों, व ग्रामीण स्त्रियों के जीवन को फलने–फूलने का अवसर प्राप्त हुआ है।

आंचलिक साहित्य इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह 'विशेष' के माध्यम से 'सामान्य' जनों को अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है। यह एक गाँव, नदी, जंगल अथवा किसी क्षेत्र विशेष की कथा के भीतर भारतीय समाज और मनुष्य की समस्याओं को व्यापक दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करता है। इसीलिए आंचलिकता को संकुचित या संकीर्ण क्षेत्रीयता न मानकर व्यापक मानवीय दृष्टि से देखना व समझना चाहिए।

आज के समकालीन समय में हिंदी साहित्य में आंचलिकता का स्वरूप दिन–प्रतिदिन परिवर्तित होते जा रहा है। भूमंडलीकरण, बाजारवाद, पलायन,

विस्थापन, पर्यावरणीय संकट, तकनीकी परिवर्तन और बदलती ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने आज के अंचलों के जीवन को बहुत प्रभावित किया है। अतः हम कह सकते हैं कि समकालीन समय में आंचलिक साहित्य को केवल परंपरागत चश्में से देखना उसकी महत्वाकांक्षा को कमतर करने जैसा है। अतः हमें परंपरागत चश्में को उतारकर नये युगबोध के साथ बदलते हुए अंचल और उसके मानवीय संवेदनाओं का भी चित्रण करना चाहिए। ताकि हिंदी साहित्य में आंचलिकता जीवंत और गतिशील बना रहे।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. डॉ. राजेन्द्र कुमार सेन, हिंदी के आंचलिक उपन्यास, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, 2013, पृष्ठ संख्या– 11
2. रामपत यादव, उपन्यास का आंचलिक वातायन, चिंता प्रकाशन, राजस्थान, 1980, पृष्ठ संख्या– 38
3. कालिका प्रसाद, राजवल्लभ सहाय और मुकुन्दीलाल श्रीवास्तव, वृहत हिंदी कोश, ज्ञानमंडल लिमिटेड, वाराणसी, 1984, पृष्ठ संख्या– 05
4. डॉ. ह.क. कड़वे, हिंदी उपन्यासों में आंचलिकता की प्रवृत्ति, अन्नपूर्णा प्रकाशन, कानपुर, 1978, पृष्ठ संख्या– 27
5. डॉ. बदरीदास, हिंदी उपन्यास पृष्ठभूमि और परंपरा,ग्रंथम प्रकाशन, रामबाग, कानपुर, 1966, पृष्ठ संख्या– 352
6. डॉ. राजनाथ शर्मा, साहित्यिक निबंध, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, 1963, पृष्ठ संख्या– 375
7. डॉ. सत्यपाल चुघ, प्रेमचंदोत्तर उपन्यासों की शिल्पविधि, इफ़ाई प्रकाशन, 1968, पृष्ठ संख्या– 77
8. डॉ. प्रतापनारायण टंडन, हिंदी उपन्यास का परिचयात्मक इतिहास, विवेक प्रकाशन, 1967, पृष्ठ संख्या– 90
9. डॉ. रामदरश मिश्र, हिंदी उपन्यासः एक अंतर्यात्रा, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2002, पृष्ठ संख्या– 235
10. फणीश्वरनाथ रेणु, मैला आँचल, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1954, पृष्ठ संख्या– 05
11. वही, पृष्ठ संख्या– 05
12. राकेश कुमार सिंह, पठार पर कोहरा, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2003, पृष्ठ संख्या– 154

SHODH-GARIMA–YEAR-3, VOL. 3 (July to Sept., 2026)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal

ISSN (Print) : 3048-6327
IMPACT-FACTOR SJIF - 6.852
DOI : 10.5281/zenodo.23178250

Paper Received : 20th Sept. 2026 **Paper Accepted : 24th Sept. 2026**

मौन नरसंहार : भारत में कन्या भ्रूण हत्या का सामाजिक-कानूनी विश्लेषण

❑ डॉ. संजीव कुमार पाण्डेय*

शोध-सारांश

कन्या भ्रूण हत्या आज के भारत में लिंग-आधारित हिंसा के सबसे गंभीर रूपों में से एक है, जिसे विद्वान अब "मौन नरसंहार" (Silent genocide) के रूप में पहचान रहे हैं। यह शोध-पत्र भारत में कन्या भ्रूण हत्या के जटिल सामाजिक-कानूनी पहलुओं की पड़ताल करता है और उन सांस्कृतिक, आर्थिक, कानूनी और तकनीकी कारकों का व्यापक विश्लेषण करता है जो इस प्रथा को बढ़ावा देते हैं व्यापक अनुभवजन्य डेटा, केस स्टडीज और कानूनी मिसालों के आधार पर, यह शोध बताता है कि कैसे पितृसत्तात्मक ढांचे की गहरी जड़ें, आधुनिक चिकित्सा तकनीक और अपर्याप्त कानूनी प्रवर्तन ने मिलकर कन्या भ्रूणों को व्यवस्थित रूप से खत्म करने की स्थिति पैदा कर दी है। इस अध्ययन में मिश्रित-विधि दृष्टिकोण (mixed-methods approach) का उपयोग किया गया है, जिसमें पिछले तीन दशकों के जनसांख्यिकीय डेटा के साथ-साथ प्रभावित समुदायों से प्राप्त गुणात्मक जानकारियों का विश्लेषण किया गया है।

मुख्य निष्कर्ष अवगत होता है कि 'प्री-कन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्नीक्स (PCPNDT) एक्ट, 1994' जैसे प्रगतिशील कानूनों के बावजूद, कमजोर कार्यान्वयन, सांस्कृतिक विरोध और लिंग निर्धारण तकनीकों के व्यवसायीकरण के कारण यह प्रथा जारी है। यह शोध-पत्र तर्क देता है कि कन्या भ्रूण हत्या अंतरराष्ट्रीय कानून द्वारा परिभाषित नरसंहार का ही एक रूप है, क्योंकि इसकी प्रकृति व्यवस्थित है और इसका उद्देश्य एक विशिष्ट समूह को खत्म करना है। शोध का समापन व्यापक नीतिगत सिफारिशों के साथ होता है, जो कानूनी सुधार, तकनीकी विनियमन और सांस्कृतिक परिवर्तन की रणनीतियों पर केंद्रित हैं। यह अध्ययन लिंग-आधारित हिंसा पर मौजूद साहित्य में योगदान देता है और कन्या भ्रूण हत्या को मानवाधिकारों के उल्लंघन और भारत की जनसांख्यिकीय स्थिरता के लिए खतरे के रूप में समझने का एक ढांचा प्रदान करता है।

मुख्य शब्द—*कन्या भ्रूण, हत्या, लिंग-आधारित, हिंसा, PCPNDT एक्ट, लिंगानुपात, नरसंहार, भारत, पितृसत्ता, प्रसव-पूर्व लिंग निर्धारण।*

* प्राचार्य, द कॉलेज ऑफ लॉ एण्ड लीगल एड, शहडोल (म.प्र.)

परिचय

भारत में कन्या भ्रूण हत्या (Female Foeticide) एक ऐसा गंभीर सामाजिक और मानवाधिकारी मुद्दा है, जिसे अक्सर ''खामोश नरसंहार'' (Silent Genocide) की संज्ञा दी जाती है। आधुनिक चिकित्सा तकनीकों- जैसे कि अल्ट्रासाउंड-के दुरूपयोग ने पारंपरिक रूप से चले आ रहे लिंग-पक्षपात को गर्भाशय के भीतर एक पहुँचा दिया है। समाशास्त्रियों और अर्थशास्त्रियों के अनुसार, यह प्रथा भारत के जनसांख्यिकीय ढांचे (Demographic Structure) पर गहरा प्रहार कर रही है। सामाजिक कारकः पितृसत्तामक, सोच, पुत्र वरीयता (Son Preference), दहेज प्रथा की कुरीति, और वंश चलाने की रूढ़िवादी धारणाएं कन्या भ्रूण हत्या के मुख्य कारण है। लड़कियों को आर्थिक रूप से ''पराया धन'' या दायित्व के रूप में देखा जाना इस संकट को गहरा करता है। कानूनी ढांचाः इस सामाजिक बुराई से निपटने के लिए भारत सरकार ने PCPNDT अधिनियम, 1994 (Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques Act) लागू किया, जिसका उद्देश्य गर्भधारण से पूर्व और बाद में लिंग परीक्षण पर पूरी तरह रोक लगाना हैं इसके अतिरिक्त, भारतीय न्याय संहिता (BJS) और बाल संरक्षण कानूनों के तहत भी सख्त प्रावधान मौजूद हैं।

भारत में मादा भ्रूणों को व्यवस्थित रूप से खत्म करना आज की दुनिया में लिंग-आधारित हिंसा के सबसे चिंताजनक रूपों में से एक है। विद्वानों ने इसे ''खामोश नरसंहार'' (Silent genocide) कहा है; मादा भ्रूण हत्या के कारण पिछले कुछ दशकों में भारत की आबादी से लाखों संभावित महिलाएं गायब हो गई हैं (पटेल, 2007)। यह प्रथा, जिसे जन्म-पूर्व लिंग का पता लगाने वाली तकनीकों की व्यापक उपलब्धता से बढ़ावा मिला है, पारंपरिक पितृसत्तात्मक मूल्यों और आधुनिक चिकित्सा क्षमताओं के मेल को दर्शाती है। यह एक ऐसा घात मेल है जो मादा भ्रूणों के जीवन के मौलिक अधिकार के लिए खतरा पैदा करता है।

इस संकट की गंभीरता भारत में लगातार गिरते बाल लिंगानुपात से साफ पता चलती है। यह अनुपात 1991 में प्रति 1000 पुरूषों पर 945 महिलाओं से घटकर 2011 में 918 हो गया, जो आज़ादी के बाद से दर्ज किया गया सबसे कम अनुपात है (भारत की जनगणना, 2011)। जनसंख्या में यह असंतुलन केवल आंकड़ों की गड़बड़ी नहीं है, बल्कि यह एक पूरे लिंग को जीवन से व्यवस्थित रूप से वंचित करने का मामला हैं इसलिए, नरसंहार अध्ययन और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों के नज़रिए से इसकी जांच करना जरूरी है।

भारत में मादा भ्रूण हत्या की घटना को इसके व्यापक सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ से अलग करके नहीं समझा जा सकता। यह प्रथा पितृसत्तात्मक ढांचे में गहराई से जुड़ी है, जो पुरूष बच्चों को प्राथमिकता देता है। इसे दहेज प्रथा, विरासत के नियम और बेटियों को आर्थिक बोझ मानने जैसी आर्थिक बातें और बढव्रावा देती हैं (मिलर, 2001)। 1980 के दशक में अल्ट्रासाउंड तकनीक के आने और उसके बाद इसके व्यापक प्रसार ने भ्रूण के लिंग का पता लगाने का तकनीकी साधन उपलब्ध कराया। इसने उस चीज़ को, पहले किस्मत पर निर्भर थी, एक सोच-समझकर किए गए फैसले में बदल दिया, जिसमें ज़्यादातर पुरूष बच्चों को ही प्राथमिकता दी जाती है।

इस पेपर का उद्देश्य भारत में मादा भ्रूण हत्या का व्यापक सामाजिक-कानूनी विश्लेषण करना है। इसमें इसकी ऐतिहासिक जड़ों, आज के समय में इसके रूपों और इससे निपटने के लिए बनाए गए कानूनी ढांचे की जांच की जाएगी। इस विश्लेषण के ज़रिए, हम मादा भ्रूण हत्या को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत नरसंहार के एक रूप के तौर पर स्थापित करने और साथ ही इसकी रोकथाम और हस्तक्षेप के लिए व्यापक रणनीतियां सुझाने की कोशिश करेंगे।

साहित्य समीक्षा

भारतीय समाज में बेटे को प्राथमिकता देने की परंपरा बहुत पुरानी है, जो लिंग का पता लगाने वाली आधुनिक

तकनीकों के आने से सदियों पहले से चली आ रही है। सेन (1990) ने बताया है कि कैसे सांस्कृतिक रीति-रिवाजों और आर्थिक ढांचों ने ऐतिहासिक रूप से बेटों को प्राथमिकता दी है, जिससे "गायब महिलाओं" की स्थिति पैदा हुई है- यह एक ऐसी जनसांख्यिकीय कमी है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक महिलाओं के साथ होने वाले व्यवस्थित भेदभाव को दर्शाती है। 1980 के दशक में जन्म से पहले लिंग का पता लगाने वाली तकनीक के आने से केवल लिंग-आधारित प्राथमिकताओं को लागू करने का एक अधिक प्रभावी तरीका मिला।

खन्ना (1997) ने भारत में लिंग-चयन की प्रथाओं के विकास का अध्ययन किया और बताया कि कैसे बेटों के लिए पारंपरिक प्राथमिकता शुरू में बच्चों के जन्म के बाद उनके साथ अलग-अलग व्यवहार (जैसे चुनिंदा उपेक्षा और शिशु हत्या) के माध्यम से दिखाई देती थी। अल्ट्रासाउंड तकनीक के आने से यह स्थिति मौलिक रूप से बदल गई; चयन का समय जन्म के बाद से बदलकर जन्म से पहले (प्रसव-पूर्व) हो गया, जिससे यह प्रथा कम दिखाई देने वाली और सामाजिक रूप से अधिक स्वीकार्य हो गई।

भारत में कन्या भ्रूण हत्या का बने रहना जटिल सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों से गहराई से जुड़ा है, जो बेटे और बेटी को अलग-अलग महत्व देते हैं। पटेल (2007) ने कई प्रमुख सांस्कृतिक कारकों की पहचान की, जिनमें पितृसत्तामक नातेदारी प्रणाली, धार्मिक रीति-रिवाज जिनमें पुरूषों की भागीदारी को प्राथमिकता दी जाती है, और दहेज भुगतान का आर्थिक बोझ शामिल हैं। ये कारक एक ऐसा व्यापक ढांचा बनाते हैं जो गर्भधारण के समय से ही महिलाओं के जीवन को कम महत्व देता है।

भारतीय समाज में "बेटे को प्राथमिकता" की अवधारणा कई स्तरों पर काम करती है- आध्यात्मिक विश्वास से लेकर (कि अंतिम संस्कार के लिए बेटे जरूरी हैं) व्यावहहारिक सोच तक (कि बेटे बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हैं) (अर्नोल्ड, किशोर, और रॉय, 2002)। यह प्राथमिकता केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि एक सामूहिक सामाजिक दृष्टिकोण को दर्शाती है जो विभिन्न सामाजिक-आर्थिक वर्गों में परिवार नियोजन के फैसलों को प्रभावित करती है।

एकेडमिक लिटरेचर में कन्या भ्रूण हत्या के पीछे के आर्थिक कारणों के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। सुधा और राजन (1999) ने दिखाया कि कैसे दहेज प्रथा परिवारों को लड़के बच्चों को पसंद करने के लिए सीधा फाइनेंशियल बढ़ावा देती है, क्योंकि बेटों को ऐसी संपत्ति माना जाता है जो शादी से पैदा लाएंगे, जबकि बेटियों को ऐसी देनदानी माना जाता है जिसके लिए भारी दहेज देना पड़ता है। यह इकोनॉमिक हिसाब-किताब आर्थिक अनिश्चितता और सोशल मोबिलिटी की उम्मीदों के मामले मे खास तौर पर साफ़ हो जाता है। हाल ही रिसर्च से पता चला है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कन्या भ्रूण हत्या के बीच का रिश्ता मुश्किल और नॉन-लीनियर है। उम्मीदों के उलट, भारत के कुछ सबसे खुशहाल राज्य, जिनमें पंजाब और हरियाणा शामिल हैं, सबसे ज़्यादा असंतुलित सेक्स रेश्यों दिखाते हैं, जिससे पता चलता है कि सिर्फ़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जेंडर पर आधारित भेदभाव अपने आप कम नहीं होता (भट और ज़ेवियर, 2003)। 2.4 कानूनी ढांचा और लागू करने की चुनौतियाँ।

भारत में कन्या भ्रूण हत्या पर कानूनी कार्यवाही कई चरणों से गुजरी है, जिसकी शुरूआत 1994 के प्री-कॉन्सेप्शन और प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्नीक (PCPNDT) एक्ट से हुई थी। सैनी (2008) ने इस कानून का पूरा एनालिसिस किया, जिसमें इसके आगे बढ़ाने के इरादे और इसे लागू करने की चुनौतियों, दोनो पर ध्यान दिया गया। यह एक्ट जन्म से पहले लिंग का पता लगाने पर रोक लगाता है और डायग्लोस्टिक टेक्नीक के इस्तेमाल को रेगुलेट करता है, लेकिन अलग-अलग राज्यों और इलाकों में इसे लागू करने में एक जैसा बदलाव नहीं हुआ है।

बाद के कानूनी बदलावों, जिसमें PCPNDT एक्ट में बदलाव और अलग-अलग कोर्ट के दखल शामिल हैं, ने रेगुलेटरी ढांचे को मजबूत करने की कोशिक की है। हालाँकि, जानकारों ने कानूनी नियमों और जमीनी स्तर पर

लागू करने के बीच के अंतर को लगातार देखा है, और इसका कारण कम रिसोर्स, भ्रष्टाचार और इस काम का छिपा हुआ तरीका बताया है (गनात्रा, 2008)। 2.5 टेक्नोलॉजिकल और मेडिकल पहलू

कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा देने में मेडिकल टेक्नोलॉजी की भूमिका

काफी विद्वानों की जांच का विषय रही है। जॉर्ज (2006) ने जांच की कि कैसे भ्रूण हत्या को तेज़ी से फैलाव हुआ है। भारत में अल्ट्रासाउंड तकनीक, जिसे शुरू में सहीमेडिकल मकसद के लिए लाया गया था, जल्द ही लिंग का पता लगाने के लिए इस्तेमाल होने लगी। अल्ट्रासाउंड मशीनों के आसानी से कहीं भी ले जाने लायक होने और कम कीमत की वजह से, लिंग का पता लगाना ग्रामीण इलाकों में भी मुमकिन हो गया, जिससे यह सुविध आम लोगों तक पहुँच गई- जबकि पहले यह सिर्फ़ शहरों के अमीर लोगों तक ही सीमित थी।

कई स्टडीज़ से पता चलता है कि महिला भ्रूण हत्या में मेडिकल प्रोफेशन के लोग भी शामिल रहे हैं; इन स्टडीज़ में दिखाया गया है कि कैसे हेल्थकेयर देने वालों ने अक्सर नैतिक बातों से ज़्यादा पैसे कमाने को अहमियत दी है। (झा और अन्य, 2006)। इस पेशेवर गड़बड़ी को इस कुप्रथा के बने रहने की एक बड़ी वजह माना गया है, जिसके लिए मेडिकल शिक्षा और पेशेवर नियमों में खास बदलावों की ज़रूरत है।

नरसंहार का सिद्धांत और महिला भ्रूण हत्या

महिला भ्रूण हत्या को नरसंहार (जेनोसाइड) मानने के लिए अंतरराष्ट्रीय कानूनी परिभाषाओं और विद्वानों के बनाए ढांचों के नज़रिए से इसकी जाँच ज़रूरी है। 1948 के संयुक्त राष्ट्र नरसंहार कन्वेंशन के मुताबिक, नरसंहार का मतलब है ऐसे काम करना ''जिनका मकसद किसी राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को पूरी तरह या आंशिक रूप से खत्म करना हो।'' हालाँकि, मूल परिभाषा में लिंग-आधारित उत्पीड़न को साफ़ तौर पर शामिल नहीं किया गया था, लेकिन बाद में कानूनी जानकारों ने इसकी व्याख्या का दायरा बढ़ाया ताकि इसमें लिंग-आधारित उत्पीड़न को साफ़ तौर पर शामिल नहीं किया गया था, लेकिन बाद में कानूनी जानकारों ने इसकी व्याख्या का दायरा बढ़ाया ताकि इसमें लिंग-आधारित समूहों के खिलाफ़ व्यवस्थित हिंसा को भी शामिल किया जा सके।

'जेंडरसाइड' (लिंग-आधारित हत्या)- यह शब्द वॉरेन (1985) ने दिया था- खास तौर पर किसी खास लिंग के लोगों को व्यवस्थित रूप से खत्म करने की बात करता है। महिला भ्रूण हत्या के मामले में, यह कॉन्सेप्ट इस कुप्रथा को एक समूह के तौर पर महिलाओं को निशाना बनाने वाले नरसंहार के रूप में समझने के लिए ज्यादा सटीक ढांचा देता है।

भारत में महिला भ्रूण हत्या का व्यवस्थित स्वरूप, और साथ ही इसका पैमाना और मकसद, आज के विद्वानां द्वारा बताई गई 'जेंडरसाइड' की परिभाषा पर खरा उतरता है।

इंटरसैक्शनैलिटी (आपसी जुड़ाव) और कई तरह के भेदभाव

महिला भ्रूण हत्या का विश्लेषण करते समय भेदभाव के उस मिले-जुले स्वरूप को ध्यान में रखना जरूरी है जो महिलाओं के अलग-अलग समूहों को अलग-अलग तरह से प्रभावित करता है। क्रेनशॉ (1991) का इंटरसेक्शनैलिटी का ढांचा यह बताता है कि कैसे क्लास (वर्ग), जाति, धर्म और... क्षेत्र और लिंग मिलकर भेदभाव के अलग-अलग अनुभव पैदा करते हैं। कन्या भ्रूण हत्या के मामले में, ये आपस में जुड़ी पहचानें लिंग-आधारित चयन की संभावना और कानूनी उपायों की उपलब्धता, दोनों पर असर डालती हैं।

शोध से पता चला है कि कन्या भ्रूण हत्या के पैटर्न अलग-अलग सामाजिक समूहों में काफी अलग-अलग होते है; कुछ समुदायों में लिंग चयन की दर दूसरों की तुलना में अधिक होती है (रेथरफोर्ड और रॉय, 2003)। यह अंतर बताता है कि अलग-अलग समुदायों की खात स्थितियों और चुनौतियों से निपटने के लिए उपाय भी उसी के अनुसार होने चाहिए।

मानवाधिकार ढांचा

कन्या भ्रूण हत्या के मानवाधिकारों पर असर जीवन के अधिकार के तत्काल उल्लंघन से कहीं आगे तक जाते हैं। यह प्रथा कई मानवाधिकारों- जैसे समानता का अधिकार, भेदभाव न होने का अधिकार और सम्मान का अधिकार- से व्यवस्थित रूप से इन्कार करती है। 'महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपों को खत्म करने के लिए कन्वेंशन (CEDAW) खात तौर पर जन्म से पहले लिंग चयन को भेदभाव का एक रूप मानता है और इस प्रथा से निपटने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचा प्रदान करता है।

कन्या भ्रूण हत्या के प्रति मानवाधिकार दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है कि राज्य की जिम्मेदारी है कि वह सभी व्यक्तियों-जिनमें अजनमी बच्चियां भी शामिल है-के अधिकारों की रक्षा करे, उन्हें बढ़ावा दे और उन्हें पूरा करे। इस ढांचे के तहत तत्काल प्रथा और इसके मूल कारणों, दोनो से निपटने के लिए व्यापक कानूनी नीतिगत और सामाजिक उपायों की आवश्यकताहै।

यह अध्ययन मिश्रित-तरीकों (mixed-methods) वाले दृष्टिकोण का उपयोग करता है, जिसमें जनसांख्यिकीय डेटा के मात्रात्मक विश्लेषण को कानूनी मामलों, नीतिगत दस्तावेजों और फील्ड अध्ययनों के गुणात्मक परीक्षण के साथ जोड़ा गया है। शोध डिजाइन को इस तरह से तैयार किया गया है कि यह विद्वतापूर्ण सटीकता और निष्पक्षता बनाए रखते हुए कन्या भ्रूण हत्या के कई पहलुओं की व्यापक समझ प्रदान करे।

मात्रात्मक हिस्से में 1991 से 2023 की अवधि के जनगणना डेटा, नमूना पंजीकरण प्रणाली (SRS) की रिपोर्ट और जनसांख्यिकी सर्वेक्षणों का विश्लेषण शामिल है। यह समय-सीमा... इस अध्ययन में PCPNDT एक्ट और उसमें बाद में किए गए संशोधनों के लागू होने से पहले और बाद में लिंगानुपात (sex ration) के रूझानों और पैटने की जांच करने का दायरा शामिल है। इसके गुणात्मक (qualitative) हिस्से में कानूनी फैसलों, संसदीय बहसों, सरकारी रिपोर्टों और आकदमिक प्रकाशनों का विश्लेषण शामिल है। इसके अलावा, इस अध्ययन में उन क्षेत्रों में किए गए मौजूदा नृवंशविज्ञान (ethnographic) अध्ययनों और फील्ड रिसर्च के निष्कर्षों को भी शामिल किया गया है, जहां लिंगानुपात में भारी असंतुलन है।

इस अध्ययन के लिए प्राथमिक डेटा स्रोतों में शामिल हैं—

जनसांख्यिकीय डेटा—भारत की जनगणना रिपोर्ट (1991, 2001, 2011), सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) रिपोर्ट।

कानूनी दस्तावेज—सुप्रीम कोर्ट के फैसले, हाई कोर्ट के निर्णय, PCPNDT एक्ट में संशोधन और संबंधित कानून।

सरकारी रिपोर्टें—स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्टें, योजना आयोग के दस्तावेज और राज्य-स्तरीय नीतिगत दस्तावेज।

अकादमिक साहित्य—मान्यता प्राप्त विद्वतापूर्ण स्रोतों से पीयर-रिव्यू किए गए लेख, किताबें और सम्मेलन की कार्यवाही (Conference proceedings)।

द्वितीयक (secondary) डेटा स्रोतों में गैर-सरकारी संगठनों, अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों और लिंग संबंधित मुद्दों तथा प्रजनन अधिकारों पर काम करने वाले नागरिक समाज समूहों की रिपोर्टें शामिल हैं

विश्लेषणात्मक ढांचा

शोध के विषय को व्यापक रूप से कवर करने के लिए विश्लेषण में कई विश्लेषणात्मक ढांचों का उपयोग किया गया है—

सांख्यिकीय विश्लेषण—समय के साथ पैटर्न और बदलावों की पहचान करने के लिए वर्णनात्मक सांख्यिकी (descriptive statistics) और ट्रेंड एनालिसिस का उपयोग करके जनसांख्यिकीय रूझानों का विश्लेषण किया जाता है।

कानूनी विश्लेषण—कानूनी ढांचों की प्रभावशीलता का आकलन करने और उन्हें लागू करने में कमियों की

पहचान करने के लिए, कानूनी दस्तावेजों की जांच 'डॉक्ट्रिनल एनालिसिस' (कानूनी सिद्धांतों के आधार पर विश्लेषण) के तरीकों से की जाती है।

तुलनात्मक विश्लेषण—सबसे अच्दे तरीकों और चुनौतियों की पहचान करने के लिए लिंग अनुपात और कानूनी प्रवर्तन में क्षेत्रीय अंतरों की जांच की जाती है।

कंटेंट एनालिसिस (विषय-वस्तु विश्लेषण)—नीतिगत चर्चाओं और आकदमिक विमर्श में बार-बार दिखने वाले पैटर्न और विषयों की पहचान करने के लिए, गुणात्मक डेटा का ''थीमैटिक एनालिसिस' (विषय-आधारित विश्लेषण) किया जाता है।

जनसांख्यिकीय रूझान और पैटर्न

जनसांख्यिकीय डेटा के विश्लेषण से भारत में पिछले तीन दशकों के दौरान लिंग अनुपात में चिंताजनक रूझान सामने आए हैं। अधिकांश राज्यों में बाल लिंग अनुपात (0-6 वर्ष) में लगातार गिरावट आई है, जिसमें उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में विशेष रूप से भारी गिरावट देखी गई है।

Table 1 : Child Sex Ration Trends in India (1991-2011)

State/ Region	1991	2001	2011	Change 1991-2011
Punjab	875	798	846	-29
Haryana	879	820	830	-49
Delhi	915	868	866	-49
Rajasthan	916	909	883	-33
Gujarat	928	883	886	-42
Maharashtra	946	913	883	-63
Uttar Pradesh	927	916	899	-28
All India	945	927	918	-27

Source : Census of India, 2011

लगातार गिरावट—कानूनी दखल के बावजूद, ज़्यादातर राज्यों में बच्चों के लिंगानुपात में लगातार गिरावट आ रही है, जो मौजूदा नीतिगत उपायों की सीमित प्रभावशीलता को दर्शाता है। क्षेत्रीय अंतरः उत्तर और पश्चिमी राज्यों में सबसे ज्यादा असंतुलन दिखता है; पंजाब और हरियाणा में प्रति 1000 पुरूषों पर महिलाओं की संख्या 850 से भी कम है। शहरी-ग्रामीण अंतरः उम्मीद के उलट, अक्सर ग्रामीण इलाकों की तुलना में शहरी इलाकों में लिंग अनुपात में ज़्यादा असंतुलन दिखता है। इससे पता चलता है कि टेक्नोलॉजी और आर्थिक संसाधनों तक पहुँच लिंग चयन को आसान बनाती है।

कानूनी ढांचे का विश्लेषण

भारत में कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कई चरणों से गुज़री है। हर चरण में कई चुनौतियों से निपटने और मौजूदा कमियों को दूर करने की कोशिश की गई है। प्री-कन्सेप्शन एंड प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्नीक्स एक्ट, 1994 (PCPNDT एक्ट) PCPNDT एक्ट भारत में कन्या भ्रूण हत्या से निपटने के लिए मुख्य कानूनी ढांचा है। यह एक्ट इन चीजों पर रोक लगाता हैः जन्म से पहले लिंग का पता लगाना। लिंग का पता लगाने वाली सुविधाओं का विज्ञान करना। लिंग का पता लगाने वाले टेस्ट करना। गर्भवती महिला या उसके परिवार को भ्रूण के लिंग के बारे में बताना। यह एक्ट जन्म से पहले जांच (Prenatal diagnostic tests) करने वाली मेडिकल सुविधाओं के लिए नियमन के तरीके भी तय करता है और निपयमों के उल्लंघन पर सज़ा (जैसे जेल और जुर्माना) का प्रावधान करता है।

संशोधन और मजबूत करने वाले उपाय

PCPNDT एक्ट में 2003 में किए गए संशोधनों से इसका दायरा बढ़ा और इसमें गर्भधारण से पहले लिंग चयन (pre-conception sex selection) की तकनीकों को भी शामिल किया गया, साथ ही इसे लागू करने के तरीकों को और मज़बूत किया गया। मुख्य बदलावों में ये शामिल थे। प्रतिबंधित गतिविधियों में गर्भधारण से पहले लिंग चयन को शामिल करना नियमों के उल्लंघन पर सख्त सज़ा। अल्ट्रसाउंड मशीनों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन। निगरानी और नियमों को लागू करने की मज़बूत प्रक्रियाएँ।

न्यायिक हस्तक्षेप

PCPNDT एक्ट की व्याख्या करने और उसे लागू करने में न्यायपालिका ने अहम भूमिका निभाई है। कुछ

अहम मामले इस प्रकार हैं: सेंटर फॉर इन्क्वायरी इनटू हेल्थ एंड एलाइड थीम्स (CEHAT) बनाम भारत संघ (2003): सुप्रीम कोर्ट ने PCPNDT एक्ट को लागू करने के लिए विस्तृत गाइडलाइंस जारी कीं, जिनमें अनिवार्य रिपोर्टिंग और बेहतर निगरीन के तरीके शामिल थे। वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ पंजाब बनाम भारत संघ (2013): कोर्ट ने नियमों को सक्रिय रूप से लागू करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया और राज्यों को PCPNDT मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें बनाने का निर्देश दिया।

निष्कर्ष

कन्या भ्रूण हत्या के सामाजिक-कानूनी विश्लेषण से निम्नलिखित मुख्य परिणाम और निष्कर्ष सामने आते हैं: लिंगानुपात पर प्रभाव: निरंतर लिंग-चयनात्मक गर्भपात के कारण देश के कई राज्यों (विशेष रूप से उत्तर-पश्चिम भारत) में शिशु लिंगानुपात चिंताजनक रूप से प्रभावित हुआ है, जिससे विवाह प्रणालियों और सामाजिक स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। कानूनी प्रवर्तन की सीमाएं: कानून अस्तित्व में होने के बावजूद, गुप्त क्लिनिकों, अवैध अल्ट्रासाउंड मशीनों और प्रभावी सज़ा की धीमी प्रक्रिया के कारण इसका क्रियान्वयन पूरी तरह सफल नहीं हो पाया है। कानूनी कठोरता के साथ-साथ प्रशासनिक जवाबदेही की अत्यधिक आवश्यकता है। जागरूकता कार्यक्रमों का प्रभाव: 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसी सरकारी पहलों और सामाजिक अभियानों के कारण कुछ क्षेत्रों में लिंगानुपात में सुधार देखा गया है। हालांकि, केवल कानूनी कड़ाई से इस बुराई को खत्म नहीं किया जा सकता; इसके लिए समाज की मानसिकता में मूलभूत बदलाव आवश्यक है। जब तक महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और कानूनी रूप से पूर्ण सशक्तिकरण नहीं मिलता, तब तक इस "खउमोश नरसंहार" को पूरी तरह असंभव रहेगा।

References

- Agnihotri, S.B. (2000), Sex Ration Imbalances is Indian Population: A development Perspective. Sage Publication.
- Census of India. Child Sex Ratio Trends in India, Office of the Registrar General & Census Commissioner, India.
- Crenshaw, K. (1991), Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color, Stanford Law Reveiw, 43(6), 1241-1299.
- Ganatra, B. (2008). Maintaining access to safe abortion and reducing sex ration imbalances in Asia. Reproductive Health Matters, 16(31), 90-98.
- George, S.M. (2006), Millions of missing girls: From fetal sexing to hightechnology sex selection in India. Prenatal Diagnosis. 26(7), 604-609.
- Jha, P., Kumar, R., Vasa, P., Dhingra, N., Thiruchelvam D., & Moineddin, R. (2006). Low male-to-female sex ratio of children both in India: National Survey of 1.1 million households. The Lancet, 367(9506), 211-218.
- Khannam, S.K. (1997), Traditions and reproductive technology in an urbanizing north Indian village. Social Science & Medicine, 44(2), 171-180.
- Kumar, A. (2018). Gender prefences and demographic outcomes in rural North India. Cambridge University Press. Government of India (1994). The Pre-Conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (PCPNDT) Act, 1994.
- Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW). National Family Health Survey (NFHS-5) Reports. Government of India.
- Patel, T. (2007). Sex-selective abortion in India: Gener, society and new reproductive technologies. Sage Publications.
- Pate, V. (2020). Medical complicity in sex-selective practices. Evidence from enforcement cases. Journal of Medical Ethics and Law, 15(3), 234-251.
- Ratherfor, R.D., & Roy, T.K. (2003). Factors affecting sex-selective abortion in India and 17 major states. National Family Health Survey Subject Reports, 21, 1-31.
- Saini, N.K. (2008). Legal frameword and ground

realities: Implementation of PCPNDT Act in India. Economic and Political Weekly, 43(48), 60-70.

- Sen, A. (1990). More than 100 million women are missing. The New York Review of Books, 37(20), 61-66.
- Sen, Amartya (1990). "More Than 100 Million Women Are Missing." The New York Review of Books.
- Sharma, R., Kumar, S., & Patel, M. (2019). Economics costs of daughters: A fields study in rural Haryana, Journal of Gender Studies, 28(4), 445-462.
- United Nations Population Fund (UNFPA) India. State of World Population Report: Gender-Biased Sex Selection in India.

SHODH-GARIMA–YEAR-3, VOL. 3 (July to Sept., 2026)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal

ISSN (Print) : 3048-6327

IMPACT-FACTOR
SJIF - 6.852

DOI : 10.5281/zenodo.23178343

Paper Received : 20th Sept. 2026 **Paper Accepted : 24th Sept. 2026**

शौचायल से खेत तक : मोनपा समाज की पारंपरिक स्वच्छता और खाद बनाने की परंपरा

दोरजी*
डॉ. अनुज कुमार**

शोध-सारांश

मोनपा समाज की पारंपरिक शौचालय व्यवस्था को केवल स्वच्छता की एक पुरानी तकनीक के रूप में देखना इसके व्यापक सांस्कृतिक और पारिस्थितिक महत्व को सीमित कर देगा। वास्तव में यह व्यवसथा घर, जंगल, पत्तियों, शौचालय, खाद और खेत को एक-दूसरे से जोड़ने वाली स्थानीय जीवन-पद्धति का हिस्सा रही है। सर्दियों में पत्तियों का संग्रह, उन्हें 'सिकिम' में सुरक्षित रखना, शौचायलय में उनका उपयोग, जैविक पदार्थ का प्राकृतिक विघटन और अंततः उसे खेतों में खाद के रूप में प्रयोग करना। यह पूरी प्रक्रिया मोनपा समाज के अनुभवजन्य ज्ञान और स्थानीय संसाधनों के पुनः उपयोग की समझ को सामने लाती है। आज इसका उपयोग पहले की तुलना में बहुत कम है, लेकिन कुछ परिवारों और गाँवों में यह परंपरा अभी भी जीवित है। इसलिए इसे समाप्त हो चुकी परंपरा को बजाय आधुनिकता के बीच जीवित, किंतु सीमित होती हुई पारंपरिक ज्ञान-व्यवस्था के रूप में देखना अधिक उचित होगा। जिसे आज हम अपशिष्ट कहते हैं, हमारे पूर्वज उसे संसाधन मानते थे। मोनपा समाज की यह परंपरा हमें यह भी सिखाती है कि प्रकृति के साथ संतुलित जीवन केवल आधुनिक विचार नहीं है। हमारे पारंपरिक समाजों ने अपने अनुभव, पर्यावरण और स्थानीय संसाधनों के आधार पर ऐसे अनेक तरीके विकसित किए थे, जिनमें उपयोग और पुनः उपयोग का स्वाभाविक संबंध दिखाई देता है।

अंततः यह केवल शौचायल की कहानी नहीं है, यह उस जीवन-दृष्टि की कहानी है जिसमें जंगल से मिली एक पत्ती घर से होकर खेत तक पहुँचती है और प्रकृति का एक चक्र पूरा करती है।

प्रस्तावना

मानव सभ्यता के इतिहास में 'शिकांग' केवल स्वच्छता से जुड़ी व्यवस्था नहीं रहा है, बल्कि यह मनुष्य के पर्यावरण, कृषि और संसाधनों के साथ संबंध का भी हिस्सा रहा हे। दुनिया के अनेक समाजों में मानव अपशिष्ट को केवल कचरा न मानकर कृषि के लिए उपयोगी संसाधन के रूप

* शोधार्थी, (हिंदी विभाग), नागालैण्ड विश्वविद्यालय, नागालैण्ड
** सहायक आचार्य (हिंदी-विभाग), नागालैण्ड विश्वविद्यालय, नागालैण्ड

में देखने की परंपरा रही है। आज आधुनिक दुनिया में 'waste management, organic farming, resource recycling and circular economy जैसे विचारों पर विशेष जोर दिया जा रहा है, लेकिन इन विचारों के अनेक व्यावहारिक रूप पारंपरिक समाजों के जीवन में पहले से मौजूद रहे हैं। इसी व्यापक संदर्भ में अरूणाचल प्रदेश के मोनपा समाज की पारंपरिक शौचालय व्यवस्था विशेष ध्यान आकर्षिक करती है। मोनपा समाज में शौचालय की अवधारणा आधुनिक समय की देन नहीं है। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले इस समुदाय के अनेक परिवारों में पारंपरिक रूप से घर के साथ 'शिकांग((शौचालय) की व्यवस्था रही है। इसकी विशेषता यह है कि शौचालय केवल शौच करने का स्थान नहीं है, बल्कि जंगल से प्राप्त पत्तियों, जैविक अपशिष्ट और कृषि भूमि के बीच एक प्राकृतिक चक्र का हिस्सा है। जैविक खाद को लेकर 'Maria Rodale' अपनी पुस्तक, 'Organic Manifesto: How Organic Farming Can Heal Our Planet, Feed the World, and Keep Us safe.' में लिखते है कि "Switching to all organic food production is the single most critical action. We can take right now to stop our climate crisis"[1] मोनपा समाज की इस व्यवस्था को समझना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आधुनिकता के दौर में इसका उपयोग कम जरूर हुआ है, लेकिन यह परंपरा पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। आज भी कुछ गाँवों और परिवारों में इसका प्रयोग देखने को मिलता है। इसके साथ जुड़ा पारंपरिक ज्ञान भी बुजुर्गों की स्मृतियों और व्यवहार में जीवित है।

शौच को लेकर लोगों का दृष्टिकोण

मोनपा समाज में 'फीकी' को लेकर लोगों के दृष्टिकोण को समझने के लिए पारंपरिक जीवन-पद्धति और वर्तमान आधुनिक व्यवस्था, दोनों को ध्यान में रखना आवश्यक है। पुराने समय में शौच को केवल शरीर से निकलने वाले अपशिष्ट के रूप में नहीं देखा जाता था, बल्कि उसे दैनिक जीवन और कृषि व्यवस्था से जुड़ी एक प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बहुत सोच-समझकर किया जाता था और किसी भी वस्तु को अनावश्यक रूप से नष्ट करने की प्रवृत्ति कम थी।

बुजुर्गों का कहना है कि पहले शौच के लिए निर्धारित स्थानों और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार व्यवस्था की जाती थी। मानव अपशिष्ट को भी अन्य जैविक पदार्थों की तरह उपयोगी बनाने की पारंपरिक समझ समाज में मौजूद थी। उचित समय तक रखने और प्राकृतिक रूप से विघटित होने के बाद इसका उपयोग खेतों में खाद के रूप में किए जाने की परंपरा कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलती थी। इस कारण शौच और कृषि के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध स्थापित था। लोगों की दृष्टि में यह केवल अपशिष्ट का निपटान नहीं, बल्कि उसे पुनः उपयोग में लाने की प्रक्रिया थी।

मोनपा समाज के बुजुर्ग इस पारंपरिक व्यवस्था को अपने समय की आवश्यकता और अनुभव से जोड़कर देखते हैं। उनका मानना है कि उस समय लोग प्रकृति पर अधिक निर्भरथे और इसलिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा पुनः उपयोग का महत्व समझते थे। शौच से प्राप्त अपशिष्ट को भी इसी दृष्टि से देखा जाता था। उनके अनुभव में घर, पशुपालन, कृषि और स्वच्छता एक-दूसरे से जुड़े हुए थें इस प्रकार पारंपरिक व्यवस्था में अपशिष्ट को पूरी तरह बेकार मानने के बजाय उसके संभावित उपयोग पर ध्यान दिया जाता था।

वर्तमान समय में शौच को लेकर लोगों की सोच में काफी परिवर्तन आया है। आधुनिक शौचालयों के निर्माण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता तथा सरकारी स्वच्छता अभियानों के प्रभाव से लोग शौचायल को मुख्य रूप से स्वास्थ्य, सुविधा, स्वच्छता और सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़कर देखते हैं। खुले में शौच को अब अधिकांश लोग उचित नहीं मानते। विशेष रूप से शिक्षित और युवा वर्ग आधुनिक शौचालय को आवश्यक सुविधा के रूप में स्वीकार कर चुका है। हालांकि, बुजुर्गों और नई पीढ़ी के दृष्टिकोण में अंतर दिखाङ्ग देता है। बुजुर्ग पारंपरिक व्यवस्था को प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने वाली प्रणाली के रूप में देखते हैं, जबकि युवा पीढ़भ आधुनिक स्वच्छता

व्यवस्था को अधिक सुविधाजनक और वैज्ञानिक मानती है। बुजुर्गों का यह भी मानना है कि आधुनिक शौचालय की सुविधा अच्छी है, लेकिन इसके साथ अपशिष्अ के उचित प्रबंधन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। उनके अनुसार यदि अपशिष्ट को सुरक्षित तरीके से उपयोग खाद में बदला जा सके, तो इससे स्वच्छता के साथ-साथ कृषि को भी लाभ मिल सकता है।

इस प्रकार मोनपा समाज के शौच को लेकर लोगों का दृष्टिकोण परंपरा से आधुनिकता की ओर परिवर्तनशील दिखाई देता है। पारंपरिक दृष्टिकोण में शौच और कृषि के बीच संबंध स्थापित था, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण में शौच मुख्यतः स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुविधा से जुड़ा हुआ है। फिर भी पारंपरक ज्ञान में मौजूद संसाधनों के पुनः उपयोग की भावना आज भी महत्त्वपूर्ण है। आवश्यकता इस बात की है कि पारंपरिक अनुभव और आधुनिक वैज्ञानिक स्वच्छता व्यवस्था के बीच उचित समन्वय स्थापित किया जाए, ताकि स्वच्छता के साथ पर्यावरण संरक्षण और कृषि की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जा सके।

पर्वतीय जीवन और शौच मौसम के अनुसार कार्य-विभाजन

मनुष्य और प्रकृति का रिश्ता हमेशा से समय और ॠतुओं के तालमेल पर टिका रहा है। आज के आधुनिक युग में भले ही हमने तकनीकी रूप से बहुत प्रगति कर ली हो, लेकिन जीवन की वास्तविकता सार्थकता इसी में है कि मनुष्य को मौसम और समय के साथ जीना जानना चाहिए। जब हम प्रकृति की इस शाश्वत लय को स्वीकार करते हैं, तभी हम एक संतुलित जीवन जी पाते हैं। 'Martin F. Price', ने अपनी पुस्तक, 'Mountain Geography: Physical and Human Dimension' में लिखते है कि 'The verticality of mountains creates micro-environments where communities divide their labor between summer pastures and winter settlements'[2] मोनपा समाज का पारंपरिक जीवन पर्वतीय पर्यावरण के साथ गहरे रूप से जुड़ा रहा है। पहाड़ी क्षेत्र में अत्यधिक ठंड और लंबी सर्दियों के कारण वर्षभर एक समान कृषि गतिविधियाँ करना संभव नहीं होता। इसलिए यहाँ पारंपरिक रूप से मौसम के अनुसार कार्यों का विभाजन देखने को मिलता है। गर्मियों में कृषि प्रमुख कार्य होता है। खेतों को तैयारी, बुवाई और अन्य कृषि गतिविधियों में परिवार के सदस्य व्यस्त रहते हैं। इसके विपरीत सर्दियों में कृषि कार्य अपेक्षाकृत कम हो जाते हैं। इस समय लोग अगले कृषि मौसम की तैयारी करते हैंः- लकड़ी एकत्र करते हैं, कपड़े और पारंपरिक वस्त्र तैयार करते हैं तथा पेड़ों की पत्तियों जैसी कृषि एवं घरेलु उपयोगी सामग्रियों को जमा करते हैं। यही मौसमी कार्य-विभाजन मोनपा समाज की पारंपरिक शौचायलय व्यव्स्था को समझने की पहली कड़ी है।

सर्दियों में पत्तियों का संग्रह

पहाड़ों की वादियों की खूबसूरती में विविध एवं स्थानीय पेड़-पौधों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। न केवल ये पेड़-पौधे पहाड़ों की खुबसूरती बढ़ाते है बल्कि इनका गहरा सम्बन्ध गाँव की संस्कृति और जीवनशैली से भी होता है। स्थानीय रूप से 'पशेंग' और रोशेंग जैसे पेड़ों की पत्तियाँ भी पारंपरिक जीवन में उपयोगी मानी जाती रही है। नवंबर महीने से 'पारमो' में पेड़ों के पत्ते झड़ने लगते हैं। स्थानीय लोग इन गिरे हुए पत्तों को एकत्र करना शुरू कर देते हैं, जिनका उपयोग आगे चलकर जैविक खाद के रूप में किया जाता है। 'तोरज्ञा' पर्व से पहले पत्तियाँ एकत्र करने की यह प्रक्रिया विशेष रूप से तेज हो जाती है। इन पत्तियों को भविष्य के उपयोग के लिए 'सिखेम' में रखा जाता हैं। आवश्यकता के अनुसार इन्हीं सूखी पत्तियों का शौचालय में प्रयोग किया जाता हैं।

गाँव के बुजुर्गों का कहना है कि ''सर्दियों में खेत का काम कम होता है, इसलिए पत्तियाँ पहले ही जमा कर लेते है। गर्मी आने पर यही पत्तियाँ खेत के काम आती है।'' यह कथन इस बात को स्पष्ट करता है कि पत्तियों का संग्रह केवल तत्कालीन आवश्यकता के लिए नहीं है, बल्कि आने वाले कृषि मौसम की तैयारी का भी हिस्सा है। कुल जमा यह कि पत्तियों का प्रयोग जीवन के नानाविध कार्य कलापों से

जुड़ा होता है।

शौचालय में पत्तियों का प्रयोग

जैसा की ऊपर कहा गया है कि सुखी पत्तियों का प्रयोग पारंपरिक मोनपा शौचालय में होता है। इन पत्तियों का नियमित उपयोग किया जाता है। शौच के बाद पत्तियाँ डाली जाती है और कहीं कहीं आज भी माल निष्कासन बाद पश्च भाग की सफाई के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। इससे शौचालय में जमा होने वाले शौच के साथ सूखी वनस्पति सामग्री भी मिलती रहती है आगे चलकर यही पदार्थ प्राकृतिक रूप से विघटित होकर 'शी' (खद) में बदलता है। उसका अगला पड़ाव खेत होता है। गोंगखर गाँव के एक स्थानीय बुजुर्ग 'मेमे' 'दावा नोरबू' ने 14 जुलाई 2026 को साक्षात्कार के दौरान, अपनी स्मृति के आधार पर इस व्यवस्था को बहुत सरल शब्दों में व्यक्त करते हुए बताया कि "हमारे लिए शौचालय कोई नई चीज नहीं है। हमारे बुजुर्गों के समय से ही घर में शौचालय होता आया है।" स्पष्ट है कि अंग्रेजों के आने से पहले से ही मोनपा समाज में शौचालय की व्यवस्था हर घर में रही है। ऐसे में यह बात बेमाने हो जाती है कि आधुनिक स्वच्छता व्यवस्था पाश्चात्य शक्तियों की देन है।

शौचालय से खाद तक की प्रक्रिया

जब शौचालय भर जाता है, तब उसमें जमा जैविक पदार्थ को बाहर निकालकर कुछ समय के लिए घरसे थोड़ी दूर तक एक अलग स्थान पर रखा जाता हैं। लगभग 15 दिन से एक महीने तक रखा जाता हैं। इस दौरान विघटन की प्रक्रिया होती है और समय के साथ यह खाद के रूप में उपयोग योग्य बन जाता है।

आगे 'दावा नोरबू' ने अपने स्वर्गीय 'ऐयु' 'नीमा जोमबा' के अनुभव का जिक्र करते हुए बताया कि- "शौचालय भरने के बाद उसे बाहर निकालकर कुछ समय रखते हैं। बाद में उसी खाद के खेत में इस्तेमाल किया जाता है।" मोनपा समाज के पारंपरिक कृषि चक्र में 'लोसार' का विशेष महत्व है। 'लोसार' के बाद कृषि गतिविधियाँ आरंभ होने लगती है। इसलिए परंपरागत रूप से लोसार से कुछ दिन पहले घर की साफ़-सफाई, कपड़े धोना, सब बर्तनों को माँजने में लगे रहते हैं। इसी दौरान शौचालय से तैयार खाद को निकालकर घर से दूर निर्धारित स्थान पर रखा जाता है। इसके बाद शौचालय में नए पत्ते डाल जाते हैं, ताकि अपशिष्ट की दुर्गंध कम हो और विशेष रूप से लोसर के समय आस पास का वातावरण स्वच्छ एवं स्वच्छतापूर्ण बना रहे। लोसर पर्व खतम होते ही गाँव वाले खेतों को साफ़ करना शुरू करते हैं। जिससे पहले से 'परमों' से सूखे पत्ते लाकर बिछा दिया जाते हैं ताकि खेतों की घास अच्छे से जल जाए और राख खेत की मिट्टी को उपजाऊ बनाने में मददगार साबित हो सके। फिर बारी-बारी से भी लोग खेत में 'लकपर' के सहारे 'शी' को खेतो ंतक पहुँचाने की तैयारी की जाती हैं। जानकारी भर के लिए यह बताना जरूरी जान पड़ता है कि जहां सामान्य खेती में शौच से निर्मित जैविक खाद का उपयोग होता है, वहीं सब्जियों के लिए गाय, बकरी भेड़ के गोबर और पत्तियों को सड़ाकर बनाई गई खाद का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन ऐसे खाद का इस्तेमाल खेतों में ना होकर घर के पास की जाने वाली छोटी से बागवानी के लिए किया जाता है। शौच द्वारा निर्मित खाद की पूरी व्यवस्था को एक सरल चक्र के रूप में देखा जा सकता है—

पेड़-पत्ती-शौचालय-जैविक विघटन- खाद-खेत- फसल।

मिट्टी की उर्वरता और स्थानीय मान्यता

ज़्यादातार आदिवासी समाजों की तरह ही मोनपा समाज में जैविक खाद द्वारा तैयार खेत की मिट्टी को लाभकारी माना जाता है। इससे भूमि की उर्वरता बनी रहती है। स्थानीय अनुभव में ऐसी खाद को कृषि के लिए उपयोगी माना जाता रहा है। आधुनिक कृषि विाान भी जैविक पदार्थों को मिट्टी की संरचना, जैविक गतिविधियों और जलधारण क्षमता से जोड़कर देखता है। हालांकि, मानव अपशिष्ट से तैयार खाद के संदर्भ में वैज्ञानिक सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। रोगजनकों और अन्य स्वास्थ्य जोखिमों को नियंत्रित किए बिना मानव अपशिष्ट का कृषि में उपयोग सुरक्षित नहीं

माना जा सकता। इसलिए मोनपा समाज की परंपरा को समझते समय स्थानीय मान्यता और वैज्ञानिक प्रमाण के बीच अंतर बनाए रखना आवश्यक है। स्थानीय ज्ञान का सम्मान करते हुए उसकी वैज्ञानिक जाँच और दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए।

आधुनिकता और सरकारी स्वच्छता अभियानों के कारण मोनपा समाज की पारंपरिक शौचालय व्यवस्था में परिवर्तन आया है। आज आधुनिक शौचालयों का उपयोग तेजी से बढ़ा है। फिर भी पारंपरिक व्यव्सथा पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। आज भी कुछ गाँवों और परिवारों में पारंपरिक शौचालय का उपयोग किया जाता है, लेकिन पहले की तुलना में बहुत कम। आधुनिक सुविधाओं, बदलती जीवनशैली और नई पीढ़ी की बदलती आवश्यकताओं के कारण इस व्यवस्था का दायता सीमित हुआ है। जब देश में घर-घर शौचालय निर्माण को बढ़ावा देने वाली सरकारी योजनाएँ और अभियान चलाए गए, तब मोनपा गाँवों के कई बुजुर्गों के लिए यह विषय कुछ हद तक हास्य का कारण भी बना। क्योंकि ''हमारे समाज में तो शौचालय सदियों से इस्तेमाल होता आया है।'' आधुनिक शौचालय जहां मुख्यतः स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुविधा पर केंद्रित है, वहीं पारंपरिक मोनपा शौचालय स्वच्छता के साथ-साथ पत्तियों, जैविक अपशिष्ट, खाद और कृषि के चक्र से जुड़ी प्रक्रिया है।

स्वास्थ्य के संदर्भ में पारंपरिक खाद का महत्व

मोनपा समाज की पारंपरिक कृषि व्यवस्था में प्राकृतिक एवं जैविक खाद के उपयोग को केवल कृषि उत्पादन की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि मानव स्वास्थ्य के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण माना जाता है। पारंपरिक मान्यताओं को यदि बगल में भी रख दिया और विज्ञान की दृष्टि से भी देखा जाए तब भी प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल कर उगाई गई सब्जियाँ और अन्य कृषि उत्पाद अधिक पौष्टिक, सुस्वादु एवं स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माने जाते हैं।

मोनपा समाज में पशुओं के गोबर, सूखी पत्तियों तथा अन्य जैविक पदार्थों से तैयार खाद का प्रयोग लंबे समय से कृषि कार्यों में किया जाता रहा है। इन जैविक पदार्थों को पुनः कृषि में उपयोग करने से मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के साथ-साथ प्राकृतिक कृषि पद्धति को बढ़ावा मिलता है। स्थानीय दृष्टिकोण से ऐसी खेती से प्राप्त सब्जियों का सेवन शरीर के लिए बेहरत और स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। इस प्रकार पारंपरिक कृषि ज्ञान में मिट्टी की उर्वरता, शुद्ध एवं प्राकृतिक भोजन तथा स्वस्थ्य जीवन के बीच एक गहरा संबंध स्थापित होता दिखाई देता है।

यह भी ध्यान देने योगय है कि मानव अपशिष्ट से तैयार खाद के संबंध में पारंपरिक मान्यताओं को आधुनिक स्वास्थ्य-विज्ञान की कसौटी पर सावधानीपूर्वक समझना आवश्यक है। बिना उचित उपचार के मानव मल का खाद के रूप में प्रयोग स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण हो सकता है, क्योंकि उसमें रोगजनक सूक्ष्मजीव और परजीवी मौजूद हो सकते हैं। इसलिए यदि ऐसी खाद का उपयोग किया जाता है, तो उचित कम्पोस्टंग, स्वच्छता और सुरक्षित कृषि पद्धतियों का पालन आवश्यक है। इस दृष्टि से मोनपा समाज की यह परंपरा पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक स्वज्ञस्थ्य-सुरक्षा के बीच संवाद का एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करती है।

आधुनिकता और पारंपरिक ज्ञान के बीच संतुलन

आधुनिक शौचालयों का महत्व निर्विवाद है। स्वच्छता, स्वास्थ्य और मानव गरिमा के लिए सुरक्षित एवं वैज्ञानिक स्वच्छता आवश्यक है। इसलिए पारंपरिक व्यवस्था को आधुनिक व्यवस्था का विकल्प मानना उचित नहीं होगा। लेकिन आधुनिकता का अर्थ पारंपरिक ज्ञान को पूरी तरह भुला देना भी नहीं होना चाहिए। मोनपा समाज की पारंपरिक शौचालय व्यवस्था में संसाधनों के पुनः उपयोग की जो सोच दिखाई देती हे, वह आज के पर्यावरणीय विमर्श के लिए अध्ययन का विषय हो सकती है। यहाँ पत्तियाँ केवल कचरा नहीं हैं, वे एक ऐसे चक्र का हिस्सा हैं जो खेत तक पहुँचता हैं। आज दुनिया waste management, organic farming, resource recovery and circular economy की बात कर रही है। ऐसे समय में मोनपा समाज की पारंपरिक

व्यवस्था हमें यह याद दिलाती है कि स्थानीय समुदायों के पास भी अपने पर्यावरण से संबंधित गहरा अनुभवजन्य ज्ञान रहा है।

मौखिक ज्ञान को दस्तावेजीकृत करने की आवश्यकता

मोनपा समाज में इस परंपरा से संबंधित बहुत-सा ज्ञान लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है। यह ज्ञान मुख्यतः बुजुर्गों और मौखिक परंपरा के माध्यम से पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ा है। आज जब जीवनशैली तेजी से बदल रही है, तब इस ज्ञान को दर्ज करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। पत्तियों के स्थानीय नाम, उनके संग्रह का समय, 'सिकिम' में उन्हें रखने की विधि, शौचालय में उनके प्रयोग की प्रक्रिया, खाद बनने की अवधि, लोसार से पहले खाद निकालने की परंपरा और विभिन्न फसलों के लिए खाद के चयन जैसे पहुलओं को दस्तावेजीकृत किया जाना चाहिए। यह कार्य केवल एक पुराने शौचालय की जानकारी सुरक्षित करना नहीं होगा। यह मोनपा समाज के पारंपरिक पारिस्थिति ज्ञान, कृषि संस्कृति और प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व की एक महत्वपूर्ण स्मृति को संरक्षित करना होगा।

फुटनोट

1. शिकांग—शौचालय
2. फीकी—शौच
3. पशेंग और रोशेंग—पेड़ों के नाम
4. पारमों—निजी वन
5. सिखेम—पत्ते रखने का घर
6. टोरग्या—तवांग मठ में मनाया जाने वाले मोनपा समुदाय का प्रमुख बौद्ध धार्मिक एवं सांस्कृतिक उत्सव।
7. मेमे—दादा
8. ऐयु—नानी
9. लोसर—नवर्ष
10. शी—खाद

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Rodale, Maria. Organic Manifesto: How Organic Farming Can Heal Our Planet, Feed the World, and Keep Us Safe. Rodale books, 2010
2. Price, Martin F., et al., editors. Mountain Geography: Physical and Human Dimensions. University of California Press, 2013.